

राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005
की धारा-4 (1) (ख) के अन्तर्गत मैनुअल
(मैनुअल बिन्दु-1 से 17)
(दिनांक 31 मार्च, 2018 तक अद्यतन)

“निर्वाचन भवन” ग्राम लाडपुर,
मसूरी बाईपास (रिंग रोड),
देहरादून

मैनुअल-1

(राज्य निर्वाचन आयोग की विशिष्टियां-कृत्य और कर्तव्य)

विशिष्टियां:- संविधान में किये गये 73वे व 74वे संशोधन के फलस्वरूप पंचायतों व नागर स्थानीय निकायों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। उक्त संस्थाओं के स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन कराये जाने हेतु भारत का संविधान के अनुच्छेद-243C में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्राविधान है। पंचायतों एवं नागर निकायों के लिये कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयुक्त में निहित है जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि (परिशिष्ट संख्या-1) राज्यपाल द्वारा अवधारित होंगी। परन्तु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा। जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चन्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुरोध किये जाने पर राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारीवृन्द उपलब्ध कराये जाएंगे, जितने राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे गये कृत्यों के लिए आवश्यक हों। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरखण्ड की स्थापना दिनांक 30 जुलाई, 2001 को की गयी।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल

क्र. सं.	नाम	अवधि		शासन की अधिसूचना संख्या व दिनांक
		कब से	कब तक	
1	2	3	4	5
1.	श्री दुर्गेश जोशी (आई.ए.एस. सेवा निवृत्त)	30.06.2001	16.01.2005	संख्या-287/व.एवं.प्रा.वि.पं.राज शाखा/2001 दिनांक 30.06.2001
2.	श्री आर.के. वर्मा (आई.ए.एस. सेवा निवृत्त)	16.01.2005	03.04.2008	संख्या-61-पं0/XII/05/2004-05 दिनांक 15.01.2005
3.	श्री बिपिन चन्द्र चंदोला (आई.ए.एस. सेवा निवृत्त)	04.04.2008	17.09.2010	संख्या-169/XII/08/92(01)08 दिनांक 03.04.2008
4.	श्री हरिश्चन्द्र जोशी (आई.ए.एस. सेवा निवृत्त)	18.09.2010	15.08.2013	संख्या-718 (ii)XII/10-92(01)08टी0सी0-1 दिनांक 16.09.2010
5.	श्री सुबर्द्धन (आई.ए.एस. सेवा निवृत्त)	04.09.2013	कार्यरत	संख्या-2136/XII/13(06) दिनांक 04.09.2013

उत्तरांचल शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग
संख्या-558-(10)/पं0ग्रा0अभि0आ0/2002
देहरादून : दिनांक 02 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अन्तर्गत उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधि को आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूल तथा उपांतर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो;

चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्तों) नियमावली, 1994 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में लागू हैं;

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या-29 सन, 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्तों) नियमावली, 1994 की उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अधीन लागू रहेगा:-

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्तों) नियमावली, 1994 अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ (1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्तों) नियमावली, 1994 अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 कहलायेगा।
2. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जायेगा। (2) उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्तों) नियमावली, 1994 में जहां-जहां शब्द पद "उत्तर प्रदेश" आया है, वहां शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

संजीव चोपड़ा,
सचिव

संख्या: 558-(10)/पंचायतीराज अनुभाग/2002 दिनांकित

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल।
3. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तरांचल, देहरादून।
4. उप निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूडकी हरिद्वार को इस आशय से कि उक्त को गजट में प्रकाशित कर इसकी 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

हरिश्चन्द्र जोशी,
अपर सचिव

उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्तों)
नियमावली, 1994

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-ट द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश में पंचायत राज और स्थानीय निकाय के लिए राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

अध्याय एक
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्तों) नियमावली, 1994 कही जायेगी।
(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएं- जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-
 - (क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्यपाल से हैं,
 - (ख) 'आयुक्त' का तात्पर्य आयोग के आयुक्त से हैं,
 - (ग) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) से हैं,
 - (घ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से हैं,
 - (ङ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से हैं,

अध्याय दो
नियुक्ति

3. आयुक्त की नियुक्ति- आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी।
परन्तु आयुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, यदि वह पहले से सरकारी सेवा में हैं, तब तक आयुक्त का पद ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उसने उस सेवा से त्याग पत्र न दे दिया हो या सेवा निवृत्त न हो गया हो जिसमें वह सेवारत था।
4. पदावधि- आयुक्त पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।
परन्तु किसी आयुक्त द्वारा सैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर वह अपना पद धारण नहीं करेगा।
5. अर्हताएँ और पात्रता- किसी व्यक्ति को आयुक्त के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि वह केन्द्र सरकार में संयुक्त सचिव या उससे उच्च स्तर का कोई अधिकारी हो उसने जिला मजिस्ट्रेट या मण्डल आयुक्त का पद अवश्यक धृत किया हो और सचिवालय में कोई ज्येष्ठ प्रशासकीय पद धृत किया हो।

अध्याय तीन
वेतन भत्ते

6. वेतन और भत्ते- (1) आयुक्त के पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति को उसके पैतृक विभाग में अनुमन्य वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाएगा।
(2) कोई व्यक्ति जो सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो और उसे आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाय तो उसे यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह या तो पेंशन की कुल धनराशि ऋण अन्तिम आहरित वेतन के सिद्धांत पर अपना वेतन और भत्ते या 8000 रुपये प्रतिमास वेतन और भत्ते, जो अनुमन्य हो, आहरित करें।
(3) आयुक्त को किराया मुक्त आवास की सुविधा होगी और यदि ऐसा आवास उपलब्ध न हो तो वह सरकार द्वारा अपने समूह 'क' के कर्मचारियों के संबंध में समय-समय पर निर्धारित दरों मकान किराया भत्ते का हकदार होगा।

परन्तु किराया मुक्त आवास की सुविधा तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक आयुक्त इस रूप में अपना पद धारण करेंगे और ऐसे पद पर न रह जाने के एक मास की अवधि के भीतर यह आवास को खाली करने के लिए बाध्य होगा।

अध्याय चार

प्रकीर्ण

7. अवकाश-आयुक्त ऐसे समस्त अवकाश के हकदार होंगे जो सरकार के समूह 'क' के कर्मचारियों के लिए अनुमन्य हैं।
8. पेंशन-आयुक्त के अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर लेने पर अपने पैतृक विभाग में लागू नियमों या विनियमों के अधीन उसे अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ का हक होगा।
9. चिकित्सा सुविधाएं-आयुक्त को ऐसी चिकित्सा सुविधा का हक होगा जो सरकार के समूह 'क' के कर्मचारियों को अनुमन्य हैं।
10. अन्य विषयों का विनियमन-ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली के अन्तर्गत न आते हों आयुक्त राज्य के कार्य-कलाप के संबंध में सेवारत समूह 'क' के सरकारी सेवकों पर सामान्यतया तत्समय लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

(6)

उत्तराखण्ड शासन

संख्या 085/XII/2012/92 (06)/2005

प्रेषक,

अरुण कुमार दीडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

पंचायती राज अनुभाग

देहरादून दिनांक 15 जून, 2012

विषय- राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड का स्वीकृत डॉचे का पुनर्गठन

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ट के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन कराने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 245पं0/प्रा0वि0आ0शा0 एवं पंचायतीराज/2001 दिनांक 30 जुलाई, 2001 तथा शासनादेश संख्या 352 पं0/प्रा0वि0आ0शा0/2001 दिनांक 05 नवम्बर, 2001 के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग में सफल कार्य संचालन हेतु मुख्यालय में कार्य की अधिकता एवं त्रिस्तरीय पंचायतों तथा नागर स्थानीय निकायों व जिला योजना समितियों के सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन आदि कार्य कराये जाने के दृष्टिगत राज्य निर्वाचन आयोग के डॉचे को पुनर्गठित करने एवं उत्तराखण्ड सचिवालय के समकक्ष पदों के समान पदनाम परिवर्तित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के विभागीय डॉचे में निम्नांकित पदों के सृजन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड (मुख्यालय) की पुनर्गठन संरचना

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान रु०	स्वीकृत पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	राज्य निर्वाचन आयुक्त	80,000 नियत	01	—
2.	सचिव	37400-67000+8900	01	—
3.	उपायुक्त	37400-67000+8900	01	—
4.	संयुक्त सचिव	37400-67000+8700	01	—
5.	उप सचिव	15800-39100+7800	01	राज्य सरकार के समान विभागों के कार्मिक से प्रतिनियुक्ति पर भरा जायेगा
6.	उप सचिव (लेखा)	15800-39100+7800	01	वित्त लेखा संवर्ग से भरा जायेगा
7.	अनु सचिव	15800-39100+6800	01	अनुभाग अधिकारी से पदोन्नति द्वारा
8.	सहायक आयुक्त	15800-39100+5400	02	01 पद पदोन्नति से एवं 01 पद प्रतिनियुक्ति द्वारा
9.	अनुभाग अधिकारी	9300-34800+4800	03	—
10.	निजी सचिव	9300-34800+4800	02	—
11.	समीक्षा अधिकारी	9300-34800+4600	06	—

(7)

(2)

1	2	3	4	5
12.	समीक्षा अधिकारी (लेखा)	9300-34800+4800	01	—
13.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	9300-34800+4200	01	वाह्य स्रोत से
14.	वैयक्तिक सहायक/अपर निजी सचिव	9300-34800+4800	03	—
15.	सहायक समीक्षा अधिकारी	9300-34800+4200	03	—
16.	टंकक/डाटा इन्ट्री आपरेटर	5200-20200+1900	04	—
17.	वाहन चालक	5200-20200+1900	02	वाह्य स्रोत से
18.	अर्दली/चपरासी/चौकीदार/ स्वच्छक	5200-20200+1800	10	वाह्य स्रोत से
19.	स्वच्छक	5200-20200+1800	01	वाह्य स्रोत से
योग			45	

2. उपरोक्त तालिका के क्रमांक-8 पर उल्लिखित सहायक आयुक्त की पदों में से 01 पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायेगा तथा 01 पद सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या 19 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2615-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-00-आवोजनेतर-800-अन्य व्यय-00-06-राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं स्थानीय निकाय आदि) के नामे खर्चा जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 601/(NP)/XXVII-4/2010, दिनांक 13 जून, 2012 में प्राप्त संनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

आज्ञा से,

अरुण कुमार चौडियाल,
सचिव।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 28-7-2012, भाग-1 में प्रकाशित।

(प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—)

पीएसओ (आरओ) 68 निर्वाचन/579-1-8-2012-100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

8

उत्तराखण्ड शासन

पंचायतीराज अनुभाग-1

संख्या- /XII/2013/92(06)/2005,टीसी-1/2013

देहरादून: दिनांक: 10 अक्टूबर,2013

कार्यालय-आदेश

शासनादेश संख्या-685/XII/2012/92(06)/2005, दिनांक 15 जून,2012 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की स्वीकृत ढाँचे का पुनर्गठन किया गया था, के कमांक-3 पर उल्लिखित उपायुक्त, वेतनमान रू० 37400-67000 ग्रेड वेतन रू० 8900 पे बैण्ड-4 पर सम्यक विचारोपरान्त इस प्रतिबन्ध के साथ संशोधित किया जा रहा है कि, उपायुक्त पद वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रू० 15600-39100 ग्रेड वेतन रूपये 7600, सहायक आयुक्त के पद से निर्धारित प्रक्रियानुसार पदोन्नति द्वारा भरा जाय।

2- यह आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-879/(NP) XXVII-4/2010, दिनांक 01-10-2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

(विनोद फोनिया)

सचिव

संख्या- 2337 /XII/2013/92(06)/2005,टीसी-1/2013 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, सचिव महामहिम श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड।
- ✓ 2. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड को राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड के अवलोकनार्थ ।
3. महालेखाकार, ओबराय भवन माजरा रोड देहरादून।
4. निजी सचिव, मा० पंचायतीराज मंत्री उत्तराखण्ड को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के संज्ञानार्थ ।
6. प्रमुख सचिव/आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा उत्तराखण्ड ।
7. निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे०एल०शर्मा)

अनु सचिव

2

(9)

संख्या :- 605 /IV(1)/2013-28 (NV)/2009

प्रेषक,

एम0एच0खान,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक : 3। अक्टूबर, 2013

विषय: राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन जनपद स्तर पर सृजित पदों को स्थाई किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:-775/9-1-98-25 ई/94 दिनांक 05 फरवरी, 1998 के अनुक्रम में अपने पत्र संख्या:-801/रा.नि.आ.-1/05/2001 दिनांक 27 जून, 2013 के सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश दिनांक 05 फरवरी, 1998 के माध्यम से पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के समय-समय पर होने वाले निर्वाचन कार्य हेतु प्रत्येक जनपद में अस्थाई रूप से निम्नानुसार पदों का सृजन किया गया:-

क्रम संख्या	पदनाम	स्थायी किये जाने वाले पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान
1	2	3	4
1.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	1	9300-34800+4200
2.	वरिष्ठ सहायक	2	5200-20200+2800
3.	कनिष्ठ सहायक	2	5200-20200+2000
4.	चपरासी/चीकीदार	2	5200-20200+1800

2:- उक्त क्रम में तदसमय से आवश्यकता के दृष्टिगत उपरोक्त पदों की निरन्तरता अवधि समय-समय पर शासन द्वारा बढ़ाई गई है। क्योंकि प्रश्नगत कार्य स्थाई प्रकार का है तथा संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार भविष्य में भी पंचायतों एवं स्थानीय निकायों का चुनाव निरन्तर चलता रहेगा। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:-118/XXVII(7)/2008 दिनांक 31 अगस्त, 2006 में प्रशासकीय विभाग को स्थाईकरण के अधिकार दिये गये हैं।

3:- अतः उपरोक्तानुसार पदों की आवश्यकता के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न तालिका के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन जनपद स्तर पर सृजित प्रति जनपद 07 विभिन्न पदों (अर्थात् कुल 91 पदों) को स्थाई घोषित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4:- उक्त के अतिरिक्त सूच्य है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-877/XXVII(7)च0श्रे0/2011 दिनांक 24 मार्च, 2011 के अनुसार ₹ 1800/- ग्रेड पे

पर कार्यरत समूह 'घ' के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर यह पद स्वतः ही समाप्त होते जाएंगे अर्थात् समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिये सम्पत्ति उपलब्ध ₹ 1800/- ग्रेड पे का एकमात्र पद डाईंग कैंडर होगा। भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर नियमित भर्ती/नियुक्ति नहीं की जायेगी। समूह 'घ' के कार्य यथा आवश्यकता आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराये जाएंगे।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

(Signature)

(एम0एच0खान)

प्रमुख सचिव।

संख्या :- /IV(1)/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमायू मण्डल, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
3. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. बजट संयोजक/नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. निदेशक, एन.आर्.सी. सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. गार्ड फत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(Signature)

(सुभाष चन्द्र)

उपसचिव।

संलग्नक

शासनादेश संख्या:- 605/IV(1)/2013-26(NV)/2002 दिनांक 3.1.2002 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड के अधीन जनपद स्तर पर स्थायी किये गये पदों का विवरण:-

क्रम संख्या	पदनाम	स्थायी किये जाने पदों संख्या	स्वीकृत वेतनमान	शासनादेश तथा जिसमें पद रूप से सृजित हुआ था	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें अन्तिम बार पद के स्थायीकरण अथवा उसके बाद की तिथि तक उसका सहाय स्वीकृत किया गया था	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	13	9300-34800+4200	शासनादेश संख्या-775/9-1-96-25-ई/94 दिनांक 05 फरवरी, 1996	शासनादेश संख्या 603/IV (1) 2013-26 (नववि) / 02 दिनांक 22 मार्च, 2013	
2.	वरिष्ठ सहायक	26	5200-20200+2800			
3.	कनिष्ठ सहायक	26	5200-20200+2000			
4.	चपरासी/चौकीदार	26	5200-20200+1800			

नोट- उपरोक्त पद संस्त 13 जनपदों में सृजित/स्वीकृत अस्थायी पदों का है प्रति जनपद का विवरण निम्नानुसार है-

1.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	-	01 पद (प्रति जनपद)
2.	वरिष्ठ लिपिक	-	02 पद (प्रति जनपद)
3.	कनिष्ठ लिपिक	-	02 पद (प्रति जनपद)
4.	चपरासी/चौकीदार	-	02 पद (प्रति जनपद)
	योग	-	07 पद (प्रति जनपद)

Kyremba

(एसएचओ/खान)

प्रमुख सचिव,

शहरी विकास विभाग,

उत्तराखण्ड शासन।

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायती राज अनुभाग-3

संख्या-230एम. एम. /33-3-1995
लखनऊ: दिनांक 14 फरवरी, 1995

सुसज्जक - 1

कार्यालय-ज्ञाप
=====

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल त्रिस्तरीय पंचायतों के अतिरिक्त कार्य करने के निमित्त जिला पंचायत राज अधिकारी जो पदेन सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं के कार्यालय में प्रति जनपद एक कनिष्ठ लिपिक और एक चपरासी/चाकीदार के पद की स्वीकृति देते हैं और इस निमित्त निम्नलिखित अस्थाई पदों को उनके सम्मुख अंकित संख्या तथा वेतन क्रम में शारदा सहायक कमाण्ड के सरप्लस स्टाफ के समाप्ति के द्वारा नियुक्ति की तिथि से दिनांक 28 फरवरी, 1995 तक के लिये सृजित करने की सर्व स्वीकृति प्रदान करते हैं।-

क्र.सं०	पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	कनिष्ठ लिपिक	950-20-1150-दोरो-25-1500	65	प्रत्येक जनपद में एक कनिष्ठ लिपिक
2.	चपरासी/चाकीदार	750-12-870-दोरो-14-940	65	और एक चपरासी/चाकीदार तैनात किया जायेगा।

2- अधोहस्ताक्षरी को यह भी कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि शारदा सहायक समादेश क्षेत्र परियोजना में पर्याप्त सरप्लस स्टाफ है अतएव श्री राज्यपाल आदेश देते हैं कि उपरि सृजित पदों को शारदा सहायक परियोजना के सरप्लस स्टाफ से भरा जाय और इस प्रयोजनार्थ शारदा सहायक समा० क्षेत्र परियोजना से कनिष्ठ लिपिक के पद तथा चतुर्थ श्रेणी चाकीदारियों के 65 पदों को पद सहित स्थापना नरित किया जाता है।

3- उक्त पदों में से क्रमांक 1 पर उल्लिखित पद पर उ०१० पंचायत अधीनस्थ लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1979 की व्यवस्थाएं लागू होंगी।

4- उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी अनुमन्य हों, देय होंगे।

पत्रांक :

उपरोक्त पत्रों पर होने वाला व्यवस्थित संख्या-14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास का क्रिम-अभियोजन-800-अन्य व्यय-राज्य निर्वाचन आयोग" के अन्तर्गत सुश्रेणीकृत प्रशासनिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

6- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-ई-2-109 दिनांक 13.2.95 में सहमति में जारी किये जा रहे हैं ।

30

देवेन्द्र स्वल्प
अनु सचिव ।

संख्या-230एम.एम. 11/33-3-1995, तददिनांक ।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ स्व आयुक्त कार्यावाही हेतु

प्रेक्षित :-

- 11 महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
- 217 सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 31 समस्त मण्डल/सुब/जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 41 समस्त कोष अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 51 निदेशक, पंचायती राज 2090, लखनऊ ।
- 61 समस्त उप निदेशक (पंचायत), 2090 ।
- 71 समस्त जिला सहायक राज अधिकारी, 2090 ।
- 81 आयुक्त स्व आरक्षण आरक्षण आरक्षण आरक्षण क्षेत्र परियोजना, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 91 सचिव, क्षेत्रीय विकास ।
- 101 वित्त व्यवस्थापन अनुभाग-2

30

देवेन्द्र स्वल्प
अनु सचिव ।

संख्या- 3513/33-3-99-14 रा.नि.आ/99

प्रेषक,

राजकुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

- 1- सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 17 अगस्त, 1999

विषय:- शारदा महायुक्त कृष्ण सुखिया के सरप्लस 65 लिपिक तथा 65 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय आप संख्या-230एमओएमओ/33-3-1995, दिनांक 14 फरवरी, 1995 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि उपरोक्त कार्यालय आप द्वारा प्रदेश के 65 जनपदों हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य के लिए सृजित 65 कनिष्ठ लिपिक तथा 65 चपरासी/घांकीदार के पदों पर प्रशासनिक नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग का रहेगा तथा इन पदों पर निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र० का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा ।


2- इस सम्बंध में मुझे यह भी कहने का निवेश हुआ है कि कृपया उक्त कार्यालय आप दिनांक 14 फरवरी, 1995 में, अतिरिक्त प्रस्तर-3 में दी गई व्यवस्था को पत्रद्वारा निरस्त किा जाता है। उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू न समझे जायेंगे ।

भवदीय,

EO

राजकुमार
विशेष सचिव।

119



2. कृत्य और कर्तव्य:-

1. राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड मुख्यालय


राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड का मुख्यालय, देहरादून में स्थापित है, जिसका कार्यालय "निर्वाचन भवन" ग्राम लाडपुर, मसूरी बाईपास (रिंग रोड), देहरादून में स्थित है।

भारत का संविधान 73 वें तथा 74 वें संशोधन अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं नागर स्थानीय निकायों के सभी निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावलियों को तैयार कराने तथा उक्त संस्थाओं के पदाधिकारियों के समस्त निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का संवैधानिक उत्तरदायित्व राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत तथा स्थानीय निकाय) में निहित है।

निर्वाचक नामावली किसी भी निर्वाचन की आधार शिला होती है, यह नामावली जितनी परिपूर्ण सही तथा दोष रहित होगी उतनी ही निष्पक्ष, स्वतंत्र तथा शान्तिपूर्ण निर्वाचन की अपेक्षा की जा सकती है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद-243-‘ट’ तथा तदनुसरण में लागू किये गये उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947, उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम-1961, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 तथा उत्तर प्रदेश, नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाअनुकूलित एवं उपान्तरित) में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप राज्य निर्वाचन आयोग में त्रिस्तरीय पंचायत/नागर स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों के तैयार करवाये जाने एवं सभी निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का संवैधानिक दायित्व निर्वहन करते हुए 73 वें तथा 74 वें संविधान संशोधन के पश्चात् त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नागर स्थानीय निकायों के समस्त निर्वाचनों का संचालन किया जा रहा है।

2. पंचास्थानि चुनावालय, जनपद स्तर

राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय के नियंत्रणाधीन राज्य के प्रत्येक जनपद में एक पंचास्थानि चुनावालय स्थापित किया गया है। जिसका मुख्य कार्य आयोग से प्राप्त निर्देशों एवं आदेशों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्य (विस्तृत एवं संक्षिप्त पुनरीक्षण), निर्वाचन/उप निर्वाचन सम्पन्न कराना है। इसके अतिरिक्त पंचास्थानि चुनावालय में कार्यरत कार्मिकों के स्थापना सम्बन्धी समस्त कार्यों का भी सम्पादन किया जाता है। जनपद स्तर पर कार्य करने के लिए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत तथा स्थानीय निकाय) के निर्देशन में यह कार्य सम्पन्न होता है। जिलाधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी नामित किया जाता है। जिला कार्यालय इन अधिकारियों के निर्देशन व नियंत्रण में उक्त कार्य सम्पन्न कराते हैं।



मैनुअल-2

अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

राज्य निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन तंत्र:- संविधान का अनुच्छेद 243-‘ट’ के अनुसार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नागर स्थानीय निकायों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने का उत्तरदायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है। अतः इन निर्वाचनों को सही ढंग से सम्पादित करवाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्यालय एवं जिला स्तर पर पंचास्थानि चुनावालय हेतु निम्नानुसार विभिन्न पद सृजित किये गये हैं:-

राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्यालय

क्र.सं.	पदनाम	शक्तियां और कर्तव्य
1	2	3
1.	माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त	त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नागर स्थानीय निकायों के समस्त निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देश तथा नियंत्रण का दायित्व ।
2.	सचिव	<ol style="list-style-type: none"> 1. अधिष्ठान/लेखा/निर्वाचन से संबंधित समस्त पत्रावलियों का निस्तारण। 2. आयोग में प्राप्त होने वाले पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को मार्गदर्शन/सुझाव देना। 3. मा. राज्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देश पर आयोग के महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पादित कराना। 4. राज्य निर्वाचन आयोग के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार से प्राप्त बजट की धनराशि का आहरण-वितरण करना।
3.	संयुक्त सचिव	पद रिक्त
4.	उप सचिव (लेखा)	<ol style="list-style-type: none"> 1. वित्तीय अधिकार लेखा अनुभाग की पत्रावलियों पर मतव्य। 2. राज्य निर्वाचन आयोग हेतु वार्षिक बजट तैयार कराना एवं प्रशासनिक विभाग के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित कराया जाना।
5.	उप सचिव	पद रिक्त
6.	उपायुक्त	<ol style="list-style-type: none"> 1. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुभाग-2 पंचायत निर्वाचन एवं अनुभाग-3 नागर निकाय निर्वाचन से संबंधित न्यायालय प्रकरणों का निस्तारण। 2. अनुभाग-2 पंचायत निर्वाचन एवं अनुभाग-3 नागर निकाय निर्वाचन से संबंधित पत्रावलियों पर कार्यवाही। 3. त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन/नागर निकाय निर्वाचन से सम्बन्धित कार्यों का निर्वहन किया जाना। 4. सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अर्न्तगत राज्य निर्वाचन आयोग के अपीलीय अधिकारी के कार्य का निर्वहन।
7.	अनु सचिव	<ol style="list-style-type: none"> 1. अधिष्ठान, स्टोर एवं लेखा से संबंधित कार्य। 2. टेण्डर/कोटेशन से संबंधित कार्य। 3. सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अर्न्तगत राज्य निर्वाचन आयोग के लोक सूचना अधिकारी के कार्य का निर्वहन।
8.	1. सहायक आयुक्त	<ol style="list-style-type: none"> 5. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुभाग-2 पंचायत निर्वाचन से संबंधित न्यायालय प्रकरणों का निस्तारण। 6. अनुभाग-2 पंचायत निर्वाचन से संबंधित पत्रावलियों पर कार्यवाही। 3. त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन से सम्बन्धित कार्यों का निर्वहन किया जाना।

	2. सहायक आयुक्त	पद रिक्त
9.	अनुभाग अधिकारी	1. अनुभाग से संबंधित कार्यों का निर्वहन/पर्यवेक्षण। 2. आयोग द्वारा नामित अनुभाग अधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के सहायक लोक सूचना अधिकारी के कार्यों का निर्वहन।
10.	निजी सचिव	मा. राज्य निर्वाचन आयुक्त से सम्बद्ध
11.	समीक्षा अधिकारी	अनुभाग से संबंधित विचाराधीन पत्रों पर टिप्पणी एवं आलेख पत्रावली पर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाना।
12.	समीक्षा अधिकारी (लेखा)	लेखा से सम्बन्धित समस्त कार्यों का निर्वहन किया जाना।
13.	अपर निजी सचिव	पद रिक्त
14.	सहायक समीक्षा अधिकारी	अनुभाग से संबंधित कार्यों का निर्वहन।
15.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन एवं नागर निकाय निर्वाचनों से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं को इन्टर नेट पर प्रदर्शित करना एवं निर्वाचक नामावली हेतु साफ्टवेयर तैयार किया जाना।
16.	टंकक/डाटा इन्टी आपरेटर	अनुभाग से संबंधित टंकण कार्यों का निर्वहन किया जाना।
17.	वाहन चालक	वाहन चलाना।
18.	अर्दली/चपरासी/ चौकीदार/स्वच्छक	आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशानुसार कार्य किया जाना।

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के नियंत्रणाधीन जिला स्तर पर पंचास्थानि चुनावालयों से संबंधित कार्यों/दायित्वों के निर्वहन हेतु निम्नानुसार पद सृजित किये गये हैं:-

जिला स्तरीय पंचास्थानि चुनावालय

क्र.सं.	पदनाम	शक्तियां और कर्तव्य
1	2	3
1.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	निर्वाचन, अधिष्ठान तथा लेखा संबंधी कार्यों को सम्पन्न कराने तथा पत्रावलियों/सूचनाओं को उच्चाधिकारियों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत/प्रेषित करना, जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी के नियंत्रण में निर्वाचन कार्यों का सम्पादन किया जाना।
2.	वरिष्ठ सहायक	जिला निर्वाचन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय तथा सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण में कार्यों का निर्वहन।
3.	कनिष्ठ सहायक	—तदैव—
4.	चतुर्थ श्रेणी/अनुसेवक	अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशानुसार कार्य किया जाना।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों/नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन में विभिन्न दायित्वों के निर्वहन हेतु निम्नानुसार अधिकारियों को पदाभिहित (डिजिनेटेड) किया गया है:-

1. जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत एवं स्थानीय निकाय); जिलाधिकारी।
2. प्रभारी अधिकारी, (पंचायत एवं स्थानीय निकाय); मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी।
3. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत एवं स्थानीय निकाय), आयोग द्वारा नियुक्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी।

मैनुअल-3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं-

भारत का संविधान के 73वे व 74वे संशोधन के फलस्वरूप पंचायतों व नागर स्थानीय निकायों को न केवल संवैधानिक ईकाई बनाया गया है। बल्कि प्रत्येक 05 वर्ष में इनके निर्वाचन अनिवार्य कर दिये गये हैं। उक्त संशोधन के फलस्वरूप भारत का संविधान के अनुच्छेद-243C के अधीन पंचायतों व नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। उक्त कार्यों के निर्वहन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रक्रिया, पर्यवेक्षण/उत्तरदायित्व का माध्यम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-

(अ) पंचायत निर्वाचन:-

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी; अपर जिलाधिकारी अथवा जिन जनपदों में अपर जिलाधिकारी का पद सृजित नहीं है अथवा पद रिक्त होने की दशा में उन जनपदों में मुख्य विकास अधिकारी।
2. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी; उप जिलाधिकारी/आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण तहसीलदार को नियुक्त कर सकते हैं।
3. विकासखण्ड में पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्यों हेतु नोडल अधिकारी-खण्ड विकास अधिकारी।
4. अपील अधिकारी- जिलाधिकारी।
5. राज्य के त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत एवं ग्राम प्रधान के पदों पर निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिलाधिकारी को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने हेतु अधिकृत किया गया है। निर्वाचन से संबंधित विभिन्न कर्तव्यों, दायित्वों के निर्वहन के लिए जिला स्तर, तहसील स्तर तथा विकास खण्ड स्तर के जिन अधिकारियों को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है उनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	स्तर	निर्वाचन अधिकारी	सहायक निर्वाचन अधिकारी
1	2	3	4
1.	जिला पंचायतों के लिए	जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी।	जिला स्तरीय अधिकारी/डिप्टी कलेक्टर तथा खण्ड विकास अधिकारी या इनके ऊपर के अधिकारी।
2.	क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के लिए	डिप्टी कलेक्टर, जिला बन्दोबस्त अधिकारी, जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां, जिला उद्यान अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी तथा जिला मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उप सम्भागीय अधिकारी अन्य जिला स्तर के अधिकारी।	नायब तहसीलदार, सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक खण्ड विकास अधिकारी, अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी, मनोरंजन कर निरीक्षक, उद्यान निरीक्षक या इसके स्तर के अन्य अधिकारी।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख/उप प्रमुख एवं ग्राम पंचायत के उप प्रधान के पद पर निर्वाचन हेतु पदाभिहित किये गये निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी का विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	निर्वाचित किये जाने वाले पदाधिकारी	निर्वाचन अधिकारी	सहायक निर्वाचन अधिकारी
1	2	3	4
1.	जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष	जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)/ जिलाधिकारी	जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, अपर जिलाधिकारी, उप संचालन चक्रबंदी, मुख्य राजस्व अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला स्तर के राजपत्रित अधिकारी।
2.	क्षेत्र पंचायत, प्रमुख/ज्येष्ठ उप प्रमुख/कनिष्ठ उप प्रमुख	जिलाधिकारी	जिले के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी को छोड़कर)
3.	ग्राम पंचायत, उप प्रधान	सहायक खण्ड विकास अधिकारी, चक्रबंदीकर्ता, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक तथा उनके स्तर के जिले में कार्यरत अन्य अधिकारी।	लेखपाल, पटवारी, ग्राम्य विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, संग्रह अमीन तथा उनके स्तर के जिले में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारीगण।

(ब) नागर निकाय निर्वाचन:-

1. जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी-अपर जिलाधिकारी
2. निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी-उप जिलाधिकारी/ नगर मजिस्ट्रेट।
3. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी-तहसीलदार।
4. नोडल अधिकारी-नागर स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावतियों के पुनरीक्षण से संबंधित समस्त कार्य हेतु अपर मुख्य नगर अधिकारी/उप नगर अधिकारी, नगर निगम तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत।
5. अपील अधिकारी-जिला मजिस्ट्रेट।

5.

क्र. सं.	निकाय/पद	निर्वाचन अधिकारी	सहायक निर्वाचन अधिकारी
1	2	3	4
1.	नगर निगम के नगर प्रमुख/उप नगर प्रमुख	जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट	राज्य सरकार का श्रेणी-1 का अधिकारी
2.	नगर निगमों के सभासद	राज्य सरकार का श्रेणी-1 का अधिकारी	राज्य सरकार का श्रेणी-2 का अधिकारी
3.	नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष तथा सदस्य	अपर जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का श्रेणी-1 या श्रेणी-2 का राजपत्रित अधिकारी	राज्य सरकार का श्रेणी-2 का अधिकारी अथवा अधीनस्थ सेवा के अधिकारी।

6.

क्र. सं.	स्तर	जोनल मजिस्ट्रेट	सेक्टर मजिस्ट्रेट
1	2	3	4
1.	नगर निगम	अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम/द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट	जिले में तैनात राज्य सरकार के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट/अधिकारी।
2.	नगर पालिका परिषद	जिले में तैनात राज्य सरकार के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट/अधिकारी।	जिले में तैनात राज्य सरकार के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट/अधिकारी।
3.	नगर पंचायत	जिले में तैनात राज्य सरकार के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट/अधिकारी।	जिले में तैनात राज्य सरकार के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट/अधिकारी।

संविधान की धारा 243 ट (3) के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग को आवश्यकतानुसार कार्मिक राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

.....

मैनुअल-4

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान-

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्न कार्य सम्बन्धित अधिनियमों/नियमावलियों के प्राविधानों के अनुसार सम्पन्न किये जाते हैं:-

1. निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण (पंचायतों एवं नागर निकायों) हेतु।
2. त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन एवं उप निर्वाचन।
3. नागर निकाय सामान्य निर्वाचन एवं उप निर्वाचन।
4. जिला योजना समिति निर्वाचन एवं उप निर्वाचन।

उक्त से संबंधित नियमावलियां मैनुअल-5 में दी गयी हैं।

मैनुअल-5

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन नियमावली, 1994¹

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 25 सन् 1947) की धारा 110 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल मिलिखित नियमावली बनाते हो:

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1. **सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधानों और उप-प्रधानों का निर्वाचन नियमावली, 1994 कही जायेगी।
(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अध्याय-दो

2. **परिभाषायें**—ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन जब तक विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस अध्याय में,—

- (क) "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 से है;
- (ख) "निर्वाचन क्षेत्र" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से है;
- (ग) "निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार" का तात्पर्य ऐसे उम्मीदवार से है, जिसका नाम नियम 19 के अधीन तैयार की गयी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में, सम्मिलित है;
- (घ) "निर्वाचन" का तात्पर्य ग्राम पंचायत में स्थान भरने के लिए निर्वाचन से है;
- (ङ) "निर्वाचन विवरण" का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन विवरणी से है
- (च) "मतदाता" का तात्पर्य किसी निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे सदस्य से है जिसे मत देने का अधिकार हो;
- (छ) "पंचायत निरीक्षक" के अन्तर्गत सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) भी है;
- (ज) "मतदान विवरणी" का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में मतदान विवरणी से है;
- (झ) "स्थान" का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए किसी क्षेत्र को आवंटित स्थान से है है; और
- (ञ) "प्रतीक" का तात्पर्य नियम 12 के अधीन तैयार की गयी सूची में सम्मिलित किसी प्रतीक से है

3. **मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) और जिला मजिस्ट्रेट**—(1) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अपेक्षित, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, ग्राम पंचायतों के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करने और उनको प्रकाशित करने और निर्वाचन के संचालन से सम्बन्धित सभीकृत्य सम्पादित करेंगे।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट जिले में निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।

4. **निर्वाचन अधिकारी**—(1) प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए, ग्राम पंचायत में कोई स्थान या स्थानों को भरने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एक निर्वाचन अधिकारी (रिटनिंग आफिसर) नियुक्त करेगा जो राज्य सरकार का अधिकारी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि एक पंचायत क्षेत्र से अधिक के लिए उसी व्यक्ति को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने से जिला मजिस्ट्रेट को इस नियम की कोई बात निवारित नहीं करेगी।

(2) निर्वाचन अधिकारी इस अध्याय के अधीन अपेक्षित कृत्य करेगा और किसी भी निर्वाचन में उसका यह सामान्य कर्तव्य होगा कि यह वे सब कार्य और बातें करें जो अधिनियम और नियमावली द्वारा उपबन्धित रीति में निर्वाचन का प्रभावी रूप से संचालन करने के लिए आवश्यक हों।

(3) उपनियम (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य निर्वाचन आयोग, यदि ऐसा करना आवश्यक समझे, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकता है कि इस नियमावली के अधीन निर्वाचन अधिकारी की ऐसी शक्तियाँ, कर्तव्य और, जो उसके द्वारा सामान्य अनुदेशों में विनिर्दिष्ट किये जायें, आदेश में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए मतदान स्थल पर मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जायेगी या निर्वहन की जायेगी।

5. सहायक निर्वाचन अधिकारी—(1) जिला मजिस्ट्रेट किसी भी निर्वाचन अधिकारी को उसके कृत्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए एक या अधिक सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकता है।

(2) प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अधीन रहते हुए निर्वाचन अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों को सम्पादित करने के लिए सक्षम होगा।

(3) जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो इस अध्याय में निर्वाचन अधिकारी के प्रति निर्देश में उस किसी कृत्य को सम्पादित करने वाले सहायक निर्वाचन अधिकारी भी सम्मिलित है, जिस कृत्य के सम्पादन के लिए वह इस नियम के अधीन प्राधिकृत हो।

6. मतदान स्थल—निर्वाचन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमोदन से, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान स्थल विनिर्दिष्ट करेगा।

7. मतदान अध्यक्ष—(1) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान स्थल के लिए एक मतदान अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) नियुक्त करेगा और उसी व्यक्ति को एक से अधिक मतदान स्थल के लिए मतदान अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।

(2) मतदान अध्यक्ष उन कृत्यों को करेगा, जो कि इस अध्याय के अधीन उसके द्वारा किये जाने अपेक्षित हों और उसका यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह मतदान स्थल पर व्यवस्था बनाये रखे और यह देखें कि मतदान सुचारु रूप से हों।

(3) यदि मतदान अध्यक्ष, मतदान स्थल से अनुपस्थित होने के लिए विवश हो तो उसके कृत्यों का सम्पादन ऐसा मतदान अधिकारी करेगा जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए पूर्व प्राधिकृत हों।

(4) इस अध्याय में मतदान अध्यक्ष के प्रति निर्देश, जब तक कि प्रसंग में कोई बात अन्यथा अपेक्षित न हो, ऐसा व्यक्ति सम्मिलित समझा जाएगा जो कि मतदान अध्यक्ष के ऐसे कृत्य का सम्पादन कर रहा हो, जो वह उपनियम(2) या नियम 8 के अधीन करने के लिए प्राधिकृत है।

8. मतदान अधिकारी—(1) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान स्थल के लिए उतने मतदान अधिकारी (पोलिंग आफिसर) या अधिकारियों को, जितना कि वह मतदान अध्यक्ष के कार्याकृ में सहायता करने या ऐसे अन्य कार्यों को करने के लिए, जो कि इस अध्याय में दिये गये कार्याकृ के लिए आवश्यक समझे, नियुक्त करेगा।

(2) यदि मतदान अधिकारी, मतदान स्थल से अनुपस्थित हो तो मतदान अध्यक्ष उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से निर्वाचन या निर्वाचन के सम्बन्ध में नियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, जो मतदान स्थल पर उपस्थित है, अनुपस्थित पूर्वतर अधिकारी के दौरान में मतदान अधिकारी नियुक्त कर सकता है, और ऐसी किसी नियुक्ति की दशा में निर्वाचन अधिकारी को तदनुसार सूचना देगा।

9. निर्वाचन अभिकर्ता—निर्वाचन का उम्मीदवार लिखित में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचक को अपना निर्वाचन अभिकर्ता (इलेक्शन एजेन्ट) नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति की सूचना निर्वाचन अधिकारी को दी जायेगी।

10. मतदान अभिकर्ता—(1) निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, ग्राम पंचायत के निर्वाचकों में से किसी एक अन्य व्यक्ति को मतदान स्थल पर ऐसे उम्मीदवार के मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन नियुक्ति लिखित में एक पत्र द्वारा की जायेगी, जिसे निर्वाचन प्रारम्भ होने के पहले मतदान अध्यक्ष को दिया जाएगा।

11. नाम निर्देशन पत्रों की छपाई और उनका मूल्य—राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये किसी निर्देश के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट नाम निर्देशन पत्रों की छपाई और उम्मीदवारों को उनकी पूर्ति की व्यवस्था करेगा। प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र का मूल्य ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पचास रुपये से अनधिक तथा प्रधान के रूप में निर्वाचन के लिए एक सौ रुपये से अनधिक इतना होगा जितना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत किया जाय।

12. प्रतीकों की सूची—राज्य निर्वाचन आयोग, अधिसूचना द्वारा उन प्रतीकों को जिन्हें निर्वाचनों में उम्मीदवार चुन सकेंगे, और उन निर्बन्धनों को, जिनके अधीन उनका चुनाव होगा, विनिर्दिष्ट करेगा।

13. सदस्यों का निर्वाचन—अधिनियम की धारा 12 के अधीन निर्वाचन इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार होंगे।

14. निर्वाचन की सूचना और दिनांक का निर्धारण—(1) जब कभी सामान्य चुनाव किया जाना हो, जिला मजिस्ट्रेट, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, किसी ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए, ऐसे दिनांक से पहले जो राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया जाए, ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनने की अपेक्षा कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस नियम की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट को जिले की सभी ग्राम पंचायतों या ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक ही सूचना जारी करने से निवारित नहीं करेगी।

(2) जिला मजिस्ट्रेट, ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए जाएं—

(क) नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक, स्थान और समय;

(ख) नाम निर्देशन पत्रों की जांच करने का दिनांक, समय और स्थान;

(ग) उम्मीदवारों से नाम वापस लेने का दिनांक, स्थान और समय और

(घ) दिनांक जब और समय जिसके बीच मतदान, यदि आवश्यक हो, होगा, भी निश्चित करेगा।

(3) निर्वाचन अधिकारी ऐसे दिनांक, स्थान और समय की जो कि उपनियम (1) व (2) के अधीन नियत किये जाय सार्वजनिक घोषणा ऐसी रीति में करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट नियत करें।

(4) निर्वाचन अधिकारी उपनियम (3) के अधीन घोषणा में नियम 6 में दिये मतदान स्थान को भी निर्धारित करेगा।

15. नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना—(1) कोई व्यक्ति जो किसी निर्वाचन के लिए नाम निर्देशित होना चाहता हो, स्वयं या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन अधिकारी को ऐसे दिनांक, स्थान और समय पर जो नियम 14 के उपनियम (2) के अधीन नियत किये हों, एक नाम निर्देशन पत्र, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होगा, प्रस्तुत करेगा।

(2) जब कोई उम्मीदवार ऐसे स्थान पर अपना चुनाव कराना चाहता हो जो अनुसूचित जन जातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षित हो तो नाम निर्देशन पत्र के साथ उसके इस बात को एक प्रख्यापन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह यथास्थिति अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग का सदस्य है और विशिष्ट जनजाति या जाति जिसका वह है, विनिर्दिष्ट करेगा।

(3) कोई नाम निर्देशन पत्र जो उस दिनांक पर जो नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए नियत किया गया हो, नियत समय समाप्त होने से पहले प्रस्तुत न किया जाय, निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(4) इन नियमों में दी गयी किसी बात से कोई उम्मीदवार इसके लिये बाध्य न होगा कि वह एक ही निर्वाचन क्षेत्र में वह नाम निर्देशन पत्रों द्वारा नाम निर्देशित न किया जायें

(5) यदि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक पर उस समय से पहले जो कि इस सम्बन्ध में नियत किया गया हो कोई भी नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत न किया जाये तो निर्वाचन अधिकारी इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

16. नाम निर्देशन पत्रों की सूचना—निर्वाचन अधिकारी नियम 15 के अधीन नाम निर्देशन पत्रों के प्राप्त होने के पश्चात् ऐसे व्यक्तियों को जो नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करें उस दिनांक, समय और स्थान की सूचना देगा, जिस पर नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जायेगी और नाम निर्देशन पत्रों पर क्रम-संख्या लिखेगा और उस पर इस प्रमाण के हस्ताक्षर करेगा कि उक्त नाम निर्देशन पत्र उसको किस दिनांक और समय पर प्राप्त हुए और वह प्राप्त हुए नाम निर्देशन पत्रों की एक सूची तैयार करेगा और नाम निर्देशित किये हुए व्यक्तियों के नामों की घोषणा करेगा।

17. नाम निर्देशन पत्रों की जांच—(1) उस दिनांक, समय और स्थान पर जो कि नाम निर्देशन पत्रों की जांच करने के लिए नियत किये गये हों निर्वाचन अधिकारी ऐसे नाम निर्देशन पत्रों की जांच करेगा जो नियम 15 के उप नियम (3) के अधीन पहले से ही अस्वीकृत न किये गये हों। यह जांच ऐसे उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में, यदि कोई हो, की जायेगी और उनको नाम निर्देशन पत्रों की जांच करने की सुविधा दी जायेगी।

(2) निर्वाचन अधिकारी किसी नाम निर्देशन पत्र को निम्नलिखित एक या अधिक आधारों पर अस्वीकृत कर सकता है—

(क) उम्मीदवार स्थान की पूर्ति के लिये चुने जाने के निमित्त अधिनियम के अधीन अनर्हित हो,

(ख) उम्मीदवार अधिनियम की धारा 5-क के अधीन स्थान की पूर्ति के लिये चुने जाने के निमित्त अनर्हित हो,

(ग) नियम 15 के किसी उपबन्ध का पालन नहीं किया गया है, या

(घ) उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक का हस्ताक्षर ठीक नहीं है अथवा वह कपट द्वारा कराया गया है

निर्वाचन अधिकारी किसी नाम निर्देशन पत्र को किसी तकनीकी दोष के अथवा ऐसी अन्य भूल के कारण जो सारवान न हो, अस्वीकृत न करेगा और किसी ऐसे दोष या भूल को दूर करने के लिये नाम निर्देशन पत्र में किसी प्रविष्टि को ठीक करने की अनुज्ञा दे सकता है

(3) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र पर उसको स्वीकार या अस्वीकार करने के सम्बन्ध में अपना निर्णय लिखेगा और यदि नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार किया गया हो तो वह उस पर अस्वीकार करने के कारण को संक्षिप्त रूप में लिखेगा।

(4) नाम निर्देशन पत्रों की जांच समाप्त होने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी ऐसे उम्मीदवारों के नाम घोषित करेगा जिनका नाम निर्देशन उसने स्वीकार कर लिया हो और इस प्रकार स्वीकृत उम्मीदवारों की सूची हिन्दी वर्णमालानुक्रम में तैयार करेगा जिसमें वे ब्यौरे दिये जायेंगे जो उनके नाम निर्देशन पत्रों में दिया गया हों

(5) यदि समस्त नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार कर दिये गए हों तो निर्वाचन अधिकारी इस बात की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

18. उम्मीदवारी से नाम वापस लेना—कोई उम्मीदवार लिखित नोटिस द्वारा उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले सकता है जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और यह निर्वाचन अधिकारी का उक्त उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियम 14 के अधीन नाम वापसी के लिये नियत दिनांक और समय के बीच दी जायेगी। एक बार दी गई नोटिस वापस नहीं ली जा सकती और वह अन्तिम होगी।

19. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और प्रतीकों का आबंटन—(1) नियम 14 के अधीन उम्मीदवारी से नाम वापस लेने के लिये नियत दिनांक की समाप्ति के ठीक पश्चात् निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा।

(2) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में निर्वाचन लड़ने वालों के नाम वर्णमालानुक्रम में उसी प्रकार दिये जायेंगे जैसे वे उनके नाम निर्देशन पत्रों में दिये गये हों। वर्णमालानुक्रम का अवधारण उम्मीदवारों के वास्तविक नामों के अनुसार किया जायेगा।

(3) निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के साथ-साथ निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए अलग-अलग प्रतीक आवंटित करेगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी उम्मीदवार को कोई प्रतीक आवंटित किया जाना अंतिम होगा, सिवाय उस दशा में जब यह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किये गये किन्हीं निर्देशों से असंगत हों और उस दशा में राज्य निर्वाचन आयोग आवंटन को ऐसी रीति से संशोधित कर सकता है जैसा यह उचित समझें

(5) प्रत्येक उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को उम्मीदवार को आवंटित किये गये प्रतीकों की सूचना तुरन्त दी जायेगी और उसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसका एक नमूना दिया जायेगा।

20. निर्वासित निर्वाचन—(1) जहाँ नियम 19 के अधीन सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी यह पाए कि किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन लड़ने वाला केवल एक उम्मीदवार है, तो वह ऐसे उम्मीदवार को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी इस नियम के अधीन निर्वाचित घोषित उम्मीदवारों के नामों की और उन स्थानों के प्रकार (आरक्षित हो या अनारक्षित) जिन पर वे निर्वाचित हुए हो और आरक्षित या अनारक्षित प्रकार के बिना भी स्थानों की संख्या का जिला मजिस्ट्रेट को रपट करेगा।

21. सविरोध निर्वाचन—जहाँ नियम 19 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों की सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी यह पाये कि किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है तो वह ऐसी रीति से, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सूची को तुरन्त प्रकाशित करेगा और यह घोषणा भी करेगा कि मतदान इस निमित्त निर्धारित दिनांक को और स्थान पर और समय के दौरान होगा।

22. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की मतदान से पूर्व मृत्यु—यदि किसी उम्मीदवार की जिसका नाम निर्देशन पत्र नियम 17 के अधीन जांच पर वैध पाया जाय और जिसने नियम 18 के अधीन उम्मीदवारी से अपना नाम वापस न लिया हो, मृत्यु हो जाय और निर्वाचन अधिकारी को उसकी मृत्यु की सूचना मतदान आरम्भ होने से पहले प्राप्त हो जाय तो निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवार की मृत्यु के सम्बन्ध में अपना समाधान कर चुकने पर मतदान रद्द कर देगा और निर्वाचन की सभी कार्यवाहियां हर प्रकार से उसी तरह नये सिरे से आरम्भ की जायेंगी मानों कोई नया निर्वाचन किया जा रहा हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे उम्मीदवार के लिए जिसका नाम निर्देशन मतदान को रद्द किये जाने के समय वैध रहा हो पुनः नाम निर्देशन आवश्यक न होगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने की नोटिस मतदान रद्द किये जाने से पूर्व दिया हो, मतदान के इस प्रकार रद्द किये जाने के पश्चात् निर्वाचन के लिये उम्मीदवार के रूप में नाम निर्देशित किये जाने के निमित्त पात्र न होगा।

23. मतदान स्थल में प्रवेश—(1) मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल में निर्वाचकों के प्रवेश को विनयमित करेगा और निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़ कर अन्य सभी व्यक्तियों को बाहर रखेगा—

(क) मतदान अधिकारी,

(ख) प्रत्येक उम्मीदवार, उसका निर्वाचन अभिकर्ता और उसका मतदान अभिकर्ता,

(ग) पुलिस अधिकारी और कर्तव्यरूढ़ अन्य लोकसेवक,

(घ) निर्वाचक के साथ गोद में कोई बच्चा,

(ङ) अन्धे या अशक्त निर्वाचक के, जो सहायता के बिना चल-फिर न सकते हों, साथ का व्यक्ति, और

(घ) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें मतदान अध्यक्ष मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिये समय-समय पर आने दें।

(2) मतदान अध्यक्ष नियम 14 के उपनियम (2) के अधीन निश्चित समय पर मतदान स्थल को बन्द कर देगा और उसके बाद किसी निर्वाचक को प्रवेश न करने देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि सभी निर्वाचकों को जो मतदान केन्द्र के भीतर, उसे इस प्रकार बन्द किये जाने के पूर्व, उपस्थित हों, अपना मत अभिलिखित करने का हक होगा।

(3) यदि यह प्रश्न उठे कि किसी निर्वाचक का उपनियम (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के प्रयोजनों के लिए मतदान स्थल बन्द किए जाने के पूर्व वहां पर उपस्थित समझा जाय या नहीं तो मतदान अध्यक्ष के निर्णय के लिये अभिदिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा और उस पर न्यायालय या न्यायाधिकरण में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

24. मतदान की प्रक्रिया—इस अध्याय के अधीन होने वाले प्रत्येक निर्वाचन में मतदान पत्र पर चिह्न लगा कर मतदान देने की रीति का अनुसरण किया जायेगा और कोई मत प्रतिनिधिक मतदान (PROXY) की रीति से स्वीकार नहीं किया जायेगा।

25. मत पत्र—(1) प्रत्येक मत पत्र ऐसे प्रपत्र में और ऐसी डिजाइन का होगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जायें

(2) किसी निर्वाचक को मत पत्र जारी करने के पूर्व उस पर ऐसे सुभेदक चिह्न की मुहर लगाई जा सकेगी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दें

26. मत-पेटियां—(1) प्रत्येक मत पेटि ऐसी डिजाइन और रंग की होगी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाय।

(2) यह इस प्रकार से बनायी जायेगी कि मतदान के समय उसमें मत पत्र डाला जा सके किन्तु तत्पश्चात् मत पेटि को खोले बिना या मुहर को तोड़े बिना निकाला न जा सके

(3) प्रत्येक मत पेटि या उसके किसी संघटक भाग अथवा उससे सम्बद्ध किसी चीज पर ऐसी अन्य सुभेदक चिह्न भी लगाया जाएगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दें

27. मतदान की सूचना—मतदान का स्थान और मतदान केन्द्र के बाहर और भीतर प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रदर्शित किया जायेगा :

(क) मतदान क्षेत्र विनिर्दिष्ट करती हुई एक सूचना जिसके निर्वाचकों को यथास्थिति मतदान स्थान या मतदान केन्द्र पर मत देना हो, और

(ख) नियम 19 के अधीन तैयार की गई निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की एक प्रतिलिपि।

28. मतदान की गोपनीयता के लिए व्यवस्था—मतदान स्थल पर उतनी संख्या में मतदान कोष्ठ (कम्पार्टमेंट) होंगे जिसमें निर्वाचक अपने मत, अन्य व्यक्तियों की दृष्टि से बचाकर, अभिलिखित कर सके जैसा निर्वाचन अधिकारी आवश्यक समझें

29. मतदान स्थल पर मतपत्र और अन्य सामग्रियों का उपलब्ध कराया जाना—निर्वाचन अधिकारी मतदान स्थल पर निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा :

(क) उतनी मतपेटियां जितनी आवश्यक हों,

(ख) पर्याप्त संख्या में मतपत्रों और उस निर्वाचन क्षेत्र के, जहां के निर्वाचक मतदान स्थल पर मत देने के हकदार हों, मतदान क्षेत्र से सम्बन्धित निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां, और

(ग) अन्य उपकरण और उपसाधन जो मतदान कराने के लिए अपेक्षित हों।

30. मतदान के लिए मतपेटियों की तैयारी—(1) मतदान अध्यक्ष, मतदान आरम्भ होने के ठीक पूर्व निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं को जो ऐसे स्थल पर उपस्थित हों, मतदान में प्रयुक्त की जाने वाले प्रत्येक मतपेटि का निरीक्षण करने की अनुज्ञा देगा और उनको यह दिखलायेगा कि वे खाली हो।

(2) तत्पश्चात् उपर्युक्त व्यक्तियों की उपस्थिति में मतपेटी बन्द कर दी जायेगी और जहां मतपेटियों की सुरक्षा के लिए कागज की मुहर का प्रयोग करना आवश्यक हो वहां मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटी के लिए कागज की मोहर पर अपना हस्ताक्षर करेगा और उस पर ऐसे उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेगा या उनकी मुहरें लगवाएगा, जो उपस्थित हों और जो उन्हें लगाने के इच्छुक हों।

(3) तत्पश्चात् मतदान अध्यक्ष ऐसे हस्ताक्षरित या मुहर लगाए हुए कागज की मुहर को मतपेटी में उसके लिए अभिप्रेत स्थान में लगावेगा और तत्पश्चात् उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं के सामने, जो उपस्थित हों ऐसी रीति से प्रत्येक मतपेटी को सुनिश्चित रूप से बन्द करेगा और मुहर लगायेगा कि उसमें मतपत्र डालने के लिये छिद्र खुला रहें।

(4) जहां मतपेटियों की सुरक्षा के लिए कागज की मुहरों का प्रयोग आवश्यक न हो, वहां मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटी को ऐसी रीति से सुरक्षित और मुहरबंद करेगा कि मतपत्रों को डालने के लिये छिद्र खुला रहे और उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं को, जो कि उपस्थित हों, यदि वे इच्छुक हों, अपनी मुहरें लगाने की अनुमति देगा।

31. मतपत्रों को डालने के लिए मतपेटी को रखा जाना—मतपत्रों को डालने के लिए प्रत्येक मतपेटी को मतदान अध्यक्ष, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं के सामने रखा जायेगा।

32. निर्वाचकों की पहचान—(1) मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल पर ऐसे व्यक्तियों को जैसा उपयुक्त समझकर निर्वाचकों की पहचान करने में मदद करने या मतदान कराने में अपनी अन्यथा सहायता के करने के लिए सेवायोजित कर सकता है।

(2) जैसे ही कोई निर्वाचक मतदान स्थल में प्रवेश करे वैसे ही मतदान अध्यक्ष या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत मतदान अधिकारी निर्वाचक का नाम तथा अन्य व्योरे की जांच निर्वाचक नामावली में सुसंगत प्रविष्टि से करेगा और तब निर्वाचक की क्रम-संख्या, नाम और अन्य व्योरे पुकारेगा।

(3) कोई भी निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता निर्वाचक विशेष होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति की पहचान पर आपत्ति कर सकता है और जहां ऐसी आपत्ति की जाय, तो मतदान अध्यक्ष उस आपत्ति के सम्बन्ध में संक्षिप्त जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए आपत्तिकर्ता से वह अपेक्षा करेगा कि अपनी आपत्ति के प्रमाण में साक्ष्य प्रस्तुत करे और आपत्तिकृत व्यक्ति भी अपनी पहचान के प्रमाण में साक्ष्य प्रस्तुत करें।

(4) यदि ऐसी जांच के पश्चात् मतदान अध्यक्ष की यह राय हो कि आपत्ति सिद्ध नहीं हुई है तो वह आपत्तिकृत व्यक्ति को मत देने की अनुमति देगा।

(5) मतपत्र प्राप्त करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को निश्चित करने के लिए मतदान अध्यक्ष निर्वाचक नामावली में किसी प्रविष्टि की केवल लिपिकीय या छपाई सम्बन्धी त्रुटियों की अनवेक्षा (overlook) करेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसका यह समाधान हो जाय कि उक्त प्रविष्टि ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित है।

33. निर्वाचकों को मतपत्र जारी करना—(1) किसी मतदाता की पहचान हो जाने के पश्चात् उसे एक मतपत्र जारी कर दिया जायेगा।

(2) किसी निर्वाचक को मतपत्र जारी करते समय मतदान अध्यक्ष ऐसी रीति से, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे, उसकी क्रम-संख्या, उस प्रयोजन के लिए अलग रखी गई निर्वाचक नामावली की प्रति में जिसे इस नियमावली में एतदपश्चात् "निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति" निर्दिष्ट किया गया है, निर्वाचक से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अभिलिखित करेगा।

34. मतदान केन्द्र के भीतर निर्वाचकों द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाये रखने और मतदान की प्रक्रिया—(1) प्रत्येक निर्वाचक जिसे इस नियमावली के नियम 33 के या किसी अन्य उपबन्ध के अधीन मतपत्र दिया गया हो, केन्द्र के भीतर मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा और इस प्रयोजन के लिए एतस्मिन्पश्चात् दी गई मतदान की प्रक्रिया का पालन करेगा।

(2) निर्वाचक मतपत्र प्राप्त होने पर तत्काल—

(क) मतदान कोष्ठ में से एक में जायेगा;

(ख) उस उम्मीदवार के प्रतीक पर या उसके निकट जिसके लिये वह मतदान करना चाहता हो, उस प्रयोजन के लिए दिये गये उपकरण से मतपत्र में चिह्न बनायेगा;

(ग) मतपत्र को इस तरह मोड़ देगा कि उसका मत छिप जाय;

(घ) यदि अपेक्षा की जाय तो मतपत्र पर किया गया सुभेदक चिह्न मतदान अध्यक्ष को दिखायेगा;

(ङ) मुड़े मतपत्र को मतपेटी में डालेगा; और

(च) मतदान स्थल से बाहर चला जायेगा।

(3) प्रत्येक निर्वाचक असम्यक विलम्ब के बिना मत देगा।

(4) जब मतदान कोष्ठ में कोई निर्वाचक हो तब किसी अन्य निर्वाचक को इसमें प्रवेश न करने दिया जायेगा।

(5) यदि कोई निर्वाचक, जिसे मतपत्र जारी कर दिया गया हो, मतदान अध्यक्ष द्वारा चेतावनी दिये जाने के पश्चात् भी, उपनियम (2) में दी गई प्रक्रिया का पालन करने से इन्कार करे तो मतदान अध्यक्ष या मतदान अधिकारी अध्यक्ष के निर्देशाधीन उसे दिये गये मतपत्र को, चाहे उसने उस पर अपना मत अभिलिखित किया हो या नहीं, उससे वापस ले लेगा।

(6) मतपत्र वापस ले लिये जाने के पश्चात् मतदान अध्यक्ष उसके पृष्ठ भाग पर शब्द "रद्द किया गया, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" अभिलिखित करेगा और इन शब्दों के नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा।

(7) ऐसे सभी मतपत्र, जिन पर शब्द "रद्द किया गया, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" अभिलिखित हो, एक पृथक् लिफाफे में रखे जायेंगे जिसके ऊपर शब्द "(मतपत्र मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन)" लिखा होगा।

(8) किसी ऐसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसके लिए ऐसा निर्वाचक जिससे उपनियम (5) के अधीन मतपत्र वापस लिया गया है, जिम्मेदार हो, यदि मतपत्र पर कोई मत अभिलिखित किया गया हो तो उसकी गणना नहीं की जायेगी।

35. अन्धे या अशक्त निर्वाचकों द्वारा मतों का अभिलेख—(1) यदि मतदान अध्यक्ष का यह समाधान हो जाय कि कोई निर्वाचक अन्धेपन या अशक्तता के कारण मतपत्र के प्रतीकों का बिना सहायता के पहचानने या उन पर चिह्न लगाने में असमर्थ है तो मतदान अध्यक्ष निर्वाचक को उसकी ओर से और उसकी इच्छानुसार मतपत्र पर मत अभिलिखित करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो मतपत्र मोड़ने जिससे मत छिप जाय और उसे मत पेटी में डालने के लिए अपने साथ एक साथी, जो अठारह वर्ष से कम न हो मतदान कोष्ठक में ले जाने की अनुमति देगा:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को एक ही दिन में एक मतदान केन्द्र पर एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी व्यक्ति को इस नियम के अधीन किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति देने के पूर्व उस व्यक्ति से इस बात की घोषणा करने की अपेक्षा की जायेगी कि वह निर्वाचक की ओर से उसके द्वारा अभिलिखित मत को गोपनीय रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में पहले कार्य नहीं किया है

(2) मतदान अध्यक्ष इस नियम के अधीन सभी मामलों का एक अभिलेख निहित प्रपत्र में रखेगा।

(3) किसी मतदान केन्द्र पर मतदान अध्यक्ष किसी निर्वाचक द्वारा इस प्रकार को अनुरोध किये जाने पर उसे मतों को अभिलिखित करने के लिए मत पत्र के साथ दिये गये अनुदेशों को स्पष्ट करेगा।

36. किसी निर्वाचक द्वारा मतपत्रों का लौटाया जाना—(1) यदि कोई निर्वाचक मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसे उपयोग में न लाने का निश्चय करे तो उसे मतदान अध्यक्ष को लौटा देगा।

(2) प्रत्येक ऐसे मत पत्र पर शब्द "रद्द किया गया, लौटाया गया" अंकित किया जायेगा और इस प्रयोजन के लिए अलग रखे गये लिफाफे में रखा जायेगा और मतदान अध्यक्ष ऐसे सभी मतपत्रों का एक अभिलेख रखेगा।

(3) यदि किसी निर्वाचक ने असावधानी के कारण अपने मतपत्र को इस प्रकार प्रयुक्त किया हो कि वह मतपत्र के रूप में सुविधापूर्वक प्रयुक्त न हो सके तो उसके मतदान अध्यक्ष को मतपत्र लौटाने पर और असावधानी

के बारे में उसका समाधान कर देने पर, दूसरा मतपत्र दिया जा सकता है और इस प्रकार लौटाये गये मतपत्र पर मतदान अध्यक्ष द्वारा शब्द 'खराब और रद्द किया गया' अंकित किया जायेगा और उसे इस प्रयोजन के लिए अलग रखे गये लिफाफे में रखा जायेगा।

37. मतदान के दौरान मतदान कोष्ठ में मतदान अध्यक्ष का प्रवेश करना—(1) यदि मतदान अध्यक्ष को यह सन्देह करने का कारण हो कि कोई निर्वाचक तो मतदान कोष्ठ में गया है, मतदान कोष्ठ में अनुचित देरी तक रहा है तो वह मतदान कोष्ठ में प्रवेश कर सकता है और ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो मतदान की निर्विघ्न और सत्वर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों

(2) जब कभी मतदान अध्यक्ष इस नियम के अधीन मतदान कोष्ठ में प्रवेश करे तो उसके साथ निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता जो ऐसा करना चाहें, होंगे

38. मतपेटियों के बाहर पाये गये मतपत्र—यदि कोई मतपत्र जो किसी निर्वाचक को जारी किया गया हो, उसके द्वारा मतपेटी में न डाला जाय, और यह मतदान स्थल में या उसके निकट पाया जाये तो उसे रद्द कर दिया जायेगा और उसके सम्बन्ध में नियम 36 में दी गई रीति से कार्यवाही की जायेगी।

39. निविदत्त मत—(1) यदि कोई व्यक्ति अपने को निर्वाचक विशेष के रूप में प्रदर्शित करते हुए ऐसे निर्वाचक के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत देने के पश्चात्, मतपत्र के लिए आवेदन करे तो उसे अपनी पहचान के बारे में ऐसे प्रश्नों के समाधानपूर्वक उत्तर देने के पश्चात्, जैसा कि मतदान अध्यक्ष पूछे, मतपत्र दिया जायेगा जिसके दूसरी ओर मतदान अध्यक्ष स्वयं शब्द "निविदत्त मतपत्र" लिखेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति निविदत्त मतपत्र दिये जाने के पूर्व निर्दिष्ट प्रपत्र की सूची में अपने से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने हस्ताक्षर करेगा।

(3) तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति यथासम्भव नियम 34 के उपबन्धों के अनुसार निविदत्त मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करेगा, किन्तु अपना मतपत्र मतपेटी में नहीं डालेगा।

(4) प्रत्येक ऐसा निविदत्त पत्र मतदान अध्यक्ष को दिया जायेगा, जो उसे इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गये लिफाफे में तुरन्त रखेगा। ऐसे मतों की गणना निर्वाचक अधिकारी द्वारा नहीं की जायेगी।

40. मतदान के पश्चात् मतपेटियों आदि का मुहरबन्द किया जाना—(1) मतदान समाप्त होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटी के छेद को बन्द कर देगा और जहां पेटी में छेद करने के लिए कोई यांत्रिक युक्ति नहीं है जहां उस छेद पर मुहर लगायेगा और किसी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता को जो उपस्थित हों, उस पर मुहर लगाने की अनुमति देगा।

(2) तत्पश्चात् सभी मतपेटियों पर विनिर्दिष्ट रीति से मुहर लगाई जायेगी और उन्हें सुनिश्चित रूप से बन्द किया जायेगा।

(3) तत्पश्चात् मतदान अध्यक्ष निम्नलिखित का अलग-अलग पैकेट बनायेगा—

(क) एक लिफाफे में निविदत्त मतपत्र,

(ख) रद्द किये गये मतपत्र,

(ग) निर्वाचक नामावली की चिह्नित सूची,

(घ) उपयोग में न लाये गये मतपत्र, और

(ङ) ऐसा कोई अन्य पत्र जिसके लिए निर्वाचन अधिकारी ने मुहर बन्द पैकेट में रखने का निर्देश दिया हों

(4) प्रत्येक ऐसे पैकेट पर मतदान अध्यक्ष और निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा मुहर लगाई जायेगी, जो उन पर अपनी मुहर लगाना चाहें।

41. मतपत्रों का लेखा—मतदान अध्यक्ष मतदान के बन्द होने पर विनिर्दिष्ट प्रपत्र में मतपत्र लेखा तैयार करेगा।

42. मतपेटियों आदि का निर्वाचन अधिकारी को प्रेषण—नियम 40 के अनुसार मतपेटियों और पैकेटों को मुहरबन्द कर दिये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र मतदान अध्यक्ष ऐसे स्थान पर जैसा निर्वाचन अधिकारी निदेश दे-

- (क) मतपेटियां;
- (ख) नियम 40 में निर्दिष्ट पैकेट;
- (ग) मतदान लेखा; और
- (घ) मतदान में उपयोग में लाए गये सभी अन्य पत्र निर्वाचन अधिकारी को सुपुर्द करेगा या

करवायेगा।

43. मतपेटियों और पैकेटों का परिवहन और उनकी अभिरक्षा—निर्वाचन अधिकारी नियम 42 में निर्दिष्ट सभी मतपेटियों, पैकेटों और अन्य पत्रों के सुरक्षित परिवहन के लिए और मतों की गणना के प्रारम्भ होने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंध करेगा।

44. आपात स्थितियों में मतदान का स्थगन—(1) यदि किसी निर्वाचन में मतदान स्थल पर कार्यवाहियों में किसी बत्त्वा या हिंसा द्वारा अवरोध किया जाये या बाधा डाली जाय या किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान कराना सम्भव न हो, तो ऐसे मतदान स्थल का मतदान अध्यक्ष किसी ऐसे दिनांक तक जो बाद में अधिसूचित किया जायेगा, मतदान स्थगित किये जाने की घोषणा करेगा और जहां मतदान इस प्रकार स्थगित किया जाय, मतदान अध्यक्ष इसकी सूचना निर्वाचन अधिकारी को तुरन्त देगा।

(2) जब कभी उपनियम (2) के अधीन मतदान स्थगित किया जाय तो निर्वाचन अधिकारी उप परिस्थितियों की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को तुरन्त देगा और उसके पूर्वानुमोदन से यथाशक्यशीघ्र नया मतदान कराने के लिए कोई दिन नियत करेगा और वह स्थान जहां पर यथा समय जिसके दौरान नया मतदान कराया जायेगा, नियत करेगा और उसे ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसा मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें

(3) यथा उपर्युक्त प्रत्येक ऐसे मामले में मतदान अध्यक्ष नया मतदान करायेगा और इस अध्याय के उपबन्ध नये मतदान के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे मूल मतदान के सम्बन्ध में लागू होते हों।

45. मतपेटियों के नष्ट कर दिये जाने, आदि की दशा में नया मतदान—(1) यदि किसी निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी या किसी मतदान अध्यक्ष की अभिरक्षा से कोई मतपेटी अवैध रूप से ले जायी जाय अथवा किसी प्रकार से वह बिगड़ दी जाय या दुर्घटनावश अथवा साशय नष्ट कर दिया जाय या खो जाय तो ऐसे मतदान स्थल जिससे सम्बन्धित वह मतपेटी हो, के सम्बन्ध में मतदान अमान्य होगा।

(2) जब कभी मतदान उपनियम (1) के अधीन अमान्य हो जाय तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे अमान्यीकरण कार्य या घटना करने वाले की जानकारी होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से मामले की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा और उसके पूर्वानुमोदन से नए मतदान कराने के लिए कोई दिन नियत करेगा और वह स्थान जहां पर और वह समय जिसके दौरान मतदान कराया जायेगा, निश्चित करेगा और उसे ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें

(3) यथा उपर्युक्त प्रत्येक ऐसे मामलों में मतदान अध्यक्ष नया मतदान कराएगा और इस अध्याय के उपबन्ध नए मतदान के सम्बन्ध में उस प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे मूल मतदान के सम्बन्ध में लागू होते हो।

46. गणना के लिए समय, स्थान नियत करना—(1) निर्वाचन अधिकारी मतों की गणना के लिए कोई दिनांक नियत करेगा जो मतदान के पूरा होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से होगा और वह स्थान तथा समय निश्चित करेगा जहां पर मतों की गणना की जायेगी।

(2) निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को ऐसे दिनांक, समय और स्थान की सूचना देगा।

(3) यदि मतों की गणना के लिए इस प्रकार नियत समय पर मतपेटियां, जिनमें मतों की गणना किए जाने के लिए मत हों निर्वाचन अधिकारी को प्राप्त न हों या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से वह गणना की कार्यवाही करने में असमर्थ हों तो वह दूसरे दिनांक के लिए गणना को स्थगित कर सकता है और इसके लिए समय और

स्थान निश्चित कर सकता है और उसकी सूचना निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को देगा।

47. गणना अभिकर्ता—(1) कोई निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतों की गणना के समय अपने गणना अभिकर्ता के रूप में उपस्थिति रहने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है

(2) प्रत्येक ऐसी नियुक्ति गणना प्रारम्भ होने के पूर्व लिखित रूप में की जायेगी।

(3) किसी गणना अभिकर्ता को गणना के लिए निश्चित स्थान के भीतर तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा जब तक कि वह उपनियम (2) के अधीन अपनी नियुक्ति का पत्र निर्वाचन अधिकारी को न दे दें

48. व्यक्ति जो गणना के समय उपस्थित रह सकते हो—(1) निर्वाचन अधिकारी मतों की गणना के समय किसी व्यक्ति को, सिवाय ऐसे व्यक्तियों के जिन्हें गणना करने में अपनी और निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार, उसके निर्वाचन अभिकर्ता और अपने गणना अभिकर्ता की सहायता के लिए नियुक्त करे, उपस्थिति रहने की अनुमति नहीं देगा।

(2) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो निर्वाचन में या उसके सम्बन्ध में उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से सेवायोजित किया गया हो और अन्यथा उसके लिए कार्य कर रहा हो, मतों की गणना करने में निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(3) कोई व्यक्ति जो मतों की गणना के दौरान स्वयं दुराचरण करे या निर्वाचन अधिकारी के विधिपूर्ण निदेशों का पालन करने में असफल रहें तो उसे उस स्थान से जहाँ पर मतों की गणना की जा रही हो, निर्वाचन अधिकारी द्वारा या ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हटाया जा सकेगा।

49. मतगणना के समय प्रक्रिया—नियम 46 के अधीन नियत दिनांक और समय और स्थान पर निर्वाचन अधिकारी निम्नलिखित प्रकार से कार्यवाही करेगा :

- (क) निर्वाचन अधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि मतदान में प्रयुक्त सभी मतपेटियाँ और जिनकी उस स्थान पर गणना की जानी हो, प्राप्त हो गयी हो और उनका लेखा दे दिया गया है
- (ख) तत्पश्चात् निर्वाचन अधिकारी गणना के समय उपस्थित उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्ता और गणना अभिकर्ताओं को अपना यह समाधान करने के लिए कि मतपेटियाँ और मुहरें ठीक दशा में हो, उनका निरीक्षण करने का अवसर देगा।
- (ग) निर्वाचन अधिकारी अपना यह भी समाधान करेगा कि पेटियों में से किसी भी पेटि को वस्तुतः बिगाड़ा नहीं गया है यदि कोई पेटि बिगाड़ी गयी या नष्ट की गयी या खो गयी पायी जाये तो निर्वाचन अधिकारी मतों की गणना करने की कार्यवाही न करेगा और नियम 45 के उपबन्ध लागू होंगे
- (घ) यदि निर्वाचन अधिकारी को यह समाधान हो जाये कि ये सभी मत पेटियाँ जिनकी उस स्थान पर मतगणना की जानी हो, प्राप्त हो गयी हो और वे ठीक दशा में हो तो वह मतपेटियों में अन्तर्विष्ट मतपत्रों की गणना प्रारम्भ करेगा। मतदान स्थल पर प्रयुक्त सभी मतपेटियों को खोला जायेगा और उन पेटियों में प्राप्त मतपत्रों की गणना राज्य निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार उसी समय की जायेगी।
- (ङ) मतदान स्थल की पेटियों में पाए गए मतपत्रों का लेखा, विवरण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में अभिलिखित किया जायेगा।
- (च) निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और गणना अभिकर्ताओं को, जो उपस्थिति हों, ऐसे सभी मतपत्रों का, जो निर्वाचन अधिकारी की राय में अस्वीकृत किए जाने योग्य हों, निरीक्षण करने का उचित अवसर देगा किन्तु उन्हें इन मतपत्रों या किसी अन्य पत्र को छूने(Handle) की अनुमति नहीं देगा। निर्वाचन अधिकारी ऐसे प्रत्येक मतपत्र पर जो अस्वीकृत कर दिया जाये हिन्दी में देवनागरी लिपि में अस्वीकृति पृष्ठांकित करेगा। यदि कोई उम्मीदवार या

उसका निर्वाचन अधिकर्ता किसी मतपत्र के अस्वीकार किए जाने की यथार्थता पर आपत्ति करे तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे मतपत्रों पर, उसे अपने अस्वीकार करने के कारण संक्षिप्त रूप में अभिलिखित करेगा।

- (घ) मतदान स्थल की मतपेटियों में अन्तर्विष्ट सभी मतपत्रों की गणना पूरी हो जाने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी ऐसे सभी मतपत्रों को एक पृथक् पैकेट में रखवायेगा जिस पर ऐसे ब्योरे अंकित होंगे जिससे मतदान स्थल, ग्राम पंचायत का नाम और निर्वाचन क्षेत्र जिससे वह सम्बन्धित मतपत्र हों, की पहचान हो सकें

50. मतपत्रों को अस्वीकार किये जाने के आधार—(1) निर्वाचन अधिकारी कोई मतपत्र अस्वीकृत कर देगा—

- (क) यदि उस पर कोई ऐसा चिह्न या लेख है जिससे मतदाता पहचाना जा सकता हो, या
(ख) यदि वह अप्रमाणिक मतपत्र हो, या
(ग) यदि वह इस प्रकार क्षत या विक्षित किया गया हो कि वास्तविक मतपत्र के रूप में उसकी पहचान सिद्ध नहीं की जा सकती हो, या
(घ) यदि उस पर उस विशिष्ट मतदान स्थल में प्रयोग के लिए अधिकृत मतपत्र की यथास्थिति क्रम-संख्या या डिजाइन से भिन्न क्रम-संख्या या डिजाइन हो, या
(ङ) यदि उस पर किसी निर्वाचन क्षेत्र में भरे जाने के लिए अपेक्षित स्थानों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों को मत दिया जाय, या
(च) यदि उस पर कोई मत अभिलिखित न हों

(2) किसी मतपत्र पर अभिलिखित मत अस्वीकृत कर दिया जायेगा यदि मतपत्र पर मत दिये जाने को इंगित करने वाला चिह्न ऐसी रीति से लगाया गया हो जिससे यह सन्देहपूर्ण हो कि किस उम्मीदवार को मत दिया गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि मतपत्र केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जायेगा कि मत इंगित करने वाला चिह्न अस्पष्ट है या कि विशिष्ट उम्मीदवार के नाम के सामने से एक से अधिक बार लगाया गया है

यदि मतपत्र पर जिस ढंग से चिह्न लगाया गया हो उससे स्पष्टतया यह आशय निकलता हो कि वह मत किसी विशिष्ट उम्मीदवार के लिये दिया गया है

(3) किसी मतपत्र की या किसी ऐसे मतपत्र पर दिये गये मत की वैधता के सम्बन्ध में निर्वाचन अधिकारी का निर्णय किसी निर्वाचन याचिका के जिसमें निर्वाचन पर आपत्ति की गई हो परीक्षण पर दिए गए किसी प्रतिकूल निर्णय के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

51. मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत लेखों का सत्यापन — निर्वाचन अधिकारी निविदत्त मतपत्रों या निर्वाचक नामावली के चिह्नित प्राप्त मुहरबन्द पैकेटों को नहीं खोलेगा। वह नियम 41 के अधीन मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्र का सत्यापन, गणना किये गये मतों और अस्वीकृत मतपत्रों, अपने पास के अप्रयुक्त या खराब मतपत्रों की संख्या को और निविदत्त मतों की सूची से मिलान करके करेगा। तत्पश्चात् यह प्रत्येक ऐसे पैकेट को जिसे उसने खोला हो, फिर से बन्द करेगा और फिर से मुहर लगायेगा और प्रत्येक पैकेट पर उसकी अन्तर्वस्तुओं का विवरण ग्राम पंचायत का नाम, निर्वाचन क्षेत्र का विवरण और निर्वाचन का दिनांक जिसके सम्बन्ध में वह हो, अभिलिखित करेगा।

52. निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन विवरणी—तत्पश्चात् निर्वाचन अधिकारी विनिर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन विवरणी तैयार प्रमाणित करेगा जिसमें निम्नलिखित का वर्णन करेगा :

- (क) ऐसे उम्मीदवारों के नाम, जिसके लिए वैध मत दिए गए हों,
(ख) प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गये वैध मतों की संख्या,
(ग) वैध मतपत्रों की कुल संख्या,
(घ) अस्वीकृत मतपत्रों की संख्या,

- (ड) विनिदत्त मतपत्रों की संख्या, और
(च) निर्वाचित उम्मीदवार का नाम।

तत्पश्चात् वह किसी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता को ऐसी विवरणी की प्रतिलिपि या उद्धरण लेने की अनुमति देगा।

53. परिणाम की घोषणा—निर्वाचन अधिकारी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सर्वाधिक संख्या में मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

54. मतों की समता—यदि मतों की गणना के समाप्त होने के पश्चात् किन्हीं उम्मीदवारों के बीच मतों की समता हो और मतों में एक मत जोड़ दिए जाने से उन उम्मीदवारों में कोई एक उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए हकदार हो जाये तो निर्वाचन अधिकारी उन उम्मीदवारों के बीच पर्ची डालकर तत्काल निश्चय करेगा और ऐसी कार्यवाही करेगा मानो जिस उम्मीदवार के नाम पर्ची निकले उसे अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ हो।

55. परिणाम की सूचना—परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र निर्वाचन अधिकारी परिणाम की सूचना जिला मजिस्ट्रेट और ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी को भी देगा। जिला मजिस्ट्रेट परिणाम की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को देगा।

56. निर्वाचन से सम्बन्धित विवरणी और मतपत्रों तथा अन्य पत्रों की अभिरक्षा—(1) निर्वाचन अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्वाचन से सम्बन्धित मतपत्रों के पैकेटों तथा अन्य पत्रों को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए विवरणी भेजेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्वाचन से सम्बन्धित मतपत्रों के पैकेटों तथा अन्य पत्रों को सुरक्षित अभिरक्षा के लिये भेजेगा।

57. निर्वाचन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना और निरीक्षण—(1) जब जिला पंचायत राज अधिकारी की अभिरक्षा में मतपत्रों में चाहे वे वैध, अस्वीकृत या निविदत्त हों और निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के पैकेट हों तो वे तब तक न तो खोले जायेंगे, न उनका किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा और न उन्हें उनके समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जब तक कि निर्वाचन याचिका की सुनवाई करने वाला कोई सक्षम न्यायालय या कोई जिला जज आदेश न दें जब निरीक्षण का आदेश दिया जाये तो उसके लिए दो रुपये प्रति दिन, जिस दिन निरीक्षण किया जाय, के हिसाब से शुल्क दिया जायेगा।

(2) निर्वाचन से सम्बन्धित अन्य सभी पत्रों का निरीक्षण जनता द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन यदि कोई हो जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, किया जा सकेगा और उसके लिए बीस रुपये प्रतिदिन जिस दिन निरीक्षण किया जाय, के हिसाब से शुल्क दिया जायेगा।

(3) जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा नियम 56 के उपनियम (1) के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेषित विवरणियों की प्रतिलिपियां बीस रुपये प्रतिलिपि के हिसाब से शुल्क का भुगतान करने पर दी जायेगी।

(4) ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां, जिनका उपनियम (2) के अधीन निरीक्षण करने की अनुमति हो, उनके लिए आवेदन पत्र देने वाले किसी व्यक्ति को उसी दर पर जिस दर पर राज्य में किसी राजस्व अधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश की एक प्रतिलिपि के लिए शुल्क लिया जाता हो, शुल्क का भुगतान करने पर दी जायेगी। पत्रों की प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र सादे कागज पर प्रस्तुत किया जा सकते हो और उस पर कोई न्यायिक स्टाम्प लगाना आवश्यक न होगा।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट किसी पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जायेगी और उसके कार्यालय से जारी की जायेगी।

58. ग्राम पंचायत का संगठन—(1) जैसे ही ग्राम पंचायत के सदस्यों के कम से कम दो तिहाई स्थान और प्रधान का पद भर जाय जिला मजिस्ट्रेट यह विज्ञापित करेगा कि ग्राम पंचायत यथाविधि संगठित की गई है।

(2) उपनियम (1) के अधीन अधिसूचना में सदस्यों और प्रधान के नाम होंगे इसकी एक प्रतिलिपि को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में चिकाकर इसे प्रकाशित किया जायेगा। एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी को भेजी जायेगी।

59. उप निर्वाचन—जहां ग्राम पंचायत के किसी सदस्य की मृत्यु या त्याग-पत्र दिये जाने, हटाये जाने, निर्वाचन के अमान्य (Void) किये जाने या ग्राम पंचायत के किसी सदस्य की अधिनियम की धारा 43 के अधीन न्याय पंचायत का पंच नियुक्त किये जाने के कारण कोई स्थान रिक्त हो तो जिला मजिस्ट्रेट सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र से ऐसे दिनांक से पूर्व जो उसके द्वारा निश्चित किया जाय, ग्राम पंचायत के लिए सदस्य का निर्वाचन करने के लिए कहेगा और नियम 14 के उपबन्धों के अनुसार उप निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों के दिनांक, समय और स्थान निश्चित करेगा और इस अध्याय के उपबन्ध यथासंभव ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किसी सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होंगे

60. न भरे गये स्थानों के लिए निर्वाचन—(1) किसी स्थान के रिक्त बने रहने की सूचना प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट यथाशक्य शीघ्र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र से ऐसे दिनांक के पूर्व जो उसके द्वारा निश्चित किया जाय ग्राम पंचायत के लिए सदस्य का निर्वाचन करने के लिए कहेगा और नियम 14 के उपनियम (2) में उल्लिखित प्रत्येक मद के नया दिनांक, समय और स्थान निश्चित करेगा और इस अध्याय के उपबन्ध यथासंभव ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किसी सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होंगे

(2) यदि फिर भी निर्वाचन क्षेत्र में उपनियम (1) के अधीन हुए निर्वाचन में सदस्य निर्वाचित न किया जा सके तो जिला मजिस्ट्रेट इस तथ्य की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को देगा।

61. शास्तियां—किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो—

- (क) नियमों का उल्लंघन कर निर्वाचक नामावली या उसकी प्रति या अन्य दस्तावेजों में परिवर्तन या गड़बड़ करे, या
- (ख) इस नियमावली के प्रयोजनों के लिए नियुक्त या सेवार्योजित किसी अधिकारी या सेवक को अपने कर्तव्यों का पालन करने में बाधा डाले या हस्तक्षेप करे, या
- (ग) किसी सार्वजनिक कार्यालय में या अन्य स्थान पर चिपकाये गये या अन्यथा प्रकाशित किसी प्रतिलिपि, नोटिस या अन्य दस्तावेज को विरूपित करे, क्षति पहुँचाये, उलट-पुलट करे या हटाये तो वह अर्ध दण्ड से दण्डनीय होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है

62. निर्वाचन पत्रों का निस्तारण—(1) निर्वाचन विवरणी और क्रमशः नियम 52 और नियम 55 में उल्लिखित रिपोर्ट तत्सम्बन्धी पद के आगामी सामान्य निर्वाचन की समाप्ति तक रखे जायेंगे तत्पश्चात् उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या किसी प्राधिकारी द्वारा जो निर्वाचन याचिका की सुनवाई करता हो, दिये गये किसी प्रतिकूल निर्देश के अधीन रहते हुए नष्ट कर दिया जाएगा।

(2) निर्वाचन से सम्बन्धित समस्त अन्य पत्रादि एक वर्ष की अवधि के लिए रखे जायेंगे और तत्पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या किसी प्राधिकारी द्वारा जो निर्वाचन याचिका की सुनवाई करता हो, दिए गए किसी प्रतिकूल निर्देश के अधीन रहते हुए नष्ट कर दिया जायेंगे।

अध्याय-तीन

प्रधान और उप प्रधान का निर्वाचन

83. निर्वाचन-(1) जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस अध्याय में,—

(क) "निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार" का तात्पर्य ऐसे उम्मीदवार से है जिसका नाम नियम 71 के अधीन तैयार की गयी, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में सम्मिलित हो;

(ख) "निर्वाचन" का तात्पर्य ग्राम पंचायत के प्रधान पद के लिए निर्वाचन से हैं

(2) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में जो कि अपना नाम न लिख सकता हो इन नियमों में अन्यथा स्पष्टया उपबन्धित के सिवाय, यह माना जायेगा कि उसने किसी लिखित या अन्य पत्र पर हस्ताक्षर किये हों, यदि—

(क) उसने निर्वाचन अधिकारी या मतदान अध्यक्ष की उपस्थिति में ऐसे लिखतों या अन्य पत्र पर अपने अंगूठे का चिन्ह लगा दिया है, और

(ख) ऐसे अधिकारी या अध्यक्ष उसकी पहिचान की संस्तुष्टि करके उस व्यक्ति के अंगुष्ठ चिन्ह को प्रमाणित कर दिया है, कि उक्त चिन्ह उसी व्यक्ति का अंगुष्ठ चिन्ह है

(3) अध्याय 2 के नियम 2 के उपबन्ध उपनियम (1) के खण्ड (ख), (ग), (ज), (झ) के सिवाय यथावश्यक परिवर्तनोक्त के साथ इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन निर्वाचनों और निर्वाचन पर लागू होंगे

64. कतिपय उपबन्धों का लागू होना— अध्याय 2 के नियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ इस अध्याय के अधीन निर्वाचनों पर भी लागू होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि नियम 4 और 5 के अधीन नियुक्त निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए क्रमशः निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन होंगे, और यह आवश्यक न होगा कि अलग से कोई नियुक्ति की जाय:

प्रतिबन्ध यह भी है कि निर्वाचन अधिकारी मतदान स्थान पर मत डालने से उससे मतदान बूथ (चवससपदह इववजी) सत्यापित कर सकता है, जितने कि वे मतदान की सुविधा के लिए आवश्यक समझें।

65. प्रधान का सामान्य (जनरल) निर्वाचन— ग्राम पंचायत के प्रधान पद के लिये सामान्य निर्वाचन इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

66. प्रतीकों की सूची— राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन में प्रयोग किये जाने के लिए प्रतीक नियत करेगा।

67. नाम निर्देशन पत्रों का मुद्रण और उनकी पूर्ति— जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अधीन नाम निर्देशन पत्रों का मुद्रण और पूर्ति उम्मीदवारों को करने की व्यवस्था करेगा। प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र का मूल्य जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निश्चित किया जाये, इस प्रकार से होगा कि वह 25 रूपये से अधिक न हों

68. निर्वाचन सूचना और दिनांक का नियत किया जाना— जब कभी किसी नई ग्राम पंचायत के संघटन के लिए सामान्य निर्वाचन करना हो जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अधीनकृग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से साथ-साथ यह अपेक्षा करेगा कि वे उस दिनांक से पहले जो राज्य निर्वाचन आयोग नियत करें, प्रधान का भी निर्वाचन करें:

प्रतिबन्ध यह है कि इस नियम की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट को जिले में समस्त ग्राम पंचायतों या ग्राम पंचायतों के समूह को एक ही आदेश जारी करने से निवारित नहीं करेगी।

(2) अध्याय 2 के नियम 14 के उपनियम (2) से (4) तक के उपबन्ध जहां तक हो सके इस अध्याय के अधीन निर्वाचन पर भी लागू होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त सम्बन्ध में प्रारम्भिक नाम वापसी के प्रति निर्देश का अर्थ यह लिया जायेगा कि वह नाम वापसी के प्रति निर्देश है

69. नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना - (1) ऐसा सदस्य जो निर्वाचन के लिए नाम निर्देशित होना चाहता हो स्वयं या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन अधिकारी को ऐसे दिनांक, स्थान और समय पर जो कि नियम 68 के अधीन नियत किये जायें, के पूर्व नाम निर्देशन पत्र जो कि निर्धारित प्रपत्र में होगा प्रस्तुत करेगा।

(2) उन नियमों में दी गयी किसी बात से कोई उम्मीदवार इसके लिए बाध्य न होगा कि वह एक निर्वाचन में कई नाम निर्देशन पत्रों द्वारा नाम निर्देशित न किया जाय।

(3) कोई नाम निर्देशन पत्र जो कि उस दिनांक पर जो कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए नियत किया गया हो, नियत समय के समाप्त होने से पहले प्रस्तुत न किया जाय, निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(4) यदि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक को उस समय से पहले जो कि इस सम्बन्ध में निश्चित किया गया हो, कोई भी नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत न किया गया हो, तो निर्वाचन अधिकारी इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

70. नाम निर्देशन पत्र की नोटिस, उसकी जांच और उम्मीदवारों से नाम वापसी- अध्याय 2 के नियम 16, 17 और 18 के उपबन्ध जहां तक हो सके इस अध्याय के अधीन निर्वाचन पर भी लागू होंगे

71. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और प्रतीकों का आवंटन-(1) उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के दिनांक के तुरन्त पश्चात् निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक सूची विनिर्दिष्ट प्रपत्र में तैयार करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची के साथ ऐसे सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन जो कि इस सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किये हैं प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार को एक भिन्न प्रतीक देगा।

(3) किसी उम्मीदवार को किसी प्रतीक का आवंटन निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जायेगा और वह अन्तिम होगा उस दशा के सिवाय जब कि वह राज्य निर्वाचन आयोग के इस सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों से असंगत हों। ऐसी दशा में राज्य निर्वाचन आयोग उस रीति में जो कि वह उचित समझे फिर से प्रतीक आवंटित कर सकता है।

(4) प्रत्येक उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता तुरन्त उस प्रतीक से सूचित किया जायेगा जो कि नियत उम्मीदवार को आवंटित किया जाये और निर्वाचन अधिकारी उक्त प्रतीक का उसको नमूना भी देगा।

(5) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम हिन्दी वर्णमाला में उनके नाम निर्देशन पत्र में दिये गये नामों के अनुसार लिखे जायेंगे उम्मीदवारों के वास्तविक नामों के सन्दर्भ से वर्णमाला क्रम अवधारित किया जायेगा।

72. कुछ दशाओं में निर्वाचन परिणामों की घोषणा-(1) जहां नियम 71 के अधीन सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी यह देखें कि केवल एक ही चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार है तो वह तुरन्त उसको निर्वाचित घोषित कर देगा और निर्वाचित उम्मीदवार के नाम की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

73. सविरोध निर्वाचन- जब नियम 71 के अधीन सूची तैयार हो जाने पर निर्वाचन अधिकारी यह देखें कि केवल एक ही चुनाव निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार है तो वह तुरन्त उसके निर्वाचित घोषित कर देगा और निर्वाचित उम्मीदवार के नाम की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

(2) यदि सब उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया हो तो निर्वाचन अधिकारी इस बात की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

74. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की मतदान से पूर्व मृत्यु- यदि किसी उम्मीदवार की, जो यथाविधि नाम निर्देशित हो चुका है और जिसने अपना नाम वापस न लिया हो, मृत्यु जो जाय और उसकी मृत्यु की सूचना मतदान होने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी को प्राप्त हो जाय तो निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवार की मृत्यु के सम्बन्ध में अपना समाधान कर चुकने पर मतदान रद्द कर देगा और निर्वाचन की सभी कार्यवाही इस प्रकार से उसी तरह नये सिरे से प्रारम्भ की जायेगी मानों कोई नया निर्वाचन किया जा रहा है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे उम्मीदवार के लिए जिसका नाम निर्देशन मतदान रद्द किये जाने के समय वैध रहा हो पुनः नाम निर्देशन आवश्यक न होगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने मतदान रद्द किये जाने के पूर्व नियम 70 के अधीन उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने का नोटिस दिया हो, इस प्रकार से मतदान रद्द किये जाने के पश्चात् नाम निर्देशित किये जाने के निमित्त पात्र न होगा।

75. निर्वाचन से नाम वापस लेना—(1) जब एक के अतिरिक्त समस्त उम्मीदवार निर्वाचन से अपना नाम वापस लेना चाहे तो वे सब इस सम्बन्ध में एक संयुक्त प्रार्थना-पत्र इस बीच में जो कि आगे दी गयी है दे सकते हो।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रार्थना-पत्र निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार स्वयं या अपने अभिकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित रीति से प्रस्तुत कर सकते हो :

(क) निर्वाचन अधिकारी को मतदान के दिनांक से कम से कम तीन दिन पहले, या

(ख) मतदान अध्यक्ष को मतदान के निश्चित दिनांक पर तुरन्त मतदान आरम्भ होने से पहले

(3) प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर मतदान अध्यक्ष मतदान की कार्यवाही नहीं करेगा और प्रार्थना-पत्र को निर्वाचन अधिकारी के पास भेज देगा।

(4) प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर निर्वाचन अधिकारी नियम 72 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगा और उसके परिणाम की तदनुसार घोषणा करेगा।

76. मतदान स्थल में प्रवेश— मतदान अध्यक्ष, मतदान स्थल में निर्वाचकों के प्रवेश को विनियमित करेगा और निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों को वहां से बाहर रखेगा :

(क) मतदान अधिकारी,

(ख) प्रत्येक उम्मीदवार, उसका निर्वाचित अभिकर्ता और उसका मतदान अभिकर्ता,

(ग) कर्तव्यरूढ़ता पुलिस अधिकारी और अन्य लोकसेवक,

(घ) निर्वाचक के साथ गोद में कोई बच्चा,

(ङ) अंध या अशक्त निर्वाचक, जो सहायता के बिना चल फिर नहीं सकता हो, के साथ का व्यक्ति, और

(च) ऐसे अन्य व्यक्ति जिनको मतदान अध्यक्ष, मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए समय-समय पर आने दें।

(2) मतदान अध्यक्ष, नियम 114 के उपनियम (2) के अधीन मतदान बन्द करने के लिए निश्चित समय पर मतदान स्थल को बन्द कर देगा और उसके बाद किसी निर्वाचक को प्रवेश न करने देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सभी निर्वाचक जो मतदान केन्द्र के भीतर उसे इस प्रकार बन्द किये जाने के पूर्व उपस्थित हो अपने मत अभिलिखित कराने के हकदार होंगे।

(3) यदि यह प्रश्न उठे कि किसी निर्वाचक को उपनियम (2) के प्रतिबन्धात्मक दण्ड के प्रयोजनों के लिए मतदान स्थल बन्द किये जाने से पूर्व वहां पर उपस्थित समझा जाय या नहीं तो उसे मतदान अध्यक्ष किसी निर्णय के लिए अभिदिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

77. मतदान की कार्यवाही—इस अध्याय के अधीन होने वाले प्रत्येक निर्वाचन में मतपत्र पर निशान लगाने की पद्धति अपनाई जायेगी और मत प्रतिनिधि के द्वारा (PROXY) नहीं दिया जायेगा।

78. मतपत्र—प्रत्येक मतपत्र उस प्रपत्र और डिजाइन की होगी जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दिया हो।

79. मतपेटिका—(1) प्रत्येक मतपेटि उस डिजाइन व रंग की होगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की जाय।

(2) यह पेटियां इस प्रकार बनी होंगी कि मतपत्र केवल मतदान के समय उसमें डाले जा सकें लेकिन ताला खोले या मुहर तोड़े उससे निकाले न जा सकें हों।

80. मतदान के स्थान पर सूचनायें—मतदान स्थान और मत डालने का कक्ष (booth), यदि कोई हो, के अन्दर और बाहर निम्नलिखित सूचनायें सुस्पष्ट रूप से लगा दी जायेगी :

(क) निर्वाचन क्षेत्र जिसके मतदाता उस स्थल या मतदान कक्ष पर, जैसी दशा हो, अपने मत डालने के अधिकारी हों, और

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की एक प्रति जो कि नियम 71 के अधीन तैयार की गयी हों

81. मतदान को गुप्त रखने का प्रबन्ध—निर्वाचन अधिकारी मतदान स्थल पर इतने अलग-अलग कोष्ठ बनायेगा जितने कि वह आवश्यक समझे जहां से बाहर के असदमी मतदाताओं को मत डालते समय न देख सकें।

82. मतदान स्थल पर मतपत्र तथा अन्य सामग्रियों की व्यवस्था—निर्वाचन अधिकारी मतदान स्थल पर निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा :

(क) उतनी मतपेटियां कि जितनी आवश्यक हों;

(ख) पर्याप्त संख्या में मतपत्रों और उस निर्वाचन क्षेत्र के जहां के निर्वाचक मतदान स्थल पर मत देने के लिए हकदार हों, निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां; और

(ग) उक्त प्रयोजन हेतु पर्याप्त सामग्री जिससे कि निर्वाचक मतपत्रों पर चिह्न लगा सके।

83. मतदान के लिए मतपेटियों को तैयार किया—(1) मतदान आरम्भ होने के ठीक पहले मतदान अध्यक्ष निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं को जो उस स्थान पर उपस्थित हों, वे अवसर देगा कि वह प्रत्येक उन मतपेटियों का परीक्षा कर लें जो उस मतदान में प्रयोग में लायी जायेगी और उनको यह भी दिखला देगा कि वे पेटियां खाली हो।

(2) प्रत्येक मतपेटी या उसका कोई भाग या कोई वस्तु जो उससे संलग्न हो, पर ऐसा सुभेदक चिह्न (distinguishing mark) डाल दिया जायेगा जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दें।

(3) जब पेटियों को सुरक्षित करने के लिए कागज की मुहर लगाना आवश्यक हो तो मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटी के लिए कागज की मोहर पर अपने हस्ताक्षर करेगा और उस पर ऐसे उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर या उनकी मोहर करायेगा जो वहां उपस्थित हों और जो उस पर अपने हस्ताक्षर या मोहर करना चाहें।

(4) इसके पश्चात् मतदान अध्यक्ष, इस प्रकार हस्ताक्षर की हुयी या मुहर लगायी हुयी कागज की मोहर को मतदान पेटी पर उस स्थान पर चिपका देगा जो कि उसके लिए निश्चित की गयी हो, और उसके पश्चात् मतदान पेटी को उनकी उपस्थिति में इस प्रकार बन्द कर देगा और उस पर मुहर लगा देगा कि मतपत्र डालने को झिरी खुली रहें।

(5) जब पेटियों को सुरक्षित रूप से बन्द करने के लिए कागज की मुहर लगाना आवश्यक न हो तो मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटी को इस प्रकार बन्द करेगा और उस पर मोहर लगायेगा कि मतपत्र डालने की झिरी खुली रहें और उम्मीदवारों तथा उनके अभिकर्ता (Agents) को जो वहां उपस्थित हो इस बात की अनुमति देगा कि यदि वे चाहें तो उस पर अपनी भी मुहर लगा दें।

(6) मुहर जो पेटियों को सुरक्षित रूप से बन्द करने के लिए प्रयोग में लाई जाय इस प्रकार लगायी जायेगी कि बिना मोहर तोड़े मतदान पेटी न खुल सकें।

84. मतपत्रों को डालने के लिए मतपेटीयों का रखा जाना—मतपत्र डालने के लिए प्रत्येक मतपेटी इस प्रकार रखी जायेगी कि वह मतदान अध्यक्ष निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों व उनके अभिकर्ताओं को भी दिखती रहें।

85. निर्वाचकों की पहचान—(1) मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल पर ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह निर्वाचकों की मदद करके या मतदान कराने में अपनी सहायता करने के लिए उचित समझे, सेवायोजित कर सकता है

(2) जैसे ही कोई निर्वाचक मतदान स्थल में प्रवेश करे वैसे ही मतदान अध्यक्ष, या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृति मतदान अधिकारी, निर्वाचक का नाम तथा अन्य विवरण की जांच निर्वाचक नामावली में संगत प्रविष्टि से

करेगा और तब निर्वाचक की क्रम-संख्या, नाम और अन्य विवरण पुकारेगा।

(3) निर्वाचन लड़ने वाला कोई भी उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता विशिष्ट निर्वाचक होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति की पहचान के प्रति आपत्ति कर सकता है और जब ऐसी आपत्ति की जाय तो मतदान अध्यक्ष इस आपत्ति के सम्बन्ध में संक्षिप्त जांच करेगा और इस प्रयोजन के लिए यह अपेक्षा कर सकेगा कि आपत्तिकर्ता अपनी आपत्ति को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करे और आपत्तिकृत व्यक्ति अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये साक्ष्य प्रस्तुत करे।

(4) यदि ऐसी जांच के पश्चात् मतदान अध्यक्ष की राय हो तो आपत्ति सत्य सिद्ध नहीं की गई है तो वह आपत्ति व्यक्ति को मतदान देने की अनुमति देगा।

(5) मतपत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के अधिकार को निश्चित करने के लिए मतदान अध्यक्ष, निर्वाचक नामावली में किसी प्रविष्टि की केवल लिपिकीय या छपाई सम्बन्धी भूल पर ध्यान न देगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसका समाधान को जाये कि ऐसा व्यक्ति उस निर्वाचन के समरूप है जिससे ऐसी प्रविष्टि सम्बन्धित है।

86. मतदान केन्द्र के भीतर निर्वाचकों द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाये रखना और मतदान की प्रक्रिया—(1) प्रत्येक निर्वाचक जिसे इस नियमावली के नियम 33 के अधीन या किसी अन्य उपबन्ध के अधीन मतपत्र दिया गया हो, मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा और इस प्रयोजन के लिए इसमें इसके पश्चात् निर्धारित मतदान प्रक्रिया का पालन करेगा।

(2) निर्वाचक मतपत्र प्राप्त होने पर तत्काल—

(क) मतदान कोष्ठों में से एक में जायेगा,

(ख) वहाँ उस उम्मीदवारों के प्रतीक पर या उसके निकट, जिसके लिये वह मतदान करना चाहता हो, मतपत्र में उस प्रयोजन के लिए दिये गये उपकरण से चिह्न बनायेगा;

(ग) मतपत्र को इस प्रकार मोड़ लेगा कि उसका मत छिप जाय;

(घ) यदि अपेक्षित हो तो मतपत्र पर लगाया गया सुभेदक चिह्न (distinguishing mark) मतदान अध्यक्ष को दिखलायेगा;

(ङ) मुड़े मतपत्रों को मतपेटी में डालेगा; और

(च) मतदान स्थल से बाहर चला जायेगा।

(3) प्रत्येक निर्वाचक असम्यक विलम्ब के बिना मतपत्र देगा।

(4) जब मतदान कोष्ठ में कोई निर्वाचक हो तब किसी अन्य निर्वाचक को उसमें प्रवेश न करने दिया जायेगा।

(5) यदि कोई निर्वाचक, जिसे मतपत्र दे दिया गया हो, मतदान अध्यक्ष द्वारा चेतावनी दिये जाने के पश्चात् भी उपनियम (2) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने से इन्कार करे तो मतदान अध्यक्ष या मतदान अध्यक्ष के निदेशाधीन मतदान अधिकारी उन्हें दिये गये मतपत्र को चाहे उसने उस पर अपना मत अभिलिखित किया हो या नहीं वापस ले लेगा।

(6) मतपत्र वापस लिये जाने के पश्चात् मतदान अध्यक्ष उसके पृष्ठ भाग पर शब्द "रद्द किया गया, मतदानपत्र प्रक्रिया का उल्लंघन" अभिलिखित करेगा और उन शब्दों के नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा।

(7) ऐसे सभी मतपत्र, जिस पर शब्द "रद्द किया गया, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" लिखे होंगे एक अलग लिफाफे में रखे जायेंगे जिसके ऊपर शब्द "मतपत्र, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" लिखे होंगे।

(8) किसी ऐसी अन्य शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा निर्वाचक जिससे उपनियम (5) के अधीन मतपत्र वापस लिया गया हो, जिम्मेदार हो, ऐसे मतपत्र पर अभिलिखित मत, यदि कोई हो, की गणना नहीं की जायेगी।

87. मतदाताओं को मतपत्रों का दिया जाना—(1) मतदाता की पहचान हो जाने के पश्चात् उसको मतपत्र दे दिया जायेगा।

(2) मतदाता को दिये जाने के पहले प्रत्येक मतपत्र पर ऐसा सुभेदक चिह्न (distinguishing mark) लगा दिया जायेगा जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्धारित किया हों

(3) मतदाता को मतपत्र जारी करते समय, मतदान अध्यक्ष, उस रीति से जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे, इस प्रयोजन के लिए अलग रखी गयी निर्वाचक नामावली जिसे इस नियमावली में इसके पश्चात् "निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति" कहा गया है की प्रति में निर्वाचक से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने उसकी क्रम-संख्या लिखेगा।

88. मतदान—मतपत्र प्राप्त होने पर मतदाता तुरन्त मतदान कोष्ठ में जायेगा और मतपत्र पर उस उम्मीदवार के प्रतीक पर या प्रतीक के निकट जिसको वह मत देना चाहता हो, निर्देशों के अनुसार जिसे इस सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग जारी करें, चिह्न लगा देगा और उसे इस तरह मोड़ देगा कि उसका मत दिखाई न दे और मतपत्र पर सुभेदक चिह्न (distinguishing mark) को मतदान अध्यक्ष को दिखा कर इस प्रकार मोड़े गये मतपत्र को मतदान अध्यक्ष की उपस्थिति में मतपेटी में डाल देगा।

(2) प्रत्येक मतदाता असम्यक् विलम्ब के बगैर मतदान करेगा और अपना मतपत्र मतपेटी में डालते ही उस डालने के कमरे से बाहर आ जायेगा।

(3) किसी मतदाता को उस समय मतदान कोष्ठ में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा जब कोई अन्य मतदाता उसके भीतर हों।

89. मतदान अध्यक्ष द्वारा जबकि उससे इसके लिए प्रार्थना की जा, मतदान के निर्देशों को समझाया जाना—जब कोई मतदाता मतदान अध्यक्ष से प्रार्थना करे, मतदान अध्यक्ष उसको मतदान के सम्बन्ध में वे निर्देश समझायेगा, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किये गये हों।

90. अन्धे या अशक्त निर्वाचकों के मतों का अभिलेखन—(1) यदि मतदान अध्यक्ष का यह समाधान हो जाय कि कोई निर्वाचक अन्धेपन या अन्य शास्रिक अशक्तता के कारण बिना सहायता के मतपत्र में प्रतीकों को पहचानने या उन पर चिह्न लगाने में असमर्थ है तो मतदान अध्यक्ष निर्वाचक को अपने साथ कम से कम 18 वर्ष की आयु का एक साथी, उसकी ओर से और उसकी इच्छानुसार, मतपत्र पर मत अभिलिखित करने के लिए तथा यदि आवश्यक हो, तो मतपत्र मोड़ने, जिससे मत छिप जाय और उसे मत पेटी में डालने के लिए, मतदान कोष्ठक में ले जाने की अनुमति देगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को एक ही दिन में एक मतदान केन्द्र पर एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी व्यक्ति को इस नियम के अधीन किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति देने के पूर्व उस व्यक्ति से इस बात की घोषणा करने की अपेक्षा की जायेगी कि वह निर्वाचक की ओर से उसके द्वारा अभिलिखित मत को गोपनीय रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में पहले कार्य नहीं किया है।

(2) मतदान अध्यक्ष, इस नियम के अधीन सभी मामलों का एक अभिलेख रखेगा।

(3) मतदान केन्द्र पर मतदान अध्यक्ष, किसी उससे कोई निर्वाचक इसका अनुरोध करें, उसे मतों को अभिलिखित करने के लिए मतपत्र के साथ दिये गये अनुदेशों को स्पष्ट करेगा।

91. मतदाता द्वारा मतपत्र वापस किया जाना—(1) यदि मतदाता मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसका उपयोग न करना चाहे तो उसे मतदान अध्यक्ष को वापस कर देगा।

(2) प्रत्येक ऐसे मतपत्र पर शब्द "रद्द" लिख दिया जायेगा और इस प्रयोजन के लिए रखे गये लिफाफे में रख दिया जायेगा और मतदान अध्यक्ष, ऐसे समस्त मतपत्रों का लेखा रखेगा।

92. मतदान के समय मतदान अध्यक्ष का मत कोष्ठक—(1) यदि मतदान अध्यक्ष को यह सन्देह करने का कारण हो कि किसी मतदाता ने, जिसने मत कोष्ठ में प्रवेश किया है, मत कोष्ठ में असम्यक् देर की है तो वह मत कोष्ठ में प्रवेश करेगा और ऐसे आवश्यक उपाय करेगा जिससे कि मतदान का कार्य सुगमता और शीघ्रता के साथ होता रहें।

(2) जब कभी इस नियम के अधीन मतदान अध्यक्ष, मत कोष्ठ में प्रवेश करे, तो उसके साथ निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता जो जाना चाहें, जा सकते हो।

93. मतपत्रों का मतपेटियों से बाहर पाया जाना—यदि कोई मतपत्र जो किसी मतदाता को दिया गया हो, उसके द्वारा मतपेटी में न डाला गया हो, और वह मतदान स्थल में या उसके निकट पायी जाय तो वह "रद्द" कर दिया जायेगा और उसके सम्बन्ध में नियम 91 में निर्धारित रीति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

94. निविदत्त मत—(1) यदि कोई व्यक्ति अपने को निर्वाचक विशेष के रूप में प्रदर्शित करते हुए ऐसे निर्वाचक के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले ही मत देने के पश्चात् मतपत्र के लिए आवेदन करे तो उसे अपनी पहचान के बारे में ऐसे प्रश्नों के समाधानपूर्वक उत्तर देने के पश्चात् जैसा कि मतदान अध्यक्ष, पूछें, मतपत्र दिया जायेगा। इसके दूसरी ओर स्वयं मतदान अध्यक्ष, शब्द "निविदत्त मतपत्र" लिखेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति निविदत्त मतपत्र दिये जाने के पहले विनिर्दिष्ट प्रपत्र में तैयार की हुयी सूची में अपने नाम के सामने हस्ताक्षर करेगा।

(3) इसके पश्चात् उपर्युक्त व्यक्ति निविदत्त मतपत्र पर जहां तक सम्भव हो नियम 88 के उपबन्धों के अनुसार अपना मत देगा परन्तु वह उस मतपत्र को मतदान पेटी में नहीं डालेगा।

(4) प्रत्येक ऐसा निविदत्त मतपत्र मतदान अध्यक्ष को दिया जायेगा जो तुरन्त उसे इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से रखे गये लिफाफे में रखेगा। ऐसे मतों की गणना निर्वाचक अधिकारी द्वारा नहीं की जायेगी।

95. मतदान के पश्चात् बक्सों, आदि का मुहरबन्द किया जाना—(1) मतदान समाप्त होने पर यथाशक्य शीघ्र मतदान अध्यक्ष, प्रत्येक बक्स के छेद को बन्द कर देगा और जहां बक्स में छेद को बन्द करने के लिए कोई यांत्रिक युक्ति नहीं है जहां उस छेद पर मुहर बन्द करेगा और किसी निर्वाचन करने वाले उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता को जो उपस्थित हों उस पर मुहर लगाने की अनुमति देगा।

(2) तदपश्चात् सभी मत पेटियों पर विनिर्दिष्ट रीति से मुहरबन्द करेगा और उन्हें सुनिश्चित रूप से बन्द करेगा।

(3) तत्पश्चात् मतदान अध्यक्ष, निम्नलिखित का अलग-अलग पैकेट बनायेगा :

(क) एक लिफाफे में निविदत्त मतपत्र,

(ख) रद्द किये गये मतपत्र,

(ग) निर्वाचक नामावली की चिह्नित सूची,

(घ) उपयोग में न लाये गये मतपत्र, और

(ङ) ऐसे कोई अन्य पत्र जिसके लिए निर्वाचन अधिकारी ने मुहरबन्द पैकेट में रखने का निर्देश दिया हों

(4) प्रत्येक ऐसे पैकेट पर मतदान अध्यक्ष और निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा मुहर लगायी जायेगी जो उन पर अपनी मुहर लगाना चाहें।

96. मतपत्रों का लेखा—मतदान अध्यक्ष, मतदान समाप्त होने के पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रपत्र में मतपत्रों का एक लेखा तैयार करेगा।

97. मतपेटियों, आदि का निर्वाचन अधिकारी के पास भेजा जाना—नियम 95 के अनुसार मतपेटियों और पैकेटों पर मुहर लगाये जाने के पश्चात् जितना शीघ्र सम्भव हो, मतदान अध्यक्ष ऐसे स्थान पर जो कि निर्वाचन अधिकारी निर्देश दें, निर्वाचन अधिकारी के सुपुर्द कर देगा या सुपुर्द करवायेगा।

(क) मतपेटियां;

(ख) नियम 95 में विनिर्दिष्ट पैकेट;

(ग) मतपत्रों का लेखा; और

(घ) अन्य ऐसे पत्र जो कि मतदान कार्य में उपयोग में लाए गये हों।

98. मतपेटियों और पैकेटों का भेजा जाना और उनकी अभिरक्षा—निर्वाचन अधिकारी जब तक कि मतपत्रों की बिनती प्रारम्भ न हो जाय, मतपेटियों और पैकेटों और अन्य पत्रों को जो नियम 97 में विनिर्दिष्ट किये गये हो, भेजे जाने और उनको अभिरक्षा में रखे जाने का पूरा प्रबन्ध करेगा।

99. आकस्मिक घटना की दशा में मतदान का स्थगित किया जाना—यदि किसी मतदान स्थल पर मतदान की कार्यवाही किसी बलवे या हिंसा के कारण रुक जाय या उसमें बाधा पड़ जाय या किसी प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान की कार्यवाही सम्भव न हो तो उस मतदान स्थल का मतदान अध्यक्ष, मतदान की कार्यवाही को ऐसे दिनांक लिए, जो कि बाद में अधिसूचित किया जायेगा, स्थगित किये जाने की घोषणा करेगा। वहां मतदान की कार्यवाही को इस प्रकार स्थगित कर दिया जाय, मतदान अध्यक्ष, उसकी सूचना निर्वाचन अधिकारी को देगा।

(2) जब कभी उपनियम (1) के अधीन कोई मतदान कार्यवाही स्थगित कर दी जाय तो निर्वाचन अधिकारी उप परिस्थितियों की सूचना तुरन्त जिला मजिस्ट्रेट को देगा और उसकी पूर्व सूचित जहां तक सम्भव हो शीघ्र नये सिरे से मतदान के लिए दिनांक नियत करेगा और नये मतदान का स्थान और समय नियत करेगा और उनको इस प्रकार अधिसूचित करेगा जैसा कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें

(3) इस प्रकार के प्रत्येक यथा उपरोक्त मामलों में मतदान अध्यक्ष, नये सिरे से मतदान की कार्यवाही करेगा और इस अध्याय के उपबन्ध, नये मतदान की कार्यवाही पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि वे मूल मतदान की कार्यवाही पर लागू थे

100. मतपेटियों, आदि नष्ट किये जाने की दशा में एक नये सिरे से मतदान—(1) यदि किसी निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी या मतदान अध्यक्ष के अधिकार में से अवैध रूप से मतपेटी छीन ली जाय या उसमें किसी अन्य प्रकार से गड़बड़ कर दी जाय या दुर्घटनावश साशय नष्ट कर दी जाय या खो जाये तो वह निर्वाचन जिसके सम्बन्ध में मतपेटी हो अमान्य हो जायेगी।

(2) जब उपनियम (1) के अधीन मतदान अमान्य हो जाय तो निर्वाचन अधिकारी उस कार्य या घटना की सूचना देने के पश्चात् जिससे मतदान अमान्य हुआ है, जहां तक सम्भव हो शीघ्र इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा और उसकी पूर्व स्वीकृति से नये सिरे से मतदान के लिए दिनांक नियत करेगा और वह स्थान और समय नियत करेगा जिस पर मतदान किया जायेगा और उसको उसी रीति में अधिसूचित करेगा, जो कि उसके लिए जिला मजिस्ट्रेट निर्धारित करें

(3) इस प्रकार के प्रत्येक उपर्युक्त मामलों में मतदान अध्यक्ष, नये सिरे से मतदान करायेगा और इस अध्याय के उपबन्ध प्रत्येक ऐसे नये मतदान पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि वे मूल मतदान पर लागू थे

101. मतपत्रों की गणना के लिए समय, स्थान और दिनांक का नियत किया जाना—(1) निर्वाचन अधिकारी मतपत्रों की गिनती के लिए एक दिनांक नियत करेगा जो मतदान की कार्यवाही होने के पश्चात् जहां तक सम्भव हो शीघ्र होगा और समय और ऐसा स्थान नियत करेगा जहां और सब मतपत्र गिने जायेंगे

(2) निर्वाचन अधिकारी, ऐसे दिनांक, स्थान और समय की सूचना निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को देगा।

(3) यदि मतदान पत्रों को गिनने से नियत समय पर निर्वाचन अधिकारी को मतपत्रों की पेटिका प्राप्त न हो तक गिनती अपरिहार्य या दूसरे कारणों से व मतपत्रों की गिनती का कार्य न करा सके तो वह गिनती का कार्य दूसरे दिनांक के लिए स्थगित कर देगा और उसके लिए समय और स्थान नियत करेगा उसकी सूचना निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके निश्चित अभिकर्ताओं को देगा।

102. गणना अभिकर्ता—(1) कोई निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतों की गिनती के समय उपस्थित रहने के लिए एक गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है

(2) ऐसी प्रत्येक नियुक्ति विविध रूप में की जायेगी।

(3) गिनती के समय उपस्थित रहने वाला गणना अभिकर्ता उस समय तक उस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकेगा, जहां मतों की गिनती हो रही हो, जब तक कि वह उपनियम (2) के अधीन की गई अपनी नियुक्ति का पत्र निर्वाचन अधिकारी को न दें

103. व्यक्ति जो कि गिनती के समय उपस्थित रह सकते हो—(1) निर्वाचन लड़ने उम्मीदवारों, उनके अभिकर्ताओं, गणना अभिकर्ताओं और ऐसे व्यक्तियों के सिवाय जिनका निर्वाचन अधिकारी मतों की गिनती में अपनी

सहायता देने के लिए नियुक्त करें, निर्वाचन अधिकारी अन्य किसी व्यक्ति को मत गिनने के समय उपस्थित रहने की अनुमति नहीं देगा।

(2) कोई व्यक्ति जिसको उम्मीदवार ने या उसकी ओर से या किसी और ने निर्वाचन के कार्य के लिए रखा हो या जो किसी और तरह से किसी किसी उम्मीदवार की ओर से निर्वाचन में कार्य कर रहा हो, निर्वाचन अधिकारी द्वारा मत गिनने के काम में सहायता देने के लिए रखा जायेगा।

104. मत गिनने की प्रक्रिया—उस दिनांक, समय और स्थान पर जो कि नियम 101 के अधीन नियत किया गया हो, निर्वाचन अधिकारी निम्नलिखित कार्यवाही करेगा :

- (क) निर्वाचन अधिकारी अपनी इस बात का समाधान करेगा कि सब मत पेटियां जो कि मतदान में प्रयोग में लाई गयी थीं और जो उस स्थान पर गिनी जानी है उसको प्राप्त हो गयी हो और उन सबका लेखा हो गया है
- (ख) तत्पश्चात् निर्वाचन अधिकारी, उम्मीदवार उसके अभिकर्ताओं और गणना अभिकर्ताओं को जो गिनती के समय उपस्थित हों यह अवसर देगा कि मत पेटियों व उनकी मुहरों को अपनी यह संतुष्टि करने के लिए देख लें, कि वे ठीक हो।
- (ग) निर्वाचन अधिकारी अपनी यह भी संतुष्टि करेगा कि किसी मतदान पेटि में वास्तव में कोई गड़बड़ तो नहीं की गई है वह यह देखें कि किसी मतदान पेटि में गड़बड़ की गई है या वह नष्ट कर दी गई है या खो गई है तो निर्वाचन अधिकारी मतों की गिनती की कार्यवाही आगे नहीं करेगा और इस सम्बन्ध में नियम 100 के उपबन्ध लागू होंगे
- (घ) यदि निर्वाचन अधिकारी संतुष्टि हो जाय कि वे सब मत पेटियां जिनकी उस स्थान पर गिनती की जानी है, प्राप्त हो गई हो और ठीक हो तो वह मत पेटियों में डाले गये मतपत्रों के गिनने की कार्यवाही आरम्भ करेगा। समस्त मत पेटियां जो कि मतदान स्थल पर प्रयोग में लाई गई हों खोली जायेंगी और तब मतपत्रों की गिनती का काम राज्य निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार जो कि उन मत पेटियों में हो उसी समय आरम्भ कर दी जायेगी।
- (ङ) उन सब मतपत्रों का लेखा, जो कि उस स्थान की मतदान पेटियों में हो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में रखा जायेगा।
- (च) निर्वाचन अधिकारी, उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं, गणना अभिकर्ताओं को, जो वहां उपस्थिति हों, इस बात का उचित अवसर देगा के वे उन मत पत्रों की जांच कर लें जो निर्वाचन अधिकारी की सम्मति से अस्वीकृत करने योग्य हों, परन्तु उन्हें उन मतपत्रों या अन्य मतपत्र को छूने की अनुमति नहीं देगा। निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतपत्र जो कि अस्वीकृत की जाय, हिन्दी में "अस्वीकृति" पृष्ठांकित कर देगा। यदि कोई उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता किसी मतपत्र के सम्बन्ध में उसके अस्वीकार किये जाने पर आपत्ति करता है तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे मतपत्र पर संक्षिप्त रूप से उस मतपत्र के अस्वीकार करने के कारण भी लिखेगा।
- (छ) मतदान स्थल की मत पेटियों के मत पत्रों की गिनती किये जाने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी ऐसे समस्त मतपत्रों को एक अलग पैकेट में रखवायेगा और उनमें ऐसे ब्योरे लिखे जायेंगे जिनसे यह ज्ञात हो सके कि ये किस ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में हो।

105. मतपत्रों को अस्वीकार किये जाने के कारण—(1) निर्वाचन अधिकारी कोई मत पत्र अस्वीकृत कर देगा

यदि—

- (क) उस पर कोई ऐसा चिह्न या लेख हैं जिससे निर्वाचक पहचाना जा सकेता हो, या
- (ख) वह बनावटी मतपत्र हो, या
- (ग) इस प्रकार क्षत या विक्षत किया गया हो कि वास्तविक मत पत्र के रूप में उसका तादात्म्य स्थापित नहीं किया जा सकता हो, या

- (घ) यदि उस पर उस विशिष्ट मतदान स्थल में प्रयोग के लिए प्राधिकृत मतपत्र की यथा स्थिति क्रम-संख्या या डिजाइन से भिन्न क्रम-संख्या या डिजाइन हो, या
- (ङ) यदि उस पर किसी निर्वाचन क्षेत्र में भरे जाने के लिए अपेक्षित स्थानों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों के पक्ष में मत दिया जाय, या
- (च) यदि उस पर कोई मत अभिलिखित न किया जाय।

(2) किसी मतपत्र पर अभिलिखित मत अस्वीकृत कर दिया जायेगा, यदि मतपत्र पर मत दिये जाने को इंगित करने वाला चिह्न ऐसी रीति से लगाया गया हो जिससे यह सन्देहपूर्ण हो कि किस उम्मीदवार को मत दिया गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई मतपत्र केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जायेगा कि मत इंगित करने वाला चिह्न अस्पष्ट है या कि विशिष्ट उम्मीदवार के नाम के सामने से एक से अधिक बार लगाया गया है यदि मतपत्र पर जिस ढंग से चिह्न लगाया गया हो उससे स्पष्टतया यह प्रकट हो कि वह मत किसी विशिष्ट उम्मीदवार के लिए दिया गया है

(3) किसी मतपत्र की या किसी ऐसे मत पत्र पर दिये गये मत की वैधता के सम्बन्ध में निर्वाचन अधिकारी का निर्णय किसी निर्वाचन याचिका के जिसमें निर्वाचन पर आपत्ति की गई हो परीक्षण कर दिये गये किसी प्रतिकूल निर्णय के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

106. मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत लेखों का सत्यापन—निर्वाचन अधिकारी निविदत्त मत पत्रों या निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के मुहरबन्द पैकेटों को नहीं खोलेगा। वह नियम 96 के अधीन मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्र का सत्यापन, गणना किये गये मतों और अस्वीकृत मतपत्रों, अपने पास के अप्रयुक्त या खराब मतपत्रों की संख्या से और निविदत्त मतों की सूची से मिलान करके करेगा। तत्पश्चात् वह प्रत्येक ऐसे पैकेट को जिसे उसने खोला हो, फिर से बन्द करेगा और फिर से मुहर लगायेगा और प्रत्येक पैकेट पर उसकी अन्त वस्तुओं का ब्यौरा, ग्राम पंचायत का नाम, और निर्वाचन का दिनांक जिसके सम्बन्ध में वह हो, अभिलिखित करेगा।

107. निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन विवरण का तैयार किया जाना—इसके पश्चात् निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन विवरणी तैयार प्रमाणित करेगा और उसको निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित करेगा और उसमें निम्नलिखित ब्यौरे लिखेगा :

- (क) उन उम्मीदवारों के नाम जिनको वैध मत दिये गये हों,
- (ख) प्रत्येक उम्मीदवार को दिये गये वैध मतों की संख्या,
- (ग) वैध मतपत्रों की संख्याओं का योग,
- (घ) अस्वीकृत मतपत्रों की संख्या,
- (ङ) विनिदत्त मतपत्रों की संख्या, और
- (च) निर्वाचित उम्मीदवार का नाम।

निर्वाचन अधिकारी किसी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार, उसके निर्वाचन अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता इस बात की अनुमति देगा कि वह निर्वाचन विवरण की प्रतिलिपि या उसका कोई उद्धरण ले लें

108. मतों के बराबर होने की दशा—मतों की पूरी गणना होने के पश्चात् यदि कई उम्मीदवारों के मतों की संख्यायें बराबर हों और उनमें एक मत अधिक बढ़ा देने से कोई एक उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किए जाने का अधिकारी हो जायेगा तो निर्वाचन अधिकारी तुरन्त उनके बीच पर्ची (लाटरी) डालेगा और इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो कि उस उम्मीदवार के जिसके हक में पर्ची निकली है एक और मत प्राप्त कर लिया है

109. निर्वाचन के परिणाम की घोषणा—मतदान पेटियों में डाली गई मतदान पर्चियों की गिनती पूरी कर ली जाय, तो निर्वाचन अधिकारी उस उम्मीदवार को जिसको सबसे अधिक मत मिले हों निर्वाचित घोषित करेगा।

110. निर्वाचन की सूचना और अधिसूचना—नियम 109 के अधीन परिणाम की घोषणा के पश्चात् जितना शीघ्र सम्भव हो निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन परिणाम की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा और ग्राम पंचायत सैक्रेटरी को भी उसकी सूचना देगा। जिला मजिस्ट्रेट परिणाम की सूचना राज्य निर्वाचन अधिकारी को देगा।

111. निर्वाचन विवरणी मतपत्रों और निर्वाचन सम्बन्धी पत्रों की अभिरक्षा—(1) निर्वाचन अधिकारी नियम 110 के अधीन निर्वाचन परिणाम की सूचना देने के पश्चात् निर्वाचन विवरणी को जिला पंचायत राज अधिकारी के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए भेज देगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी मत पत्रों के पैकेटों और निर्वाचन से सम्बन्धित समस्त अन्य पत्रों को भी जिला पंचायत राज अधिकारी के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए भेज देगा।

112 निर्वाचन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना और निरीक्षण—(1) जिला पंचायत राज अधिकारी की अभिरक्षा में मतपत्रों में चाहे वे वैध, अस्वीकृत या निविद्ध हों, और निर्वाचक नामांकन की चिह्नित प्रति के पैकेट हों तो किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा न तो उनका निरीक्षण किया जायेगा और न तो उनका निरीक्षण किया जायेगा और न उन्हें उनके समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जब तक कि निर्वाचन याचिका की सुनवाई करने वाला कोई सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी आदेश न दें

(2) नियम 111 के उपनियम (1) के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा अप्रसारित निर्वाचन विवरणियों की प्रतिलिपियां जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बारह रुपये प्रत्येक प्रति के हिसाब से फीस का भुगतान करने पर दी जायेगी।

(3) निर्वाचन से सम्बन्धित अन्य सभी पत्रों का निरीक्षण जनता द्वारा ऐसी शर्तों के और ऐसी फीस का भुगतान करने के अधीन रहते हुए जैसा निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, किया जा सकेगा।

113. निर्वाचन पत्रों का निस्तारण—(1) निर्वाचन विवरणी जिसका उल्लेख क्रमशः नियम 109 और 110 में किया गया है उस सम्बन्धित पद के आगामी सामान्य निर्वाचन समाप्त होने तक रक्खी जायेगी और उसके पश्चात् ऐसे आदेशों के अधीन जो कि राज्य निर्वाचन आयोग या सक्षम न्यायालय या निर्वाचन याचिका सुनने वाला अधिकारी इसके विपरीत है, नष्ट कर दी जायेगी।

(2) निर्वाचन से सम्बन्धी अन्य एक वर्ष की अवधि के लिए रक्खे जायेंगे और इसके पश्चात् ऐसे आदेशों के अधीन जो कि राज्य निर्वाचन आयोग या सक्षम न्यायालय या निर्वाचन याचिका सुनने वाला कोई अधिकारी इसके विपरीत दे, नष्ट कर दिये जायेंगे

114. अपराध—किसी भी व्यक्ति को जो—

- (क) नियमों का उल्लंघन कर निर्वाचक नामावली या उसकी प्रति या अन्य दस्तावेजों में परिवर्तन करे या गड़बड़ करे, या
- (ख) इस नियमावली के प्रयोजनों के लिए नियुक्त या सेवायोजित किसी अधिकारी या सेवक को अपने कर्तव्यों का पालन करने में बाधा डाले या हस्तक्षेप करे, या
- (ग) किसी सार्वजनिक कार्यालय में या अन्य स्थान पर चिपकाये गये या अन्यथा प्रकाशित किसी प्रतिलिपि, नोटिस या अन्य दस्तावेजों को विरूपित करे, क्षति पहुँचाये, उलट-पलट करे या हटाये तो वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है

115. उप निर्वाचन—यदि किसी प्रधान के पद पर आकस्मिक रिक्त उसकी मृत्यु होने, त्याग-पत्र देने, हटाए जाने, उसके प्रधान की निर्वाचन से परिवर्जन से या अन्यथा किसी प्रकार से रिक्त हो जाये तो जिला मजिस्ट्रेट रिक्त स्थान की सूचना मिलने पर यथासम्भव शीघ्र नियम 14 के अनुसार उप निर्वाचन की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के लिए दिनांक, समय और स्थान नियुक्त करेगा और इस अध्याय में दिये गये नियम जहाँ तक सम्भव हो, इस रिक्त स्थान को भरने के लिए प्रधान के उपर्युक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में भी लागू होंगे।

116. प्रधान को निर्वाचित करने में असफलता—(1) यदि नियम 67 के अधीन जारी नोटिस के अनुसरण में ग्राम पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र प्रधान को निर्वाचित करने में असफल रहे, तो जिला मजिस्ट्रेट यथाशक्य शीघ्र, एक बार फिर उस दिनांक से पूर्व जो वह निश्चित करें प्रधान निर्वाचित करने की अपेक्षा करेगा और नियम 114 के उपनियम (2) में दिये गये प्रत्येक मद के लिये नया दिनांक, समय और स्थान निश्चित करेगा और इस अध्याय के उपबन्ध उपरोक्तानुसार प्रधान के निर्वाचन के सम्बन्ध में यथासम्भव लागू होंगे

117. उप प्रधान का निर्वाचन—(1) ग्राम पंचायत के संगठन से सम्बन्धित अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र प्रधान या किसी कारणवश उसकी अक्षमता की दशा में या बैठक न बुलाने के कारण सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) उप प्रधान के निर्वाचन के लिए ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा।

(2) प्रधान के निर्वाचन के लिए इस अध्याय में दिये गये नियम उप-प्रधान के निर्वाचन के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि "निर्वाचन सूची", "निर्वाचन अधिकारी" के प्रति निर्देश जहां भी आए हों, क्रमशः ग्राम पंचायत के सदस्यों की सूची, और प्रधान या सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) यथास्थिति के प्रति निर्देश समझे जायेंगे।

118. निर्वाचन पत्रों का निस्तारण—(1) प्रधान व उप प्रधान के निर्वाचन सम्बन्धी सभी पत्र, सिवाय निर्वाचन विवरणी के, ऐसे अन्य निर्देशों के अधीन जो कि राज्य निर्वाचन आयोग या सक्षम न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिया गया है, चुनाव परिणाम घोषित हो जाने के दिनांक से एक वर्ष पश्चात् नष्ट कर दिये जायेंगे निर्वाचन विवरणी आगामी सामान्य निर्वाचन समाप्त होने तक रक्खी जायेगी और राज्य निर्वाचन आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या अधिकरण द्वारा इसके विपरीत दिये गये आदेशों के अधीन रहते हुए तत्पश्चात् नष्ट कर दी जायेगी।

119. अधिनियम की धारा 11 घ के अधीन पद का रिक्त होना—(1) जब कोई व्यक्ति ऐसे दो पदों पर निर्वाचित हो जाय, जिसे अधिनियम की धारा 11-घ के अधीन एक साथ धारण नहीं कर सकता है, तो उसके लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपने निर्वाचन की घोषणा होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर एक पद के अतिरिक्त अपने सब पदों से त्याग-पत्र दे दे या यदि उक्त दो या अधिक पदों के निर्वाचन की घोषणा भिन्न-भिन्न दिनांकों पर हुई है, तो वह अन्तिम घोषणा के दिनांक से तीस दिन के भीतर त्याग-पत्र दे दें।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति के जो किसी ग्राम पंचायत का प्रधान और सदस्य या किसी न्याय पंचायत का पंच निर्वाचित किया गया हो उपनियम (1) के उपबन्ध के अनुसार पद त्याग न करने की दशा में ग्राम पंचायत के सदस्य अथवा न्याय पंचायत के पंच के रूप में उसका स्थान रिक्त समझा जायेगा। (3) उपनियम (1) या (2) के अधीन रिक्त होने वाले पद या स्थान को इस प्रकार भरा जायेगा माना वह आकस्मिक रिक्त हों।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994¹

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 25 सन् 1947) की धारा 9 की उपधारा (2) और धारा 110 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश गांव सभा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आज़ा, 1978 का अतिक्रमण करके राज्यपाल म्निलिखित नियमावली बनाते हो :

1. **सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ**—जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों, इस नियमावली में,—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 से है,

(ख) "सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" का तात्पर्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस रूप में एक या अधिक पंचायत क्षेत्र के लिये नियुक्त व्यक्ति से है,

(ग) "निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" का तात्पर्य नियम 3 के अधीन इस रूप में पदाभिहीत या नाम निर्दिष्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से है,

(घ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से अनुलग्न प्रपत्र से है,

(ङ) "नामावली" का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली

से है

3. **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी**—(1) प्रत्येक जिले में हर एक नामावली, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तैयार और पुनरीक्षित की जायेगी जो राज्य सरकार का वह अधिकारी होगा जिसे राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से इस निमित्त पदाभिहीत (designate) या नाम निर्दिष्ट करें।

4. **नामावली का प्रारूप और भाषा**—नामावली देवनागरी लिपि में हिन्दी में तैयार की जायेगी।

5. **नामावलियों का तैयार किया जाना**—(1) प्रथम नामावली इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली तैयार करने के प्रयोजनों के लिये तत्समय प्रवृत्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये तैयार की गई निर्वाचक नामावली को अपना सकता है जहां तक इसका सम्बन्ध प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से है।

(3) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली पर हस्तक्षर करेगा और उस पर अपनी मुहर लगायेगा।

6. **निवास गृहों के अध्यासियों द्वारा सूचना देना**—सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली तैयार या पुनरीक्षित करने के लिये किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के किसी निवास गृह के किसी अध्यासी से आवश्यक सूचना मांग सकेगा और इस पर प्रत्येक ऐसा अध्यासी अपनी क्षमता की सीमा के अनुसार सूचना देगा।

7. **कतिपय रजिस्ट्रों तक पहुंच**—नामावली तैयार या पुनरीक्षित करने के लिये या नामावली के संबंध में किसी दावे या आपत्ति का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिये सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस निमित्त नियोजित किसी व्यक्ति की पहुंच किसी जन्म और मृत्यु के रजिस्टर तक और किसी शिक्षण संस्था के प्रवेश रजिस्टर तक होगी और ऐसे रजिस्टर के प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह उक्त अधिकारी या व्यक्ति को ऐसी सूचना और उक्त रजिस्टर से ऐस उद्धरण दे जिसकी वह अपेक्षा करें

8. **नामावली के आलेख्य का प्रकाश**—(1) जैसे ही किसी ग्राम पंचायत के सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की नामावली तैयार हो जाय उसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजा जायेगा जो उनके आलेख्य को खण्ड विकास कार्यालय में उनकी एक प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध करके और प्रपत्र 1 में नोटिस प्रदर्शित करके प्रकाशित करेगा।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जुग्गी पिटवाकर या किसी ध्वनि प्रवर्धक द्वारा या किसी अन्य सुविधाजनक रीति से इस तथ्य को प्रसारित कर पायेगा पंचायत क्षेत्र में नामावली प्रकाशित हो गयी है और उपनियम (1) में उल्लिखित कार्यालय पर कार्यालय समय के दौरान उसका निःशुल्क निरीक्षण किया जा सकता है

(3) उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्रति, प्रकाशन के दिनांक से 3 दिन की अवधि के लिए कार्यालय समय के दौरान निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायी जायेगी।

9. ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए दावे—कोई व्यक्ति—

- (क) जिसका नाम किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में सम्मिलित नहीं किया गया है किन्तु यह उसमें रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अर्ह है, या
- (ख) जिसका नाम गलती से ग्राम पंचायत के किसी अन्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में सम्मिलित कर लिया गया है, या
- (ग) जिसका नाम नामावली में से किसी अनर्हता के कारण काट दिया गया था किन्तु जो वह दावा करता है कि उसकी अनर्हता अब दूर हो गयी है,

नामावली में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रपत्र 2 में आवेदन कर सकता है

10. नामावली में प्रविष्टियों पर आपत्तियां—कोई भी व्यक्ति जिसका नाम किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में प्रविष्ट है, और जिसे—

- (क) अपने से सम्बन्धित ऐसी प्रविष्टि के किसी विवरण पर आपत्ति है और उसे ठीक कराना चाहता है, वह प्रपत्र 3 में,
- (ख) नामावली में किसी अन्य व्यक्ति के नाम को सम्मिलित किए जाने पर, इस आधार पर आपत्ति है कि वह व्यक्ति ऐसी नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्ह नहीं है या निरर्हित हो गया है, यह प्रपत्र 4 में,

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यथास्थिति, विवरण ठीक कराने के लिए या नाम हटाने के लिए आवेदन कर सकता है

11. दावा और आपत्ति करने के लिए अवधि—नियम 9 या नियम 10 में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन नियम 8 के अधीन प्रारूप में आलेख्य प्रकाशन के दिनांक से 7 दिन के भीतर दिया जायेगा।

12. दावा और आपत्ति संबंधी विवरण—(1) नियम 9 या नियम 10 के अधीन प्रत्येक आवेदन, आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जायेगा और ऐसे एक अन्य व्यक्ति द्वारा भी सत्यापित किया जायेगा जिसका नाम पहले से ही नामावली के उस भाग में सम्मिलित हो जिसके संबंध में आवेदन दिया गया है और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) आवेदन में वे आधा, जिन पर प्रविष्टि को, यथास्थिति सम्मिलित करने, सुधारने या निकालने की मांग की गयी है और ऐसी प्रविष्टि के अपेक्षित पूर्व विवरण भी सुसंगत प्रपत्र में दिये जायेंगे

(3) प्रपत्र 4 में आवेदन दो प्रतियों में होगा, जिसकी एक प्रति उस व्यक्ति पर तामील की जायेगी, जिसके नाम को निकालने की मांग की गयी है

13. सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रक्रिया—सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रपत्र 5 में, दो प्रतियों में सूची रखेगा, जिन्हें वह नियम 9 और 10 में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन पत्र, जैसे ही वह नियम 12 के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किया जाय प्रविष्टि करेगा और अपने कार्यालय सूचना पट्ट पर ऐसी सूची की एक प्रति प्रदर्शित करेगा।

14. कतिपया दावों और आपत्तियों का अस्वीकृत किया जाना—नियम 9 व नियम 10 के अधीन कोई आवेदन—पत्र जो इस नामावली में विहित अवधि के भीतर या विहित प्रपत्र में या रीति से दाखिल न किया गया हो, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जायेगा।

15. नोटिस और उसकी तामीली—(1) उन मामलों के सिवाय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दावे या आपत्ति की ग्राह्यता से प्रथम दृष्टतया संतुष्ट हो, नियम 9 या नियम 10 के अधीन प्रत्येक आवेदक या आवेदन प्रस्तुत करने वाले उसके अभिकर्ता पर और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर जिसका नाम सम्मिलित किये जाने के संबंध में आपत्ति की गयी है, प्रपत्र 8 में एक नोटिस तामील की जायेगी, जिसमें वह स्थान और समय विनिर्दिष्ट होगा, जहां और जब आवेदन पत्र की सुनवाई की जायेगी और उसे या उसके अभिकर्ता को ऐसे साक्ष्य के साथ, यदि कोई हो, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता हो, उपस्थित होने का निदेश दिया जायेगा।

(2) उस व्यक्ति को, जिसका नाम सम्मिलित करके के संबंध में आपत्ति की गयी है, नोटिस के साथ आवेदन-पत्र की एक प्रति भी दी जायेगी।

(3) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उपनियम (1) के अधीन जारी की गयी नोटिस व्यक्तिगत रूप में तामील की जायेगी और व्यक्ति रूप से तामील न हो सकने पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के भीतर संबंधित व्यक्ति के निवास स्थान या अन्तिम ज्ञात पते पर उसकी एक प्रति चस्पा कर तामील की जायेगी।

16. दोष और आपत्तियों की जांच—(1) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसे सभी आवेदन-पत्रों की, जिसके संबंध में नियम 15 के अधीन नोटिस दी गयी है, संक्षिप्त जांच करेगा और उस पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा।

(2) सुनवाई में वह व्यक्ति, जिसे नोटिस तामील की गई थी, और कोई अन्य व्यक्ति जो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की राय में उसकी सहायता कर सकता है, उपस्थित होने और सुने जाने का हकदार होगा।

(3) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने विवेकानुसार—

(क) किसी व्यक्ति को, जिसे ऐसी नोटिस जारी की गयी है, अपने समक्ष स्वयं उपस्थिति होने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ख) यह अपेक्षा कर सकेगा कि किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य शपथ पर दिया जाय, और इस प्रयोजन के लिये शपथ दिला सकेगा।

17. असावधानी के कारण छूटे हुए नामों को सम्मिलित करना—यदि नियम 19 के अधीन नामावली के अन्तिम प्रकाशन के पूर्व, यदि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह प्रतीत हो कि असावधानी के कारण किसी निर्वाचक का नाम नामावली से अंकित होने से रह गया हो तो वह ऐसे नाम को नामावली में सम्मिलित कर सकता है

18. मृत निर्वाचकों और उन व्यक्तियों के जो मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया हो या नहीं हो, नामों का निकाला जाना— यदि नामावली तैयार करने के दौरान सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह प्रतीत हो कि असावधानी या त्रुटि या अन्यथा किसी कारण से मृत व्यक्तियों या उन व्यक्तियों के नाम, जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गये हो या नहीं हो, नामावली में सम्मिलित कर लिये गये हो और इस नियम के अधीन उपचारक कार्यवाही की जानी चाहिए तो वह—

(क) ऐसे व्यक्तियों के नाम और अन्य विवरणों की एक सूची तैयार करेगा;

(ख) अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर, उस समय और स्थान की सूचना के साथ, जहां नामावली से ऐसे नामों को निकाले जाने पर विचार किया जायेगा, सूची की एक प्रति प्रदर्शित करेगा और सूची और सूचना को ऐसी अन्य रीति से प्रकाशित भी करेगा जिसे वह उचित समझे; और

(ग) किन्हीं मौखिक और लिखित आपत्तियों पर जो प्रस्तुत किये जायें विचार करने के पश्चात् विनिश्चय करेगा कि उन नामों में से सभी या कुछ नामों को नामावली से निकाल दिया जाना चाहिए:

परन्तु इस नियम के अधीन किसी व्यक्ति के संबंध में इस आधार पर, कि वह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या नहीं, कोई कार्यवाही करने से पूर्व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उस व्यक्ति को कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देने का प्रत्येक प्रयास करेगा कि उसके संबंध में प्रस्तावित कार्यवाही क्यों न की जाय।

18. नामावली का अन्तिम प्रकाशन—(1) तत्पश्चात् निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियम 15, 16, 17 और 18 के अधीन संशोधनों की सूची के साथ नामावली की एक प्रति तैयार करेगा और निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखेगा और अपने कार्यालय में प्रपत्र 7 में सूचना प्रदर्शित करके नामावली प्रकाशित करेगा।

(2) ऐसे प्रकाशन पर संशोधनों की सूची के साथ पठित नामावली प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली होगी।

(3) जहां नामावली (जिसे इस उपनियम में आगे मूल नामावली कहा गया है) उपनियम (2) के अधीन, संशोधनों की सूची के साथ पठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावली हो जाती है वहां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अधीन रहते हुए सभी संबंधित व्यक्तियों की सुविधा के लिए संशोधन सूची की प्रविष्टियां और उनसे विवरण के अनुसार मूल नामावली के सुसंगत भागों में प्रविष्टियों को यथास्थिति, सम्मिलित, संशोधित या निष्काशित करके मूल नामावली में ही संशोधन सूची की प्रविष्टियों को समाविष्ट कर सकता है, किन्तु ऐसा करने के दौरान संशोधन सूची में आये हुए किसी निर्वाचक के नाम, विवरण में कोई हेर-फेर नहीं किया जायेगा।

20. त्रुटियों को शुद्ध करना—राज्य निर्वाचन आयोग के किसी आदेश के अधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी भी समय किसी लिपिकीय या मुद्रण संबंधी त्रुटि को शुद्ध करने या निर्वाचक नामावली में दोहरी प्रविष्टियों को निकालने का आदेश दे सकता है और तथ्यानुसार प्रविष्टियों को सुधारा या निकाला जायेगा।

21. नामावलियों का पुनरीक्षण—किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (9) के अधीन या तो विस्तृत रूप से या सरकारी तौर पर अंशतः विस्तृत रूप से और अंशतः सरकारी तौर पर, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग निदेश दे, पुनरीक्षित की जायेगी।

(2) जहां किसी वर्ष में नामावली का विस्तृत पुनरीक्षण किया जाना हो, वहां वह नये सिरे से तैयार की जायेगी और नियम 3 से 20 तक ऐसे पुनरीक्षण के संबंध में लागू होंगे जैसे वे नामावली की प्रथम तैयारी के संबंध में लागू होते हो।

(3) जब किसी वर्ष में नामावली को सरसरी तौर पर पुनरीक्षित किया जाना हो तो तब निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसी सूचना के आधार पर जो सुगमता से उपलब्ध हो, नामावली के सुसंगत भागों के संशोधनों की सूची तैयार करेगा और संशोधनों की सूची के साथ नामावली का आलेख्य प्रकाशित करेगा और नियम 7 से 20 तक के उपबन्ध ऐसे पुनरीक्षण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे नामावली की प्रथम तैयारी के संबंध में लागू होते हो।

(4) जहां किसी समय उपनियम (2) के अधीन पुनरीक्षित नामावली के आलेख्य के या उपनियम (3) के अधीन नामावली और संशोधनों की सूची के और उपर्युक्त उपनियम (2) या उपनियम (3) के साथ पठित नियम 19 के अधीन उनके अन्तिम प्रकाशन के बीच किसी समय, तत्समय प्रवृत्त नामावली में अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किन्हीं नामों को सम्मिलित किये जाने का निदेश दिया जाय, वहां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उन नामों को पुनरीक्षित नामावली में सम्मिलित करवायेगा जब तक कि उसकी राय में ऐसे नामों को सम्मिलित किये जाने पर कोई विधिमान्य आपत्ति न हों।

[21-क. दावा और आपत्तियों पर विनिश्चय के आदेशों के विरुद्ध अपील—(1) नियम 18, 18 या 21 के अधीन सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरुद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि अपील उस स्थिति में नहीं होगी जहां अपील करने के इच्छुक व्यक्ति ने उस मामले पर, जो अपील की विषय-वस्तु है, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसका अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिये अधिकार का लाभ नहीं उठाया है।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक अपील—

(क) अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में होगी,

(ख) विनिश्चय के दिनांक से तीन दिन की अवधि के भीतर अपील अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी,

(ग) जिस आज्ञा के विरुद्ध अपील की गई है उसकी प्रति और एक रुपये के शुल्क के साथ होगी जो—

[1] न्यायिकेतर स्टाम्प के रूप में, या

[2] राज्य सरकार के नाम में किसी सरकारी खजाने या भारतीय स्टेट बैंक में जमा करके और ज्ञापन के साथ उसकी रसीद संलग्न करे, या

[3] ऐसी अन्य रीति से, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निदेश दें

(3) इस नियम के अधीन अपील प्रस्तुत करने मात्र का यह प्रभाव न होगा कि नियम 19 के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाने वाली कोई कार्यवाही रोक दी जाये या स्थगित कर दी जायें

(4) अपील अधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय अन्तिम होगा, किन्तु यदि वह सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विधिचय को प्रतिवर्तित या संशोधित करता है, वहां वह अपील में विनिश्चय के दिनांक से ही प्रभावी होगा।

(5) पूर्वगामी उपनियम के अधीन रहते हुए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली में ऐसे संशोधन करायेगा जो इस पैरा के अधीन अपील अधिकारी के विनिश्चयों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हों।

22. राज्य निर्वाचन आयोग का पर्यवेक्षण और नियंत्रण—(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन इस नियमावली के अधीन अपने कृत्यों का पालन करेगा।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निदेश के अधीन रहते हुए, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और नियम 3 के अधीन नियोजित अन्य व्यक्ति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निदेश के अधीन इस नियमावली के अधीन अपने कृत्यों का पालन करेंगे

23. नामावलियों आदि की अभिरक्षा और परिरक्षण—(1) इस नियमावली के अधीन समस्त आवेदन-पत्र और उन पर अभिलिखित विनिश्चय को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में या उसका निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर नामावली के अगले पुनरीक्षण तक या नई तैयार की गई नामावली के प्रभावी होने तक, जो भी पहले हो, रखा जायेगा।

(2) ग्राम पंचायत के सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित नामावली की एक सम्पूर्ण प्रति उस सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में रखी जायेगी जिससे ऐसी नामावली संबंधित हों यह प्रति समय-समय पर नामावली में किये गये संशोधनों के अनुसार संशोधित की जायेगी।

(3) प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी फीस के भुगतान पर, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय उपनियम (1) एवं (2) में निर्दिष्ट निर्वाचन पत्रों के निरीक्षण करने और उनकी प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(4) नामावली की मुद्रित प्रतियां ऐसे मूल्य पर जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, जनता को उस समय तक बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जायेगी जब तक कि अगली नामावली का प्रकाशन न हो जाय।

(5) किसी ग्राम पंचायत की नामावली का प्रकाशन होने पर नई नामावली के प्रकाशन से ठीक पूर्व प्रवृत्त नामावली संबंधित खण्ड विकास अधिकारी अभिलेखों के साथ उतने वर्ष तक जब तक के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, रखी जायेगी।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) पूरक उपबन्ध आदेश, 1999¹

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 9 की उपधारा (10) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित आदेश बनाते हो :

1. **सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) पूरक उपबन्ध आदेश, 1999 कहे जायेंगे

(2) यह आदेश उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत निर्वाचनों के सम्बन्ध में लागू होगा।

(3) यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा।

2. **परिभाषायें**—इस आदेश में,

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 से है;

(ख) "नियमावली" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 से है;

(ग) "निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" का तात्पर्य नियमावली के नियम 3 के अधीन इस रूप में पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से है;

(घ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से अनुलग्न प्रपत्र से है;

(ङ) "नामावली" का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली से है;

(च) "विनिर्दिष्ट अवधि" का तात्पर्य नामावली के अन्तिम प्रकाशन के पश्चात् तथा निर्वाचन के लिए नोटिस जारी होने के पूर्व तक की अवधि से है

3. **नामावली में रजिस्ट्रीकरण**—विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक के रूप में नामावली में अपना नाम रजिस्ट्रीकरण चाहता है तो वह प्रपत्र-2 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन कर सकता है, जो नियमावली के नियम 15 या 16 में उपबन्धित प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के पश्चात् अपनी संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करेगा और यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसा आदेश दिया जाता है तो उस व्यक्ति का निर्वाचक के रूप में पंजीकरण किया जाएगा। परन्तु ऐसा कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा।

4. **नामावली से नाम हटाया जाना**—विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यदि कोई व्यक्ति नामावली में ऐसे किसी व्यक्ति का नाम हटाने के लिए प्रपत्र-4 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन कर सकता है, जो अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के अर्ह या हकदार नहीं है, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियमावली के नियम 15 या 16 में उपबन्धित प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के पश्चात् अपनी संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करेंगे और यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसा आदेश दिया जाता है तो उस व्यक्ति का नाम नामावली से हटा दिया जाएगा:

परन्तु ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व नहीं हटाया जाएगा:

परन्तु यह कि यदि ऐसा व्यक्ति अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन अर्ह है तो उसका नाम तुरन्त हटा दिया जाएगा।

5. **नामावली की प्रविष्टि को शुद्ध करना**—विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नामावली की किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने के लिए कोई व्यक्ति प्रपत्र-3 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन कर सकता है, जो नियमावली के नियम 15 या 16 में उपबन्धित प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के पश्चात् अपनी संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करेगा और यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए आदेश के अनुसरण

में सम्बन्धित प्रविष्टि शुद्ध की जाएगी। परन्तु ऐसी कोई भी प्रविष्टि ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व शुद्ध नहीं किया जाएगी।

6. नामावली में छूटे नाम सम्मिलित किया जाना—विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यदि शिकायत या अन्यथा यह प्रतीत होता है कि नामावली में बहुत से निर्वाचकों के नाम छूट गये हो, तो राज्य निर्वाचन आयोग या जिला मजिस्ट्रेट के निदेश पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसे निर्वाचकों के नाम नामावली में सम्मिलित करने के संबंध में स्थलीय जांच करेगा और निर्वाचकों का नाम अपनी जांच रिपोर्ट और संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करेगा और यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है तो ऐसे निर्वाचकों का नाम नामावली में सम्मिलित किया जायेगा:

परन्तु ऐसा कोई भी नाम ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

7. नामावली में रजिस्ट्रीकरण, नाम हटाये जाने या किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने के लिए आवेदन शुल्क—विनिर्दिष्ट अवधि में नामावली में कोई नाम सम्मिलित करने या हटाये जाने या किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने के लिए दिये जाने वाले आवेदन-पत्र पर एक रूपये प्रति व्यक्ति की दर से शुल्क देय होगा। शुल्क प्राप्ति की रसीद जारी की जाएगी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्राप्त शुल्क का ब्यौरा एक पंजिका में रखेगा और प्रतिदिन प्राप्त हुए शुल्क की धनराशि अगले दिन राज्य निर्वाचन आयोग के लेखा शीर्षक "0515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-101-पंचायत राज अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्तियां-02 -स्थानीय निकायों के निर्वाचन से प्राप्तियां" में अनिवार्य रूप से जमा की जाएगी।

8. नामावली में सम्मिलित किए गये और हटाए गये नामों और शुद्ध की गई प्रविष्टियों की सूची—नामावली में सम्मिलित किये गये नामों, हटाए गए नामों और शुद्ध की गई प्रविष्टियों की एक सूची तैयार की जायेगी, जो मूल नामावली के साथ संलग्न कर दी जायेगी। यह सूची सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय के सूचना पट पर तुरन्त प्रदर्शित की जायेगी और इस सूची की किसी प्रविष्टि के हटाए गए नामों के सम्बन्ध में अपील की जा सकेगी और ऐसी अपील के सम्बन्ध में नियमावली के नियम 21-क के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे

9. नामावली में लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंध त्रुटियों को शुद्ध करना—विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के अधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी भी समय किसी लिपिकीय एवं मुद्रण संबंधी त्रुटि को शुद्ध करने या नामावली में दोहरी प्रविष्टियों को निकालने का आदेश दे सकता है और तदनुसार प्रविष्टियों को सुधार या निकाला जाएगा जिसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट और राज्य निर्वाचन आयोग को दी जायेगी:

परन्तु ऐसा कोई भी प्रविष्टि को ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व सुधार या निकाला नहीं जाएगा।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994¹

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961) की धारा 264-ख के साथ सपठित धारा 237 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हो:

1. **सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ**—जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है;

(ख) "निर्वाचन क्षेत्र" का तात्पर्य किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति में अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से, और किसी जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति में अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से है;

(ग) "निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार" का तात्पर्य ऐसे उम्मीदवार से है, जिसका नाम नियम 20 के अधीन तैयार की गयी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में सम्मिलित है;

(घ) "निर्वाचन" का तात्पर्य यथास्थिति, किसी क्षेत्र पंचायत या किसी जिला पंचायत में किसी स्थान को भरने के लिए निर्वाचन से है;

(ङ) "निर्वाचन विवरण" का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन विवरणी से है;

(च) "निर्वाचक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 9 के अधीन किसी ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गई निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीत है, जो यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट है;

(छ) "मतदान विवरणी" का तात्पर्य राज्य निर्वाचन द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में मतदान विवरणी से है;

(ज) "स्थान" का तात्पर्य यथास्थिति, किसी क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के निर्वाचन के लिए किसी क्षेत्र को आवंटित स्थान से है।

3. **प्रपत्र, आदि की भाषा**—इस नियमावली के अधीन तैयार किए गए या जारी प्रपत्र, सूचनाएँ, सूचियाँ और आदेश हिन्दी में देवनागरी लिपि में होंगे।

4. **निर्वाचन का संचालन**—(1) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, अधिनियम की धारा 6 या धारा 18 के अधीन सामान्य निर्वाचन का संचालन इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा-अपेक्षित, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के लिए सभी निर्वाचनों के संचालन से सम्बन्धित सभी कृत्यों का सम्पादन करेगा।

5. **निर्वाचन अधिकारी**—(1) प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निदेश के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगा जो राज्य सरकार का अधिकारी होगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सम्पादित किए जाने के लिए अपेक्षित कृत्यों का सम्पादन करेगा और किसी निर्वाचन में उसका यह सामान्य कर्तव्य होगा कि यह ऐसे कार्य और बातें करे जो अधिनियम, नियमावली और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निदेशों द्वारा उपबन्धित रीति में निर्वाचन के प्रभावी ढंग से संचालन के लिए आवश्यक हों।

(3) उपनियम (2) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य निर्वाचन आयोग, यदि ऐसा करना समीचीन समझे, आदेश द्वारा, निदेश दे सकता है कि इस नियमावली के अधीन निर्वाचन अधिकारी की ऐसी शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों का, जो उसके द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रयोग या निर्वहन किया जायेगा।

6. सहायक निर्वाचन अधिकारी—(1) जिला मजिस्ट्रेट किसी निर्वाचन अधिकारी को उसके कृत्यों के सम्पादन में सहायता करने के लिए एक या अधिक सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकता है

(2) प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अधीन, निर्वाचन अधिकारी के सभी या किन्हीं का सम्पादन करने के लिए सक्षम होगा।

(3) जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में निर्वाचन अधिकारी के प्रति निर्देश में वह सहायक निर्वाचन अधिकारी भी सम्मिलित समझा जायेगा जो ऐसे किसी का सम्पादन कर रहा है, जिसे सम्पादित करने के लिए वह इस नियम के अधीन प्राधिकृत हो।

7. मतदान स्थल—निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के पूर्वानुमोदन से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन स्थलों को विनिर्दिष्ट करेगा।

8. मतदान अध्यक्ष—(1) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान स्थल के लिए मतदान अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) नियुक्त करेगा और उसी व्यक्ति को एक से अधिक मतदान स्थलों के लिए मतदान अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है

(2) मतदान अध्यक्ष इस नियमावली के अधीन उसके द्वारा सम्पादित किये जाने के लिए अपेक्षित कृत्यों का सम्पादन करेगा और उसका यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह मतदान स्थल पर शान्ति बनाये रखे और यह देखे कि मतदान सुचारु रूप से हो रहा है

(3) यदि मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल से स्वयं को अनुपस्थित होने के लिए बाध्य हो जाए तो उसके कृत्यों का सम्पादन ऐसा मतदान अधिकारी द्वारा किया जायेगा जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए पहले से प्राधिकृत किया गया हो

(4) जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में मतदान अध्यक्ष के प्रति निर्देश में वह व्यक्ति भी सम्मिलित समझा जाएगा जो कि मतदान अध्यक्ष के ऐसे किसी कृत्य का सम्पादन कर रहा है, जिसे सम्पादित करने के लिए वह उपनियम (2) के अधीन प्राधिकृत है

9. मतदान अधिकारी—(1) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान स्थल के लिए इतने मतदान अधिकारी (पोलिंग आफ़ीसर) या अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, जितने वह मतदान अध्यक्ष के कृत्यों के सम्पादन में सहायता करने में, और ऐसे अन्य कार्य करने के लिए जो इस नियमावली के अधीन उसके द्वारा किया जाना अपेक्षित है, आवश्यक समझे

(2) यदि कोई मतदान अधिकारी मतदान स्थल से अनुपस्थित हो, तो मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल पर उपस्थित उस व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को जो निर्वाचन में निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी उम्मीदवार द्वारा या उसकी तरफ से नियोजित किया गया हो या उसके लिए अन्यथा कार्य कर रहा हो, पूर्वतः अधिकारी की अनुपस्थित के दौरान मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है, और ऐसी नियुक्ति की सूचना तदनुसार निर्वाचन अधिकारी को देगा।

10. साथ-साथ निर्वाचन—यदि क्षेत्र पंचायतों या जिला पंचायतों के निर्वाचन ग्राम पंचायतों के निर्वाचनों के साथ-साथ होते हो तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज(सदस्यों, प्रधानों और उपप्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अधीन इस रूप में नियुक्त मतदान अध्यक्ष और मतदान अधिकारी इस नियमावली के प्रयोजनों के लिए भी मतदान अध्यक्ष और मतदान अधिकारी होंगे

11. निर्वाचन अभिकर्ता—(1) किसी निर्वाचन के लिए कोई उम्मीदवार यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के किसी निर्वाचक को लिखित रूप में अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति की सूचना निर्वाचन अधिकारी को देगा।

(2) निर्वाचन अभिकर्ता निर्वाचन के सम्बन्ध में ऐसे कृत्यों का सम्पादन कर सकता है जिसके सम्पादन के लिए निर्वाचन अभिकर्ता इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्राधिकृत है।

12. मतदान अभिकर्ता—(1) निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के निर्वाचकों में से किसी एक अन्य व्यक्ति को मतदान स्थल पर उस उम्मीदवार के मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

(2) नियुक्ति एक लिखित पत्र द्वारा की जायेगी जिसे मतदान अध्यक्ष को मतदान आरम्भ होने से पूर्व दे दिया जायेगा।

13. नाम निर्देशन पत्रों का मुद्रण और मूल्य—जिला मजिस्ट्रेट नाम निर्देशन पत्रों के मुद्रण की और उम्मीदवारों को उनकी पूर्ति की व्यवस्था करेगा। प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र का मूल्य क्षेत्र पंचायत के लिए निर्वाचन हेतु एक सौ रुपये से अनधिक, और जिला पंचायत के लिए निर्वाचन हेतु एक सौ पचास रुपये से अनधिक उतना होगा जितना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत किया जाय।

14. प्रतीकों की सूची—राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन में प्रयोग किये जाने वाले प्रतीकों को विनिर्दिष्ट करेगा।

15. निर्वाचन की सूचना और दिनांक का निर्धारण—(1) जब कभी सामान्य निर्वाचन होने वाला हो तो जिला मजिस्ट्रेट, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अधीन, यथास्थिति क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों से अपेक्षा करेगा वे ऐसे दिनांक से पूर्व जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत किया जाए, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन करे :

प्रतिबन्ध यह है कि इस नियमावली की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट को जिले की सभी क्षेत्र पंचायतों के लिए एक ही सूचना जारी करने से नहीं रोकेगी।

(2) जिला मजिस्ट्रेट, ऐसे निर्देशों के, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए जायें, अधीन रहते हुए—

(क) नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए दिनांक, स्थान और समय;

(ख) नाम निर्देशन पत्रों की जांच करने के लिए दिनांक, समय और स्थान;

(ग) उम्मीदवारी वापस लेने के लिए दिनांक, स्थान और समय; और

(घ) दिनांक या दिनाकों को जब और समय जिसके बीच, यदि आवश्यक हो, मतदान होगा, भी नियत

करेगा।

(3) निर्वाचन अधिकारी ऐसी रीति में जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, उपनियम (1) व (2) के अधीन नियत दिनाकों, स्थानों और समय की सार्वजनिक सूचना देगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी उपनियम (3) के अधीन सूचना में नियम 7 में के अधीन नियत मतदान स्थल को भी विनिर्दिष्ट करेगा।

16. नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना—(1) किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में नाम निर्देशित किये जाने का इच्छुक व्यक्ति, निर्वाचन अधिकारी को स्वयं या अपने प्रस्तावक द्वारा नियम 15 के उपनियम (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए नियत दिनांक और स्थान और समय के दौरान, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में सम्यक् रूप से पूर्ण किये गये नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थान पर निर्वाचन लड़ना चाहता है तो नाम निर्देशन पत्र के साथ जनजाति या जाति विशेष जिसका वह हो, विनिर्दिष्ट करते हुए उसके द्वारा दी गयी घोषणा होगी कि वह यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों का सदस्य है।

(3) कोई भी नाम निर्देशन पत्र, जो नाम निर्देशन पत्र भरे जाने के लिए नियत दिनांक को उस निमित्त नियत समय की समाप्ति के पूर्व प्राप्त नहीं होता है, निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(4) इन नियमों में दी गयी कोई बात, कोई उम्मीदवार को निर्वाचन के लिए उसी निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र द्वारा नाम निर्देशित किये जाने से निवारित नहीं करेगी।

(5) यदि कोई नाम निर्देशन पत्रों के प्रस्तुत किये जाने के लिए नियत दिनांक को इस निमित्त नियत समय की समाप्ति के पूर्व, कोई नाम निर्देशन पत्र प्राप्त न हो तो, निर्वाचन अधिकारी इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

17. नाम निर्देशन पत्रों की सूचना—नियम 16 के अधीन नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होने पर निर्वाचन अधिकारी उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को नाम निर्देशनों की जांच के लिए नियत दिनांक, समय और स्थान की सूचना देगा, और नाम निर्देशन पत्र पर उसकी क्रम-संख्या डालेगा और अपने हस्ताक्षर से यह प्रमाण-पत्र अंकित करेगा कि किस दिनांक और किस समय उसको नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की एक सूची भी तैयार करेगा और इस प्रकार नाम निर्देशित व्यक्तियों के नामों की घोषणा करेगा।

18. नाम निर्देशनों की जांच—नाम निर्देशन की जांच करने के लिए नियत दिनांक, समय और स्थान पर निर्वाचन अधिकारी ऐसे नाम निर्देशन पत्रों की जो नियम 16 के उप नियम (3) के अधीन पहले से ही अस्वीकृत न किये गए हों, उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं, यदि कोई हो, की उपस्थिति में उनको नाम निर्देशन पत्रों की परीक्षा के लिए युक्तियुक्त सुविधाएँ देने के पश्चात्, जांच करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी किसी नाम निर्देशन पत्र को निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधारों पर अस्वीकृत कर सकता है—

(क) उम्मीदवार अधिनियम के अधीन स्थान की पूर्ति के लिये चुने जाने के लिए अर्ह नहीं हो,

(ख) कि उम्मीदवार अधिनियम की धारा 13 या धारा 26 के अधीन स्थान की पूर्ति के लिए चुने जाने के लिए अनर्हित हो,

(ग) कि नियम 16 के किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया है, या

(घ) कि अन्यर्था या उसके प्रस्तावक का हस्ताक्षर प्रामाणिक नहीं है या कपट द्वारा प्राप्त किये गए हो।

निर्वाचन अधिकारी किसी नाम निर्देशन पत्र को, किसी तकनीकी दोष या अन्य त्रुटि के कारण जो सारवान न हो अस्वीकृत नहीं करेगा और किसी ऐसे दोष या त्रुटि को दूर करने के प्रयोजन से नाम निर्देशन पत्र में किसी प्रविष्टि को ठीक करने की अनुमति दे सकता है।

(3) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र पर उसको स्वीकार या अस्वीकृत किये जाने के अपने निर्णय को पृष्ठांकित करेगा और यदि नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत किया गया हो तो ऐसी अस्वीकृति के उसके कारणों का संक्षिप्त विवरण भी लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।

(4) नाम निर्देशन पत्रों की जांच समाप्त होने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी उन उम्मीदवारों के नाम घोषणा करेगा जिनके नाम निर्देशन उसने स्वीकार किया है और इस ऐसे उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा जिसमें उम्मीदवारों के नाम हिन्दी वर्णमालानुक्रम में उनके नाम निर्देशन पत्रों में दिये गये विवरणों के साथ होंगे।

(5) यदि समस्त नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार कर दिये गए हों तो निर्वाचन अधिकारी उसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

19. उम्मीदवारों की वापसी—कोई भी उम्मीदवार लिखित सूचना द्वारा, जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगी और जो स्वयं उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन अधिकारी को नियम 15 के अधीन वापसी के लिये नियत दिनांक को और समय के भीतर दी जायेगी, अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है एक बार दी गई सूचना वापस नहीं ली जा सकती और वह अन्तिम होगी।

20. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और प्रतीकों का आबंटन—(1) नियम 15 के अधीन उम्मीदवारी के लिये नियत दिनांक की समाप्ति के ठीक पश्चात् निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा।

(2) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम वर्णमाला के क्रम में उसी प्रकार दिये जायेंगे जैसे वे उनके नाम, नाम निर्देशन पत्रों में दिये गये हों। वर्णमाला के क्रम का अवधारण उम्मीदवारों के वास्तविक नामों के अनुसार किया जायेगा।

(3) निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के साथ-साथ निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए अलग-अलग प्रतीक आवंटित करेगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी उम्मीदवार को कोई प्रतीक आवंटित किया जाना अंतिम होगा, सिवाय उस दशा में जब यह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किये गये किन्हीं निर्देशों से असंगत हों और उस दशा में राज्य निर्वाचन आयोग आबंटन को ऐसी रीति से संशोधित कर सकता है जैसा यह उचित समझें।

(5) प्रत्येक उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को उम्मीदवार को आवंटित प्रतीक की सूचना तुरन्त दी जायेगी और उसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसका एक नमूना दिया जायेगा।

21. निर्विरोध निर्वाचन—(1) जहां नियम 20 के अधीन सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी यह पाता है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन लड़ने वालों में सम्यक् रूप से उम्मीदवार केवल एक ही है, तो वह ऐसे उम्मीदवार को तुरन्त निर्विरोध घोषित कर देगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी इस नियम के अधीन निर्वाचित घोषित उम्मीदवारों के नामों और स्थानों के प्रकार उनके (आरक्षित या अनारक्षित) जिन पर वे निर्वाचित हुए थे और रिक्त रह गये दोनों प्रकार की स्थानों की संख्या की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

22. सविरोध निर्वाचन—जहां नियम 20 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी यह पाता है कि किसी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है तो वह तुरन्त सूची को उस रीति में प्रकाशित करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट विनिर्दिष्ट करे और इस बात की भी घोषणा करेगा कि मतदान उस दिनांक को और उस स्थान पर और समय के भीतर किया जायेगा जो इसके लिए नियत किये जायें।

23. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की मतदान से पूर्व मृत्यु—यदि किसी उम्मीदवार की जिसका नाम निर्देशन नियम 18 के अधीन वैध पाया गया हो और जिसने नियम 19 के अधीन अपनी उम्मीदवारी वापस न ली हो, मृत्यु हो जाय और निर्वाचन अधिकारी को उसकी मृत्यु की सूचना मतदान आरम्भ होने से पहले प्राप्त हो जाय तो निर्वाचन अधिकारी उस उम्मीदवार की मृत्यु के सम्बन्ध में अपना समाधान कर चुकने पर मतदान को प्रत्यादिष्ट कर देगा और निर्वाचन से सम्बन्धित सभी कार्यवाहियां हर प्रकार से उसी तरह नये सिरे से आरम्भ की जायेंगी मानों कोई नया निर्वाचन किया जा रहा हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे उम्मीदवार के लिए जिसका नाम निर्देशन मतदान को प्रत्यादिष्ट किये जाने के समय वैध रहा हो, नाम निर्देशन आवश्यक न होगा :

प्रतिबन्ध यह और कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी उम्मीदवारी की वापसी की नोटिस मतदान प्रत्यादिष्ट किये जाने से पूर्व दिया हो, मतदान के इस प्रकार प्रत्यादिष्ट किये जाने के पश्चात् निर्वाचन के लिये नाम निर्देशित किये जाने के लिए पात्र न होगा।

24. मतदान स्थल में प्रवेश—(1) मतदान अध्यक्ष, मतदान स्थल में निर्वाचकों के प्रवेश को विनयमित करेगा और निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर, अन्य सभी व्यक्तियों को बाहर रखेगा—

- (क) मतदान अधिकारी,
- (ख) प्रत्येक उम्मीदवार, उसका निर्वाचन अभिकर्ता और उसका मतदान अभिकर्ता,
- (ग) ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी और अन्य लोक सेवक,
- (घ) निर्वाचक के साथ गोद में कोई बच्चा,
- (ङ) अन्धे या अशक्त निर्वाचक जो सहायता के बिना चल फिर न सकते होकर, के साथ का व्यक्ति, और
- (च) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें मतदान अध्यक्ष, मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिये समय-समय पर आने दें।

(2) मतदान अध्यक्ष नियम 15 के उपनियम (1) के अधीन मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय-स्थल को बन्द कर देगा और उस समय के बाद किसी निर्वाचक को प्रवेश न करने देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि सभी निर्वाचक जो मतदान केन्द्र के भीतर, उसे इस प्रकार बन्द किये जाने के पूर्व, उपस्थित हों, अपने मत अभिलिखित करने के हकदार होंगे

(3) यदि यह प्रश्न उठे कि किसी निर्वाचक को उपनियम (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के प्रयोजनों के लिए मतदान स्थल बन्द किए जाने के पूर्व वहां पर उपस्थित समझा जाय या नहीं तो मतदान अध्यक्ष के निर्णय के लिये अभिदिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा और उस पर न्यायालय या न्यायाधिकरण में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

25. मतदान की प्रक्रिया—इस नियमावली के अधीन होने वाले प्रत्येक निर्वाचन में मत पत्र पर चिह्न लगाने पर मतदान करने की रीति का अनुसरण किया जायेगा और परोक्षी द्वारा कोई मत स्वीकार नहीं किया जायेगा।

26. मतपत्र—(1) प्रत्येक मत-पत्र ऐसे प्रपत्र में और ऐसी डिजाइन का होगा जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाय।

(2) किसी निर्वाचक को मतपत्र जारी करने के पूर्व उस पर ऐसे सुभेदक चिह्न की मुहर लगाई जा सकती है जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दें।

27. मत पेटियां—(1) प्रत्येक मतपेटी ऐसी डिजाइन और रंग की होगी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाय।

(2) यह इस प्रकार से बनायी जायेगी कि मतदान के समय उसमें मतपत्र डाला जा सके किन्तु पेटी को खोले बिना या मुहर को तोड़े बिना निकाला न जा सके

(3) प्रत्येक मतपेटी या उसके किसी संघटक भाग अथवा उससे सम्बद्ध किसी चीज पर भी ऐसा अन्य सुभेदक चिह्न लगाया जाय जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दें।

28. मतदान की नोटिस—मतदान स्थल और मतदान केन्द्र के बाहर-भीतर सुप्रकट रूप से निम्नलिखित प्रदर्शित किया जायेगा—

(क) एक नोटिस जिसमें ऐसा मतदान क्षेत्र विनिर्दिष्ट होगा जिसके निर्वाचकों का उस मतदान स्थल या मतदान केन्द्र पर यथास्थित मत देना हो, और

(ख) नियम 20 के अधीन तैयार की गई निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की प्रतिलिपि।

29. मतदान की गोपनीयता के लिए प्रबन्ध—मतदान स्थल पर मतदान कोष्ठाकृ जहां पर निर्वाचक अपने मत, औरों की दृष्टि से बचा कर, अभिलिखित कर सके की संख्या उतनी होगी जैसा निर्वाचन अधिकारी आवश्यक समझें

30. मतदान स्थल पर उपलब्ध कराये जाने वाले मतपत्र तथा अन्य सामग्रियां—निर्वाचन अधिकारी मतदान स्थल पर निम्नलिखित उपलब्ध करायेगा—

(क) उतनी मतपेटियां जितनी आवश्यक हों,

(ख) पर्याप्त संख्या में मतपत्र और उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदान क्षेत्र जहां के निर्वाचक उस मतदान स्थल पर मत देने के लिए हकदार हों, से सम्बन्धित निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां, और

(ग) अन्य सज्जा और उपसाधन जो मतदान कराने के लिए अपेक्षित हों

31. मतदान के लिए मतपेटी तैयार करना—(1) मतदान अध्यक्ष, मतदान आरम्भ होने के ठीक पूर्व निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं को जो ऐसे स्थल पर उपस्थित हों, मतदान में प्रयुक्त की जाने वाले प्रत्येक मत पेटी का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और उनको यह दिखलायेगा कि वे खाली हो।

(2) तत्पश्चात् उपर्युक्त व्यक्तियों की उपस्थिति में मतपेटियां बन्द कर दी जायेगी, और जहां मतपेटियों की सुरक्षा के लिए कागज की मुहरों का प्रयोग करना आवश्यक हो वहां मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटी के लिए कागज की मोहर पर अपना हस्ताक्षर करेगा और उस पर ऐसे उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेगा या उनकी मुहरें लगवायेगा, जो उपस्थित हों और जो उन्हें लगाने के इच्छुक हों।

(3) तत्पश्चात् मतदान अध्यक्ष इस प्रकार हस्ताक्षरित या मुहर लगी हुई कागज की मुहर को मतपेटी में उसके लिए अभिप्रेत स्थान में लगायेगा और तत्पश्चात् उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं के सामने, जो उपस्थित

हों, ऐसी रीति से प्रत्येक मतपेटी को सुनिश्चित रूप से बन्द करेगा और मुहर लगायेगा कि उसमें मतपत्र डालने के लिये छिद्र खुला रहे।

(4) जहाँ मतपेटियों की सुनिश्चित रूप से बन्द करने के लिए कागज की मुहरों का उपयोग किये जाने की आवश्यक न हो, वहाँ मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटी को इस रीति से सुनिश्चित रूप से बन्द करेगा और मुहर लगायेगा कि मतपत्र को डालने के लिये छिद्र खुला रहे और उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं को जो उपस्थित हों और यदि वे चाहें, अपनी मुहरें लगाने की अनुमति देगा।

32. मतपत्रों को डालने के लिए मतपेटियों का रखा जाना—मतपत्रों को डालने के लिए मतपेटी मतदान अध्यक्ष, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं के सामने रखी जायेगी।

33. निर्वाचकों की पहचान—(1) मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल पर ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह निर्वाचकों की पहचान करने में मदद करने या मतदान कराने में अपनी अन्यथा सहायता के लिए उपयुक्त समझे, सेवायोजित कर सकता है।

(2) जैसे ही कोई निर्वाचक मतदान स्थल में प्रवेश करे वैसे ही मतदान अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मतदान अधिकारी निर्वाचक का नाम तथा अन्य विवरणों की जांच निर्वाचक नामावली में सुसंगत प्रविष्टि से करेगा और वह निर्वाचक की क्रम-संख्या, नाम और विवरणों को पुकारेगा।

(3) कोई भी निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता निर्वाचक होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति की पहचान के प्रति आपत्ति कर सकता है और जब ऐसी आपत्ति की जाय तो मतदान अध्यक्ष उस आपत्ति के सम्बन्ध में संक्षिप्त जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए यह अपेक्षा करेगा कि आपत्तिकर्ता अपनी आपत्ति को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करे और आपत्तिकृत व्यक्ति भी अपनी पहचान को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करें।

(4) यदि ऐसी जांच के पश्चात् मतदान अध्यक्ष की यह राय हो कि आपत्ति सत्य सिद्ध नहीं की गई तो वह आपत्तिकृत व्यक्ति को मत देने की अनुमति देगा।

(5) मतपत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के अधिकार को निश्चित करने के लिए मतदान अध्यक्ष निर्वाचक नामावली में किसी प्रविष्टि की केवल लिपिकीय या छपाई की ओर ध्यान नहीं देगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसका यह समाधान हो जाय कि उक्त प्रविष्टि ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में है।

34. निर्वाचकों को मतपत्रों को दिया जाना—(1) किसी मतदाता की पहचान हो जाने के पश्चात् उसे एक मतपत्र दिया जायेगा।

(2) किसी निर्वाचक को मतपत्र देने के समय अध्यक्ष ऐसी रीति से जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निदेश दे, उसकी क्रम-संख्या, उस प्रयोजन के लिए अलग रखी गई निर्वाचक नामावली की प्रति में जिसे इसके पश्चात् इस नामावली में निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के रूप में उल्लिखित किया गया है, उस निर्वाचक सम्बन्धी प्रविष्टि के सामने अभिलिखित करेगा।

35. मतदान केन्द्र के भीतर निर्वाचकों द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाये रखना और मतदान की प्रक्रिया—(1) प्रत्येक निर्वाचक जिसे इस नियमावली के नियम 34 के अधीन या किसी अन्य उपबन्ध के अधीन मतपत्र दिया गया हो, केन्द्र के भीतर मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा और इस प्रयोजन के लिए एतस्मिन्पश्चात् निर्धारित मतदान की प्रक्रिया का पालन करेगा:

(2) निर्वाचक मत पत्र प्राप्त होने पर तत्काल—

(क) मतदान कोष्ठाकृ में से किसी एक में जायेगा,

(ख) वहाँ उस उम्मीदवार के प्रतीक पर या उसके निकट जिसके लिये वह मतदान करना चाहता हो, मतपत्र में उस प्रयोजन के लिए दिये उपकरण से चिह्न लगायेगा,

(ग) मतपत्र को इस तरह मोड़ेगा कि उसका मत छिप जाय,

(घ) यदि अपेक्षा की जाय तो मतपत्र पर किया गया सुभेदक चिह्न मतदान अध्यक्ष को दिखायेगा,

(ङ) मुड़े हुए मतपत्र को मतपेटी में डालेगा, और

(च) मतदान स्थल से बाहर चला जायेगा।

(3) प्रत्येक निर्वाचक बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के मत देगा।

(4) मतदान कोष्ठ में किसी निर्वाचक के मौजूद होने पर किसी अन्य निर्वाचक को प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।

(5) यदि कोई निर्वाचक, जिसे मतपत्र दे दिया गया हो, मतदान अध्यक्ष द्वारा चेतावनी दिये जाने के पश्चात् भी, उपनियम (2) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने से इन्कार करे तो उसके दिये मतपत्र को चाहे उस पर मत अभिलिखित किया हो या नहीं, मतदान अध्यक्ष या मतदान अध्यक्ष के निर्देशाधीन मतदान अधिकारी द्वारा उससे वापस ले लिया जायेगा।

(6) मतपत्र वापस ले लिये जाने के पश्चात् मतदान अध्यक्ष उसकी दूसरी ओर शब्द "रद्द किया गया मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" अभिलिखित करेगा और इन शब्दों के नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा।

(7) ऐसे सभी मतपत्र, जिन पर शब्द "रद्द किया गया मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" अभिलिखित हो, एक पृथक लिफाफे में रखे जायेंगे, जिसके ऊपर शब्द मतपत्र "(मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन)" लिखा होगा।

(8) किसी ऐसी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसके लिए ऐसा निर्वाचक जिससे उपनियम (5) के अधीन मतपत्र वापस लिया गया है, भागी हो, यदि मतपत्र पर कोई मत अभिलिखित किया गया हो तो उसकी गणना नहीं की जायेगी।

36. अन्धे या अशक्त निर्वाचकों के मतों का अभिलेख—(1) यदि मतदान अध्यक्ष का यह समाधान हो जाये कि कोई निर्वाचक अन्धेपन या अन्य शारीरिक अशक्तता के कारण मतपत्र के प्रतीकों के सहायता के बिना पहचानने या उन पर चिह्न लगाने में असमर्थ है तो मतदान अध्यक्ष निर्वाचक को अपने साथ कम से कम अठारह वर्ष का एक साथी उसकी ओर से और उसकी इच्छानुसार मतपत्र पर मत अभिलिखित करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो मतपत्र मोड़ने जिससे मत छिप जाय और उसे मत पेटी में डालने के लिए मतदान कोष्ठक में ले जाने की अनुमति देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को एक ही दिन में एक मतदान केन्द्र पर एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी :

यह और कि किसी व्यक्ति को इस नियम के अधीन किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति देने के पूर्व उस व्यक्ति से इस बात की घोषणा करने की अपेक्षा की जायेगी कि वह निर्वाचक की ओर से उसके द्वारा अभिलिखित मत को गोपनीय रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में पहले कार्य नहीं किया है।

(2) मतदान अध्यक्ष इस विषय के अधीन सभी मामलों का एक अभिलेख रखेगा।

(3) किसी मतदान केन्द्र पर मतदान अध्यक्ष निर्वाचक के अनुरोध करने पर उसे मतों को अभिलिखित करने के लिए मतपत्र के साथ दिये गये अनुदेशों को स्पष्ट कर देगा :

37. निर्वाचक द्वारा मतपत्रों का लौटाया जाना—(1) यदि कोई निर्वाचक मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसे प्रयोग में न लाने का निश्चय करे तो उसे मतदान अध्यक्ष को लौटा देगा।

(2) प्रत्येक ऐसे मतपत्र पर शब्द "रद्द किया गया लौटाया गया" अंकित किया जायेगा और उक्त प्रयोजन के लिए अलग रखे गये लिफाफे में रखा जायेगा और मतदान अध्यक्ष ऐसे सभी मतपत्रों का एक अभिलेख रखेगा।

(3) यदि किसी निर्वाचक ने असावधानी के कारण अपने मतपत्र को इस प्रकार प्रयुक्त किया हो कि वह मतपत्र के रूप में सुविधापूर्वक प्रयुक्त न हो सके तो मतदान अध्यक्ष को मतपत्र लौटाने पर और असावधानी के बारे में उसका समाधान कर देने पर उसे दूसरा मतपत्र दिया जा सकता है और इस प्रकार लौटाये गये मतपत्र पर मतदान अध्यक्ष द्वारा शब्द "खराब और रद्द किया गया" अंकित किया जायेगा और उसे इस प्रयोजन के लिए अलग रखे गये लिफाफे में रखा जायेगा।

38. मतदान के दौरान मतदान कोष्ठ में मतदान अध्यक्ष का प्रवेश—(1) यदि मतदान अध्यक्ष को यह सन्देह करने का कारण हो कि कोई निर्वाचक तो मतदान कोष्ठ में गया है, मतदान कोष्ठ में अनावश्यक विलम्ब कर रहा

है तो वह मतदान कोष्ठ में प्रवेश कर सकता है और ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो मतदान की निर्विघ्न और त्वरित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों

(2) जब कभी मतदान अध्यक्ष इस नियम के अधीन मतदान कोष्ठ में प्रवेश करे तो उसके साथ निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता जो प्रवेश करना चाहें, प्रवेश कर सकेंगे

39. मत पेटियों के बाहर पाये गये मतपत्र—यदि कोई मतपत्र जो किसी निर्वाचक को दिया गया हो, उसके द्वारा मत पेटि में न डाला जाय, और वह मतदान स्थल में या उसके निकट पाया जाये तो उसे रद्द कर दिया जायेगा और उसके सम्बन्ध में नियम 37 में निर्धारित रीति से कार्यवाही की जायेगी।

40. निविदत्त मत—(1) यदि कोई व्यक्ति अपने को यह प्रदर्शित करके कि वह विशिष्ट निर्वाचक है ऐसे निर्वाचक के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत देने के पश्चात् मतपत्र के लिए आवेदन करे तो उसे अपनी पहचान के बारे में उन प्रश्नों के सन्तोषजनक उत्तर देने के पश्चात् जैसा कि मतदान अध्यक्ष पूछे, मतपत्र दिया जायेगा जिसके दूसरी ओर स्वयं मतदान अध्यक्ष शब्द "निविदत्त मतपत्र" लिखेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति निविदत्त मतपत्र दिये जाने के पूर्व विनिर्दिष्ट प्रपत्र की सूची में अपने से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने हस्ताक्षर करेगा।

(3) तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति यथासम्भव नियम 35 के उपबन्धों के अनुसार निविदत्त मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करेगा, किन्तु अपना मतपत्र मतपेटि में नहीं डालेगा।

(4) प्रत्येक ऐसा निविदत्त पत्र मतदान अध्यक्ष को दिया जायेगा, जो उसे इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गये लिफाफे में तुरन्त रखेगा। ऐसे मतों की गणना निर्वाचक अधिकारी द्वारा नहीं की जायेगी।

41. मतदान के पश्चात् मत पेटियां आदि का मुहरबन्द किया जाना—(1) मतदान समाप्त होने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र पश्चात् मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटि के छिद्र को बन्द कर देगा और जहां पेटि में छिद्र को बन्द करने के लिए कोई यांत्रिक युक्ति नहीं है वहां उस छिद्र पर मुहर लगायेगा और किसी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता को जो उपस्थित हों, उस पर मुहर लगाने की अनुमति देगा।

(2) तत्पश्चात् सभी मत पेटियों पर विनिर्दिष्ट रीति से मुहर लगायी जायेगी और उन्हें सुनिश्चित रूप से बन्द किया जायेगा।

(3) तत्पश्चात् मतदान अध्यक्ष निम्नलिखित का अलग-अलग पैकेट बनायेगा :

(क) एक लिफाफे में निविदत्त मतपत्र,

(ख) रद्द किये गये मतपत्र,

(ग) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति,

(घ) उपयोग में न लाये गये मतपत्र, और

(ङ) ऐसा कोई अन्य पत्र जिसके लिए निर्वाचन अधिकारी ने मुहर बन्द पैकेट में रखने का निर्देश दिया हों

(4) प्रत्येक ऐसे पैकेट पर मतदान अध्यक्ष और निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा भी मुहर लगायी जायेगी, जो उन पर अपनी मुहर लगाना चाहें।

42. मतपत्रों का लेखा—मतदान अध्यक्ष मतदान के बन्द होने पर विनिर्दिष्ट प्रपत्र में मतपत्रों का लेखा तैयार करेगा।

43. मत पेटियों, आदि का निर्वाचन अधिकारी को प्रेषण—नियम 41 के अनुसार मत पेटियों और पैकेट को मुहरबन्द कर दिये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र मतदान अध्यक्ष निर्वाचन अधिकारी को उसके द्वारा निर्देशित स्थान पर—

(क) मतपेटियां,

(ख) नियम 41 में निर्दिष्ट पैकेट,

(ग) मतपत्र लेखा, और

(घ) मतदान में उपयोग में लाए गये सभी अन्य पत्र, भेजे गए या भिजवायेगा।

44. मत पेटियों और पैकेटों का परिवहन और उनकी अभिरक्षा—निर्वाचन अधिकारी नियम 43 में निर्दिष्ट सभी मत पेटियों, पैकेटों और अन्य पत्रों के सुरक्षापूर्ण परिवहन के लिए और मतों की गणना के प्रारम्भ होने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उचित प्रबंध करेगा।

45. आपात स्थिति में मतदान का स्थगन—(1) यदि किसी निर्वाचन में मतदान स्थल पर कार्यवाहियों में किसी बल्ले या हिंसा के कारण बाधा पड़ जाये या किसी प्राकृतिक आपात के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान कराना सम्भव न हो, तो ऐसे मतदान स्थल का मतदान अध्यक्ष किसी ऐसे दिनांक तक जो बाद में अधिसूचित किया जायेगा, मतदान स्थगित किये जाने की घोषणा करेगा और जहां मतदान इस प्रकार स्थगित किया जाय, मतदान अध्यक्ष इसकी सूचना निर्वाचन अधिकारी को तुरन्त देगा।

(2) जब कभी उपनियम (2) के अधीन मतदान स्थगित किया जाय तो निर्वाचन अधिकारी उप. परिस्थितियों की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को तुरन्त देगा और उसके पूर्वानुमोदन से यथाशक्यशीघ्र नया मतदान कराने के लिए कोई दिन नियत करेगा और वह स्थान जहां पर तथा समय जिसके दौरान नया मतदान कराया जायेगा, नियत करेगा और उसे उसी रीति से अधिसूचित करेगा जैसा मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

(3) उपर्युक्त प्रत्येक ऐसे मामले में मतदान अध्यक्ष पुनः नया मतदान करायेगा और इस नियमावली के उपबन्ध नये मतदान के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे मूल मतदान के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

46. मत पेटियों के नष्ट आदि कर दिये जाने की दशा में नया मतदान—(1) यदि किसी निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी या किसी मतदान अध्यक्ष की अभिरक्षा से कोई मत पेट्टी अवैध रूप से निकाल ली जाय अथवा किसी प्रकार से दुर्घटनावश या जानबूझ कर नष्ट कर दी जाये या खो जाये तो ऐसे मतदान स्थल जहां पर वह मतपेट्टी हो के सम्बन्ध में मतदान अमान्य होगा।

(2) जब कभी मतदान उपनियम (1) के अधीन अमान्य हो जाय तो निर्वाचन अधिकारी ऐसा कार्य या ऐसी घटना की जिसके कारण हिंसा हुई हो जानकारी होने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र उक्त मामले की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा और उसके पूर्वानुमोदन से नये मतदान कराने के लिए कोई दिन नियत करेगा और वह स्थान जहां पर और वह समय जिसके दौरान मतदान कराया जायेगा, निश्चित करेगा और उसे ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

(3) उपर्युक्त प्रत्येक मामले में मतदान अध्यक्ष नया मतदान करायेगा और इस अध्याय के उपबन्ध नये मतदान के सम्बन्ध में उस प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे मूल मतदान के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

47. गणना के लिए समय, स्थान और दिनांक का नियत किया जाना—(1) निर्वाचन अधिकारी मतों की गणना के लिए एक दिनांक नियत करेगा जो मतदान पूरा होने के यथासाध्यशीघ्र पश्चात् होगा और समय और स्थान निश्चित करेगा, जहां मतों की गणना की जायेगी।

(2) निर्वाचन अधिकारी ऐसे दिनांक, समय और स्थान की सूचना निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को देगा।

(3) यदि मतों की गणना के लिए ऐसे नियत समय पर निर्वाचन अधिकारी को गणना किए जाने वाली मतों की मतपेट्टियां प्राप्त न हों या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से वह गणना की कार्यवाही करने में असमर्थ हों तो वह गणना किसी दूसरे दिनांक के लिए स्थगित कर सकता है और इसके लिए स्थान और समय नियत करेगा और उसकी सूचना निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को देगा।

48. गणना अभिकर्ता—(1) निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतों की गणना पर एक व्यक्ति को अपना गणना अभिकर्ता के रूप में उपस्थिति रहने के लिए नियुक्त कर सकता है।

(2) प्रत्येक ऐसी नियुक्ति लिखित रूप में, गणना के प्रारम्भ होने के पूर्व, की जायेगी।

(3) किसी भी गणना अभिकर्ता को गणना के लिए नियत स्थान में प्रवेश तब तक नहीं करने दिया जायेगा जब तक कि उसने निर्वाचन अधिकारी को उपनियम (2) के अधीन अपनी नियुक्ति का पत्र नहीं दे दिया है।

49. व्यक्ति, जो गणना के समय उपस्थित रह सकते हैं—(1) प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार उसका निर्वाचन अभिकर्ता और उसका गणना अभिकर्ता और ऐसे व्यक्तियों के अतिरिक्त जिन्हें निर्वाचन अधिकारी

मतों की गणना करने में अपनी सहायता देने के लिए नियुक्त करें, उन्निर्वाचन अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति को मतों की गणना के समय उपस्थिति रहने की अनुमति नहीं देगा।

(2) कोई व्यक्ति जिसको किसी उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या जो निर्वाचन में या निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी उम्मीदवार के लिए अन्यथा कार्य कर रहा है, मतों की गणना में निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(3) किसी व्यक्ति को, जिसने मतों की गणना के दौरान दुराचरण किया है या जो निर्वाचन अधिकारी के विधि पूर्ण आदेशों को मानने में विफल रहा हो, निर्वाचन अधिकारी या ड्यूटी कर रहे किसी पुलिस अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा तो उस स्थान से जहां मतों की गणना की जा रही है, हटाया जा सकता है।

50. गणना की प्रक्रिया— निर्वाचन अधिकारी, नियम 47 के अधीन नियत दिनांक, समय और स्थान पर निम्नलिखित कार्यवाही करेगा :

- (क) निर्वाचन अधिकारी अपना समाधान कर लेगा कि मतदान के लिए प्रयोग की गयी सभी मतपेटियां और जिनकी उस स्थान पर गणना की जायेगी, प्राप्त कर ली गयी हो और उनका लेखा जोखा हो गया है।
- (ख) तत्पश्चात् निर्वाचन अधिकारी गणना के समय उपस्थित उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्ता और गणना अभिकर्ताओं को गणना के समय उपस्थित होने और मतपेटियां और मुहरों का निरीक्षण करने का और अपना यह समाधान करने के लिए मतपेटियां और मुहरें ठीक हो, उनका निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
- (ग) निर्वाचन अधिकारी अपना यह भी समाधान करेगा कि किसी पेट्टी में कोई गड़बड़ नहीं की गयी है यदि वह यह पाये कि किसी मतपेट्टी में कोई गड़बड़ की गयी है या कोई मतपेट्टी नष्ट कर दी गयी या खो गयी है तो निर्वाचन अधिकारी गणना की कार्यवाही नहीं करेगा और नियम 46 के उपबन्ध लागू होंगे।
- (घ) यदि निर्वाचन अधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वे सभी मतपेटियां जिनकी ऐसे स्थान पर गणना की जानी है, प्राप्त हो गयी हो और ठीक हो तो वह मतपेट्टियों में डाले गये मतपत्रों की गणना आरम्भ करेगा। मतदान स्थल पर प्रयोग में लायी गयी सभी मतपेट्टियां खोली जायेंगी, और उन पेट्टियों में पाये गये मतपत्रों की गणना की कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार उसी समय आरम्भ कर दी जायेगी।
- (ङ) मतदान स्थल की मतपेट्टियों में पाये गये मतपत्रों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में, एक विवरणी में अभिलिखित किया जायेगा।
- (च) निर्वाचन अधिकारी, उम्मीदवारों को, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और गणना अभिकर्ताओं को, जो कि उपस्थिति हों, यह युक्तियुक्त अवसर देगा कि वे उन सभी मतपत्रों की जांच कर लें जो निर्वाचन अधिकारी की राय में अस्वीकार करने योग्य हों, किन्तु उन्हें इन पत्रों या किसी अन्य पत्रों को छूने की अनुमति नहीं देगा। निर्वाचन अधिकारी उन सभी मतपत्रों पर जिन्हें अस्वीकार किया जाय, हिन्दी में देवनागरी लिपि में, "अस्वीकृति" पृष्ठांकित करेगा। यदि कोई उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता किसी मतपत्र के अस्वीकार किये जाने पर आपत्ति करता है तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे मतपत्र पर, संक्षेप में, उसके अस्वीकार करने का कारण अभिलिखित करेगा।
- (छ) मतदान स्थल की सभी मतपेट्टियों के मतपत्रों की गणना करने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी सभी मतपत्रों को एक अलग पैकेट में रखेगा जिस पर ऐसे विवरण लिखे जायेंगे जिससे कि यह ज्ञात हो सके कि सम्बन्धित मतपत्र किस मतदान स्थल, क्षेत्र पंचायत, या यथास्थिति जिला पंचायत, और निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित हो।

51. मतपत्रों को अस्वीकार करने का आधार—(1) निर्वाचन अधिकारी किसी मतपत्र को अस्वीकृत कर देगा—

- (क) यदि उस पर कोई ऐसा चिह्न या लेख है जिससे निर्वाचक की पहचान की जा सकती हो, या

- (ख) यदि वह नकली मतपत्र हो; या
- (ग) यदि वह इस प्रकार क्षत या विक्षित किया गया हो कि वास्तविक मतपत्र के रूप में उसका तादाम्य स्थापित नहीं किया जा सकता हो; या
- (घ) यदि, उस पर उस विशिष्ट मतदान स्थल के प्रयोग के लिए प्राधिकृत मतपत्रों की, यथास्थिति, क्रम-संख्या या डिजाइन से भिन्न क्रम-संख्या या डिजाइन हो; या
- (ङ) यदि, उस पर किसी निर्वाचन क्षेत्र में भरे जाने के लिए अपेक्षित स्थानों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों को मत दिया जाय; या
- (च) यदि उस पर कोई मत अभिलिखित नहीं किया गया है

(2) किसी मतपत्र पर अभिलिखित मत को अस्वीकृत कर दिया जायेगा, यदि मतपत्र पर मत देने के चिह्न इस रूप में अंकित किया गया हो कि वह सन्देहपूर्ण हो कि किस उम्मीदवार को मत दिया गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी मतपत्र को केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जायेगा कि मत इंगित करने वाला चिह्न अस्पष्ट है या कि विशिष्ट उम्मीदवार के नाम के सामने से एक से अधिक बार चिह्न अंकित किया गया है, यदि मतपत्र पर जिस तरीके से चिह्न लगाया गया है, उससे यह स्पष्ट यह आशय निकलता हो कि वह मत किस विशिष्ट उम्मीदवार के लिये दिया गया है

(3) किसी मतपत्र या ऐसे किसी मतपत्र पर दिये गये मत की वैधता के सम्बन्ध में निर्वाचन अधिकारी का निर्णय किसी निर्वाचन याचिका, जिसमें निर्वाचन पर आपत्ति की गई हो के परीक्षण पर दिये गये किसी प्रतिकूल निर्णय के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

52. मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत लेखों का सत्यापन—निर्वाचन अधिकारी निविदत्त मतपत्रों या निर्वाचक नामावली के चिह्नित मुहरबन्द पैकेटों को नहीं खोलेगा। वह नियम 42 के अधीन मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत विवरण का सत्यापन, गणना किये गये मतों और अस्वीकृत मतपत्रों, अपने पास के अप्रयुक्त या खराब मतपत्रों की संख्या से और निविदत्त मतों की सूची से मिलान करके करेगा। तत्पश्चात् वह प्रत्येक ऐसे पैकेट को, जिसे उसने खोला हो, फिर से बन्द करेगा और फिर से मुहर लगायेगा और प्रत्येक पैकेट पर उसकी अन्तर्वस्तुओं का विवरण क्षेत्र पंचायत या यथास्थिति जिला पंचायत का नाम, निर्वाचन क्षेत्र का विवरण और निर्वाचन का दिनांक जिसके सम्बन्ध में वह हो, अभिलिखित करेगा।

53. निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन विवरणी—तत्पश्चात् निर्वाचन अधिकारी विनिर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन विवरणी तैयार प्रमाणित करेगा जिसमें निम्नलिखित उल्लिखित करेगा:

- (क) ऐसे उम्मीदवारों के नाम जिन्हें वैध मत दिए गये हों;
- (ख) प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गये वैध मतों की संख्या;
- (ग) वैध मतपत्रों की कुल संख्या;
- (घ) अस्वीकृत मतपत्रों की संख्या;
- (ङ) विनिदत्त मतपत्रों की संख्या; और
- (च) निर्वाचित उम्मीदवार का नाम।

तत्पश्चात् वह किसी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता को ऐसी विवरणी की प्रतिलिपि या उद्धरण लेने की अनुमति देगा।

54. परिणाम की घोषणा—निर्वाचन अधिकारी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम संख्या में मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

55. मतों की समता—यदि मतों की गणना के पूरा होने के पश्चात् किन्हीं उम्मीदवारों के बीच मतों की समता पायी जाये और मतों में एक मत जोड़ दिए जाने से उन उम्मीदवारों में कोई एक उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए हकदार न हो जायेगा तो निर्वाचन अधिकारी उन उम्मीदवारों के बीच पर्ची डालकर तत्काल निश्चय करेगा और ऐसी कार्यवाही करेगा मानो जिस उम्मीदवार के नाम पर्ची निकले उसे अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ हो

56. परिणाम की सूचना—परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र निर्वाचन अधिकारी परिणाम की सूचना यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट और क्षेत्र पंचायत के खण्ड विकास अधिकारी या जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भी देगा। जिला मजिस्ट्रेट परिणाम की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को देगा।

57. निर्वाचन से सम्बन्धित विवरणी और मतपत्रों तथा अन्य पत्रों की अभिरक्षा—(1) निर्वाचन अधिकारी नियम 56 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की सूचना देने के पश्चात् विवरणी जिला पंचायत राज अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए भेजेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी, मतपत्रों के पैकेटों और निर्वाचन से सम्बन्धित अन्य पत्रों को भी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पंचायत राज अधिकारी को भेजेगा।

58. निर्वाचन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना और निरीक्षण—जब जिला पंचायत राज अधिकारी की अभिरक्षा में मतपत्रों में चाहे वे वैध, अस्वीकृत या निविदित हों और निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के पैकेट हों तो सिवाय निर्वाचन याचिका की सुनवाई करने वाले किसी सक्षम न्यायालय या किसी जिला जज के आदेश के उन्हें न तो खोला जायेगा न उनका किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा और न उन्हें उनके समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। जब निरीक्षण का आदेश दिया जाये तो उसके लिए दो रुपये प्रति दिन, जिस दिन निरीक्षण किया जाय, की दर से फीस भुगतान करने के अधीन रहते हुए लिया जायेगा।

(2) निर्वाचन से सम्बन्धित अन्य सभी पत्रों का निरीक्षण जनता द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, किया जा सकेगा और उसके लिए बीस रुपए प्रतिदिन जिस दिन निरीक्षण किया जाये, के हिसाब से फीस दी जायेगी।

(3) नियम 57 के उपनियम (1) के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा अग्रसारित विवरणियों की प्रतिलिपियां प्रत्येक प्रति के लिए बीस रुपए की फीस का भुगतान करने पर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा दी जायेगी।

(4) ऐसे पत्रों की प्रतिलिपि या जिनका उपनियम (2) के अधीन निरीक्षण करने की अनुमति हो, उनके लिए आवेदन-पत्र देने वाले किसी व्यक्ति को उसी दर पर जिस दर पर राज्य में किसी राजस्व अधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश की एक प्रति के लिए फीस ली जाती हो, फीस का भुगतान करने पर दी जायेगी। पत्रों की प्रतिलिपि के लिए आवेदन-पत्र सादे कागज पर दिए जा सकते हो और उस पर कोई न्यायिक स्टाम्प लगाना आवश्यक न होगा।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट किसी पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जायेगी और उसके कार्यालय से जारी की जायेगी।

59. न मरे गये स्थानों के लिए निर्वाचन—(1) किसी स्थान के रिक्त रहने की सूचना प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट यथाशक्यशीघ्र राज्य निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र से ऐसे दिनांक के पूर्व जो उसके द्वारा निश्चित किया जाये, यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत के लिये या जिला पंचायत के लिए किसी सदस्य का निर्वाचित करने की अपेक्षा करेगा और नियम (5) के उपनियम (2) में उल्लिखित प्रत्येक मद के लिये नया दिनांक, समय और स्थान नियत करेगा और इस नियमावली के उपबन्ध यथाशक्य ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किसी सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होंगे।

(2) यदि फिर भी निर्वाचन क्षेत्र में उपनियम (1) के अधीन हुए निर्वाचन में किसी सदस्य का निर्वाचन करने में विफल रहता है तो जिला मजिस्ट्रेट इस तथ्य की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को देगा।

60. शास्तियां—कोई व्यक्ति जो—

- (क) नियमों का उल्लंघन कर निर्वाचक नामावली या उसकी प्रति या अन्य दस्तावेजों में परिवर्तन या गड़बड़ करता है; या
- (ख) इस नियमावली के प्रयोजनों के लिए नियुक्त या सेवायोजित किसी अधिकारी या सेवक को उसने कर्तव्यों का पालन करने में बाधा डाले या हस्तक्षेप करे; या
- (ग) किसी सार्वजनिक कार्यालय में या अन्य स्थान पर चिपकाए गये या अन्यथा प्रकाशित किसी

प्रतिलिपि, नोटिस या अन्य दस्तावेज को विरूपित करे, क्षति पहुँचाए, उलट पलट करे या हटायें, तो वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो 1,000 रुपये तक हो सकेगा।

61. उप निर्वाचन—यदि क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित किसी सदस्य का पद या जिला पंचायत के निर्वाचित किसी सदस्य का पद मृत्यु के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार सम्बन्धित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से, ऐसे दिनांक से पूर्व जो उसके द्वारा नियत की जाय, यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के लिये किसी सदस्य का निर्वाचन करने की अपेक्षा करेगा और नियम 15 के उपबन्धों के अनुसार उप- निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों के दिनांक, समय और स्थान नियत करेगा और इस नियमावली के उपबन्ध यथाशक्य ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किसी सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होंगे।

62. निर्वाचन पत्रों का निस्तारण—निर्वाचन विवरणियों के सिवाय क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन से सम्बन्धित सभी पत्र निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिये गये किन्हीं प्रतिकूल निर्देशों के अधीन रहते हुए, नष्ट कर दिये जायेंगे। निर्वाचन विवरणियाँ निर्वाचनों की समाप्ति तक रखी जायेंगी और उसके पश्चात् किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये किन्हीं प्रतिकूल निर्देशों के अधीन रहते हुए नष्ट कर दी जायेंगी।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप-प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन-विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994¹

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1981 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1981) की धारा 264-ख के साथ सपठित धारा 237 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुख तथा उप-प्रमुख के निर्वाचन और निर्वाचन-विवादों के निपटारे की) नियमावली, 1982 को अतिक्रमित करते हुए राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हो:

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1)** यह नियमावली उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत(प्रमुख तथा उप-प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन-विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ—**जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1981 से है,

(ख) "निर्वाचन" का तात्पर्य किसी क्षेत्र पंचायत के, यथास्थिति, प्रमुख या उप-प्रमुख पद के लिए निर्वाचन से है,

(ग) "सदस्य" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य से है,

(घ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली की अनुसूची 1 में दिये गये प्रपत्र से है,

(ङ) "पंचायत" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 5 के अधीन स्थापित क्षेत्र पंचायत से है, और

(च) "अनुसूची" का तात्पर्य इस नियमावली की किसी अनुसूची से है

3. **मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)—**राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अपेक्षित, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए निर्वाचनों के संचालन से संबंधित सभी कृत्यों का सम्पादन करेगा।

4. **निर्वाचन अधिकारी—**जिला मजिस्ट्रेट इस नियमावली के अधीन निर्वाचनों के संचालन के लिए निर्वाचन अधिकारी होगा।

5. **सहायक निर्वाचन अधिकारी—**निर्वाचन अधिकारी इस नियमावली के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन में अपनी सहायता के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है

अध्याय 2
प्रमुख के निर्वाचन का संचालन
नाम-निर्देशन

6. नाम निर्देशन आदि के लिए दिनांकों का निश्चित किया जाना—(1) जब कभी अधिनियम के अधीन क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के पद के लिये निर्वाचन कराना अपेक्षित हो, तो राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना द्वारा, निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित बातें करेगा—

- (क) नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने और उसकी जांच करने के लिये दिनांक जो अधिसूचना के दिनांक से कम से कम दो दिन पश्चात् का दिनांक होगा,
- (ख) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने का दिनांक और समय, जो नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने और उसकी जांच के लिये नियत दिनांक के बाद का सामान्यतः अगला दिन होगा, और
- (ग) वह दिनांक, जब और वे घंटे जिनके दौरान मतदान, यदि आवश्यक हो, कराया जायेगा। यह दिनांक खंड (ख) में नियत दिनांक के बाद सामान्यतः अगला दिन होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन अधिसूचना जारी हो जाने पर निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना प्रपत्र में हिन्दी में नोटिस की एक प्रति अपने कार्यालय में और दूसरी खंड के मुख्यालय में ऐसे प्रमुख स्थान पर चिपकवाकर तथा ऐसी अन्य रीति से, यदि कोई हो, देगा जिसे वह उचित समझे, और प्रत्येक सदस्य के अन्तिम ज्ञात पते पर नोटिस की एक प्रति प्रमाणित डाक द्वारा भिजवायेगा।

7. सदस्यों की सूची—(1) नियम 6 के अधीन अधिसूचना जारी होने के पूर्व, निर्वाचन अधिकारी ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करायेगा जो क्षेत्र पंचायत के तत्समय सदस्य हों और सूची की एक प्रमाणिक प्रति अपने कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय और क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय में ऐसे अन्य सहजदृश्य स्थानों पर जिन्हें वह उचित समझे, चिपकवाकर उसकी सार्वजनिक सूचना देगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व किसी भी समय सूची में ऐसी शुद्धियां कर सकता है जो सदस्यता में कोई परिवर्तन होने या सूची में कोई त्रुटि मालूम होने के कारण आवश्यक हो जाय चाहे वह किसी नाम के सम्मिलित किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा किसी दावा या आपत्ति पर विचार करने पर मालूम हुई या अन्य किसी प्रकार से:

प्रतिबंध यह है कि सूची में सम्मिलित किसी भी व्यक्ति के नाम उसमें से तब तक न निकाला जायेगा जब तक कि नाम निकाले जाने के प्रस्ताव की पूर्व सूचना उस व्यक्ति को न दे दी गई हो और उसे नाम निकाले जाने के प्रस्ताव के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो।

8. नाम-निर्देशन—(1) कोई व्यक्ति जो पंचायत के प्रमुख के पद के लिये होने वाले निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में अपना नाम-निर्देशन चाहता हो, स्वयं या अपने प्रस्तावक या अनुमोदक के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी को प्रपत्र 2 में यथाविधि भरा हुआ नाम-निर्देशन पत्र 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न के बीच, नियम 6 के अधीन नोटिस में उल्लिखित दिनांक को और स्थान पर देगा।

(2) उम्मीदवार नाम-निर्देशन पत्र पर नाम-निर्देशन के लिये सम्मति देने के प्रतीक-स्वरूप स्वयं हस्ताक्षर करेगा और प्रस्तावक के रूप में एक सदस्य और अनुमोदक के रूप में दूसरा सदस्य भी उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) जहां कोई उम्मीदवार अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थान से निर्वाचन लड़ना चाहता है तो वह नाम-निर्देशन पत्र के साथ इस आशय का एक घोषणा-पत्र देगा कि वह यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्गों का सदस्य है और अपनी विशिष्ट जनजाति या जाति भी विनिर्दिष्ट करेगा।

(4) उपनियम (1) में उल्लिखित अन्तिम समय के पश्चात् प्रस्तुत किया गया नाम-निर्देशन-पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा तुरन्त ही अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

9. जमा—(1) कोई उम्मीदवार तब तक, यथाविधि नाम-निर्दिष्ट नहीं समझा जायेगा तब तक कि वह प्रतिभूति के रूप में एक रूपये जमा न करे, या करवाये:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई उम्मीदवार उसी निर्वाचन के लिये एक से अधिक नाम-निर्देशन-पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट कर दिया गया हो तो इस उपनियम के अधीन उसे उक्त धनराशि एक ही बार जमा करनी होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई उम्मीदवार उसी निर्वाचन के लिये एक से अधिक नाम-निर्देशन-पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट कर दिया गया हो तो इस उपनियम के अधीन उसे उक्त धनराशि एक ही बार जमा करनी होगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन जिस धनराशि का जमा किया जाना अपेक्षित है उसके बारे में तब तक यह नहीं माना जायेगा कि वह उक्त उपनियम के अधीन जमा की जा चुकी है जब तक कि नियम 8 के अधीन नाम-निर्देशन-पत्र देने के समय उम्मीदवार ने निर्वाचन अधिकारी के पास उक्त धनराशि नकदी में जमा न कर दी हो या जमा न करा दी हो या नाम-निर्देशन-पत्र के साथ ऐसी रसीद न ली न कर दी हो जिससे यह मालूम हो कि उक्त धनराशि उसके द्वारा या उसकी ओर से सरकारी कोषागार या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा की जा चुकी है।

10. नाम-निर्देशन-पत्रों के प्रस्तुत किये जाने पर प्रक्रिया-निर्वाचन अधिकारी नियम 8 के अधीन नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त होने पर, उस पर उसकी क्रम-संख्या दर्ज करेगा और यह भी लिखेगा कि उसे नाम-निर्देशन-पत्र किस दिनांक को और कितने बजे दिया गया। उसके पश्चात् यथाशक्यशीघ्र वह प्रपत्र 3 में नाम-निर्देशन की एक ऐसी सूचना अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकवा देगा जिसमें उम्मीदवारों का और उन व्यक्तियों का जिन्होंने नाम-निर्देशन-पत्रों पर प्रस्तावकों और अनुमोदकों के रूप में हस्ताक्षर किये हैं, वैसा ही उल्लेख होगा जैसा कि नाम-निर्देशन पत्र में दिया होगा।

11. नाम-निर्देशन-पत्रों की जांच-(1) नाम-निर्देशन-पत्रों की जांच के समय उम्मीदवार, उनके प्रस्तावक और अनुमोदक उपस्थित हो सकते हो, किन्तु अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकता। निर्वाचन अधिकारी उन्हें यथाविधि प्राप्त हुए नाम-निर्देशन-पत्रों का परीक्षण करने के लिये सभी युक्तियुक्त सुविधायें प्रदान करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी नाम-निर्देशन-पत्रों की जांच करेगा और उन सभी आपत्तियों पर, जो किसी नाम-निर्देशन के सम्बन्ध में की जायें, अपना निर्णय देगा और या तो इस प्रकार की गई आपत्ति पर या स्वतः ऐसी संक्षिप्त जांच के पश्चात् यदि कोई की जाय, जिसे वह आवश्यक समझे, किसी नाम-निर्देशन को निम्नलिखित किसी भी आधार पर अस्वीकृत कर सकता है:

- (क) उम्मीदवार पद के लिये अधिनियम के अधीन चुने जाने के निमित्त अर्ह नहीं है,
- (ख) उम्मीदवार पद के निमित्त अधिनियम के अधीन चुने जाने के लिये अनर्ह है,
- (ग) नियम 8 और 9 के किन्हीं उपबन्धों के पालन में विफलता हुई है,
- (घ) उम्मीदवार का या प्रस्तावक या अनुमोदक का हस्ताक्षर वास्तविक नहीं है या उसे धोखे से प्राप्त किया गया है, या
- (ङ) उम्मीदवार सदस्य नहीं है,
- (च) प्रस्तावक या अनुमोदक सदस्य नहीं है,
- (छ) उम्मीदवार उस जनजाति या जाति या वर्ग या लिंग का नहीं है जिसके लिए पद इस प्रकार आरक्षित है।

(3) यदि उम्मीदवार किसी ऐसे अन्य नाम-निर्देशन-पत्र द्वारा यथाविधि नाम निर्दिष्ट हो जाय जिसके सम्बन्ध में कोई अनियमितता न हुई हो तो उपनियम (2) के खण्ड (ग), (घ) या (ङ), (च) या (छ) में दी हुई किसी भी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि किसी अन्य नाम-निर्देशन-पत्र के सम्बन्ध में हुई किसी अनियमितता के आधार पर उम्मीदवार के नाम-निर्देशन को अस्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त हो गया है।

(4) निर्वाचन अधिकारी किसी नाम-निर्देशन पत्र को किसी ऐसे तकनीकी दोष या अन्य त्रुटि के आधार पर अस्वीकृत नहीं करेगा, जो सारवान न हो और वह ऐसे किसी दोष या त्रुटि के दूर किये जाने के निमित्त नाम-निर्देशन पत्र की किसी भी प्रविष्टि को, जिसमें निर्वाचक नामावली में नाम या संख्या से सम्बद्ध प्रविष्टि भी सम्मिलित है, शुद्ध किये जाने की अनुमति दे सकता है।

(5) उपनियम (4) के अधीन शुद्धि करने के निमित्त दिया गया निर्वाचन अधिकारी का आदेश अंतिम होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति न की जायेगी।

(6) निर्वाचन अधिकारी नियम 6 के अधीन जांच के लिये नियत दिनांक और समय पर जांच करेगा और कार्यवाही को किसी भी प्रकार स्थगित न होने देगा सिवाय उस दशा के जब उक्त कार्यवाही में ऐसे कारणों से रुकावट या बाधा पड़ रही हो जो उसके वश के बाहर हों

(7) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नाम-निर्देशन-पत्र पर उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अपना निर्णय लिखेगा और यदि नाम-निर्देशन-पत्र अस्वीकृत किया गया हो तो वह ऐसी अस्वीकृति के लिये अपने कारणों का एक संक्षिप्त विवरण लिखेगा।

(8) इस नियम के प्रयोजन के लिए, नियम 7 के अधीन तैयार की गई सदस्यों की सूची में किसी व्यक्ति का नाम होना इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि वह अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए अर्ह है

(9) सभी नाम-निर्देशन-पत्रों की जांच और उसको अस्वीकृत करने के विनिश्चयों के अभिलिखित हो जाने के पश्चात्, निर्वाचन अधिकारी प्रपत्र 3-क में विधिमान्य पाए गये हो और इसे अपने सूचना पट्ट पर चिपकाएगा।

12. उम्मीदवारी से नाम वापस लेना-(1) कोई भी उम्मीदवार प्रपत्र 4 में लिखित नोटिस द्वारा उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले सकता है इस नोटिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और वह निर्वाचन अधिकारी को उक्त उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उसके प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा, जिसे ऐसे उम्मीदवार ने लिखित रूप से तदर्थ प्राधिकृत किया हो, नियम 6 के अधीन नियत दिनांक और घंटों के बीच दिया जायेगा।

(2) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसने उप-नियम (1) के अधीन उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने का नोटिस दिया हो, उक्त नोटिस रद्द न करने दिया जायेगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन नोटिस प्राप्त होने पर निर्वाचन अधिकारी उस पर उसके दिये जाने का दिनांक और समय उस व्यक्ति का नाम लिखेगा जिसके द्वारा यह दिया गया हों

(4) यदि उम्मीदवार उम्मीदवारी से अपना नाम नियम 6 के अधीन विहित अवधि के भीतर वापस ले लेता है तो उसके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की धनराशि लौटा दी जायेगी।

(5) निर्वाचन अधिकारी, उपनियम (1) के अधीन नाम वापस लेने की सूचना प्राप्त होने और नाम वापस लेने वाली सूचना और सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान की यथार्थता के सम्बन्ध में समाधान होने के पश्चात्, प्रपत्र 5 में नाम वापस लेने की सूचना तैयार करवाएगा और अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर चिपकवाएगा।

(6) उपनियम (1) में वर्णित दिन और समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली नाम वापस लेने की नोटिस पर निर्वाचन अधिकारी ध्यान नहीं देगा, किन्तु यदि मतदान प्रारम्भ होने से पहले किसी समय नियम 13 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में प्रविष्ट, एक को छोड़कर सभी उम्मीदवारों से नाम वापस लेने की नोटिस प्राप्त हो जाय तो रिटर्निंग अधिकारी आदेश देगा कि मतदान नहीं कराया जाये और उस स्थिति में नियम 14 के अधीन कार्यवाही करेगा।

13. वैध नाम-निर्देशन की सूची और उसका प्रकाशन-(1) यदि नियम 12 के उपनियम (1) के अधीन नामों की वापसी, यदि कोई हो, के पश्चात् निर्वाचन लड़ने वाले दो या अधिक उम्मीदवार होकर तो रिटर्निंग अधिकारी प्रपत्र 6 में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा और उसकी एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना-पट्ट पर और एक प्रति क्षेत्र पंचायत के कार्यालय पर चिपकवाकर उसे प्रकाशित करायेगा।

(2) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में तैयार की जायेगी और उसमें निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम वर्णमाला क्रम में उनके पते के साथ, जैसा नाम-निर्देशन-पत्र में दिये गये हों, दिये जायेगे।

14. निर्विशेष निर्वाचन और परिणाम की घोषणा-यदि नियम 11 के उप-नियम (9) के अधीन केवल एक उम्मीदवार वैध रूप से नाम-निर्दिष्ट हो या यदि नियम 12 के अधीन नाम वापस लेने के परिणामस्वरूप केवल एक ही उम्मीदवार रह गया हो तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे उम्मीदवार को तुरन्त प्रमुख के पद पर विधितः निर्वाचित घोषित करेगा और ऐसी घोषणा की एक प्रति क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर ऐसे सहजदृश्य स्थान पर चिपकवायेगा

जिसे वह उचित समझे और परिणाम की सूचना जिला मजिस्ट्रेट और राज्य निर्वाचन आयोग को भी भेजेगा।

15. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की मतदान से पूर्व मृत्यु—यदि किसी उम्मीदवार की, जिसका नाम-निर्देशन नियम 11 के अधीन जांच करने पर वैध पाया गया हो और जिसने नियम 12 के अधीन अपनी उम्मीदवारी वापस न ली हो, मृत्यु हो जाती है और निर्वाचन अधिकारी को उसकी मृत्यु की सूचना नियम 13 के उप-नियम (1) के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची के प्रकाशन से पहले प्राप्त हो जाय या यदि निर्वाचन लड़ने वाले किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु की सूचना निर्वाचन अधिकारी को मतदान प्रारम्भ होने से पहले प्राप्त हो जाय तो निर्वाचन अधिकारी उस उम्मीदवार की मृत्यु के संबन्ध में अपना समाधान कर चुकने पर मतदान रद्द कर देगा और इस निर्वाचन की सभी कार्यवाहियां हर प्रकार से उसी तरह नये सिरे से प्रारम्भ की जायेंगी माना कोई नया निर्वाचन किया जा रहा हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी उम्मीदवार के मामले में, जिसका नाम-निर्देशन मतदान के रद्द किए जाने के समय वैध रहा हो, पुनः नाम-निर्देशन आवश्यक न होगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसने नियम 12 के अधीन उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने की नोटिस मतदान रद्द किए जाने से पूर्व दिया हो, मतदान के इस प्रकार रद्द किए जाने बाद निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में नाम-निर्दिष्ट किए जाने के लिए पात्र न होगा।

16. उम्मीदवारी के लिए नाम न होना—यदि कोई भी व्यक्ति यथाविधि नाम निर्दिष्ट न हुआ हो या यथाविधि नाम-निर्दिष्ट सभी व्यक्ति नियम 12 के अधीन अपनी-अपनी उम्मीदवारी वापस ले लें तो कार्यवाहियां नये सिरे से प्रारम्भ की जायेंगी मानों वे किसी नये निर्वाचन के लिये हों।

मतदान

17. **मतदान की रीति**—निर्वाचन, अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली (System of proportional representation) के अनुसार एक संक्रमणीय मत (Single transferable vote) द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त मतदान (Secret ballot) द्वारा होगा। मत मतदाताओं द्वारा स्वयं ही डाले जायेंगे और कोई मत प्रतिनिधिक (Proxy) मतदान द्वारा नहीं स्वीकार किया जायेगा।

18. **मतदान का स्थान और समय**—मतदान खण्ड के मुख्यालय में ऐसे प्रमुख स्थान पर होगा जिसे निर्वाचन अधिकारी निश्चित करें, और नियम 6 के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट घंटों के भीतर होगा।

19. **मतपत्र और मतपेटी**—(1) निर्वाचन में उपयोग किये जाने वाले मतपत्र प्रपत्र-7 में हों और निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार के नाम हिन्दी में, उसी क्रम में दिये हुए होंगे जिस क्रम में वे नियम 13 के अधीन प्रकाशित निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में हों।

(2) मतदान में उपयोग की जाने वाली मतपेटी ऐसे किसी प्रकार की होगी, जिसका अनुमोदन राज्य निर्वाचन आयोग ने किया हों

20. **मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व की प्रक्रिया**—(1) मतदान प्रारम्भ होने के ठीक पहले निर्वाचन अधिकारी ऐसे उम्मीदवारों को जो मतदान के स्थान पर उपस्थित हों, मतदान में प्रयोग में लाई जाने वाली मतपेटी का निरीक्षण करने देगा।

(2) तत्पश्चात् निर्वाचन अधिकारी मतपेटी को इस प्रकार सुरक्षित और मुहरबन्द करेगा कि मत-पत्र डालने का छेद खुला रहे

21. **मतदान-स्थल में प्रवेश**—(1) निर्वाचन अधिकारी निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों को मतदान स्थल से बाहर रखेगा—

(क) उम्मीदवार,

(ख) सदस्य, और

(ग) अन्य ऐसे व्यक्ति, जिन्हें निर्वाचन अधिकारी मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिये समय-समय पर आने दें।

(2) निर्वाचन अधिकारी नियम 6 के अधीन निर्धारित समय पर मतदान स्थल को बन्द कर देगा और उसके बाद वहाँ किसी भी सदस्य को प्रवेश न करने देगा।

प्रतिबन्ध यह है कि सभी सदस्यों को जो उस स्थल के भीतर, उसे इस प्रकार बन्द किये जाने के पूर्व, उपस्थित हों अपना मत अभिलिखित करने का अधिकार होगा।

22. **मत-पत्र देने की प्रक्रिया**—(1) निर्वाचन अधिकारी अपने समक्ष नियम 7 के अधीन तैयार की गई सदस्यों की सूची रखेगा।

(2) किसी सदस्य को मत-पत्र दिये जाने के ठीक पहले उस सूची में उसके नाम के सामने एक चिह्न बना दिया जायेगा और सदस्य का नाम, जैसा कि उस सूची में दिया गया हो, मत-पत्र के प्रतिपर्ण में दर्ज कर दिया जायेगा।

(3) मत-पत्र की प्राप्ति के प्रतीक-स्वरूप सदस्य सूची में हस्ताक्षर करेगा।

(4) किसी सदस्य को मत-पत्र दिये जाने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी उस सदस्य की पहचान (Identity) के बारे में अपना समाधान कर लेगा और इस प्रयोजन के लिये वह ऐसे व्यक्तियों की सहायता ले सकता है जिन्हें वह ठीक समझें

(5) यदि किसी व्यक्ति की पहचान के बारे में निर्वाचन अधिकारी का समाधान न हुआ हो, तो वह उन परिस्थितियों की संक्षिप्त टिप्पणी अभिलिखित करने के उपरान्त जिनमें मत-पत्र देने से इंकार किया गया हो, उसे मत-पत्र देने से इन्कार कर सकता है

(6) जैसे ही मत-पत्रों का दिया जाना समाप्त हो जाय, निर्वाचन अधिकारी मत-पत्रों के प्रतिपर्णों को एक लिफाफे में रखेगा, उसे बन्द करेगा तथा उस पर मुहर लगायेगा। न्यायालय या ऐसे निर्वाचनों से संबंधित किसी

विवाद का निर्णय करने वाले अन्य प्राधिकारी के आदेश के बिना लिफाफा नहीं खोला जायेगा।

23. कुछ परिस्थितियों में नये मत-पत्र का दिया जाना—(1) यदि किसी सदस्य ने असावधानी (Inadvertantly) के कारण अपने मत-पत्र को इस प्रकार प्रयुक्त किया हो कि वह मत-पत्र के रूप में सुविधापूर्वक प्रयुक्त न हो सके तो वह उसे निर्वाचन अधिकारी को देने पर और असावधानी के बारे में उसका समाधान कर देने पर इस प्रकार वापस किये गये मत-पत्र के स्थान पर दूसरा मतपत्र प्राप्त कर सकेगा और वापस किये गये मत-पत्र तथा उनके प्रतिपत्र पर निर्वाचन अधिकारी वापस किया गया और रद्द किया गया लिख देगा।

(2) इस प्रकार रद्द किया गया मत-पत्र उस प्रयोजन के लिये पृथक रखे गये लिफाफे में रखा जायेगा।

24. सदस्यों द्वारा अप्रयुक्त मतपत्रों का वापस किया जाना—यदि कोई सदस्य अपना मत अंकित करने के प्रयोजन से मत-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसका प्रयोग न करने का निश्चय करे तो वह उस मत-पत्र को निर्वाचन अधिकारी को बाध्य कर देगा जो उस पर वापस किया गया तथा रद्द किया गया करार देगा और उसे नियम 23 के उपनियम (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए पृथक रखे गये लिफाफे में रखेगा।

25. मतदान केन्द्र के भीतर निर्वाचकों द्वारा मतदान एवं मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता को बनाए रखना—(1) प्रत्येक सदस्य जिसे नियम 22 के अधीन या इस आदेश के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन मत-पत्र जारी किया गया हो, मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की गोपनीयता को बनाये रखेगा और इस प्रयोजन के लिए इसमें इसके पश्चात् दी गयी मतदान प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

(2) प्रत्येक सदस्य को उतने अधिमान (preferences) प्राप्त होंगे जितने उम्मीदवार होंगे किन्तु कोई भी मत-पत्र केवल इस कारण से अवैध नहीं माना जायेगा कि ऐसे सभी अधिमान चिह्नित नहीं किये गये हों।

(3) मत-पत्र प्राप्त करने के पश्चात्, सदस्य तत्काल—

(क) मतदान स्थल पर बने और बाहर से न दिखने वाले मतदान कक्ष में जायेगा,

(ख) अपने मत-पत्र में उस उम्मीदवार के नाम के सामने दिये गये स्थान पर जिसे वह अपना प्रथम अधिमान (First preference) देने के लिए चुने, संख्या लिखेगा,

(ग) अपने मत-पत्र में अन्य उम्मीदवारों के नामों के सामने दिये गये स्थान पर, अधिमान के क्रमानुसार संख्या 2, 3, 4 आदि लिखकर जितने पश्चातवर्ती अधिमान चाहे अंकित करेगा,

(घ) अपने मत को छिपाने के लिए मत-पत्र को मोड़ लेगा,

(ङ) मुड़े हुए मत-पत्रों को मतपेटी में इस प्रयोजन के लिए बने छेद से डाल देगा,

(च) तत्पश्चात् मतदान स्थल छोड़ देगा।

(4) प्रत्येक सदस्य बिना अनावश्यक विलम्ब के मतदान करेगा।

(5) किसी अन्य निर्वाचक के मतदान कक्ष के भीतर मौजूद रहने की स्थिति में किसी अन्य सदस्य को उसके अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(6) किसी सदस्य के द्वारा अनुरोध किये जाने पर निर्वाचन अधिकारी मत अंकित करने के लिए मतपत्र में दिये गये अनुदेशों को उसे समझायेगा।

(7) यदि कोई निर्वाचक निरक्षरता, अंधेपन या किसी अन्य अशक्तता के कारण मत-पत्र को पढ़ने या उस पर अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ हो तो निर्वाचन अधिकारी ऐसी निरक्षरता, अंधता या अशक्तता के संबंध में समाधान कर लेने के पश्चात् निर्वाचक को अपने साथ एक ऐसे साथ जिसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो और जो मत-पत्र को पढ़ सकने, उस पर निर्वाचक की इच्छानुसार उसकी ओर से मत अभिलिखित कर सकने, और यदि आवश्यक हो, तो मत को छिपाने के लिए मतपत्र को मोड़ने और उसे मतपेटी में डालने में समर्थ हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को किसी मतदान केन्द्र पर एक ही दिन एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी :

प्रतिबन्ध यह और कि इस नियम के अधीन किसी व्यक्ति को किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान करने से पूर्व, उससे यह घोषणा करने की अपेक्षा की जायेगी कि वह निर्वाचक की ओर से अभिलिखित किये गये मत को गोपनीय रखेगा और उसने उस दिन इसके पूर्व किसी अन्य निर्वाचक के

साथी के रूप में कार्य नहीं किया है निर्वाचन अधिकारी उस उपनियम के अधीन सभी मामलों का प्रपत्र 7-क में एक अभिलेख रखेगा।

(8) यदि कोई ऐसा संदस्य जिसे मत पत्र जारी किया गया हो, निर्वाचन अधिकारी द्वारा चेतावनी दिये जाने के पश्चात् ऊपर दी गयी प्रक्रिया का अनुपालन करने से इन्कार करता है, तो उसे जारी किया गया मत-पत्र, चाहे उसने उस पर अपना मत अभिलिखित किया हो या नहीं, उससे निर्वाचन अधिकारी द्वारा वापस ले लिया जायेगा।

(9) मत-पत्र वापस लिये जाने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी उसके पीछे शब्द "रद्द किया गया, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" अभिलिखित कर देगा और उन शब्दों के नीचे अपना हस्ताक्षर और दिनांक अंकित करेगा।

(10) ऐसे सभी मत-पत्रों को जिन पर शब्द "रद्द किया गया, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" अभिलिखित किया गया हो, एक पृथक आवरण जिसके ऊपर शब्द "मत-पत्र, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" लिखा होगा, में रख दिया जायेगा।

(11) इस प्रकार के मत-पत्र पर अंकित किये गये इन मतों की गणना नहीं की जायेगी।

26. मतगणना के समय प्रक्रिया-(1) मतदान बन्द होते ही निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और उन सदस्यों की उपस्थिति में, जो उपस्थित हों, मतों की गणना प्रारम्भ करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी मतपेटी खोलेगा, और-

(क) उसमें से निकाले गये मत-पत्रों को गिनेगा और उनकी संख्या एक विवरण-पत्र में लिख लेगा,

(ख) मत-पत्रों की जांच करेगा तथा उनमें से ऐसे मत-पत्रों को, जो उसकी राय में वैध हों, ऐसे मत-पत्रों से जो उसकी राय में अवैध हों और जिन पर वह शब्द "अस्वीकृत" तथा अस्वीकृति के आधार लिखेगा, अलग रखेगा- और

(ग) प्रत्येक उम्मीदवार के लिये अभिलिखित प्रथम अधिमान के अनुसार सभी वैध मत-पत्रों को पुंजों में रखेगा।

(3) ऐसा मत-पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा जिस पर-

(क) संख्या 1 अंकित न हो, या

(ख) संख्या 1, एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम के सामने अंकित हो या इस प्रकार अंकित हो कि उससे यह संदेह उत्पन्न होता हो कि किस उम्मीदवार के लिए उसका प्रयोग अभिप्रेत है, या

(ग) संख्या 1 और कोई अन्य संख्या एक ही उम्मीदवार के नाम के सामने अंकित हो, या

(घ) कोई ऐसा चिह्न बनाया गया हो जिसके द्वारा मतदाता बाद में पहचाना जा सके

27. निर्वाचन फल का अवधारण-प्रत्येक उम्मीदवार के लिये अभिलिखित प्रथम अधिमान के अनुसार सभी वैध मत-पत्रों को पुंजों (parcels) में रखने के बाद निर्वाचन अधिकारी इस नियमावली की अनुसूची 2 में दिये गये अनुदेशों के अनुसार मतदान का परिणाम अवधारित करने की कार्यवाही करेगा।

28. पुनः गणना करना-निर्वाचन अधिकारी, यदि वह पहले की गयी गणना के संबंध में संतुष्ट न हों तो, स्वतः या किसी उम्मीदवार के अनुरोध पर, मतों की पुनः एक या एक से अधिक बार कर सकेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यहां दी गई किसी बात से निर्वाचन अधिकारी किन्हीं मतों की एक से अधिक बार पुनः गणना करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

29. निर्वाचन की घोषणा-मतगणना समाप्त हो जाने और मतदान परिणाम अवधारित हो जाने पर निर्वाचन अधिकारी तुरन्त-

(क) उपस्थित लोगों के समक्ष निर्वाचन परिणाम की घोषणा कर देगा;

(ख) जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग तथा राज्य सरकार को निर्वाचन परिणाम की सूचना देगा;

(ग) प्रपत्र 8 में निर्वाचन की एक विवरणी तैयार करेगा और उसे प्रमाणित करेगा; और

(घ) वैध मत-पत्रों तथा अस्वीकृत मत-पत्रों को अलग-अलग पैकेटों में रख कर मुहर बंद करेगा और ऐसे प्रत्येक पैकेट के ऊपर यह लिखेगा कि उनमें किस प्रकार के मत-पत्र हों।

30. उम्मीदवार के निर्वाचन का दिनांक—वह दिनांक जिस पर कोई उम्मीदवार नियम 14 या 29 के प्रतिबन्धों के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित किया जाए, उस उम्मीदवार के निर्वाचन का दिनांक होगा।

31. निर्वाचन पत्रों की अभिरक्षा, निरीक्षण तथा निस्तारण—(1) रिटर्निंग अधिकारी नियम 29 के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचन परिणाम को सूचना देने के पश्चात् पूर्वगत नियमों में निर्दिष्ट मुहरबंद लिफाफों और पैकेटों, नियम 25 के उपनियम (7) में निर्दिष्ट अभिलेखों, नियम 29 के खण्ड (ग) के अधीन तैयार की गई निर्वाचन की विवरण को मुहरबंद अलग-अलग लिफाफे में रख कर जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा। प्रत्येक लिफाफे या पैकेट के ऊपर यह लिखा होगा कि उसमें क्या रखा है।

(2) मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में रखे गये मत-पत्रों के पैकेट चाहे वे अप्रयुक्त, रद्द किये गये, वैध या अस्वीकृत मत-पत्रों के पैकेट हों, और मत-पत्रों को जारी करते समय प्रयुक्त सदस्यों की सूची सक्षम न्यायालय की आज्ञा के बिना न खोला जायेगा और उसकी अन्तर्वस्तु का (contents) का किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा न तो निरीक्षण किया जायेगा और न उक्त अन्तर्वस्तु उनके समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। अन्य कागज-पत्रों का निरीक्षण करने की आज्ञा जिला मजिस्ट्रेट ऐसे घंटों के बीच जो वह इस प्रयोजन के लिए नियत करे, किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं।

(3) निर्वाचन पत्रों का निरीक्षण, चाहे उसकी अनुमति उपनियम (2) के अधीन सक्षम न्यायालय ने दी हो या जिला मजिस्ट्रेट ने, प्रति दिन ही के लिये, जब निरीक्षण किया जाय, दस रुपये की फीस का भुगतान करने पर ही किया जा सकेगा, और नियम 29 के खण्ड (ग) के अधीन तैयार की गई विवरणी की प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे किसी भी व्यक्ति को दी जायेगी जो प्रत्येक प्रति के लिये दस रुपये की फीस का भुगतान करने पर उसे मांगे।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट निर्वाचन-पत्र एक वर्ष की अवधि के लिये रखे जायेंगे और तत्पश्चात्, राज्य निर्वाचन आयोग या सक्षम न्यायालय द्वारा दिये गये किसी प्रतिकूल निदेश के अधीन रहते हुए, नष्ट कर दिये जायेंगे।

32. जमा की गई धनराशि की वापसी और जम्मा—(1) यदि किसी उम्मीदवार का नाम निर्देशन निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जाये तो वह नियम 9 के अधीन जमा की गई धनराशि उम्मीदवार या उस व्यक्ति को जिसने उसे जमा किया हो, वापस करने का आदेश देगा।

(2) यदि निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व मृत्यु हो जाये तो नियम 9 के अधीन जमा की गई धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गई हो, तो उसके विधिक प्रतिनिधियों को वापस दी जायेगी और यदि उसके द्वारा जमा न की गई हो तो उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी जिसके द्वारा वह जमा की गई हों।

(3) यदि निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार निर्वाचित न हो और प्रथम अधिमान के रूप में उसे मिले हुए मतों की संख्या, दिये कुल मतों की संख्या के सातवकृ भाग से अधिक न हो, तो नियम 9 के अधीन जमा की गई धनराशि राज्य सरकार के प्रति जब्त कर ली जायेगी। जमा की गई धनराशि को इस प्रकार जब्त करने का आदेश रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन परिणाम घोषित होने के पश्चात् दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजन के लिये, मतदान में दिये मतों की संख्या का निर्देश मतदान में दिये गये केवल वैध मतपत्र की संख्या से है।

(4) उन मामलों में जो पूर्वगामी उपनियमों तथा नियम 12 के अन्तर्गत नहीं आते नियम 9 के अधीन जमा की गई धनराशि, गजट में निर्वाचन परिणाम प्रकाशित होने के बाद जितना शीघ्र व्यवहार्य हो उम्मीदवार को या उस व्यक्ति को जिसने जमा की हो लौटा दी जायेगी।

33. आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया—प्रमुख के पद की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, यथासम्भव, वही होगी जो पूर्वगामी नियमों में निर्धारित है।

अध्याय 3 उप-प्रमुख के निर्वाचन का संचालन

34. उप-प्रमुख का निर्वाचन-क्षेत्र पंचायत के एक ज्येष्ठ उप-प्रमुख और एक कनिष्ठ उप-प्रमुख के निर्वाचन के मामले में नियम 3 से 33 तक और प्रपत्र 1 से 7 आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे और उस प्रयोजन के लिये वे अवसर के समुपयुक्त शीर्षकों, प्रोद्धरणों (citations), अभिदेशों और प्रविष्टियों के संबंध में, सभी अपेक्षित अनुकूलनों के साथ समझे तथा प्रयोग किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि इस नियमावली की किसी बात से यह न समझा जायेगा कि वह प्रमुख, ज्येष्ठ उप-प्रमुख और कनिष्ठ उप-प्रमुख के पदों, या उनमें से किसी के पद, के लिये पृथक रूप से या साथ-साथ निर्वाचन किये जाने का प्रतिषेध करती है :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त पदों में से एक से अधिक पदों का निर्वाचन एक साथ हो, तो ऐसे प्रत्येक पद के निर्वाचन के संबंध में सभी प्रक्रिया पृथक-पृथक की जायेगी सिवाय केवल इसके कि ऐसे सभी निर्वाचनों के लिये नियम 22 के अधीन पृथक मत-पत्र एक साथ जारी किये जा सकते हो और अंकित किए जाने के पश्चात् वे नियम 25 के अधीन एक ही मतदान बक्से में रखे जा सकते हो।

अध्याय 4

प्रमुखों और उप-प्रमुख के निर्वाचन संबंधी विवाद

35. याचिकाएं प्रस्तुत करने का समय और शक्ति—(1) प्रमुख या उप-प्रमुख के निर्वाचन पर आपत्ति करने की याचिका नियम 14 या नियम 29 के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, निर्वाचन परिणाम घोषित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर किसी भी समय न्यायाधीश को प्रस्तुत की जा सकती है

(2) वह प्रार्थी द्वारा स्वयं प्रस्तुत की जायेगी या यदि प्रार्थी एक से अधिक हों, तो उनमें से किसी एक या अधिक प्रार्थियों द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

36. याचिका का प्रपत्र आदि—(1) निर्वाचन याचिका में उम्मीदवार ऐसा आधार या ऐसे आधार विनिर्दिष्ट किये जायेंगे, जिन पर निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन के संबंध में आपत्ति की गई हो और उसमें उन परिस्थितियों का सारांश दिया जायेगा जिनके कारण उन आधारों पर निर्वाचन पर आपत्ति करना उचित बताया गया हों

(2) वह व्यक्ति, जिसके निर्वाचन पर आपत्ति की गई हो और यदि प्रार्थी यह दावा करे कि उक्त व्यक्ति के स्थान पर कोई अन्य उम्मीदवार निर्वाचित घोषित होगा तो प्रत्येक असफल उम्मीदवार अभ्यर्थी याचिका में प्रत्यर्थी (respondent) बनाया जायेगा।

37. अनुतोष (Relief) जिसके लिये याची दावा कर सकता है—याची निम्नलिखित घोषणाओं में से किसी के लिये भी दावा कर सकता है—

(क) निर्वाचित का निर्वाचन शून्य है,

(ख) निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य है और वह स्वयं या कोई अन्य उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हुआ है

38. प्रतिभूति—निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करते समय याची उसके साथ इस आशय की एक रसीद संलग्न करेगा कि उसके द्वारा या उस की ओर से सरकारी कोषागार या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में, याचिका के वाद-वयय की प्रतिभूति के रूप में, पांच सौ रुपये जमा कर दिये गये हों।

(2) निर्वाचन याचिका पर न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 में नियत न्यायालय फीस या यदि उस अधिनियम में ऐसा कोई न्यायालय फीस नियत न हो, तो न्यायालय फीस स्टाम्पाक में एक सौ रुपये की फीस दी जायेगी।

39. स्थान के लिए दावा करने में पारस्परिक दोषारोपण—जब किसी निर्वाचन याचिका में इस घोषणा के लिये दावा किया गया हो कि निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न कोई उम्मीदवार यथाविधि सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ है, तो निर्वाचित उम्मीदवार या कोई अन्य पक्ष इस बात को सिद्ध करने के लिये साक्ष्य दे सकता है कि ऐसे उम्मीदवार का निर्वाचन, यदि वह निर्वाचित उम्मीदवार होता और उसके निर्वाचन पर आपत्ति करने के लिये याचिका प्रस्तुत की गई होती तो शून्य हो गया होता।

40. प्रक्रिया—(1) जहां तक अधिनियम द्वारा या इस नियमावली में व्यवस्था की गई हो उसे छोड़कर, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में वादों के संबंध में दी गई प्रक्रिया का, जहां तक वह अधिनियम या इस नियमावली के किन्हीं उपबन्धों से असंगत न हो और जहां तक वह प्रवृत्त की जा सकती हो, निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई में अनुसरण किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) एक ही व्यक्ति के निर्वाचन के संबंध में एक या अधिक निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई एक साथ ही की जा सकती है,

(ख) न्यायाधीश के लिये साक्ष्य को पूर्णरूप से अभिलिखित करना या कराना अपेक्षित न होगा परन्तु वह साक्ष्य का ऐसा ज्ञापन (memorandum) तैयार करेगा जो उसकी राय में मामले का निर्णय करने के लिये पर्याप्त हो,

- (ग) न्यायाधीश, कार्यवाही के बीच किसी भी समय, याची से, किसी प्रत्यर्थी (Respondent) द्वारा किये गये या किये जाने वाले सम्भावित वाद-व्यय के भुगतान के लिये, अतिरिक्त नकद प्रतिभूति मांग सकता है,
- (घ) किसी विवादक (Issue) का निर्णय करने के लिये न्यायाधीश से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह केवल उतना मौखिक या लिखित साक्ष्य, जितना वह आवश्यक समझों, प्रस्तुत करने या लेने की आज्ञा दें,
- (ङ) न्यायाधीश के किसी निर्णय के विरुद्ध तथ्य या विधि के प्रश्न पर कोई अपील या पुनरीक्षण (revision) न किया जा सकेगा,
- (च) न्यायाधीश किसी ऐसे व्यक्ति के, जो यह समझता है कि वह उसके निर्णय से क्षुब्ध है प्रार्थना-पत्र पर, जो निर्णय के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर दिया गया हो, किसी भी प्रश्न के संबंध में अपने निर्णय का पुनर्विलोकन (review) कर सकता है,
- (छ) किसी साक्षी या अन्य व्यक्ति से यह बताने की अपेक्षा न की जायेगी कि उसने निर्वाचन में अपना मत किसे दिया है

(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1872) के उपबन्ध सभी प्रकार से निर्वाचन याचिका के विचारण (trial) में लागू समझे जायेंगे।

(3) निर्वाचन याचिका की सुनवाई प्रारम्भ होने के पूर्व, या अन्तिम सुनवाई होने के पूर्व, यथास्थिति, याची या याचियों द्वारा, न्यायाधीश के पास याचिका वापस लेने के लिये प्रार्थना-पत्र देकर याचिका वापस ली जा सकती है, और ऐसा प्रार्थना-पत्र दिया जाने पर याचिका वापस ली गई समझी जायेगी और उसके विचारण के लिये आगे कोई कार्यवाही न की जायेगी।

41. याचिका का उपशमन (Abatement)—(1) निर्वाचित उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर नियम 37 के खंड (क) में उल्लिखित घोषणा का दावा करने के लिए प्रस्तुत की गई निर्वाचन याचिका उपशमित हो जायेगी।

(2) यदि याची एक ही है तो उसकी और यदि अनेक हो तो उन सभी की मृत्यु हो जाने की दशा में निर्वाचन याचिका उपशमित हो जायेगी।

(3) यदि निर्वाचन याचिका में नियम 37 के खंड (ख) में उल्लिखित घोषणा का दावा किया गया हो और निर्वाचित उम्मीदवार की मृत्यु हो जाय, तो न्यायाधीश भजट में इस घटना की सूचना प्रकाशित करायेंगे और उसके उपरान्त कोई भी व्यक्ति, जो याची हो सकता था, उक्त प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर, याचिका का विरोध करने के लिये निर्वाचित अन्यर्थी के स्थान पर अपना नाम रखे जाने के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है और उसे उन शर्तों पर जिसे न्यायाधीश ठीक समझों कार्यवाहियों को जारी रखने का हक होगा।

42. न्यायाधीश की शक्ति—(1) यदि याचिका तुच्छ (frivolous) पाई जाय तो न्यायाधीश यह आदेश दे सकता है कि प्रतिभूति या उसका कोई भी भाग राज्य सरकार के पक्ष में जब्त हो जायेगा।

(2) न्यायाधीश द्वारा वाद-व्यय के लिये दिया गया आदेश इस निमित्त प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उसके द्वारा उसी शैली से और उसी प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित किया जायेगा मानों वह किसी वाद में धनराशि के भुगतान के लिये उसी के द्वारा दी गई कोई डिक्री हों

43. न्यायाधीश के निष्कर्ष—(1) यदि न्यायाधीश ऐसी जांच के बाद जिसे वह उचित समझे किसी व्यक्ति के संबंध में, जिसके निर्वाचन पर याचिका द्वारा आपत्ति की गई है, इस निर्णय पर पहुंचता है कि उसका निर्वाचन वैध है, तो वह उक्त व्यक्ति के विरुद्ध निर्वाचन याचिका खारिज कर देगा और स्वविवेकानुसार वाद-व्यय दिलायेगा।

(2) यदि न्यायाधीश इस निर्णय पर पहुंचता है कि किसी व्यक्ति का निर्वाचन अवैध है तो वह या तो :

(क) यह घोषित करेगा कि एक आकस्मिक रिविज हो गई है, या

(ख) यह घोषित करेगा कि दूसरा उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हुआ है और इनमें से किसी भी दशा में स्वविवेकानुसार वाद-व्यय दिलाया जा सकता है

44. आधार, जिन पर निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न किसी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जा सकता है—यदि कोई व्यक्ति, जिसने निर्वाचन-याचिका प्रस्तुत की हो, निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन पर आपत्ति करने के साथ-साथ इस घोषणा की अभियाचना करे कि वह स्वयं या कोई अन्य उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हो गया है और न्यायाधीश का मत हो कि वास्तव में याची या ऐसे अन्य उम्मीदवार को वैध मतों में से अधिकांश मत प्राप्त हुए हो, तो न्यायाधीश, निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य घोषित करने के बाद, यह घोषित करेगा कि यथास्थिति याची, या उक्त अन्य उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हो गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि याची या ऐसे अन्य उम्मीदवार को यथाविधि निर्वाचित घोषित नहीं किया जायेगा यदि यह प्रमाणित हो जाय कि ऐसे उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य हो गया होता, यदि वह निर्वाचित उम्मीदवार होता और उसके निर्वाचन पर आपत्ति करने के लिये याचिका प्रस्तुत की गई होती।

45. मतों के बराबर होने की दशा में प्रक्रिया—यदि निर्वाचन-याचिका के विचारण के समय यह प्रतीत हो कि निर्वाचन में उम्मीदवारों को बराबर-बराबर मत प्राप्त हुए हो और इनमें से किसी एक को हटाना है, तो—

(क) इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया गया कोई निर्णय, जहां तक वह उन उम्मीदवारों के बीच प्रश्न को अवधारित करता हो, याचिका के प्रयोजनों के लिये भी प्रभावी होगा, और

(ख) जहां तक उक्त प्रश्न ऐसे निर्णय द्वारा अवधारित न किया गया हो, न्यायाधीश उनके बीच इस नियमावली की अनुसूची 2 के अनुदेशों के उपबन्धों के अनुसार निर्णय करेगा।

46. न्यायाधीश के आदेश का प्रभावी होना—नियम 43 के उप-नियम (2) के अधीन न्यायाधीश का आदेश, आदेश के दिनांक से प्रभावी होगा।

47. आदेश की सूचना और अभिलेख का भेजा जाना—नियम 43 के अधीन न्यायाधीश द्वारा दिये गये आदेश के घोषित करने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र वह उसकी एक-एक प्रतिलिपि राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

48. जमा की गई प्रतिभूति का निस्तारण और वाद व्यय की वसूली—(1) नियम 42 के उप-नियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वाद-व्यय, यदि कोई हो, जो न्यायाधीश द्वारा किसी प्रत्यर्थी को दिलाया गया हो, नियम 38 और 40 के अधीन जमा की गई प्रतिभूति में से वसूल किया जा सकेगा और जमा की गई प्रतिभूति का शेष रूपया, यदि कोई हो, याची को वापस कर दिया जायेगा।

(2) वाद-व्यय या उसका कोई भाग, जो किसी प्रत्यर्थी को दिलाया गया हो और जो उप-नियम (1) में निर्दिष्ट जमा की गई प्रतिभूति में से वसूल न किया गया हो, और किसी प्रत्यर्थी द्वारा याची को देय वाद-व्यय, नियम 42 के उपनियम (2) के उपबन्धों के अनुसार वसूल किया जा सकेगा।

(3) नियम 43 के अधीन आदेश देते समय न्यायाधीश इस नियम के उपबन्धों के अनुसार वाद-व्यय की वसूली और जमा की गई प्रतिभूति की वापसी के संबंध में भी आदेश देगा और न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश की एक प्रति नियम 47 के अधीन प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट तदनुसार उक्त आदेश को कार्यान्वित करेगा।

49. न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील—(1) नियम 43 के अधीन न्यायाधीश द्वारा दिये गये प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील, आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय में की जा सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि उच्च न्यायालय उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि अपीलकर्ता के पास ऐसी अवधि के भीतर प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो उपनियम (1) के अधीन अपील प्रस्तुत करे, अपील के ज्ञापन के साथ सरकारी कोषागार की एक रसीद संलग्न करेगा, जिससे यह प्रकट होगा कि उसके द्वारा उच्च न्यायालय के पक्ष में सरकारी कोषागार या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में अपील व्यय के लिए प्रतिभूति के रूप में पांच सौ रुपये जमा कर दिये गये हो।

अनुसूची 2

(नियम 27)

निर्वाचन परिणाम के अक्षारण के लिए अनुदेश

1- इस अनुसूची में-

(1) पद "अविरत उम्मीदवार" का तात्पर्य किसी ऐसे उम्मीदवार से है, जो उस समय तक न तो निर्वाचित हुआ और न मतदान से अपवर्जित हुआ हो य

(2) पद "प्रथम अधिमान" का तात्पर्य किसी उम्मीदवार के नाम के सामने लिखी गई संख्या 1 से है, इसी प्रकार पद "द्वितीय अधिमान" का तात्पर्य संख्या 2 से है, पद "तृतीय अधिमान" का तात्पर्य संख्या 3 से है और इसी प्रकार आगे के अधिमानों का अर्थ लगाया जायेगा य

(3) पद "प्राप्त अन्यतम अधिमान" का तात्पर्य किसी अविरत उम्मीदवार के लिए अभिलिखित द्वितीय बाद के ऐसे अधिमान से है जिसकी संख्या गिने जा चुके अधिमान के ठीक आगे की हो, किन्तु इसमें पहले अपवर्जित उम्मीदवार के लिए अभिलिखित अधिमानों पर विचार नहीं किया जायेगा य

(4) पद "असमाप्त-पत्र" का तात्पर्य ऐसे मत-पत्र से है जिस पर किसी अविरत उम्मीदवार के लिए और अधिमान अभिलिखित किया गया हो य

(5) पद "समाप्त-पत्र" का तात्पर्य ऐसे मत-पत्र से है, जिस पर किसी अविरत उम्मीदवार के लिए कोई अधिमान अभिलिखित न हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह पत्र समाप्त समझा जायेगा जिसमें :

(क) दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के नामों के आगे, चाहे वे अविरत हों या न हों, एक ही संख्या अंकित हो, और वह संख्या गिने जा चुके अधिमान के ठीक आगे की हो य अथवा

(ख) जिस उम्मीदवार के लिए अन्यतम अधिमान व्यक्त किया गया हो, उसके नाम के आगे चाहे वह अविरत हो या नहीं, ऐसी संख्या अंकित हो जो मत-पत्र पर लिखित किसी अन्य संख्या के ठीक आगे की न हो, या कोई दो या अधिक संख्यायें अंकित हों।

2- प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त प्रथम अधिमान मतों की संख्या निश्चित करें और उस संख्या को उसके नाम में लिख दें।

3- सभी उम्मीदवारों के नामों में लिखी हुई ऐसी संख्याओं को जोड़ें, और इस योग को दो से विभाजित करें और शेष का कोई विचार न करके भजनफल में एक जोड़ दें। इस प्रकार प्राप्त संख्या किसी उम्मीदवार के निर्वाचित होने के लिए पर्याप्त अभ्यंश होगी।

4-(1) यदि निर्वाचन लड़ने वाले केवल दो उम्मीदवार हों, तो-

(क) यदि एक उम्मीदवार दूसरे से अधिक संख्या में प्रथम अधिमान मत प्राप्त करे, तो पहले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करें, या

(ख) यदि दोनों उम्मीदवार बराबर संख्या में प्रथम अधिमान मत प्राप्त करें, तो पर्ची डालकर निर्वाचन परिणाम अवधारित करें। उस उम्मीदवार को अपवर्जित करें जिसके नाम पर्ची पड़े तथा दूसरे उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करें।

(2) यदि दो से अधिक उम्मीदवार हों और-

(क) उनमें से एक के संबंध में यह पाया जाय कि उसने अनुदेश संख्या 3 के अधीन अवधारित अभ्यंश (quota) के बराबर या उससे अधिक प्रथम अधिमान मत प्राप्त किये हो तो उसे निर्वाचित घोषित करें, या

(ख) उनमें से किसी पूर्वोक्त अभ्यंश के बराबर या उससे अधिक प्रथम अधिमान मत प्राप्त न किये हों तो द्वितीय और अनुवर्ती अधिमानों को यथावश्यकता, ध्यान में रखते हुए आगे दिये हुए अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही करें।

5- यदि प्रथम, अथवा किसी बाद की, गणना के अन्त में किसी उम्मीदवार के नाम में लिखे गये कुल मतों की संख्या अभ्यंश के बराबर या उससे अधिक हो, या केवल एक ही अविरत उम्मीदवार शेष हो, तो वह उम्मीदवार निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

6- यदि किसी गणना की समाप्ति पर कोई, कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित घोषित न किया जा सके तो-

(क) उस उम्मीदवार को अपवर्जित कर दें जिसके नाम उस समय तक सबसे कम मत लिखे गये हों य

(ख) उसके पार्सल अथवा लघुपार्सल (Sub-Parcel) के सभी मत-पत्रों की जांच करें। लघु पार्सलों की असमाप्त पत्रों को अविरत उम्मीदवारों के लिए उनमें अभिलिखित प्राप्त अधिमानों के अनुसार क्रमबद्ध करें, ऐसे प्रत्येक लघु पार्सल के मतों की संख्या गिनें और उन्हें उस उम्मीदवार के नाम में लिखें जिसके लिए ऐसे अधिमान अभिलिखित किये गये हों। वह लघु पार्सल उस उम्मीदवार को संक्रमित कर दें और सभी समाप्त-पत्रों का एक अलग लघु पार्सल बनायें य और

(ग) यह देखें कि ऐसे संक्रमण तथा नाम में लिखने के पश्चात् किसी अविरत उम्मीदवार ने अभ्यंश प्राप्त किया है या नहीं य

उस दशा में जब उपर्युक्त खण्ड (क) के अधीन किसी उम्मीदवार को अपवर्जित करना हो और दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के नामों में बराबर संख्या में मत लिखे गये हों तथा उन्हें सबसे कम मत प्राप्त हुए हों, तो उस उम्मीदवार को अपवर्जित करें जिसने सबसे कम प्रथम अधिमान मत प्राप्त किये हों और यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों की वह संख्या भी बराबर हो तो पर्यां खालकर यह निर्णय करें कि उनमें से किसे अपवर्जित किया जाय।

उपर्युक्त खण्ड (ख) में उल्लिखित समाप्त-पत्रों के सभी लघु पार्सल अंतिम रूप से निरस्तारित होकर पृथक कर दिये जायेंगे और उनमें अभिलिखित मतों पर तत्पश्चात् विचार न किया जायेगा।

दृष्टान्त- मान लीजिए कि क, ख, ग, और घ चार उम्मीदवार हो और उन्हें प्राप्त प्रथम अधिमान मतों की संख्या निम्नलिखित है-

क	12
ख	11
ग	7
घ	5
योग	35

अभ्यंश $35/2+1=18$ होगा।

पहली गणना में से किसी भी उम्मीदवार ने अभ्यंश के बराबर अथवा उससे अधिक मत प्राप्त नहीं किये, इसीलिये न्यूनतम मत पाने वाले उम्मीदवार, अर्थात् घ को अपवर्जित कर दिया जायेगा।

मान लीजिए कि घ के पार्सल में निम्नलिखित प्रकार से केवल चार मत-पत्रों पर द्वितीय अधिमान अंकित हो:

क	2
ख	2

पांचवां मत-पत्र समाप्त-पत्रों के लघु पार्सल में रख दिया जायेगा तथा दो-दो पत्र जिसमें क और ख के लिए द्वितीय अधिमान अभिलिखित हो क और ख के लिए अलग-अलग लघु पार्सलों में रख दिये जायेंगे और उनमें से प्रत्येक के नाम के दो मत और लिख दिये जायेंगे अब क, ख और ग के मत निम्नांकित होंगे:

क	12 + 2
ख	11 + 2
ग	7

क्योंकि द्वितीय गणना की समाप्ति पर कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता इसलिए अब तीनों अविरत उम्मीदवारों में से न्यूनतम मत पाने वाला उम्मीदवार अपवर्जित कर दिया जायेगा और उसके मत दूसरे अविरत उम्मीदवार क और ख को संक्रमित कर दिये जायेंगे

मान लीजिये कि ग के पार्सल में सभी मत-पत्रों द्वितीय अधिमान अभिलिखित हो और वे निम्नलिखित प्रकार से हो:

क4

ख3

क और ख के नाम में इन अतिरिक्त मतों के लिखने पर क को 18 मत प्राप्त हो जायेंगे जो कि अभ्यंश के बराबर हो जायेंगे और ख के 16 मत हो जायेंगे अतः क निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन-विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994'

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) और धारा 264-ख के साथ पठित उक्त अधिनियम संख्या 33 सन् 1961 की धारा 237 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन और निर्वाचन-विवादों के निपटारे की) नियमावली, 1963 का अतिक्रमित करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हो:

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन-विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ**—जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है;

(ख) "निर्वाचन" का तात्पर्य किसी जिला पंचायत के, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन से है;

(ग) "सदस्य" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट जिला पंचायत के सदस्य से है;

(घ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली की अनुसूची एक में दिये गये प्रपत्र से है;

(ङ) "अनुसूची" का तात्पर्य इस नियमावली की किसी अनुसूची से है।

3. **मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) और निर्वाचन अधिकारी**—(1) राज्य निर्वाचन आयोग की अपेक्षानुसार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए निर्वाचनों के संचालन से संबंधित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट इस नियमावली के अधीन निर्वाचनों के संचालन के लिए निर्वाचन अधिकारी होगा।

4. **सहायक निर्वाचन अधिकारी**—(1) निर्वाचन अधिकारी, इस नियमावली के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन में अपनी सहायता के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है।

(2) प्रत्येक सहायक निर्वाचन/निर्वाचन अधिकारी, अधिकारी के कृत्यों सभी या किसी कृत्य को करने के लिये सक्षम होगा;

(3) निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन संचालित करने के लिए, जिला पंचायत के अधिकारियों और सेवकों से ऐसी सहायता ले सकता है, जिसे वह आवश्यक समझे;

(4) निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी अपने कृत्यों का सम्पादन राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन करेंगे।

अध्याय 2

अध्यक्ष के निर्वाचन का संचालन, नाम निर्देशन

5. नाम निर्देशन, आदि के लिए दिनांकों का निश्चित किया जाना—(1) जब कभी अधिनियम के अधीन किसी जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद का निर्वाचन कराना अपेक्षित हो, राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना द्वारा निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित बातें निर्धारित करेगा—

- (क) नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने और उसकी जांच करने के लिए दिनांक, जो अधिसूचना के दिनांक से कम से कम दस दिन पश्चात् का दिनांक होगा;
- (ख) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने का दिनांक और समय, जो नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने और उसकी जांच के लिये निर्धारित दिनांक के पश्चात् का सामान्यतः तीसरा दिन होगा; और
- (ग) वह दिनांक जो खण्ड (ख) के अधीन निर्धारित दिनांक के पश्चात् का तीसरे दिन से पहले का न होगा, समय और घंटे, जिनके दौरान मतदान, यदि आवश्यक हो, कराया जायेगा;

(2) उपनियम (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने पर निर्वाचन अधिकारी प्रपत्र—एक में सार्वजनिक सूचना हिन्दी में, एक प्रति अपने कार्यालय पर और दूसरी प्रति जिले के मुख्यालय पर ऐसे सहजदृश्य स्थान पर चिपकवा कर तथा ऐसी अन्य रीति से, यदि कोई हो, देगा जैसा वह उचित समझे, देगा और प्रत्येक सदस्य के अन्तिम ज्ञात पते पर सूचना की एक प्रति डाक द्वारा डाक में डाले जाने के प्रमाण—पत्र के अधीन भिजवायेगा।

6. सदस्यों की सूची—(1) नियम 5 के अधीन अधिसूचना जारी होने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करायेगा जो जिला पंचायत के तत्समय सदस्य हों और सूची की एक प्रमाणिक प्रति अपने कार्यालय पर, जिला पंचायत के सूचना पट्ट पर या उसकी सार्वजनिक सूचना देगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी, मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व किसी भी समय सूची में ऐसी शुद्धियां कर सकता है, जो सदस्यता में कोई परिवर्तन होने या सूची में कोई त्रुटि चाहे वह किसी नाम के सम्मिलित किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा किसी दावा या आपत्ति पर विचार करने पर या अन्य किसी प्रकार से ज्ञात हुई हो, मालूम होने के कारण आवश्यक हो जाये:

प्रतिबंध यह है कि सूची में सम्मिलित किसी भी व्यक्ति का नाम उसमें से तब तक नहीं निकाला जायेगा जब तक कि नाम निकाले जाने के प्रस्ताव की पूर्व सूचना उस व्यक्ति को न दे दी गई हो और उसे नाम निकाले जाने के प्रस्ताव के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हों

7. नाम-निर्देशन—(1) कोई व्यक्ति जो जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद के निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में अपना नाम-निर्देशन चाहता हो, स्वयं या अपने प्रस्तावक या अनुमोदक के माध्यम से नाम-निर्देशन पत्र सम्यक् रूप से पूर्ण किये गये प्रपत्र 2 में नियम 5 के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक और स्थान पर 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न के बीच निर्वाचन अधिकारी को देगा।

(2) उम्मीदवार द्वारा नाम-निर्देशन पत्र पर, नाम-निर्देशन के लिये सम्मति के रूप में स्वयं हस्ताक्षर किया जायेगा और प्रस्तावक के रूप में एक सदस्य और अनुमोदक के रूप में एक अन्य सदस्य द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जायेगा।

(3) यदि कोई उम्मीदवार, अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित स्थान से निर्वाचन लड़ना चाहता है तो वह नाम-निर्देशन पत्र के साथ इस आशय का एक घोषणा पत्र देगा कि वह यथास्थिति, अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्गों का सदस्य है और अपनी जाति विशेष भी विनिर्दिष्ट करेगा।

(4) उपनियम (1) में उल्लिखित अन्तिम समय के पश्चात् प्रस्तुत किया गया नाम-निर्देशन-पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा तुरन्त ही अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

8. धनराशियों का जमा किया जाना—(1) कोई उम्मीदवार तब तक सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जायेगा जब तक कि वह प्रतिभूति के रूप में एक सौ रूपया जमा न करे या जमा नहीं नहीं करवा देता है:

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ पर उम्मीदवार उसी निर्वाचन के लिये एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो, तो वहाँ इस उपनियम के अधीन उससे एक से अधिक धनराशि जमा करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन जमा करने के लिये अपेक्षित धनराशि उक्त उपनियम के अधीन तब तक जमा की गई नहीं समझी जायेगी जब तक कि नियम 7 के अधीन नाम-निर्देशन-पत्र देते समय उम्मीदवार ने निर्वाचन अधिकारी के पास उतनी राशि नकद जमा न कर दी हो या नाम-निर्देशन-पत्र के साथ ऐसी रसीद संलग्न न कर दी हो, जिससे यह प्रदर्शित हो कि उक्त धनराशि उसके द्वारा या उसकी ओर से राजकीय कोषागार में या भारतीय स्टेट बैंक में जमा की जा चुकी है।

9. नाम-निर्देशन-पत्रों को दाखिल किये जाने पर प्रक्रिया-नियम 7 के अधीन नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त होने पर निर्वाचन अधिकारी, उस पर उसकी क्रम-संख्या और दिनांक और समय जब उसे नाम-निर्देशन-पत्र दिया गया हो, दर्ज करेगा और तत्पश्चात् यथासंभव शीघ्र प्रपत्र-3 में नाम-निर्देशन की सूचना, जिसमें नाम-निर्देशन-पत्र में दिये गये विवरण के तत्समान उम्मीदवार और नाम-निर्देशन-पत्र में प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का विवरण होगा, अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकवा कर देगा।

10. नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा जांच-(1) नाम-निर्देशन पत्रों की जांच में उम्मीदवार, प्रस्तावक और समर्थक उपस्थित हो सकते हो, किन्तु अन्य कोई व्यक्ति नहीं। निर्वाचन अधिकारी सम्यक् रूप से प्राप्त नाम-निर्देशन-पत्रों का परीक्षण करने के लिये सभी युक्तियुक्त सुविधायें करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी नाम-निर्देशन-पत्रों की परीक्षण करेगा और उन सभी आपत्तियों पर, जो किसी नाम-निर्देशन के सम्बन्ध में की जायं, विनिश्चय देगा और या तो इस प्रकार की गयी आपत्ति पर या स्वतः ऐसी संक्षिप्त जांच के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, किसी नाम-निर्देशन-पत्र को निम्नलिखित किसी भी आधार पर अस्वीकृत कर सकता है:

(क) कि उम्मीदवार अधिनियम के अधीन पद पर चुने जाने के लिए अर्ह नहीं है;

(ख) कि उम्मीदवार अधिनियम के अधीन चुने जाने के लिये अनर्ह है;

(ग) कि नियम 7 और 8 के किन्हीं उपबन्धों के पालन में कोई चूक हुई है;

(घ) कि उम्मीदवार या प्रस्तावक या अनुमोदक का हस्ताक्षर वास्तविक नहीं है या उसे कपट से प्राप्त किया गया है;

(ङ) कि उम्मीदवार जिला पंचायत का सदस्य नहीं है;

(च) कि प्रस्तावक या अनुमोदक सदस्य नहीं है;

(3) खण्ड (ग), (घ) या (ङ) या (च) में दी गई किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि वह नाम-निर्देशन-पत्र के सम्बन्ध में किसी अनियमितता के आधार पर किसी उम्मीदवार के नाम-निर्देशन-पत्र यदि ऐसे उम्मीदवार किसी अन्य ऐसे नाम-निर्देशन-पत्र के द्वारा जिसके सम्बन्ध में कोई अनियमितता की हुई हो, सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट किया जा चुका हो, अस्वीकृत करने के लिए अधिकृत करता है।

(4) निर्वाचन अधिकारी किसी नाम-निर्देशन-पत्र को किसी ऐसे तकनीकी त्रुटि या अन्य गलती के आधार पर अस्वीकृत नहीं करेगा, जो सारवान प्रवृत्ति की न हो और वह ऐसी किसी त्रुटि या गलती को दूर किये जाने के निमित्त नाम-निर्देशन पत्र की कसी भी प्रविष्टि को, जिसमें निर्वाचक नामावली में नाम या संख्या से संबंधित प्रविष्टि भी सम्मिलित है, शुद्ध किये जाने की अनुमति दे सकता है।

(5) उपनियम (4) के अधीन शुद्धि करने के निमित्त दिया गया निर्वाचन अधिकारी का आदेश अंतिम होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

(6) निर्वाचन अधिकारी नियम 5 के अधीन जांच के लिये नियत दिनांक और समय पर जांच करेगा और कार्यवाही को जब तक ऐसी कार्यवाही में ऐसे व्यवधान या रूकावट ऐसे कारण से न हो जाय जो उसके नियंत्रण से परे हो, किसी भी प्रकार स्थगित नहीं होने देगा।

(7) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नाम-निर्देशन-पत्र पर स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अपना निर्णय पृष्ठांकित करेगा और यदि नाम-निर्देशन-पत्र अस्वीकृत किया गया हो तो वह ऐसी अस्वीकृति के लिये अपने कारणों का एक संक्षिप्त विवरण लिखेगा।

(8) इस नियम के प्रयोजन के लिए, नियम 6 के अधीन तैयार की गई सदस्यों की सूची में किसी व्यक्ति का नाम होना इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि वह अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए अर्ह है।

11. उम्मीदवारी से नाम वापस लेना—(1) कोई भी उम्मीदवार प्रपत्र 4 में लिखित नोटिस द्वारा उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले सकता है। इस नोटिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और वह निर्वाचन अधिकारी को उक्त उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उसके प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा जिसे ऐसे उम्मीदवार ने लिखित रूप से तदर्थ प्राधिकृत किया हो, नियम 5 के अधीन नियत दिनांक और घंटों के बीच दिया जायेगा।

(2) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसने उपनियम (1) के अधीन उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने का नोटिस दिया हो, उक्त नोटिस रद्द न करने दिया जायेगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन नोटिस प्राप्त होने पर निर्वाचन अधिकारी उस पर यह लिखेगा कि उसने नोटिस अमुक दिनांक तथा समय पर दिया गया।

(4) यदि उम्मीदवार, उम्मीदवारी से अपना नाम नियम 5 के अधीन निर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस ले लेता है तो उसके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की धनराशि लौटा दी जायेगी।

(5) निर्वाचन अधिकारी उपनियम (1) के अधीन नाम वापस लेने का नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र प्रपत्र 5 में नाम वापस लेने का नोटिस तैयार करायेगा और उसे अपने कार्यालय में सहज दृश्य स्थान पर और जिला पंचायत के सूचना पट्ट पर चिपकवायेगा।

12. वैध नाम-निर्देशन की सूची और उसका प्रकाशन—(1) यदि नियम 11 के उपनियम (1) के अधीन नामों की वापसी के पश्चात् यदि कोई हो, निर्वाचन अधिकारी प्रपत्र 6 में निर्वाचन लड़ने वाले यथाविधि नाम निर्दिष्ट उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा और उसकी एक प्रति अपने कार्यालय में और दूसरी जिला पंचायत के सूचना-पट्ट पर चिपकवाकर उसे प्रकाशित करवायेगा।

(2) वैध नाम-निर्देशनों की सूची हिन्दी में तैयार की जायेगी और विधिवत् रूप से नाम-निर्दिष्ट उम्मीदवारों के नाम वर्णमाला के क्रमानुसार, पते सहित जैसे कि वे नाम-निर्देशन-पत्रों में दिये हों, दिये जायेगे। वर्णमाला के क्रम का अवधारण अन्य उम्मीदवारों के वास्तविक नामों के अनुसार किया जायेगा।

13. निर्विरोध उम्मीदवार के निर्वाचित होने की घोषणा करना—यदि विधिवत् रूप से नाम-निर्दिष्ट उम्मीदवार केवल एक ही हो तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे उम्मीदवार को तुरन्त अध्यक्ष के पद के लिये यथाविधि निर्वाचित घोषित करेगा और इस घोषणा की एक प्रति जिला पंचायत के सूचना पट्ट पर चिपकवायेगा और निर्वाचन परिणाम की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को देगा।

14. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की मतदान से पूर्व मृत्यु—यदि किसी उम्मीदवार की, जो यथाविधि नाम-निर्दिष्ट हो और जिसने नाम वापस न लिया हो, मृत्यु हो जाय और निर्वाचन अधिकारी को उसकी मृत्यु की सूचना मतदान प्रारम्भ होने से पहले प्राप्त हो जाय, तो निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवार की मृत्यु के संबन्ध में अपना समाधान कर चुकने पर मतदान रद्द कर देगा और इस निर्वाचन की सभी कार्यवाहियां हर प्रकार से उसी तरह नये सिरे से प्रारम्भ की जायेंगी मानो कोई नया निर्वाचन किया जा रहा हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे उम्मीदवार के लिए, जिसका नाम-निर्देशन मतदान के रद्द किये जाने के समय वैध रहा हो, पुनः नाम-निर्देशन आवश्यक न होगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने नियम 11 के अधीन उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने की नोटिस मतदान रद्द किए जाने से पूर्व दिया हो, मतदान के इस प्रकार रद्द किये जाने बाद निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में नाम-निर्दिष्ट किये जाने के लिए पात्र न होगा।

15. उम्मीदवारी के लिए नाम न होना—यदि कोई भी व्यक्ति यथाविधि नाम निर्दिष्ट न हुआ हो, या यथाविधि नाम—निर्दिष्ट सभी व्यक्ति नियम 11 के अधीन उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लें तो कार्यवाहियों इस प्रकार नये सिरे से प्रारम्भ किया जायेगा, मानों वे किसी नये निर्वाचन के लिये हों।

मतदान

16. मतदान की रीति—निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली (System of proportional representation) के अनुसार एक संक्रमणीय मत (Single transferable vote) द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा। मत, मतदाताओं द्वारा स्वयं ही डाले जायेंगे और कोई मत प्रतिनिधिक मतदान (Poll) द्वारा नहीं स्वीकार किया जायेगा।

17. मतदान का स्थान और समय—मतदान जिले के मुख्यालय में ऐसे प्रमुख स्थान पर होगा, जिसे निर्वाचन अधिकारी निश्चित करें, और नियम 5 के अधीन नोटिस में उल्लिखित घंटों के भीतर होगा।

18. मतपत्र (ballot Paper) तथा मतपेटी—(1) निर्वाचन में प्रयोग किये जाने वाले मत—पत्र प्रपत्र-7 में होंगे तथा विधिवत् रूप से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में हिन्दी में उसी क्रम में दिये हुए होंगे जिस क्रम में वे नियम 12 के अधीन प्रकाशित वैध नाम निर्देशनों की सूची में हों।

(2) मतदान में प्रयोग में लायी जाने वाली मतपेटी ऐसे किसी प्रकार की होगी, जिसका अनुमोदन राज्य निर्वाचन आयोग ने किया हों

19. मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व की प्रक्रिया—(1) मतदान प्रारम्भ होने के ठीक पहले निर्वाचन अधिकारी ऐसे उम्मीदवारों को, जो मतदान के स्थान पर उपस्थित हों, मतदान में प्रयोग में लाई जाने वाली मतपेटी का निरीक्षण करने देगा।

(2) तत्पश्चात् निर्वाचन अधिकारी मतपेटी को इस प्रकार सुरक्षित और मुहरबन्द करेगा कि मत—पत्र डालने का छेद खुला रहें

20. मतदान स्थल में प्रवेश—(1) निर्वाचन अधिकारी निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों को मतदान स्थल से बाहर रखेगा—

(क) उम्मीदवार,

(ख) सदस्य, और

(ग) अन्य ऐसे व्यक्ति, जिन्हें निर्वाचन अधिकारी मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिये समय—समय पर आने दें।

(2) निर्वाचन अधिकारी नियम 5 के अधीन निर्धारित समय पर मतदान स्थल को बन्द कर देगा और उसके बाद वहां किसी भी सदस्य को प्रवेश न करने देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि सभी सदस्यों को, जो उस स्थल के भीतर, उसे इस प्रकार बन्द किये जाने के पूर्व, उपस्थित हों, अपना मत अभिलिखित करने का अधिकार होगा।

21. मत—पत्र देने की प्रक्रिया—(1) निर्वाचन अधिकारी अपने समक्ष नियम 6 के अधीन तैयार की गई सदस्यों की सूची रखेगा।

(2) किसी सदस्य को मत—पत्र दिये जाने के ठीक पहले उस सूची में उसके नाम के सामने एक चिह्न बना दिया जायेगा।

(3) मत—पत्र की प्राप्ति के प्रतीक—स्वरूप सदस्य सूची में हस्ताक्षर करेगा।

(4) किसी सदस्य को मत—पत्र दिये जाने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी उस सदस्य की पहचान (Identity) के बारे में अपना समाधान कर लेगा और इस प्रयोजन के लिये वह ऐसे व्यक्तियों की सहायता ले सकता है जिन्हें वह ठीक समझें

(5) यदि किसी व्यक्ति की पहचान के बारे में निर्वाचन अधिकारी का समाधान न हुआ हो तो वह उन परिस्थितियों की संक्षिप्त टिप्पणी अभिलिखित करने के उपरान्त, जिनमें मत—पत्र देने से इंकार किया गया हो, उसे मत—पत्र देने से इन्कार कर सकता है

(6) जैसे ही मत-पत्रों का दिया जाना समाप्त हो जाय, निर्वाचन अधिकारी मत-पत्रों के प्रतिपत्रों को एक लिफाफे में रखेगा, उसे बन्द करेगा तथा उस पर मुहर लगायेगा। लिफाफा, न्यायालय या ऐसे निर्वाचनों से सम्बद्ध किसी विवाद का निर्णय करने वाले अन्य प्राधिकारी की आज्ञा के बिना न खोला जायेगा।

22. कुछ परिस्थितियों में नये मत-पत्र का दिया जाना—(1) यदि किसी सदस्य ने असावधानी के कारण (Inadvertantly) अपने मत-पत्र को इस प्रकार प्रयुक्त किया हो कि वह मत-पत्र के रूप में सुविधापूर्वक प्रयुक्त न हो सके तो वह उसे निर्वाचन अधिकारी को देने पर और असावधानी के बारे में उसका समाधान कर देने पर इस प्रकार वापस किये गये मत-पत्र के स्थान पर दूसरा मतपत्र प्राप्त कर सकेगा और वापस किये गये मत-पत्र तथा उनके प्रतिपत्र पर निर्वाचन अधिकारी "वापस किया गया और रद्द किया गया" लिख देगा।

(2) इस प्रकार रद्द किया गया मत-पत्र इस प्रयोजन के लिये पृथक रखे गये लिफाफे में रखा जायेगा।

23. सदस्यों द्वारा अप्रयुक्त मत-पत्रों का वापस किया जाना—यदि कोई सदस्य अपना मत अभिलिखित करने के प्रयोजन से मत-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसका प्रयोग न करने का निश्चय करे तो वह उस मत-पत्र को निर्वाचन अधिकारी को वापस कर देगा, जो उस पर "वापस किया गया तथा रद्द किया गया" लिख देगा और उसे नियम 22 के उपनियम (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए पृथक रखे गये लिफाफे में रखेगा।

24. मत अभिलिखित करने की रीति—(1) प्रत्येक सदस्य को उतने अधिमान (preferences) प्राप्त होंगे जितने उम्मीदवार होंगे, किन्तु कोई भी मत-पत्र केवल इस कारण से अवैध नहीं माना जायेगा कि ऐसे सभी अधिमान अंकित नहीं किये गये हो।

(2) सदस्य अपना मत देने में—

(क) अपने मत-पत्र में उस उम्मीदवार के नाम के सामने दिये गये स्थान पर, जिसे वह अपना प्रथम अधिमान (First preference) देने के लिए चुने, संख्या 1 लिखेगा, और

(ख) इसके अतिरिक्त अपने मत-पत्र में अन्य उम्मीदवारों के नामों के सामने दिये गये स्थान पर अधिमान के क्रमानुसार संख्या 2, 3, 4 आदि लिखकर जितने अनुवर्ती अधिमान वह चाहे, अंकित कर सकता है।

(3) यदि कोई सदस्य प्रार्थना करे तो निर्वाचन अधिकारी उसे मत अभिलिखित करने के लिए मत-पत्र में दिये हुए अनुदेशों को समझायेगा।

(4) अपना अधिमान अंकित करने के लिए सदस्य मतदान स्थल पर बने और बाहर से न दिखने वाले मतदान कक्ष में जायेगा।

(5) अधिमान अंकित कर लेने के बाद सदस्य मत-पत्र को मोड़कर उसे मतपेटी में इस प्रयोजन के लिए बने हुए छेद में डाल देगा।

(6) यदि कोई निर्वाचक निरक्षरता, अन्धता या अन्य अशक्तता के कारण मत-पत्र को पढ़ सकने या उस पर अपना मत अभिलिखित कर सकने में असमर्थ हों, तो निर्वाचन अधिकारी ऐसी निरक्षरता, अन्धता या अशक्तता के संबंध में समाधान कर लेने के पश्चात् निर्वाचक को अपने साथ एक ऐसे साथी को ले जाने की अनुमति दे देगा जिसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो और जो मत-पत्र पढ़ सकने और उस पर सदस्य की इच्छानुसार उसकी ओर से मत अभिलिखित कर सकने और यदि आवश्यक हो तो मत को छिपाने के लिए मत-पत्र को मोड़ने और उसे मतपेटी में डालने में समर्थ हो।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को उसी दिन के मतदान में एक से अधिक सदस्य के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि इस नियम के अधीन किसी व्यक्ति को किसी सदस्य के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति दिए जाने के पूर्व उससे यह घोषणा करने की अपेक्षा की जायेगी कि वह उक्त सदस्य की ओर से अभिलिखित किये गये मत को गोपनीय रखेगा और उसने इसके पूर्व उस दिन के मतदान में किसी अन्य सदस्य के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है निर्वाचन अधिकारी इस उपनियम के अधीन सभी मामलों का प्रपत्र 7-क में एक अभिलेख रखेगा।

मतगणना

25. मतगणना के समय प्रक्रिया—(1) मतदान बन्द होते ही निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और उन सदस्यों की उपस्थिति में, जो उपस्थित हों, मतों की गणना प्रारम्भ करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी मतपेटी खोलेगा, और—

(क) उसमें से निकाले गये मत-पत्रों को गिनेगा और उनकी संख्या एक विवरण-पत्र में लिख लेगा;

(ख) मत-पत्रों की जाँच संवीक्षा करेगा, और उनमें से ऐसे मत-पत्रों को, जो उसकी राय में वैध हों, ऐसे मत-पत्रों से, जो उसकी राय में अवैध हों, उन पर वह शब्द "अस्वीकृत" तथा अस्वीकृति के आधार लिखते हुए अलग रखेगा; और

(ग) प्रत्येक उम्मीदवार के लिये अभिलिखित प्रथम अधिमान के अनुसार सभी वैध मत-पत्रों को पुंजी (Parceles) में रखेगा।

(3) ऐसा मत-पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा, जिस पर—

(क) संख्या 1 अंकित न हो, या

(ख) संख्या 1, एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम के सामने अंकित हो या इस प्रकार अंकित हो कि उससे यह संदेह उत्पन्न होता हो कि किस उम्मीदवार के लिए उसका प्रयोग अभिप्रेत है, या

(ग) संख्या 1 और कोई अन्य संख्या एक ही उम्मीदवार के नाम के सामने अंकित हो, या

(घ) कोई ऐसा चिह्न बनाया गया हो जिसके द्वारा मतदाता बाद में पहचाना जा सके

26. निर्वाचन परिणाम का अवधारण—प्रत्येक उम्मीदवार के लिये अभिलिखित प्रथम अधिमान के अनुसार सभी वैध मत-पत्रों को पुंजी (parcels) में रखने के बाद निर्वाचन अधिकारी इस नियमावली की अनुसूची 2 में दिये गये अनुदेशों के अनुसार मतदान का परिणाम अवधारण करने की कार्यवाही करेगा।

27. पुनर्गणना—निर्वाचन अधिकारी, यदि वह पहले की गई गणना की शुद्धता से संतुष्ट न हो तो, स्वतः यह किसी उम्मीदवार के अनुरोध पर मतों की पुनर्गणना एक या एक से अधिक बार कर सकेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यहां दी गई किसी बात से निर्वाचन अधिकारी किन्हीं मतों की एक से अधिक बार पुनर्गणना कराने के लिए बाध्य नहीं होगा।

28. निर्वाचन परिणाम की घोषणा—गणना समाप्त हो जाने और मतदान का परिणाम अवधारित हो जाने पर निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तत्प्रतिकूल किसी निदेश के अभाव में तुरन्त—

(क) उपस्थित लोगों के सामने निर्वाचन परिणाम की घोषणा कर देगा;

(ख) राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को निर्वाचन परिणाम की सूचना देगा;

(ग) प्रपत्र 8 में निर्वाचन की एक विवरणी तैयार करेगा और उसे प्रमाणित करेगा; और

(घ) वैध मत-पत्रों तथा अस्वीकृत मत-पत्रों को अलग-अलग पैकेटों में रख कर मुहर बंद करेगा और ऐसे प्रत्येक पैकेट के ऊपर यह लिखेगा कि उनमें किस प्रकार के मत-पत्र हो।

29. निर्वाचन पत्रों की अभिरक्षा, निरीक्षण तथा निस्तारण—(1) निर्वाचन अधिकारी नियम 28 के उप-नियम (ख) के अधीन निर्वाचन परिणाम को सूचना देने के पश्चात् पूर्वगत नियमों में निर्दिष्ट मुहरबंद लिफाफों और पैकेटों, नियम 24 के उपनियम (6) में निर्दिष्ट अभिलेखों, नियम 28 के उपनियम (ग) के अधीन तैयार किये गये निर्वाचन का विवरण को मुहरबंद अलग-अलग लिफाफे में रखकर जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजेगा। प्रत्येक लिफाफे या पैकेट के ऊपर यह लिखा होगा कि उसमें क्या रखा है

(2) जिला पंचायत राज अधिकारी की अभिरक्षा में रखे गये मत-पत्रों के पैकेट चाहे प्रयुक्त, रद्द किये गये, वैध या अस्वीकृत मत-पत्रों के पैकेट हों, और मत-पत्र जारी करते समय प्रयुक्त सदस्यों की सूची सक्षम न्यायालय की आज्ञा के बिना न खोली जायेगी और उनकी अन्तर्वस्तु (content) का किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा न तो निरीक्षण किया जायेगा और न उक्त अन्तर्वस्तु किसी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। अन्य कागज पत्रों का

निरीक्षण करने की अनुमति जिला पंचायत राज अधिकारी ऐसे घंटों के बीच, जो वह इस प्रयोजन के लिए नियत करे, किसी भी व्यक्ति को दे सकते हो।

(3) निर्वाचन-पत्रों का निरीक्षण, चाहे उसकी अनुमति उपनियम (2) के अधीन सक्षम न्यायालय ने दी हो या जिला पंचायत राज अधिकारी ने प्रतिदिन ही के लिये, जिस दिन निरीक्षण किया जाय, 18 रुपये की फीस का भुगतान करने पर ही किया जा सकेगा, और नियम 28 के उपनियम (ग) के अधीन तैयार की गई विवरणी की प्रतियां जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा ऐसे किसी भी व्यक्ति को दी जायेगी जो प्रत्येक प्रति के लिये दस रुपये की फीस का भुगतान करने पर उसे मांगे

(4) उप नियम (1) में निर्दिष्ट निर्वाचन-पत्र एक वर्ष की अवधि के लिये रोके जायेंगे और तत्पश्चात्, राज्य निर्वाचन आयोग या सक्षम न्यायालय द्वारा दिये गये किसी प्रतिकूल निदेश के अधीन रहते हुए नष्ट कर दिये जायेंगे

30. जमा की गई धनराशि की वापसी और जब्ती—(1) यदि किसी उम्मीदवार का नाम निर्देशन निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जाय तो वह नियम 8 के अधीन जमा की गई धनराशि उम्मीदवार या उस व्यक्ति को, जिसने उसे जमा किया हो, वापस करने का आज्ञा देगा।

(2) यदि निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व मृत्यु हो जाये तो नियम 8 के अधीन जमा की गई धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गई हो, तो उसके विधिक प्रतिनिधियों को वापस कर दी जायेगी और यदि उसके द्वारा जमा न की गई हो तो उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी जिसके द्वारा वह जमा की गई है।

(3) यदि निर्वाचन के लिये नाम निर्दिष्ट उम्मीदवार निर्वाचित न हो और प्रथम अधिमान के रूप में उसे मिले हुए मतों की संख्या, दिये गये कुल मतों की संख्या के एक चौथाई भाग से अधिक न हो, तो नियम 8 के अधीन जमा की गई धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजन के लिये, मतदान में दिये मतों की संख्या का निर्देश मतदान में दिये गये केवल वैध मतपत्र की संख्या से है

(4) उन मामलों में, जो पूर्वगामी उपनियमों तथा नियम 11 के अन्तर्गत नहीं आते नियम 8 के अधीन जमा की गई प्रत्येक धनराशि गजट में निर्वाचन परिणाम के प्रकाशित होने के बाद उम्मीदवार को लौटा दी जायेगी।

31. आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया—अध्यक्ष के पद की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया यथासंभव वही होगी, जो पूर्वगामी नियमों में निर्धारित है

अध्याय 3 उपाध्यक्ष के निर्वाचन का संचालन

32. उपाध्यक्ष का निर्वाचन—जिला परिषद् के उपाध्यक्ष के निर्वाचन के मामले में नियम 3 से 31 तक और प्रपत्र 1 से 8 तक आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे और उस प्रयोजनार्थ वे अवसर के समुपयुक्त शीर्षकों, प्रोद्घरणों (Citations), संदर्भार्क और प्रविष्टियों के संबंध में सभी अपेक्षित अनुकूलनों के साथ समझे तथा प्रयोग किये जायेंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि इस नियमावली की किसी बात से यह न समझा जायेगा कि वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिये पृथक् रूप से या साथ-साथ निर्वाचन किये जाने का प्रतिषेध करती है :

अप्रतिबन्ध यह है कि यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का निर्वाचन साथ-साथ हो, तो ऐसे प्रत्येक पद के निर्वाचन के संबंध में सभी प्रक्रिया पृथक् की जायेगी, सिवाय केवल इसके कि ऐसे सभी निर्वाचनों के लिये नियम 21 के अधीन पृथक् मत-पत्र साथ जारी किये जा सकते हो और अंकित किए जाने के पश्चात् वे नियम 24 के अधीन एक ही मतपेटी में डाले जा सकते हो।

अध्याय 4

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद

33. याचिकार्यें प्रस्तुत करने का समय और रीति—(1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन पर आपत्ति करने की निर्वाचन याचिका नियम 13, नियम 28 के अधीन जैसी भी स्थिति हो, निर्वाचन परिणाम घोषित होने के दिनांक से बीस दिन के भीतर किसी भी समय न्यायाधीश को प्रस्तुत की जा सकती है

(2) वह प्रार्थी द्वारा स्वयं प्रस्तुत की जायेगी या यदि प्रार्थी एक से अधिक हों, तो उनमें से किसी एक या अधिक प्रार्थियों द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

34. याचिका का प्रपत्र आदि—(1) निर्वाचन याचिका में ऐसा आधार या ऐसे आधार चिनिर्दिष्ट किये जायेंगे, जिन पर निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन के संबंध में आपत्ति की गई हो और उसमें उन परिस्थितियों का सारांश दिया जायेगा जिनके कारण उन आधारों पर निर्वाचन पर आपत्ति करना उचित बताया गया हों

(2) वह व्यक्ति, जिसके निर्वाचन पर आपत्ति की गई हो और यदि याची ने यह दावा किया हो कि उक्त व्यक्ति के स्थान पर दूसरा उम्मीदवार घोषित होगा तो प्रत्येक असफल उम्मीदवार याचिका में प्रत्यर्थी (respondent) बनाया जायेगा।

35. अनुतोष (Relief) जिसके लिये याची दावा कर सकता है—याची निम्नलिखित घोषणाओं में से किसी के लिये भी दावा कर सकता है—

(क) कि निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य है,

(ख) निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य है और वह स्वयं या कोई अन्य उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हुआ है

36. प्रतिभूति—(1) निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करते समय याची उसके साथ इसकी एक रसीद संलग्न करेगा कि उसके द्वारा या उसकी ओर से सरकारी कौषागार या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में, याचिका के वाद-वयय की प्रतिभूति के रूप में, दो सौ पचास रुपये जमा कर दिये गये हो।

(2) निर्वाचन याचिका पर न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 में विहित न्यायालय फीस का भुगतान किया जायेगा और यदि उक्त अधिनियम में कोई न्यायालय फीस नियत न हो तो न्यायालय फीस स्टाम्प के रूप में 125 रु० की फीस दी जायेगी।

37. स्थान के लिए दावा करने में पारस्परिक दोषारोपण—जब किसी निर्वाचन याचिका में इस घोषणा के लिए दावा किया गया हो कि निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न कोई उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हुआ है, तो निर्वाचित उम्मीदवार या कोई अन्य पक्ष इस बात को सिद्ध करने के लिये साक्ष्य दे सकता है कि उक्त उम्मीदवार

का निर्वाचन यदि वह निर्वाचित उम्मीदवार होता तो शून्य हो गया होता और उसके निर्वाचन पर आपत्ति करने के लिये याचिका प्रस्तुत की गयी होती।

38. प्रक्रिया—(1) जहां तक अधिनियम द्वारा या इस नियमावली में व्यवस्था की गई हो उसे छोड़कर, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में वार्दों के संबंध में दी गई प्रक्रिया का जहां तक वह अधिनियम या इस नियमावली के किन्हीं उपबन्धों से असंगत न हो और जहां तक वह लागू की जा सकती हो, निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई में लागू की जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि—

- (क) एक ही व्यक्ति के निर्वाचन के संबंध में दो या अधिक निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई एक साथ ही की जा सकती है;
- (ख) न्यायाधीश के लिये साक्ष्य को पूर्ण रूप से अभिलिखित करना या कराना अपेक्षित न होगा परन्तु वह साक्ष्य का ऐसा ज्ञापन (memorandum) तैयार करेगा जो उसके मत में मामले का निर्णय करने के लिये पर्याप्त हो;
- (ग) न्यायाधीश कार्यवाही के बीच किसी भी समय, याची से किसी प्रत्यर्थी (respondent) द्वारा किये गये या किये जाने वाले सम्भावित वाद-व्यय के भुगतान के लिये अतिरिक्त नकद प्रतिभूति माँग सकता है;
- (घ) किसी विवादक (issue) का निर्णय करने के लिये न्यायाधीश के वाद-विषय में यह अपेक्षा की जायेगी कि वह केवल उतना मौखिक या लिखित साक्ष्य जितना वह आवश्यक समझे प्रस्तुत करने या प्राप्त किये जाने की आज्ञा दे;
- (ङ) न्यायाधीश के किसी निर्णय के विरुद्ध तथ्य या विधि के प्रश्न पर कोई अपील या पुनरीक्षण (revision) न किया जा सकेगा;
- (च) न्यायाधीश किसी ऐसे व्यक्ति के, जो यह समझता है कि वह निर्णय से व्यथित है, प्रार्थना-पत्र पर, जो निर्णय के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर दिया गया हो, किसी भी प्रश्न के संबंध में अपने निर्णय का पुनर्विलोकन (review) कर सकता है;
- (छ) किसी साक्षी या अन्य व्यक्ति से यह बताने की अपेक्षा न की जायेगी कि उसने निर्वाचन में अपना मत किसे दिया है

(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1872) के उपबन्ध सभी प्रकार से निर्वाचन याचिका के विचारण (trial) में लागू समझे जायेंगे

(3) निर्वाचन याचिका की सुनवाई प्रारम्भ होने के पूर्व या अन्तिम निर्णय होने के पूर्व यथास्थिति याची या याचियों द्वारा न्यायाधीश के पास याचिका वापस लेने के लिये प्रार्थना-पत्र देकर याचिका वापस ली जा सकती है और ऐसा प्रार्थना-पत्र दिया जाने पर याचिका वापस ली गई समझी जायेगी और उसके विचारण के लिये आगे कोई कार्यवाही न की जायेगी।

39. याचिका का उपशमन—(1) निर्वाचित उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर नियम 35 के खण्ड (क) में उल्लिखित घोषणा का दावा करने के लिए प्रस्तुत की गई निर्वाचन याचिका उपशमित हो जायेगी।

(2) एकमात्र याची या सभी याचिकों की मृत्यु हो जाने की दशा में निर्वाचन याचिका उपशमित हो जायेगी।

(3) यदि निर्वाचन याचिका में नियम 35 के खण्ड (ख) में उल्लिखित घोषणा का दावा किया गया हो और निर्वाचित उम्मीदवार की मृत्यु हो जाय तो न्यायाधीश गजट में इस घटना की सूचना प्रकाशित करायेगा और उसके उपरान्त कोई भी व्यक्ति जो याची हो सकता था, उक्त प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर याचिका का विरोध करने के लिये निर्वाचित व्यक्ति के स्थान पर अपना विकल्प रखे जाने के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है और उसे उन शर्तों पर, जिसे न्यायाधीश ठीक समझे, कार्यवाहियों को जारी रखने का हक होगा।

40. न्यायाधीश की आज्ञायें—(1) यदि ऐसी जांच के बाद, जिसे वह उचित समझने किसी व्यक्ति के संबंध में जिसके निर्वाचन पर याचिका द्वारा आपत्ति की गयी हो, इस निर्णय पर पहुंचता है कि उसका निर्वाचन वैध है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध निर्वाचन याचिका खारिज कर देगा और स्वविवेकानुसार वाद व्यय दिलायेगा।

(2) यदि न्यायाधीश इस निर्णय पर पहुंचता है कि किसी व्यक्ति का निर्वाचन अवैध है तो वह तो :

(क) यह घोषित करेगा कि एक आकस्मिक रिक्ति हो गई है; या

(ख) यह घोषित करेगा कि दूसरा उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हुआ है और इनमें से किसी भी दशा में स्वविवेकानुसार वाद-व्यय दिलावा सकता है।

41. न्यायाधीश की शक्तियां—(1) यदि याचिका तुच्छ (trivious) पाई जाय तो न्यायाधीश यह आदेश दे सकता है कि प्रतिभूति या उसका कोई भी अंश राज्य सरकार के पक्ष में जब्त हो जायेगी।

(2) न्यायाधीश द्वारा वाद-व्यय के लिये दी गई, आज्ञा इस निमित्त प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उसके द्वारा उसी रीति से और उसी प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित की जायेगी मानों वह किसी वाद में धनराशि के भुगतान के लिए उसी के द्वारा दी गई कोई डिक्री हों।

42. आधार, जिन पर निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न किसी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जा सकता है—यदि कोई व्यक्ति, जिसने निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की हो, निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन पर आपत्ति करने के साथ-साथ इस घोषणा की अभियाचना करेगा कि वह स्वयं या कोई अन्य उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हो गया है और न्यायाधीश का मत हो कि वास्तव में याची या ऐसे अन्य उम्मीदवार को वैध मतों में से अधिकांश मत प्राप्त हुए हो, तो न्यायाधीश, निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य घोषित करने के बाद यह घोषित करेगा कि यथास्थिति याची या उक्त अन्य उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हो गया है।

प्रतिबन्ध यह है कि याची या उक्त अन्य उम्मीदवार को यथाविधि निर्वाचित घोषित नहीं किया जायेगा, यदि यह प्रमाणित हो जाय कि ऐसे उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य हो गया होता यदि वह निर्वाचित उम्मीदवार होता और उसके निर्वाचन पर आपत्ति करने के लिये याचिका प्रस्तुत की गयी होती।

43. मतों के बराबर होने की दशा में प्रक्रिया—यदि निर्वाचन याचिका के विचारण के समय यह प्रतीत हो कि निर्वाचन में उम्मीदवारों को बराबर-बराबर मत प्राप्त हुए हो और इनमें से किसी एक को हटाना है, तो—

(क) इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया गया कोई निर्णय, जहां तक वह उन उम्मीदवारों के बीच प्रश्न को अवधारित करता हो, याचिका के प्रयोजनों के लिये भी प्रभावी होगा; और

(ख) जहां तक उक्त प्रश्न ऐसे निर्णय द्वारा अवधारित न किया गया हो,

न्यायाधीश उनके बीच इस नियमावली की अनुसूची 2 के अनुदेशों के उपबन्धों के अनुसार निर्णय करेगा।

44. न्यायाधीश के आज्ञाओं का प्रभावी होना—नियम 40 के उपनियम (2) के अधीन न्यायाधीश का आज्ञा, आज्ञा के दिनांक से प्रभावी होगा।

45. आदेश की सूचना और अभिलेख का भेजा जाना—नियम 40 के अधीन न्यायाधीश द्वारा दी गयी आज्ञा घोषित होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र वह उसकी एक-एक प्रतिलिपि राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

46. जमा की गयी प्रतिभूति का निस्तारण और वाद-व्यय की वसूली—(1) नियम 41 के उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वाद-व्यय, यदि कोई हो, जो न्यायाधीश द्वारा किसी प्रत्यर्थी को दिलाया गया है, नियम 36 और 38 के अधीन जमा की गई प्रतिभूति में से वसूल किया जा सकेगा और जमा की गयी प्रतिभूति का शेष रूपया, यदि कोई हो, याची को वापस कर दिया जायेगा।

(2) वाद-व्यय या उसका कोई भाग, जो किसी प्रत्यर्थी को दिलाया गया है और जो उपनियम (1) में निर्दिष्ट जमा की गई प्रतिभूति में से वसूल न किया गया हो, और किसी प्रत्यर्थी द्वारा याची को देय वाद-व्यय, नियम 41 के उपनियम (2) के उपबन्धों के अनुसार वसूल किया जा सकेगा।

(3) नियम 40 के अधीन आदेश देते समय न्यायाधीश इस नियम के उपबन्धों के अनुसार वाद-व्यय की वसूली और जमा की गयी प्रतिभूति की वापसी के संबंध में भी आदेश देगा और न्यायाधीश द्वारा दिये गये आदेश की एक प्रति नियम 45 के अधीन प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट तदनुसार उक्त आदेश को कार्यान्वित करेगा।

47. न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील—(1) नियम 40 के अधीन न्यायाधीश द्वारा दिये गये आदेशों के विरुद्ध अपील, आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय को की जा सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि उच्च न्यायालय उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारणों से उक्त अवधि के भीतर अपील न कर सका।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो उपनियम (1) के अधीन अपील प्रस्तुत करे अपील के ज्ञापन के साथ सरकारी कोषागार की इस आशय की एक रसीद संलग्न करेगा कि उसने उच्च न्यायालय के पक्ष में अपील के वाद-व्यय को प्रतिभूति के रूप में पांच सौ रुपये सरकारी कोषागार या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में जमा कर दिया है

अध्याय 5

48. धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन विवादों को उठाने की शक्ति—(1) यदि यह विवाद उठे कि कोई व्यक्ति धारा 19 के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के लिए अनर्ह हो गया है या नहीं तो उक्त मामले ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली के रूप में पंजीकृत हो, लिखित याचिका देकर उक्त अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी स्थिति हो, के चालू कार्यकाल की अवधि में किसी समय न्यायाधीश को अभिदिष्ट किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक याचिका, याची द्वारा स्वयं या यदि याचिका पर हस्ताक्षर करने वाले एक से अधिक व्यक्ति हों तो उनमें से किसी एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

49. याचिका का प्रपत्र आदि—(1) नियम 48 के अधीन प्रस्तुत की गई याचिका में उन आधारों को विनिर्दिष्ट किया जायेगा जिन पर उस व्यक्ति के सम्बन्ध में यह अभिकथित हो, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के लिए अनर्ह हो गया है और उसमें उन परिस्थितियों का सारांश दिया जायेगा जिनके सम्बन्ध में यह अभिकथन किया गया हो कि विवाद को ऐसे आधारों पर उठाना उचित है

(2) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जिसके विरुद्ध विवाद उठाया गया हो, याचिका में प्रतिवादी, त्नेचवदकमदजद बनाया जायेगा।

50. प्रतिभूति—नियम 48 के अधीन याचिका प्रस्तुत करते समय याची उसके साथ एक रसीद संलग्न करेगा, जिसमें यह प्रदर्शित हो कि उसके द्वारा या उसकी ओर से सरकारी कोषागार या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में याचिका के वाद-व्यय की प्रतिभूति के रूप में, दो सौ रुपये जमा कर दिए गए हो।

51. न्यायाधीश के आदेश—यदि न्यायाधीश इस निर्णय पर पहुँचता है कि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध नियम 48 के अधीन याचिका प्रस्तुत की गई है, धारा 19 के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के लिए अनर्ह हो गया है तो वह यह घोषित करेगा कि उक्त पद में एक आकस्मिक रिक्ति हो गई है

52. अन्य प्रक्रिया आदि—नियम 36 (2), 38, 39 (2), 41, 44, 45 और 46 के उपबन्ध यथासम्भव, नियम 48 के अधीन उठाये गये विवादों पर लागू होंगे

अनुसूची 2

(नियम 26)

निर्वाचन परिणाम के अवधारण के लिए अनुदेश

1- इस अनुसूची में-

(1) पद "अविरत उम्मीदवार" का तात्पर्य किसी ऐसे उम्मीदवार से है, जो उस समय तक न तो निर्वाचित हुआ और न मतदान से अपवर्जित हुआ हो य

(2) पद "प्रथम अधिमान" का तात्पर्य किसी उम्मीदवार के नाम के सामने लिखी गई संख्या 1 से है, इसी प्रकार पद "द्वितीय अधिमान" का तात्पर्य संख्या 2 से है, पद "तृतीय अधिमान" का तात्पर्य संख्या 3 से है और इसी प्रकार आगे के अधिमानों का अर्थ लगाया जायेगा य

(3) पद "प्राप्त अन्यतम अधिमान" का तात्पर्य किसी अविरत उम्मीदवार के लिए अभिलिखित द्वितीय अथवा बाद के ऐसे अधिमान से है जिसकी संख्या गिने जा चुके अधिमान के ठीक आगे की हो, किन्तु इसमें पहले अपवर्जित उम्मीदवारों के लिए अभिलिखित अधिमानों पर विचार नहीं किया जायेगा य

(4) पद "असमाप्त-पत्र" का तात्पर्य ऐसे मत-पत्र से है जिस पर किसी अविरत उम्मीदवार के लिए और अधिमान अभिलिखित किया गया हो य

(5) पद "समाप्त-पत्र" का तात्पर्य ऐसे मत-पत्र से है, जिस पर किसी अविरत उम्मीदवार के लिए कोई अधिमान अभिलिखित न हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह पत्र समाप्त समझा जायेगा जिसमें :

(क) दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के नामों के आगे, चाहे वे अविरत हों या न हों, एक ही संख्या/अंकित हो, और वह संख्या गिने जा चुके अधिमान के ठीक आगे की हो य अथवा

(ख) जिस उम्मीदवार के लिए अन्यतम अधिमान व्यक्त किया गया हो, उसके नाम के आगे, चाहे वह अविरत हो अथवा नहीं, ऐसी संख्या अंकित हो, जो मत-पत्र पर लिखित किसी अन्य संख्या के ठीक आगे की न हो, अथवा कोई दो अथवा अधिक संख्यायें अंकित हों।

2- प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त प्रथम अधिमान मतों की संख्या निश्चित करें और उस संख्या को उसके नाम में लिख दें।

3- सभी उम्मीदवारों के नामों में लिखी हुई ऐसी संख्याओं को जोड़ें, और इस योग को दो से विभाजित करें और शेष का कोई विचार न करके भजनफल में एक जोड़ दें। इस प्रकार प्राप्त संख्या किसी उम्मीदवार के निर्वाचित होने के लिए पर्याप्त अभ्यंश होगी।

4-(1) यदि निर्वाचन लड़ने वाले केवल दो उम्मीदवार हों, तो-

(क) यदि एक उम्मीदवार दूसरे से अधिक संख्या में प्रथम अधिमान मत प्राप्त करे, तो पहले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करें, अथवा

(ख) यदि दोनों उम्मीदवार बराबर संख्या में प्रथम अधिमान मत प्राप्त करें, तो पर्ची डाल कर निर्वाचन परिणाम अवधारित करें। उस उम्मीदवार को अपवर्जित करें, जिसके नाम पर्ची पड़े तथा दूसरे उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करें।

(2) यदि दो से अधिक उम्मीदवार हों और-

(क) उनमें से एक के संबंध में यह पाया जाय कि उसने अनुदेश संख्या 3 के अधीन अवधारित अभ्यंश (quota), के बराबर अथवा उससे अधिक प्रथम अधिमान मत प्राप्त किये हो तो उसे निर्वाचित घोषित करें, अथवा

(ख) उनमें से किसी ने भी पूर्वोक्त अभ्यंश के बराबर या उससे अधिक प्रथम अधिमान मत प्राप्त न किये हों तो द्वितीय और अनुवर्ती अधिमानों को, यथावश्यकता, ध्यान में रखते हुए आगे दिये हुए अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही करें।

5- यदि प्रथम, अथवा किसी बाद की, गणना के अन्त में किसी उम्मीदवार के नाम में लिखे गये कुल मतों की संख्या अभ्यंश के बराबर या उससे अधिक हो, अथवा केवल एक ही अविरत उम्मीदवार शेष हो, तो वह उम्मीदवार निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

6- यदि किसी गणना की समाप्ति पर कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित घोषित न किया जा सके तो-

(क) उस उम्मीदवार को अपवर्जित कर दें, जिसके नाम उस समय तक सबसे कम मत लिखे गये हों य

(ख) उसके पार्सल अथवा लघुपार्सल (Sub-Parcel) के सभी मत-पत्रों की जांच करें। लघु पार्सलों की असमाप्त पत्रों को अविरत उम्मीदवारों के लिए उनमें अभिलिखित प्राप्त अन्यतम अधिमानों के अनुसार क्रमबद्ध करें, ऐसे प्रत्येक लघु पार्सल के मतों की संख्या गिनें और उन्हें उस उम्मीदवार के नाम में लिखें, जिसके लिए ऐसे अधिमान अभिलिखित किये गये हों। वह लघु पार्सल उस उम्मीदवार को संक्रमित कर दें और सभी समाप्त-पत्रों का एक अलग लघु पार्सल बनायें य तथा

(ग) यह देखें कि ऐसे संक्रमण तथा नाम में लिखने के पश्चात् किसी अविरत उम्मीदवार ने अभ्यंश प्राप्त किया है या नहीं।

उस दशा में जब उपर्युक्त खण्ड (क) के अधीन किसी उम्मीदवार को अपवर्जित करना हो और दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के नामों में बराबर संख्या में मत लिखे गये हों तथा उन्हें सबसे कम मत प्राप्त हुए हों, तो उस उम्मीदवार को अपवर्जित करें जिसने सबसे कम प्रथम अधिमान मत प्राप्त किये हों और यदि वह संख्या भी दो या दो से अधिक उम्मीदवारों की बराबर हो तो पर्ची से यह निर्णय करें कि उनमें से किसे अपवर्जित किया जाय।

उपर्युक्त खण्ड (ख) में उल्लिखित समाप्त-पत्रों के सभी लघु पार्सल अंतिम रूप से निस्तारित होकर पृथक कर दिये जायेंगे और उनमें अभिलिखित मतों पर तत्पश्चात् विचार न किया जायेगा।

दृष्टान्त- मान लीजिए कि क, ख, ग, और घ चार उम्मीदवार हो और उन्हें प्राप्त प्रथम अधिमान मतों की संख्या निम्नलिखित है-

क12
ख11
ग7
घ5
योग 35

अभ्यंश $35/2+1=18$ होगा।

पहली गणना में से किसी भी उम्मीदवार ने अभ्यंश के बराबर अथवा उससे अधिक मत प्राप्त नहीं किया। इसीलिये न्यूनतम मत पाने वाले उम्मीदवार, अर्थात् घ को अपवर्जित कर दिया जायेगा।

मान लीजिए कि घ के पार्सल में निम्नलिखित प्रकार से केवल चार मत-पत्रों पर द्वितीय अधिमान अंकित हो:

क2
ख2

पांचवां मत-पत्र समाप्त-पत्रों के लघु पार्सल में रख दिया जायेगा तथा दो-दो पत्र जिसमें क और ख के लिए द्वितीय अधिमान अभिलिखित हो क और ख के लिए अलग-अलग लघु पार्सलों में रख दिये जायेंगे और उनमें से प्रत्येक के नाम के दो मत और लिख दिये जायेंगे अब क, ख और ग के मत निम्नांकित होंगे:

क12 + 2
ख11 + 2
ग 7

क्योंकि द्वितीय गणना की समाप्ति पर कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता इसलिए अब तीनों अविरत उम्मीदवारों में से न्यूनतम मत पाने वाला उम्मीदवार अपवर्जित कर दिया जायेगा और उसके मत दूसरे अविरत उम्मीदवार क और ख को संक्रमित कर दिये जायेंगे।

मान लीजिये कि ग के पार्सल में सभी मत-पत्रों द्वितीय अधिमान अभिलिखित हो और वे निम्नलिखित प्रकार से हों:

क4

ख3

क और ख के नाम में इन अतिरिक्त मतों के लिखने पर क को 18 मत प्राप्त हो जायेंगे जो कि अभ्यंश के बराबर हो जायेंगे और ख के 16 मत हो जायेंगे अतः क निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत की धनराशि तथा अधिकतम व्यय सीमा का निर्धारण।

क्र० सं०	पदनाम/ उम्मीदवार	नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य		जमानत की धनराशि		निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा (रु०)
		सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए (रु०)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ महिला उम्मीदवारों के लिए (रु०)	सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए (रु०)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ महिला उम्मीदवारों के लिए (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7
1	सदस्य ग्राम पंचायत	50	25	100	50	5,000.00
2	प्रधान ग्राम पंचायत	100	50	500	250	25,000.00
3	सदस्य क्षेत्र पंचायत	100	50	500	250	25,000.00
4	सदस्य जिला पंचायत	150	75	1000	500	70,000.00
5	उपप्रधान ग्राम पंचायत	70	35	250	125	7,500.00
6	कनिष्ठ उपप्रमुख	150	75	1500	750	25,000.00
7	ज्येष्ठ उपप्रमुख	150	75	1500	750	30,000.00
8	प्रमुख क्षेत्र पंचायत	200	100	2000	1000	70,000.00
9	उपाध्यक्ष जिला पंचायत	250	125	2000	1000	1,25,000.00
10	अध्यक्ष जिला पंचायत	500	250	4000	2000	1,75,000.00

उत्तर प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994¹

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हो जिनके कारण उसके लिये यह आवश्यक हो गया है कि तत्काल नियम बनाये जायें।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 23 की उपधारा (3) और संयुक्त प्रान्त नगरपालिका, अधिनियम, 1916 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम, संख्या 1 सन् 1916) की धारा 12-ख की उपधारा (2) के साथ पठित 1916 के उक्त अधिनियम की धारा 296 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हो, अर्थात्—

प्रारम्भिक

1. **सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—**(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 कही जायेगी,

(2) यह उत्तर प्रदेश में सम्पन्न नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होगी।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ—**इस नियमावली में—

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका, अधिनियम, 1916 से है;

(ख) '1950 का अधिनियम' का तात्पर्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 से है;

(ग) 'विधानसभा' का तात्पर्य राज्य विधान सभा से है;

(घ) 'मुख्य निर्वाचन अधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी से है जिसे आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से राज्य में निर्वाचन नामावली के तैयार किये जाने, पुनरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिये मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) के रूप में पदाभिहित किया गया हो;

(ङ) 'आयोग' का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग से है;

(च) 'निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार के किसी अधिकारी से है जिसे आयोग, ने राज्य सरकार के परामर्श से, जिले में वार्ड की निर्वाचक नामावली को तैयार करने, पुनरीक्षण और प्रकाशन के लिये नाम निर्दिष्ट या पदाभिहित किया हो,

(छ) 'आकार पत्र' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न आकार पत्रों से है,

(ज) 'नामावली' का तात्पर्य निर्वाचक नामावली से है

3. **नगरपालिका द्वारा व्यय का वहन किया जाना—**किसी नगरपालिका क्षेत्र में नामावली के तैयार किये जाने और पुनरीक्षण के संबंध में उपगत व्यय, राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निर्देशित के सिवाय नगरपालिका—पर राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर दी गयी रीति से और उस सीमा तक भारित होंगे और उसे वसूलीय होंगे

4. **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता—**निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, आयोग द्वारा इस निमित्त किये गये किसी निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, बोर्ड के लिये निर्वाचक नामावली के तैयार किये जाने और पुनरीक्षण के लिये व्यक्तियों को जैसा वह उचित समझे, सेवायोजित कर सकता है

5. **नामावली का स्वरूप और भाषा—**किसी वार्ड की नामावली हिन्दी में देवनागरी लिपि में उस प्रपत्र में जिसमें नामावली विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र के लिये 1950 के अधिनियम के अधीन तैयार की जाती है, तैयार की जायेगी।

6. **नामावली का तैयार किया जाना—**(1) आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, प्रत्येक बोर्ड के लिए प्रथम नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, 1950 के अधिनियम के अधीन उक्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली को, जहां तक उसका संबंध उक्त बोर्ड के क्षेत्र से हो, अंगीकार करते हुए तैयार की जायेगी—

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे बोर्ड के लिये नामावली में ऐसे वार्ड के निर्वाचन के लिये नाम निर्देशन करने के लिये अन्तिम दिनांक के पश्चात् और ऐसे निर्वाचन के पूरा हो जाने के पूर्व कोई परिवर्तन, संशोधन या शुद्धि सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर अपनी मुहर लगायेगा।

7. नामावली का प्रारूप में प्रकाशन—(1) किसी वार्ड के लिये नामावली के तैयार हो जाने पर, यथाशीघ्र, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उसकी एक प्रति प्रारूप में नगरपालिका के कार्यालय पर चिपका कर और उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराकर प्रकाशित करेगा।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वार्ड के क्षेत्र में पर्याप्त परिचालन वाले किसी हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके इस तथ्य को अधिसूचित करेगा कि वार्ड के लिये नामावली प्रकाशित कर दी गयी है और उसकी प्रति का निःशुल्क निरीक्षण कार्यालय समय के दौरान नगरपालिका कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट नामावली की प्रति निःशुल्क निरीक्षण के लिये कार्यालय समय के दौरान प्रकाशन के दिनांक से सात दिन की अवधि तक उपलब्ध रहेगी—

नामावली का पुनरीक्षण

8. किसी वार्ड की नामावली में नामों को सम्मिलित किये जाने के दावे—कोई व्यक्ति

- (क) जिसका नाम वार्ड के क्षेत्र से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में सम्मिलित हो किन्तु वार्ड की नामावली में सम्मिलित न किया गया हो, या
- (ख) जिसका नाम गलती से किसी अन्य वार्ड की नामावली में सम्मिलित कर दिया गया हो, या
- (ग) जिसका नाम वार्ड के क्षेत्र से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में या वार्ड की नामावली में सम्मिलित न हो किन्तु जो वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अन्यथा अर्ह हो, या
- (घ) जिसका नाम किसी अनर्हता के कारण वार्ड की नामावली से काट दिया गया हो, किन्तु जो यह दावा करे कि उसकी अनर्हता को अब दूर कर दिया गया है, अपना नाम वार्ड की नामावली में सम्मिलित कराने के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन दे सकता है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि आवेदन पर नियम-7 के उप-नियम (1) के अधीन वार्ड की नामावली के प्रकाशन होने की दिनांक से सात दिन के पश्चात् मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अन्यथा निर्देशित के सिवाय, विचार नहीं किया जायेगा—

किन्तु अप्रतिबन्ध यह है कि वार्ड के लिये सदस्य के निर्वाचन की अपेक्षा करने की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात् इस नियम के अधीन किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

9. वार्ड की नामावली में प्रविष्टियों पर आपत्तियाँ—कोई व्यक्ति जिसका नाम किसी वार्ड की नामावली में अंकित है, और—

- (क) जो ऐसी प्रविष्टि के संबंध में किसी ब्यौरे पर आपत्ति करना चाहता हो और उसकी शुद्धि चाहता हो, या
- (ख) जो वार्ड की नामावली में किसी अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने पर इस आधार पर आपत्ति करे कि वार्ड से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में उस व्यक्ति का नाम सम्मिलित नहीं है, या
- (ग) जो वार्ड की नामावली में किसी नाम को रखने पर इस आधार पर आपत्ति करे कि प्रश्नगत व्यक्ति वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अधिनियम की धारा 12-घ के अधीन अनर्ह हो गया है,

नियम-7 के उप नियम (1) के अधीन वार्ड की नामावली के प्रकाशन होने के दिनांक से सात दिन के भीतर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को, यथास्थिति, प्रविष्टि के ब्यौरे की शुद्धि के लिये या नाम को हटा देने के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है—

प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड के लिये सदस्य के निर्वाचन जो अपेक्षा करने की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. दावों और आपत्तियों के सम्बन्ध में ब्यौरे—(1) नियम-8 के अधीन प्रत्येक दावा या आवेदन प्रपत्र 1-क में प्रस्तुत किया जायेगा जिसे यथास्थिति, दावेदार या आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और ऐसे एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा जिसका नाम पहले से ही वार्ड की नामावली के उस भाग में सम्मिलित हो जिसमें दावेदार अपना नाम सम्मिलित कराने का इच्छुक है और उसे निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या ऐसे व्यक्ति को जिसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस निमित्त पदाभिहित, प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(2) उक्त दावे में जहां आवश्यक हो, अर्हताओं सहित वे आधार, जिन पर नाम को सम्मिलित किये जाने की मांग की गई है, दिए जायेंगे

(3) नियम 9 के खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक आपत्ति प्रपत्र-1-ख में की जायेगी और उसे उप-नियम (1) के अनुसार हस्ताक्षरित किया जायेगा। नियम 9 के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन प्रत्येक आपत्ति यथास्थिति आकार

पत्र 1-ग या 1-घ में की जायेगी और उसे उप-नियम (1) के अनुसार हस्ताक्षरित, प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

प्रपत्र 1-ग या 1-घ में आपत्ति दो प्रतियों में की जायेगी, जिसकी एक प्रति उस व्यक्ति पर तामील की जायेगी जिसके विरुद्ध आपत्ति की जाये

(4) आपत्ति में उस व्यक्ति में जिसका नाम सम्मिलित किए जाने का उससे संबंध है या व्यौरों को, जिसकी शुद्धि चाही गई है, नामावली में दर्ज सभी व्यौरों और उन आधारों को, जिस पर आपत्ति की गई है, उल्लिखित किया जायेगा।

11. पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रक्रिया—नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन पदाभिहित प्रत्येक अधिकारी नियम 8 और 9 में निर्दिष्ट पत्रों की एक सूची रखेगा और आवेदन पत्रों को ऐसी अभ्युक्तियों के साथ, यदि कोई हो, जैसी वह उचित समझे, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अग्रसारित कर देगा।

12. कतिपय दावों और आपत्तियों का निरस्त किया जाना—नियम 8 या 9 के अधीन कोई आवेदन पत्र जो इस नियमावली में विहित समय के भीतर या प्रारूप पर या शीति में न दिया गया हो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

13. नोटिस और उसकी तामिली—(1) उन मामलों के सिवाय जिनमें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दावे या आपत्ति को ग्राह्यता से प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो, प्रत्येक व्यक्ति जिसके दावे आपत्ति प्राप्त की गयी हों, अथवा दावे या आपत्ति प्रस्तुत करने वाले उसके अभिकर्ता और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर जिसका नाम सम्मिलित किये जाने के संबंध में आपत्ति की गयी है, आकार पत्र 1 में एक नोटिस तामिली की जायेगी, जिसमें स्थान व समय विनिर्दिष्ट अभिकर्ता को ऐसे साक्ष्य के साथ, यदि कोई हो, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता हो, उपस्थिति होने का निदेश दिया जायेगा।

(2) उस व्यक्ति को, जिसका नाम सम्मिलित करने के संबंध में आपत्ति की गयी है, नोटिस के साथ आपत्ति की एक प्रति दी जायेगी।

(3) उप नियम (1) के अधीन नोटिस, यदि संभव हो व्यक्तिगत रूप में तामिली की जायेगी और व्यक्तिगत रूप से तामिली न होने पर वार्ड के भीतर संबंधित व्यक्ति के निवास स्थान या अन्तिम निवास स्थान पर चस्पा करे तामिली की जायेगी।

(4) व्यक्तिगत या अन्यथा तामिली का प्रमाण-पत्र, ऐसी तामिली के तथ्य का निश्चायक प्रमाण समझा जायेगा।

14. दावों और आपत्तियों की जांच—(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रस्तुत किये गये प्रत्येक दावे या आपत्ति की, जिसके संबंध में नोटिस दिया गया हो, संक्षिप्त जांच करेगा और उस पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा और अपने विनिश्चय के अनुसार नामावली में कोई वृद्धि शुद्धि या लोप का आदेश देगा और ऐसी वृद्धि, शुद्धि या लोप तदनुसार की जायेगी—

प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड में, निर्वाचन के लिये नाम निर्देशन किये जाने के अंतिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन की समाप्ति के पूर्व किसी प्रकार की ऐसी वृद्धि, शुद्धि या लोप नहीं की जायेगी।

(2) सुनवाई में उस व्यक्ति को जिसको ऐसा नोटिस जारी किया गया हो और किसी अन्य व्यक्ति को जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की राय में उसके लिये सहायक हो सकता है उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(3) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने विवेक में,—

(क) किसी व्यक्ति से जिसको नोटिस दिया गया हो, अपने समक्ष व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है;

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा शपथ पर साक्ष्य देने और इस प्रयोजन के लिये शपथ दिलाने की अपेक्षा कर सकता है

टिप्पणी—जांच के प्रयोजन के लिये नियम 7 के अधीन प्रकाशित नामावली को शुद्ध माना जायेगा।

(4) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र-2 में दावों और आपत्तियों की एक सूची रखी जायेगी।

15. वार्ड के नामावली का अन्तिम प्रकाशन—(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तदपश्चात् नियम 14 के अधीन अपने विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए संशोधनों की एक सूची तैयार करेगा और नामावली को संशोधनों की सूची के साथ उसकी प्रति निरीक्षण के लिये उपलब्ध करवाकर प्रकाशित करेगा।

(2) ऐसे प्रकाशन पर, संशोधनों की सूची के साथ गठित नामावली, वार्ड की निर्वाचक नामावली होगी।

16. त्रुटियों की शुद्धि—आयोग के किसी निदेश के अधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी भी समय नामावली में किसी लिपिकीय या मुद्रण संबंधी त्रुटि को शुद्ध करने और दोहरी प्रविष्टियों को निकालने का आदेश दे सकता है और तदनुसार ऐसी शुद्धि या निकालने की कार्यवाही की जायेगी।

17. संशोधनों आदि को किस प्रकार किया जायेगा—(1) अधिनियम की धारा 12-च के अधीन किसी वार्ड की नामावली में शुद्धि उस रीति से की जायेगी जिस रीति से 1950 के अधिनियम के अधीन निर्वाचक नामावलियों में की जाती है।

(2) मतदान के लिए अनर्ह व्यक्तियों के नामों का काटा जाना और अधिनियम की धारा 12-घ अधीन ऐसी अनर्हता के हटाये जाने के पश्चात् ऐसे नामों का पुनःस्थापन यथासंभव उस रीति से किया जायेगा जैसी 1950 के अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन नामों को काटने और पुनःस्थापन के लिये विहित की जायें।

(3) नियम 14 और नियम 16 के उप-नियम (2) के अधीन आदेशित संशोधनों को, इस निमित्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के किसी सामान्य निदेश के अधीन रहते हुए, वार्ड की नामावली और संशोधनों की सूची, यदि कोई हो, जो व्यक्ति नामावली का भाग हो में, किया जायेगा।

(4) जहां नियम 8 के खंड (ख) के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे को स्वीकार कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति का नाम उस वार्ड की नामावली से तत्काल हटा देगा या हटवा देगा।

18. वार्डों के पुनः परिसीमन पर नामावली की तैयारी के लिये विशेष उपबन्ध—(1) यदि विधि के अनुसार किसी वार्ड का नवीन परिसीमन किया जाय और यदि ऐसे वार्ड को नामावली की शीघ्र तैयारी आवश्यक हो तो, मुख्य निर्वाचन अधिकारी यह निदेश दे सकता है कि उसे निम्नलिखित प्रकार से तैयार किया जायेगा—

(क) ऐसे वर्तमान वार्डों या उनके भागों जैसे नये वार्ड के क्षेत्र के भीतर सम्मिलित हों, की नामावली को साथ-साथ रखकर, और,

(ख) इस प्रकार पूरी की गयी नामावली की व्यवस्था क्रम संख्या और शीर्षकों में समुचित परिवर्तन करके

(2) इस प्रकार तैयार की गयी नयी नामावली के नियम 7 में विनिर्दिष्ट रीति से प्रकाशित किया जायेगा और नये प्रकाशन पर यह नये वार्ड की नामावली होगी।

19. अधिनियम की नामावली का पुनरीक्षण—(1) अधिनियम की धारा 12-छ के अधीन किसी वार्ड के लिये नामावली का पुनरीक्षण या तो गहन रूप से या संक्षिप्त रूप से या अंशतः गहन रूप से और अंशतः नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के संबंध में लागू होते हो।

(2) जहां किसी वर्ष में ऐसी नामावली गहन रूप से पुनरीक्षित की जानी हो, वहां वह नये सिरे से तैयार की जायेगी और नियम 3 से 16 लागू होंगे जैसे कि वे वार्ड की नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के संबंध में लागू होते हो।

(3) जहां किसी वर्ष में, ऐसी नामावली संक्षिप्त रूप से तैयार की जानी हो वहां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसी सूचना के आधार पर, जैसी सुगमता से उपलब्ध हो नामावली के सुसंगत भाग के लिये संशोधनों की एक सूची तैयार करवायेगा और नामावली को संशोधनों की सूची के साथ प्रारूप में छपवायेगा और नियम 6 से 16 के उपबन्ध ऐसे पुनरीक्षण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी वार्ड की नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के संबंध में लागू होते हो।

(4) जब अधिनियम (2) के अधीन पुनरीक्षित नामावली के प्रारूप में या उपनियम (3) के अधीन नामावली और संशोधनों की सूची के प्रकाशन और उपर्युक्त उपनियम (2) या (3) के साथ पठित नियम 15 के अधीन उनके

अन्तिम प्रकाशन के बीच किसी समय अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी वार्ड की नामावली में किन्हीं नामों को सम्मिलित किये जाने का निदेश दिया जाय, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जब तक उसकी राय में ऐसे नामों को सम्मिलित किये जाने में कोई विधिमान्य आपत्ति न हो वार्ड की पुनरीक्षित नामावली में नामों को सम्मिलित करवायेगा।

20. अदेशों के विरुद्ध अपील—(1) नियम 13, 14 या 19 के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरुद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जायेगी—

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां अपील करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति ने अपने उन मामलों पर जो अपील की विषयवस्तु है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसकी अभ्यावेदन करने के अपने अधिकार का प्रयोग न किया हो वहां अपील नहीं की जायेगी।

(2) उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक अपील—

(क) अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित मेमोरेण्डम के प्रारूप में होगी;

(ख) विनिश्चय के दिनांक के सात दिन के भीतर अपील अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी;

(ग) आदेश की प्रति जिसके विरुद्ध अपील की जाय, और पांच रुपये शुल्क के साथ, जो—

(i) नान जुडीशियल स्टैम्प द्वारा, या

(ii) राजकीय कोषागार में जमा करके ऐसी जमा की रसीद के संलग्न करके, या

(iii) ऐसी अन्य रीति में जैसी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निदेशित किया जाये प्रस्तुत की जायेगी।

(3) इस नियम के अधीन केवल अपील का प्रस्तुत किया जाना नियम 15 दो के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किये जाने वाले कृत्यों को रोकने या स्थगित करने का प्रभाव नहीं रहेगा।

(4) अपील अधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय अन्तिम होगा, किन्तु जहां तक वह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय को उलटता या उपान्तरित करता हो, वह अपील में विनिश्चय के दिनांक से प्रभावी होगा।

(5) पूर्वगामी उपनियमों के अधीन रहते हुये, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली में ऐसे संशोधन करवायेगा जैसे कि इस नियम के अधीन अपील अधिकारी के विनिश्चय को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हों

प्रकीर्ण

21. नामावलियों की अवधि—नियम-6 के उपबन्धों के अधीन तैयार की गयी किसी वार्ड की नामावली नियम 7 के अधीन उसके प्रकाशित होने पर और नियम 14, 16 और 18 के अधीन उसमें किये गये संशोधनों, पुनरीक्षणों आदि के अधीन रहते हुये तुरन्त प्रवृत्त होगी और तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक वार्ड के लिये तत्पश्चात् तैयार की गयी नामावली प्रवृत्त न हो जायें

22. नामावली आदि की अभिरक्षा और परीक्षण—(1) नियम-8 के अधीन किये गये सभी दावे और नियम-9 के अधीन की गयी सभी आपत्तियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उन पर अभिलिखित स्थान जैसा मुख्यनिर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान, जैसा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, वार्ड के नामावली के अगले पुनरीक्षण तक या नई तैयार की गयी नामावली के प्रवृत्त होने तक जो भी पहले हो रखा जायेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड की नामावली के अतिरिक्त उसकी प्रतियां उतनी संख्या में जितनी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में और नगरपालिका कार्यालय में रखी जायेगी। इन प्रतियों को मूल नामावली में किये गये संशोधनों के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जायेगा।

(3) उप नियम (2) में निर्दिष्ट प्रतियों को जमा करने के पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधि-प्रमाणित किया जायेगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति को उप-नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट निर्वाचन पत्रों का निरीक्षण करने और उनकी प्रमाणित प्रतियां, ऐसी फीस का भुगतान करने पर प्राप्त करने का अधिकारी होगा जैसी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें

(5) प्रत्येक वार्ड की निर्वाचक नामावली की मुद्रित प्रतियां वार्ड की अगली नियमावली के प्रकाशन तक जनता को विक्रय के लिये ऐसे मूल्य पर जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) किसी वार्ड की नामावली के प्रकाशन पर नयी नामावली के प्रकाशन के ठीक पूर्व प्रवृत्त नामावली को उतने वर्ष के लिये जैसा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, संबंधित नगरपालिका के अभिलेखों में रखा जायेगा।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994¹

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हो जिनके कारण उसके लिये यह आवश्यक हो गया है कि तत्काल नियमावली बनायी जाय;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 23 की उपधारा (3) और उत्तर प्रदेश नगर अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम, संख्या 2 सन् 1959) की धारा 39 के साथ पठित 1959 के उक्त अधिनियम की धारा 540 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्—

प्रारम्भिक

1. **सक्षिप्त नाम, प्रवर्तन और प्रारम्भ**—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) यह उत्तर प्रदेश में सम्पन्न नगर निगमों पर लागू होगी।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ**—इस नियमावली में,—

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है;

(2) "1950 का अधिनियम" का तात्पर्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 से है;

(3) "विधानसभा" का तात्पर्य राज्य विधान सभा से है;

(4) "मुख्य निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार में अधिनियम के अधीन निर्वाचक नामावली तैयार करने, पुनरीक्षण के पर्यवेक्षण के लिये अधिनियम की धारा 39 के अधीन आयोग द्वारा इस रूप में पदाभिहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) से है;

(5) "आयोग" का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग से है;

(6) "निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" का तात्पर्य निगम में किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली तैयार करने उसको प्रकाशित और पुनरीक्षित करने के लिये आयोग द्वारा इस रूप में पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट अधिकारी से है;

(7) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्रों से है;

(8) "नामावली" का तात्पर्य निर्वाचक नामावली से है।

3. **नगरपालिका द्वारा व्यय का वहन किया जाना**—किसी नगर निगम क्षेत्र में नामावली के तैयार, प्रकाशित और पुरीक्षित किये जाने के संबंध में उपगत व्यय राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निर्देशित के सिवाय सम्बन्धित नगर निगम पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दी गयी रीति से और उस सीमा तक भारित होंगे और उससे वसूली योग्य होंगे।

4. **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता**—निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, आयोग द्वारा इस निमित्त किये गये किसी निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, बोर्ड के लिये निर्वाचक नामावली तैयार और पुनरीक्षित करने के लिये ऐसे व्यक्तियों को, जैसे वह उचित समझे, सेवायोजित कर सकता है।

नामावली का तैयार किया जाना और प्रकाशन

5. **नामावली का प्रारूप और भाषा**—किसी वार्ड की नामावली हिन्दी में देवनागरी लिपि में उस प्रारूप में तैयार की जायेगी जिसमें नामावली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये 1950 के अधिनियम के अधीन तैयार की जाती है।

6. **नामावली का तैयार किया जाना**—(1) आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए किसी निगम में प्रत्येक वार्ड के लिए नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, 1950 के अधिनियम के अधीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली को, जहां तक उसका संबंध उस वार्ड के क्षेत्र से हो, अंगीकार करते हुए तैयार की जायेगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे वार्ड के लिए नामावली में ऐसे वार्ड के निर्वाचन के लिये नाम-निर्देशन करने के लिए अन्तिम दिनांक के पश्चात् और ऐसे निर्वाचन के पूरा हो जाने के पूर्व कोई परिवर्तन, संशोधन या शुद्धि सम्मिलित नहीं की जायगी।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली पर हस्ताक्षर करेगा और अपनी मुहर लगाये

7. नामावली के आलेख का प्रकाशन—(1) जैसे ही किसी वार्ड के लिये नामावली तैयार हो जाये, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उसके आलेख को नगर निगम के कार्यालय पर चिपका कर और उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराके प्रकाशित करेगा।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वार्ड के क्षेत्र में पर्याप्त परिचालन वाले किसी हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके इस तथ्य को अधिसूचित करेगा कि वार्ड के लिये नामावली प्रकाशित कर दी गयी है और उसकी प्रति का निःशुल्क निरीक्षण कार्यालय समय के दौरान नगर निगम कार्यालय में किया जा सकता है

(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट नामावली की प्रति निःशुल्क निरीक्षण के लिये कार्यालय समय के दौरान उपनियम (1) के अधीन इसके प्रकाशन के दिनांक से सात दिन की अवधि तक उपलब्ध कराई जाएगी।

नामावली का पुनरीक्षण

8. वार्ड की नामावली में नामों को सम्मिलित किये जाने के दावे—कोई व्यक्ति—

(क) जिसका नाम वार्ड के क्षेत्र से संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में सम्मिलित हो किन्तु वार्ड की नामावली में सम्मिलित न किया गया है, या

(ख) जिसका नाम गलती से किसी अन्य वार्ड की नामावली में सम्मिलित कर लिया गया है, या

(ग) जिसका नाम वार्ड के क्षेत्र से संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में या वार्ड की नामावली में सम्मिलित नहीं किया गया है किन्तु जो उक्त वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अन्यथा अर्ह है, या

(घ) जिसका नाम किसी अनर्हता के कारण वार्ड की नामावली से काट दिया गया है किन्तु जो यह दावा करता है कि उसकी अनर्हता को, अब दूर हो गई है, अपना नाम वार्ड की नामावली में सम्मिलित किये जाने के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन दे सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि नियम-7 के उप-नियम (1) के अधीन वार्ड की नामावली के प्रकाशन के दिनांक से सात दिन के पश्चात् दिये गये आवेदन मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अन्यथा निर्देशित के सिवाय, विचार नहीं किया जायेगा:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड के लिये सदस्य के निर्वाचन की अपेक्षा करने की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात् इस नियम के अधीन किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

9. वार्ड की नामावली में प्रविष्टियों पर आपत्तियां—

(क) जो ऐसी प्रविष्टि के संबंध में अपने बारे में किसी ब्यौरे पर आपत्ति करना चाहता हो और उसकी शुद्धि चाहता हो, या

(ख) जो वार्ड की नामावली में किसी अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने पर इस आधार पर आपत्ति करे कि वार्ड के क्षेत्र से संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में उस व्यक्ति का नाम सम्मिलित नहीं है, या

(ग) जो वार्ड की नामावली में किसी नाम को रखने पर इस आधार पर आपत्ति करे कि प्रश्नगत व्यक्ति वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अधिनियम की धारा 37 के अधीन अनर्ह हो गया है,

नियम-7 के उप-नियम (1) के अधीन वार्ड की नामावली के प्रकाशित होने के दिनांक से सात दिन के भीतर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को, यथास्थिति, प्रविष्टि के ब्यौरे की शुद्धि के लिये या नाम को हटा देने के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड के लिये सदस्य के निर्वाचन की अपेक्षा करने की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. दावों और आपत्तियों के सम्बन्ध में ब्यौरे—(1) नियम 8 के अधीन प्रत्येक दावा या आवेदन प्रपत्र 1-क में होगा जिसे यथास्थिति, दावेदार या आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और ऐसे एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा जिसका नाम पहले से ही वार्ड की नामावली के उस भाग में सम्मिलित हो जिसमें दावेदार अपना नाम सम्मिलित कराने का इच्छुक है और उसे निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस निमित्त पदाभिहित करे प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) उक्त दावे में जहां आवश्यक हो, अर्हताओं सहित वे आधार जिन पर नाम को सम्मिलित किये जाने की मांग की गई है, दिये जायेंगे

(3) नियम 9 के खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक आपत्ति प्रपत्र 1-ख में होगी और उसे उप-नियम (1) के अनुसार हस्ताक्षरित किया जायेगा। नियम 9 के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन प्रत्येक आपत्ति, यथास्थिति, क्रमशः आकार पत्र 1-ग या 1-घ में होगी और उसे उप-नियम (1) के अनुसार हस्ताक्षरित, प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

प्रपत्र 1-ग या 1-घ में आपत्ति दो प्रतियों में दी जायेगी, जिसकी एक प्रति उस व्यक्ति पर तामील की जायेगी, जिसके विरुद्ध आपत्ति की जाय।

(4) आपत्ति में उस व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसका नाम सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में वह आपत्ति ले, या ब्यौरों को, जिनकी शुद्धि चाही गई है, नामावली में दर्ज सभी ब्यौरे और उन आधारों को, जिन पर आपत्ति की गई है, उल्लिखित किया जायेगा।

11. पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रक्रिया—नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन पदाभिहित प्रत्येक अधिकारी नियम 8 और 9 में निर्दिष्ट आवेदन-पत्रों की एक सूची रखेगा और आवेदन पत्रों को ऐसी अभ्युक्तियों के साथ, यदि कोई हो, जैसी वह उचित समझे, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अग्रसारित कर देगा।

12. कतिपय दावों और आपत्तियों का अस्वीकृत किया जाना—नियम 8 या 9 के अधीन कोई आवेदन-पत्र जो इस नियमावली में विहित समय के भीतर या प्रारूप में या रीति में न दिया गया हो, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जायेगा।

13. नोटिस और उसकी तामिली—(1) उन मामलों के सिवाय जिनमें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दावे या आपत्ति को ग्राह्यता से प्रथमदृष्टया संतुष्ट हो, प्रत्येक व्यक्ति जिसका दावा या आपत्ति प्राप्त की गयी हो या दावा या आपत्ति प्रस्तुत करने वाले उसके अभिकर्ताओं पर प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर जिसका नाम सम्मिलित किये जाने के संबंध में आपत्ति की गयी है, प्रपत्र-1 में एक नोटिस तामिली की जायेगी, जिसमें स्थान व समय विनिर्दिष्ट होगा जहां जब दावे या आपत्ति की सुनवाई की जायेगी और उसे या उसके अभिकर्ता को ऐसे साक्ष्य के साथ, यदि कोई हो, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता हो, उपस्थिति होने का निदेश दिया जायेगा।

(2) उस व्यक्ति को, जिसका नाम सम्मिलित करने के संबंध में आपत्ति की गयी है नोटिस के साथ आपत्ति की एक प्रति दी जायेगी।

(3) उपनियम (1) के अधीन नोटिस, यदि सम्भव हो, वैयक्तिक रूप में तामिली की जायेगी और वैयक्तिक रूप से तामिली न होने पर वार्ड के भीतर संबंधित व्यक्ति के निवास स्थान या अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर उसकी एक प्रति चिपकाकर तामिली की जायेगी।

(4) वैयक्तिक या अन्यथा तामिली का प्रमाण-पत्र, ऐसी तामिली के तथ्य का निश्चायक प्रमाण समझा जायेगा।

14. दावे और आपत्तियां—(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रस्तुत किये गये प्रत्येक दावे या आपत्ति की, जिसके संबंध में नोटिस दी गई हो, संक्षिप्त जांच करेगा और उस पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा और अपने विनिश्चय के अनुसार वार्ड की नामावली में कोई वृद्धि शुद्धि या लोप का आदेश देगा और ऐसी वृद्धि, शुद्धि या लोप तदनुसार किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड में निर्वाचन के लिये नाम-निर्देशन किये जाने के अंतिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन की समाप्ति के पूर्व ऐसी कोई वृद्धि, शुद्धि या लोप नहीं किया जायेगा।

(2) सुनवाई में उस व्यक्ति को जिसको ऐसी नोटिस जारी की गयी हो और किसी अन्य व्यक्ति को, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की राय में उसकी सहायता कर सकता है, उपस्थित होने और सुने जाने का हकदार होगा।

(3) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने विवकानुसार में—

(क) किसी व्यक्ति से जिसे नोटिस जारी की गई है, अपने समक्ष स्वयं उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है,

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा शपथ पर साक्ष्य देने की अपेक्षा कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये शपथ दिला सकता है

टिप्पणी—जांच के प्रयोजनों के लिये नियम 7 के अधीन प्रकाशित नामावली को शुद्ध माना जायेगा।

(4) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र-2 में दावों और आपत्तियों की एक सूची रखी जायेगी।

15. वार्ड के नामावली का अन्तिम प्रकाशन—(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तदपश्चात् नियम 14 के अधीन अपने विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए संशोधनों की एक सूची तैयार करेगा और नामावली को संशोधनों की सूची के साथ उसकी प्रति निरीक्षण के लिये उपलब्ध करवाकर प्रकाशित करेगा।

(2) ऐसे प्रकाशन पर, संशोधनों की सूची के साथ पठित नामावली, वार्ड की निर्वाचक नामावली होगी।

16. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संशोधन—(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समय-समय पर अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (2) की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

(2) आयोग के किसी निदेश के अधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी भी समय नामावली में किसी लिपिकीय या मुद्रण संबंधी त्रुटि को शुद्ध करने और दोहरी प्रविष्टियों को निकालने का आदेश दे सकता है और तदनुसार ऐसी शुद्धि या निकालने की कार्यवाही की जायेगी।

17. संशोधनों आदि को किस प्रकार किया जायेगा—(1) अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (5) के अधीन किसी वार्ड की नामावली में शुद्धि उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से 1950 के अधिनियम के अधीन निर्वाचक नामावलियों शुद्धियां की जाती हैं

(2) मतदान के लिए अनर्ह व्यक्तियों के नामों का काटा जाना और अधिनियम की धारा 37 अधीन ऐसी अनर्हता के समाप्त होने के पश्चात् ऐसे नामों का पुनःस्थापन यथासंभव उस रीति से किया जायेगा जो 1950 के अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन नामों को काटने और पुनःस्थापन के लिये विहित किया जाय।

(3) नियम 14 और नियम 16 के उप-नियम (2) के अधीन आदेशित संशोधनों को इस निमित्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के किसी सामान्य निदेश के अधीन रहते हुए, वार्ड की नामावली और संशोधनों की सूची, यदि कोई हो, जो उक्त नामावली का भाग हो, में किया जायेगा।

(4) जहां नियम 8 के खंड (ख) के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह उस व्यक्ति का नाम उस अन्य वार्ड की नामावली से तत्काल हटा देगा या हटवा देगा।

18. वार्डों के पुनः परिसीमन पर नामावली की तैयारी के लिये विशेष उपबन्ध—(1) यदि विधि के अनुसार किसी वार्ड का नवीन परिसीमन किया जाय और यदि ऐसे वार्ड की नामावली तैयार किए जाने की अत्याधिक आवश्यकता हो, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी यह निदेश दे सकता है कि उसे निम्नलिखित प्रकार से तैयार किया जायेगा—

(क) ऐसे वर्तमान वार्डों या उनके भागों, जैसे नये वार्ड के क्षेत्र के भीतर सम्मिलित हों, की नामावली को मिलाकर, और,

(ख) इस प्रकार पूरी की गयी नामावली की व्यवस्था, क्रम-संख्या और शीर्षकों में समुचित परिवर्तन करके

(2) इस प्रकार तैयार की गयी नयी नामावली को नियम 7 में विनिर्दिष्ट रीति से प्रकाशित किया जायेगा और ऐसे प्रकाशन पर यह नये वार्ड की नामावली होगी।

19. वार्ड की नामावली का पुनरीक्षण—(1) किसी वार्ड की नामावली अधिनियम की धारा 40 के अधीन या तो विस्तारपूर्वक या संक्षिप्ततः या अंशतः विस्तारपूर्वक और अंशतः या संक्षिप्ततः, जैसा आयोग निर्दिष्ट करे, पुनरीक्षित करेगा।

(2) जहां किसी वर्ष में ऐसी नामावली विस्तारपूर्वक पुनरीक्षित की जानी हो वहां वह नये सिरे से तैयार की जायेगी और नियम 3 से 16 तक उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे वार्ड की नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के संबंध में लागू होते हो।

(3) जहां किसी वर्ष में, ऐसी नामावली संक्षिप्ततः पुनरीक्षित की जानी हो वहां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसी सूचना के आधार पर जो सुगमता से उपलब्ध हो, नामावली के सुसंगत भाग के लिये संशोधनों की एक सूची तैयार करवायेगा और संशोधनों की सूची के साथ नामावली के आलेख को प्रकाशित करवायेगा और नियम 6 से 16 तक के उपबन्ध ऐसे पुनरीक्षण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी वार्ड की नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के संबंध में लागू होते हो।

(4) जब अधिनियम (2) के अधीन पुनरीक्षित नामावली के आलेख के या उपनियम (3) के अधीन नामावली और संशोधनों की सूची के प्रकाशन और उपर्युक्त उपनियम (2) या (3) के साथ पठित नियम 15 के अधीन उनके अन्तिम प्रकाशन के बीच किसी समय अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी वार्ड की नामावली में किन्हीं नामों को सम्मिलित किये जाने का निदेश दिया जाय, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जब तक उसकी राय में ऐसे नामों को सम्मिलित किये जाने में कोई विधिमान्य आपत्ति न हो, वार्ड की पुनरीक्षित नामावली में नामों को सम्मिलित करवायेगा।

20. आदेशों के विरुद्ध अपील—(1) नियम 13, 14 या 19 के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरुद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां अपील करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति ने उस मामले पर, जो अपील की विषयवस्तु है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसको अभ्यावेदन करने के अपने अधिकार का लाभ नहीं उठाया है, वहां अपील नहीं की जा सकेगी।

(2) उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक अपील—

(क) अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में होगी,

(ख) विनिश्चय के दिनांक से सात दिन के भीतर अपील अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी,

(ग) आदेश की प्रति जिसके विरुद्ध अपील की जाय और पांच रूपये शुल्क के साथ, जो—

(एक) न्यायिकेतर स्टाम्प द्वारा, या

(दो) राजकीय कोषागार में जमा करके और ऐसी जमा की रसीद संलग्न करके, या

(तीन) ऐसी अन्य रीति से जैसा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाय, प्रस्तुत की जायेगी।

(3) इस नियम के अधीन केवल अपील प्रस्तुत किए जाने का यह प्रभाव न होगा कि ऐसा कोई कार्य रोक दिया जाए या स्थगित कर दिया जाए जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियम 15 के अधीन किया जाता है।

(4) अपील अधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय अन्तिम होगा, किन्तु जहां तक वह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय को उलटता है या उपान्तरित करता है, वहां तक वह अपील में विनिश्चय के दिनांक से प्रभावी होगा।

(5) पूर्वगामी उपनियमों के अधीन रहते हुये, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली में ऐसे संशोधन करवायेगा जैसे इस नियम के अधीन अपील अधिकारी के विनिश्चय को प्रभावी करने के लिये आवश्यक हों।

प्रकीर्ण

21. नामावलियों की अवधि—नियम 6 के उपबन्धों के अधीन तैयार की गयी किसी वार्ड की नामावली नियम 15 के अधीन उसके प्रकाशित होने पर और नियम 16, 18 और 19 के अधीन उसमें किये गये संशोधनों, पुनरीक्षणों आदि के अधीन रहते हुये तुरन्त प्रवृत्त होगी और तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक वार्ड के लिये तत्पश्चात् तैयार की गयी नामावली प्रवृत्त न हो जाय।

22 नामावली आदि की अभिरक्षा और परिरक्षण—(1) नियम 8 के अधीन किये गये सभी दावे और नियम 9 के अधीन की गयी सभी आपत्तियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उन पर अभिलिखित निश्चयों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान, जैसा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, वार्ड की नामावली के अगले पुनरीक्षण तक या नई तैयार की गई नामावली के प्रवृत्त होने तक, जो भी पहले हो, रखा जायेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड की नामावली के अतिरिक्त उसकी प्रतियां उतनी संख्या में जितनी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में और नगर निगम के कार्यालय में रखी जायेगी। इन प्रक्रियाओं को मूल नामावली में किये गये संशोधनों के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जायेगा।

(3) उप नियम (2) में निर्दिष्ट प्रतियों को जमा करने के पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया जायेगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति को उपनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट निर्वाचन-पत्रों का निरीक्षण करने और उनकी प्रमाणित प्रतियां, ऐसी फीस का भुगतान करने पर प्राप्त करने का अधिकार होगा जैसी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

(5) प्रत्येक वार्ड की निर्वाचक नामावली की मुद्रित प्रतियां वार्ड की अगली नियमावली के प्रकाशन तक जनता को विक्रय के लिये ऐसे मूल्य पर जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) किसी वार्ड की नामावली के प्रकाशन पर नयी नामावली के प्रकाशन के ठीक पूर्व प्रवृत्त नामावली को उतने वर्ष के लिये जैसा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, संबंधित नगर निगम के अभिलेखों में जमा रखा जायेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश
(पंचायत एवं स्थानीय निकाय)
23-सी गोखले मार्ग, लखनऊ।

संख्या-1052/रा0नि0आ0अनु0-5/99
लखनऊ दिनांक 12 नवम्बर, 1999
अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 41 तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 12-ज में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश नागर निकायों के मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण एवं मतदाता सूची तैयार करने सम्बन्धी आदेश संख्या 924/रा0नि0आ0/अनु0-5/98 दिनांक 22 दिसम्बर, 1998 को अतिक्रमित करते हुए निम्नलिखित आदेश बनाते हैं:-

1[नागर निकाय (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण)

पूरक उपबन्ध आदेश, 1999

1. (1) यह आदेश (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) पूरक उपबन्ध आदेश, 1999 कहा जायेगा।
 - (2) यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा।
 - (3) यह आदेश नगर पालिका निर्वाचनों को लागू होगा।
 - (4) यह आदेश नामावली के अन्तिम प्रकाशन के पश्चात् और अधिनियम के अधीन नामावली का पुनरीक्षण किये जाने तक की अवधि में प्रवृत्त रहेगा।

2. परिभाषाएं:-इस आदेश में,

- (क) "आयोग" का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग से है,
- (ख) "अधिनियम" का तात्पर्य नगर निगम के मामले में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से, और नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत के मामले में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है,
- (ग) "1950 का अधिनियम" का तात्पर्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 से है,
- (घ) "मुख्य निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य आयोग द्वारा अधिनियम के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) के रूप में पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट अधिकारी से है,
- (ङ) "नगर पालिका" का तात्पर्य भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-त के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट स्वायत्त शासन की किसी संस्था से है,
- (च) "निर्वाचक" का तात्पर्य किसी कक्ष के सम्बन्ध में उस व्यक्ति से है जिसका नाम तत्समय उस कक्ष की निर्वाचक सूची में दर्ज हो,
- (छ) "निर्वाचन" का तात्पर्य नगर पालिका में किसी पद या स्थान के लिए किसी निर्वाचन से है और इसके अन्तर्गत कोई उप निर्वाचन भी है,
- (ज) "निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" का तात्पर्य नगर पालिका के किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली को तैयार करने, प्रकाशित और पुनरीक्षित करने के लिये अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा इस रूप में पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट अधिकारी से है,
- (झ) "विहित प्रपत्र" का तात्पर्य नगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 या, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर पालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 से संलग्न सुसंगत प्रपत्र से है,

(ट) "नामावली" का तात्पर्य किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली से है

3. नामावली में नाम सम्मिलित किया जाना और वर्तमान प्रविष्टि को शुद्ध किया जाना:-

कोई व्यक्ति अपना नाम नामावली में सम्मिलित किए जाने या उसमें किसी प्रविष्टि को ठीक किए जाने के लिए विहित प्रपत्र में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन कर सकता है जो आवेदन-पत्र प्राप्त करने की पावती देगा और अपने कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा जिस पर कोई आपत्ति एक सप्ताह के भीतर उसको दी जा सकेगी और वह आवेदन तथा आपत्ति यदि कोई हो, की जांच करके अपनी संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से आयोग को भेजेगा, और उस पर आयोग के निर्देशानुसार नामावली में नाम सम्मिलित करने या किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

परन्तु नामावली में ऐसे नाम सम्मिलित करने या प्रविष्टि को शुद्ध करने की कार्यवाही कक्ष के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और पूरा होने के पूर्व नहीं की जायेगी।

4. नामावली में लिपिकीय या मुद्रण की त्रुटि ठीक करना:-

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली में लिपिकीय या मुद्रण की किसी त्रुटि का आवेदन से या अन्यथा पता चलने पर उसे ठीक कर सकता है परन्तु ऐसी प्रविष्टि कक्ष के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व ठीक नहीं की जायेगी।

उदाहरण-(एक) नामावली में क्रम-संख्या 452 पर नाम "रमोश चन्द पुत्र श्री सीताराम" दर्ज है और प्रार्थी अपने प्रार्थना-पत्र में अपना नाम "रमेश चन्द्र" बताता है यह मुद्रण की त्रुटि है और इसे ठीक किया जा सकता है

(दो) नामावली में क्रम-संख्या 775 पर निर्वाचक का नाम "कृष्ण कान्त" पुत्र श्री "रमोश चन्द्र" दर्ज है और प्रार्थी अपने प्रार्थना-पत्र में पिता का नाम "रमेश चन्द्र" बताता है यह मुद्रण की त्रुटि है और उसे ठीक किया जा सकता है

5. नामावली में छूटे नाम सम्मिलित किया जाना:-

यदि किसी नामावली में बहुत से निर्वाचकों के नाम छूट जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो जिला मजिस्ट्रेट, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से जांच करायेंगे यदि नामावली की शिकायत सत्य पायी जाती है तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट और संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से आयोग को भेजेंगे और यदि आयोग ऐसा आदेश दे तो नामावली में ऐसे निर्वाचकों के नाम सम्मिलित किये जायेंगे

परन्तु ऐसा कोई भी नाम कक्ष के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व सम्मिलित नहीं की जायेगा।

6. नामावली से नाम हटाया जाना:-

कोई व्यक्ति नामावली से ऐसे किसी व्यक्ति का नाम हटाने के लिए विहित प्रपत्र में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन कर सकता है जो अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्ह या हकदार नहीं है और निर्वाचक अधिकारी सम्बन्धित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपनी संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से आयोग को प्रेषित करेगा और यदि आयोग द्वारा ऐसा आदेश दिया जाता है तो उस व्यक्ति का नाम नामावली से हटा दिया जायेगा।

परन्तु ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम कक्ष के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व नहीं हटाया जायेगा।

परन्तु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिये अर्ह नहीं है तो उसका नाम तुरन्त हटा दिया जायेगा।

7. नामावली में सम्मिलित किए गये और हटाये गए नामों और शुद्ध की गई प्रविष्टियों की सूची:-

नामावली में सम्मिलित किये गये नामों, हटाये गए नामों और शुद्ध की गई प्रविष्टियों की एक सूची तैयार की जायेगी जो मूल नामावली के साथ संलग्न कर दी जायेगी। यह सूची सम्बन्धित नगर पालिका के सूचना पट पर तुरन्त प्रदर्शित की जाएगी और इस सूची की किसी प्रविष्टि के सम्बन्ध में अपील की जा सकेगी और ऐसी अपील के सम्बन्ध में नियमावली में अपील सम्बन्धी उपबन्ध यथा-आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे

8. नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने, नाम हटाये जाने या किसी प्रविष्टि को शुद्ध किए जाने के आवेदन के लिए शुल्क—

नामावली में कोई नाम सम्मिलित करने या हटाए जाने या किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने के लिए दिये जाने वाले आवेदन-पत्र पर एक रूपये प्रति व्यक्ति की दर से शुल्क देय होगा। शुल्क प्राप्ति की रसीद जारी की जाएगी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्राप्त शुल्क का ब्यौरा एक पंजिका में रखेगा और प्रतिदिन प्राप्त हुए शुल्क की धनराशि अगले दिन आयोग के लेखा शीर्षक-0515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-101-पंचायत राज अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्तियां-03- स्थानीय निकायों के निर्वाचन से प्राप्तियां में अनिवार्य रूप से जमा की जायेगी।

नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत की धनराशि तथा अधिकतम व्यय सीमा का निर्धारण।

क्र० सं०	पदनाम/ उम्मीदवार	नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य		जमानत की धनराशि		निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा (रु०)
		सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए (रु०)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ महिला उम्मीदवारों के लिए (रु०)	सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए (रु०)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ महिला उम्मीदवारों के लिए (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर प्रमुख, नगर निगम	800	400	12,000	6,000	16,00,000
2	उप नगर प्रमुख, नगर निगम	400	200	5,000	2,500	2,00,000
3	सभासद, नगर निगम	400	200	4,000	2,000	2,00,000
4	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद	500	250	6,000	3,000	10 वार्ड तक 4,00,000 तथा 10 वार्ड से अधिक 6,00,000
5	सदस्य, नगर पालिका परिषद	200	100	1,500	750	60,000
6	अध्यक्ष, नगर पंचायत	200	100	3,000	1,500	2,00,000
7	सदस्य, नगर पंचायत	100	50	600	300	30,000



आदर्श आचरण संहिता



भारत का संविधान के 73 व 74वें संशोधन के फलस्वरूप पंचायतों एवं नागर निकायों को न केवल संवैधानिक इकाई बनाया गया है, बल्कि प्रत्येक पांच वर्ष में इनके निर्वाचन अनिवार्य कर दिये गये हैं। उक्त संशोधनों द्वारा इन संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ी जाति के अलावा मलाओं के आरक्षण की व्यवस्था भी की गयी है जो पंचायतों को प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 243-ट तथा 243-य-क के अन्तर्गत पंचायतों एवं नागर निकायों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने का उत्तरदायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है। अतः इन निर्वाचनों को सही ढंग से सम्पादित कराने हेतु “आचरण संहिता” की परम आवश्यकता है, ताकि निर्वाचनों की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता निरन्तर बनी रहे। अतः राज्य पंचायतों व नागर निकायों के निर्वाचनों को पूर्णतः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पादित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक आचरण संहिता तैयार की गयी है जो कि इन निर्वाचनों के दौरान सभी उम्मीदवारों, राजनैतिक दलों, मतदाताओं, शासकीय विभागों और चुनाव प्रक्रिया से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू होगी।

आदर्श आचरण संहिता के अधिकांश प्राविधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1980 ई० में पूर्व से ही निहित है, अर्थात् इस संहिता के उल्लंघन करने वालों को उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत दंड दिया जा सकता है। इसके अलावा उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित क्षेत्र का निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रद्द भी किया जा सकता है।

अतः संविधान के अनुच्छेद 243-ट तथा 243-य-क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947, (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित), एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961, (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित), एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916, (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित), तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959, (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित), के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड निम्नलिखित “आदर्श आचरण संहिता” राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू करने की उद्घोषणा करता है:

1. सामान्य आचरण संहिता :

1. किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे कि किसी धर्म (मजहब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग के लोगों की भावना आहत हो, या उनमें तनाव की मनःस्थिति उत्पन्न करने की सम्भावना हो।
2. मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लेना चाहिए।
3. पूजा स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरुद्वारा का उपयोग निर्वाचन अभियानों में नहीं करना चाहिए।
4. किसी भी उम्मीदवार को ऐसे कार्यों से ईमानदारी के साथ परहेज करना चाहिए जो कि निर्वाचन विधि के अन्तर्गत “भ्रष्ट आचरण” और अपराध माने गये हैं। जैसे :-
 - (क) मतदान के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व सार्वजनिक सभा करना।
 - (ख) किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या करवाना।
 - (ग) मतदाताओं को रिश्वत देकर या डरा-धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करने का प्रयास करना।
 - (घ) मतदाताओं का प्रतिरूपण कर अर्थात् गलत नाम से अपने पक्ष में मतदान करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से प्रोत्साहित करना या मदद करना।
 - (ङ) मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या मतदान केन्द्र से जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना।

- (च) मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना।
- (छ) मतदान केन्द्र में या उसके आस-पास आपत्तिजनक अथवा अशोभनीय आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना या उनसे अमद्र व्यवहार करना।
- (ज) मतदान केन्द्रों में कब्जा करना अथवा मतदाता को अपने मत का प्रयोग करने से रोकना या मतदेय स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करना।
- (झ) आपराधिक दुराचरण से मतपेटियों के मतपत्रों को नष्ट करना या उनमें अनाधिकृत व अवैध मतपत्रों को शामिल करना।
5. मतदान के दो दिन पहले से मतदान के अन्तिम समय तक उम्मीदवार न तो मादक वस्तुएं खरीदें न ही वह उन्हें किसी व्यक्ति को सेवन या वितरण के लिए दें। इतना ही नहीं, वह अपने चुनाव कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी ऐसा न करने दें।
 6. निर्वाचन कार्य में तैनात अधिकारियों के साथ प्रत्येक उम्मीदवार व उसके कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों द्वारा पूरा सहयोग करना चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार की अपनी यह नैतिक एवं विधिक जिम्मेदारी है।
 7. मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे कागज पर होनी चाहिए, जिनमें मतदाता का नाम, उनके पिता/पति का नाम, ग्राम, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके अनुक्रमांक के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए।
 8. किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं करनी चाहिए जिनका उसके सार्वजनिक जीवन या क्रिया-कलापों से कोई सम्बन्ध नहीं हो, और न ही ऐसे आरोप लगाने चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो।
 9. किसी भी उम्मीदवार को अन्य उम्मीदवार या उसके समर्थकों का पुतले लेकर चलने, उनके सार्वजनिक स्थानों पर जलाने और इस प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिए।
 10. किसी भी उम्मीदवार को सत्ताधारी दल से चाहे वह केन्द्र का हो या राज्य का, किसी भी तरह से अपने चुनाव प्रचार तथा अपने पक्ष में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सहायता नहीं लेनी चाहिए।
 11. शासन के विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए किसी भी उम्मीदवार को नहीं करना चाहिए।

2. चुनाव प्रचार :

1. प्रत्येक उम्मीदवार को चाहिए कि वह अपने चुनाव प्रचार हेतु किसी सरकारी भवन, कार्यालय एवं किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झंडा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लगवाने तथा संदेश या नारे लिखने जैसे काम उस सम्पत्ति के स्वामी तथा उसमें अध्यासित व्यक्ति के बिना न करें और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं को ऐसा करने दें।
2. किसी भी उम्मीदवार द्वारा दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में लगाये गये झंडे या पोस्टरों को नहीं हटाना चाहिए।
3. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कार्यकर्ताओं या उनके समर्थकों द्वारा किसी अन्य उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं और जुलूसों आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न न की जाय। उन्हें न तो अपने समर्थक में निकाले तुजूस, उस रास्ते से या स्थान में ले जाने और आयोजित करने चाहिए, जहाँ दूसरा कोई उम्मीदवार अपने समर्थन में जुलूस या सभा आयोजित कर रहा है।

3. सभाएं एवं जुलूस :

1. सार्वजनिक सभा या रैली के आयोजनार्थ प्रस्तावित स्थान तथा समय की सूचना उम्मीदवार को स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पहले से ही उपयुक्त समय पर दे देनी चाहिए ताकि यातायात को नियंत्रित करने और शान्ति व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर सकें।

2. किसी हाट/बाजार या सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा या रैली के आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों से पूर्वानुमति ली जानी चाहिए।
3. उम्मीदवार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिस स्थान पर उसका या उसके समर्थकों का, उसकी उम्मीदवारी के पक्ष में सभा या रैली करने का प्रस्ताव है, वहां कोई निषेधात्मक या प्रतिबन्धात्मक आदेश तो शासन अथवा न्यायालय द्वारा लागू नहीं है, यदि ऐसा आदेश लागू हो, तो उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, यदि ऐसे आदेशों से छूट का प्रावधान हो तो उसके लिए समय से आवेदन कर छूट की आज्ञा प्राप्त कर लेनी चाहिए।
4. उम्मीदवार को चाहिए कि वह अपने जुलूस उन्हीं मार्गों से ले जायें, जिन मार्गों के लिए कि उसे पूर्वानुमति मिली हो और उसमें कोई फेरबदल नहीं होनी चाहिए।
5. उम्मीदवार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके जुलूसों या सार्वजनिक सभाओं या रैलियों के कारण यातायात में कोई बाधा न पड़े। ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देशों और सलाह का कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिए।
6. उम्मीदवार को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके जुलूसों और सभाओं या रैलियों में लोग ऐसी चीजें लेकर न चलें जिनको लेकर चलने में प्रतिबन्ध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरुपयोग किया जा सकता है।
7. यदि किसी प्रस्तावित सभा या रैली के सम्बन्ध में लाउडस्पीकर के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिये अनुज्ञा या अनुज्ञापति प्राप्त करनी हो, तो उम्मीदवार को सम्बन्धित जिला अधिकारी से पर्याप्त समय पूर्व आवेदन के द्वारा प्राप्त कर लेनी चाहिए।
8. उम्मीदवार और उनकी सभा या रैली के आयोजकों का यह नैतिक और कानूनी दायित्व है कि वे सभा या रैली में विघ्न डालने वालों से या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने के प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की मदद लें, न कि वे स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने लगे।

4. मतदान दिवस पर उम्मीदवार से अपेक्षा :

1. निर्वाचन कर्तव्य पर लगे हुए अधिकारियों के साथ सहयोग करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदान शान्तिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न हो और मतदाताओं को इस बात की स्वतंत्रता हो कि बिना किसी परेशानी, बाधा एवं दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
2. अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान-पत्र समय से दें।
3. इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं को दी गयी पहचान पर्चियां सादे कागज पर हों और उन पर कोई प्रतीक या उम्मीदवार के नाम न हो।
4. मतदान केन्द्रों के निकट लगाये गये शिविरों के आस-पास अनावश्यक भीड़ न होने दें ताकि उम्मीदवारों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच आपस में मुठभेड़ या तनाव होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
5. यह सुनिश्चित करें कि उम्मीदवार के उक्त शिविर साधारण हों और उन पर से किसी भी उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में स्पष्ट अथवा सांकेतिक चुनाव प्रचार न हो और उनमें कोई खाद्य एवं पेय पदार्थ न दिये जायें और नहीं वहां भीड़ लगने दी जाय।
6. मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगायी जाने वाली पाबन्दियों का पालन करने में अधिकारियों के साथ सहयोग करें।
7. मतदाताओं के सिवाय कोई भी व्यक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कोई दिये गये अनुमति-पत्र (पास) के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा।

5. सत्ताधारी दल हेतु अपेक्षित आचरण एवं व्यवहार :

1. सत्ताधारी दल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी उम्मीदवार या राजनैतिक दल को यह शिकायत का मौका न मिले कि उस दल ने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनों के लिए अपने सरकारी पद का प्रयोग किया है।

और विशेष रूप से—

- (क) माननीय मंत्रियों को अपने शासकीय दौरों को निर्वाचन से सम्बन्धित प्रचार कार्य से नहीं जोड़ना चाहिए और निर्वाचन के दौरान प्रचार करते हुए शासकीय तंत्र अथवा कर्मियों का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए।
- (ख) सरकारी विमानों, गाड़ियों सहित सरकारी और अर्ध-सरकारी वाहनों, तंत्र और कर्मियों का सत्ताधारी दल के हित को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग नहीं किया जायेगा।
2. सत्ताधारी दल को चाहिए कि वह सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान इत्यादि, पर निर्वाचन सभाएं आयोजित करने और निर्वाचन के सम्बन्ध में हवाई उड़ानों के लिए हैलीपैडों के इस्तेमाल करने के लिए अपना एकाधिकार न जमाए। ऐसे स्थानों का प्रयोग दूसरे दलों और उम्मीदवारों को भी उन्हीं शर्तों पर करने दिया जाय, जिन शर्तों पर सत्ताधारी दल उनका प्रयोग करता है।

6. शासकीय विभागों एवं कर्मियों के लिए :

1. शासकीय कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। यह आवश्यक है कि वह किसी को यह महसूस न होने दें कि वे निष्पक्ष नहीं हैं। जनता को उनके निष्पक्षता पर विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसे कोई कार्य नहीं करने चाहिए जिससे ऐसी आशंका भी हो कि किसी उम्मीदवार की मदद/विरोध कर रहे हो।
2. चुनाव के दौरे के समय यदि कोई भी मा० मंत्री निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर लें, तो किसी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। यदि कोई निमंत्रण-पत्र प्राप्त हो तो उसे नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देना चाहिए।
3. साधारणतया चुनाव के समय जो आम सभा सभा आयोजित की जाती है, उसे चुनाव सम्बन्धी सभा मानना चाहिए और उस पर कोई शासकीय व्यय नहीं होना चाहिए। अतः चुनाव के दौरान चुनाव क्षेत्र में असामान्य निर्माण या किसी परियोजना के शिलान्यास या उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए।
4. उन अधिकारियों को छोड़कर जिन्हें ऐसी सभा या आयोजन में कानून एवं व्यवस्था के लिए या सुरक्षा के लिए तैनात किया गया हो, दूसरे अधिकारियों को ऐसी सभा या आयोजन में शामिल नहीं होना चाहिए।
5. यदि कोई मा० मंत्री चुनाव के काम के लिए चुनाव क्षेत्र में जाये तो शासकीय कर्मचारियों को उनके साथ नहीं जाना चाहिए।
6. किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवार या राजनैतिक दलों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि एक ही दिन में कोई उम्मीदवार या दल एक ही जगह पर सभा करना चाहते हों, तो उस उम्मीदवार या दल को अनुमति दी जानी चाहिए, जिसने सबसे पहले आवेदन-पत्र दिया हो।

7. निर्वाचन घोषणा के दिनांक से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने के दिनांक तक—

- (क) नगरपालिकाओं/निगमों, सहकारी संस्थाओं एवं शासकीय उपक्रमों, प्राधिकरणों/निकायों, जिला पंचायतों एवं अन्य सरकारी वाहनों के उपयोग की अनुमति मा० मंत्रीगणों, सांसदों एवं विधान मण्डल सदस्यों, पंचायतों एवं नागर निकायों के निर्वाचित पदाधिकारियों अथवा उम्मीदवारों को नहीं दी जानी चाहिए। मा० मंत्रीगण चुनाव अवधि तक शासकीय साधनों से अशासकीय यात्रायें न करें। व्यक्तिगत यात्राओं के लिए शासकीय साधनों एवं सरकारी तंत्र का प्रयोग न किया जाय और न ही सरकारी तंत्र से किसी प्रकार की सहयोग की अपेक्षा की जानी चाहिए।
- (ख) मा० मंत्रीगणों, पंचायतों एवं नागर निकायों के निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा जन-सम्पर्क राशि या विवेकाधीन राशि में से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए और न ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दिया जाना चाहिए।

निर्वाचन प्रक्रिया की सम्पूर्ण अवधि में सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में सांसद निधि, विधायक निधि व अन्य किसी शासकीय निधि से नये निर्माण कार्य न तो स्वीकृत किये जाय, न तो क्रियान्वित किये जाय और न ही उनकी

घोषणा की जानी चाहिए। अर्थात् यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी नये निर्माण कार्य शुरू नहीं किये जायेंगे और न ही उक्तार्थ धनराशि स्वीकृत की जायेगी। ऐसे कार्यों को करने हेतु निविदायें, विज्ञापन आदि भी प्रकाशित स्वीकृत की जायेगी। ऐसे कार्यों को करने हेतु निविदायें, विज्ञापन आदि भी धनराशि स्वीकृत की जायेगी। ऐसे कार्यों को करने हेतु निविदायें, विज्ञापन आदि भी प्रकाशित नहीं की जायेगी तथा ऐसी निविदायें जो आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी होने के पूर्व आमंत्रित की जा चुकी हो उन पर भी अग्रेतर कोई भी कार्यवाही/निर्णय आदर्श आचार संहिता के निष्प्रभावी होने के बाद ही की जाय (निर्वाचन प्रक्रिया की अधिसूचना से पूर्व तक जो भी निर्माण कार्य स्वीकृत हो चुके तथा निर्माणाधीन थे, उन कार्यों पर रोक नहीं होगी। अपितु नये निर्माण कार्यों जिनसे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं उन पर पूर्णतः रोक रहेगी) ऐसे सतत चलने वाले विकास/निर्माण कार्य जो वर्ष-प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित तथा राज्य सरकार की आय-व्ययक में पहले से प्रावधानित हो उन पर कोई रोक नहीं होगी।

प्राकृतिक आपदा की स्थिति में प्रभावी क्षेत्रों की जनता की सुरक्षा एवं सहायता के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी की संस्तुति के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के प्राविधानों में शिथिलीकरण किया जा सकता है।

नई योजनाओं की शुरुआत, शिलान्यास, उद्घाटन आदि नहीं किये जायेंगे। तात्पर्य यह है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा जिससे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मतदाता पर प्रभाव पड़ने की आशंका हो।

(ग) शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विभागों या संस्थाओं द्वारा ऐसे विज्ञापन समाचार-पत्रों अथवा अन्य प्रचार माध्यमों से नहीं दिये जायें जो सत्तारूढ़ दल के शासन अथवा विभाग या संस्थाओं की उल्लेखनीय प्रगति, भावी योजनाओं या आश्वासनों को रेखांकित करते हैं।

(घ) निर्वाचन प्रक्रिया की अवधि के दौरान आदर्श आचरण संहिता लागू रहते हुए विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण तथा नई नियुक्तियों/भर्तियों आदि नहीं की जायेगी। यह प्रतिबंध कानून व्यवस्था एवं निर्वाचन से संबंधित आई०ए०एस०, आई०पी०एस०, पी०सी०एस० एवं पी०पी०एस० संवर्ग के अधिकारियों पर भी लागू रहेगा।

उक्त के अतिरिक्त निर्वाचन सम्पन्न होने तक निम्न कार्यों के क्रियान्वयन पर भी प्रभावी रोक रहेगी:-

- (I) आग्नेयास्त्रों के एवं उनके व्यवसायों हेतु नये लाइसेंस जारी किया जाना।
- (II) पंचायतीसज एवं नागर स्थानीय निकाय संस्थाओं द्वारा भूमि, दुकान, भवन आदि के आवंटन पट्टे की कार्यवाही किया जाना।
- (III) पंचायत एवं नागर निकायों की चल-अचल संपत्ति का स्थानान्तरण किया जाना।
- (IV) पंचायत एवं नागर स्थानीय निकायों संस्थाओं से संबंधित मामलों में नीलामी, ठेके, तहबाजारी की कार्यवाही किया जाना।
- (V) पंचायत एवं नागर निकाय क्षेत्रों में सरकारी सस्ते-गत्ते की दुकानों के लाइसेंस प्रदान करना।
- (VI) पंचायत एवं नागर निकाय द्वारा नये निर्माण कार्यों की स्वीकृति एवं उनके लिये धनावंटन तथा नये निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।

निर्वाचन अवधि के दौरान मतदाताओं को निर्भिकता पूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग करने एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए शासन/प्रशासन द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय:-

- (अ) निर्वाचन अवधि के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों की लाइसेंसधारियों के आग्नेयास्त्रों को जमा कराये जाय तथा शस्त्र लेकर चलने पर रोक लगायी जाये।
- (ब) निर्वाचन कार्यों में गडबड़ी फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जाय।

- (स) मतदान केन्द्रों/स्थलों तथा मतगणना केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। ताकि बलपूर्वक मतदान एवं बूथ कैचरिंग की घटनायें घटित न हो तथा दलित/निर्बल वर्ग के मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से न रोका जाय।
- (द) मतदान एवं मतगणना की तिथियों पर शराब/भांग और अन्य मादक वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगायी जाय।
- (य) मतदान एवं मतगणना की तिथि पर निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय।
- (र) मतदान की तिथि पर राजकीय कार्यालय/शैक्षणिक संस्थाओं स्थानीय निकायों में स्थानीय अवकाश घोषित किये जाय।
- (ल) मतदान की तिथि पर कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत कारीगरों/मजदूरों को अवकाश दिया जाय।

उक्त के आलेक में यदि आदर्श आचरण संहिता का कोई उल्लंघन प्रकाश में आये तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा भारतीय दण्ड संहिता एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही कसना सुनिश्चित किया जाय।

आदर्श आचरण संहिता के तहत उल्लिखित व्यवस्थाओं से अवगत होते हुए संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों, सचिवों, आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, जिला अधिकारियों तथा कार्यालयाध्यक्षों द्वारा निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाय।

ह0 सुबर्द्धन
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

मैनुअल-8

कार्यालय में अनुभागवार पत्रावलियों का विवरण:- अधिष्ठान संबंधी पत्रावलियों की सूची

क्र.सं.	पत्रावली/पंजिका का नाम	फाईल संख्या
1	2	3
1.	आयोग में स्वीकृत पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति पत्रावली	01/2001
2.	जिला कार्यालयों हेतु अधिष्ठान/पदों की स्वीकृति	05/2001
3.	कार्यालय आदेश पत्रावली	173/2001
4.	प्रोटोकॉल	286/2002
5.	कार्यालय भवन व्यवस्था	10/2001
6.	अधिकारियों/कर्मचारियों का कार्य विभाजन	75/2001
7.	आहरण/वितरण अधिकारी	34/2001
8.	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा विवरण	95/2001
9.	पंचास्थानि चुनावालयों में संविदा पर अनुबंधित	447/2003
10.	संविदा पत्रावली	43/2003
11.	अन्य राज्य निर्वाचन आयोगों से पत्र व्यवहार	
12.	राज्य निर्वाचन आयोग में पदों की स्वीकृति/ढांचा पत्रावली	38/2001
13.	सेवा नियमावली समूह-ग एव ख	556/2005
14.	सेवा नियमावली समूह-ख	555/2005
15.	निर्वाचनों के दौरान नियंत्रण कक्ष स्थापना	345/2003
16.	प्रेस विज्ञप्ति पत्रावली	356/2003
17.	शासन को भेजी जाने वाली सूचना पत्रावली	306/2002
18.	अधिष्ठान के अन्तर्गत आरक्षण पत्रावली	315/2002
19.	स्थानान्तरण पत्रावली (जिला स्तर)	479/2003
20.	भारत निर्वाचन आयोग, देहरादून से पत्राचार पत्रावली	335/2002
21.	मा0 मंत्रियों/सांसदों के पत्रों का प्रत्युत्तर पत्रावली	205/2002
22.	मा0 राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश के मध्य लम्बित प्रकरणों पर उच्चस्तरीय बैठक पत्रावली	292/2002
23.	आयोग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण	44/2002
24.	राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल में नियमित/प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावलियां	---
25.	राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल के नियंत्रणाधीन पंचास्थानि चुनावालयों में कार्यरत नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावलियां	---
26.	कोर्ट केस संबंधी पत्रावली	737/2004
27.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005	606/2005
28.	सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग से संबंधित पत्राचार	607/2005
29.	सराहनीय कार्य हेतु प्रशंसा-पत्र	611/2005
30.	संयुक्त सचिव कैम्प कार्यालय से संबंधित पत्रावली	620/2005
31.	आदेश पत्रावली स्टोर	621/2005
32.	सूचना अनुभाग, उत्तराखंड शासन।	622/2005
33.	राज्य निर्वाचन आयोग, पांडिचेरी	623/2005
34.	वाहन चालकों की नियुक्ति संबंधित	624/2005
35.	श्री राजवंश दूबे, स.जि.नि.अधि. की व्यक्तिगत पत्रावली	625/2005

36.	कार्यभार/चार्ज हस्तांतरण संबंधी सूचियां	626/2005
37.	राज्य निर्वाचन आयोग में पी.आर.डी. की तैनाती टी.सी.	627/2005
38.	अधिकारियों/कर्मचारियों की ज्येष्ठता निर्धारण	628/2005
39.	समीक्षा बैठक कार्यवाही	630/2005
40.	समाचार पत्रों द्वारा विज्ञापन हेतु	637/2005
41.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारियों के वेतनमान पुनरीक्षण	638/2005
42.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं उधमसिंहनगर के पेंशन गणना विषयक	639/2005
43.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रेषकों का निस्तारण	640/2005
44.	राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्ति	641/2005
45.	पंचास्थानि चुनावालयों/जनपद से संबंधित आदेश/कार्यालय ज्ञाप संबंधी पत्रावली	643/2005
46.	आकस्मिक अवकाश स्वीकृति	644/2005
47.	संविदाकर्मियों से स्पष्टीकरण विषयक	645/2005
48.	संविदाकर्मियों/पी.आर.डी. कर्मियों की उपस्थिति सूचना	650/2005
49.	आकस्मिक आवेदन पत्र एवं स्वीकृतियां-2006	651/2006
50.	रिक्त पदों की सूचना	652/2006
51.	राज्य निर्वाचन आयोग में रिक्त पदों पर प्रोन्नति विषयक कार्यवाही	653/2006
52.	अधिकारियों/कर्मिकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण	654/2006
53.	सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति	656/2006
54.	राज्य सूचना आयोग, उत्तराखंड को भेजी जाने वाली मासिक रिपोर्ट	658/2006
55.	राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवाशर्त	659/2006
56.	उत्तराखंड शासन/प्रशासनिक विभागों से प्राप्त महत्वपूर्ण निर्देश/कार्यवाही	663/2006
57.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण	664/2006
58.	आयोग मुख्यालय में अधिकारियों/कर्मिकों का कार्यपटल परिवर्तन	665/2006
59.	अधिकारियों/कर्मिकों का भ्रमण कार्यक्रम	691/2006
60.	निरीक्षण परिपालन	693/2006
61.	पंचास्थानि चुनावालय में रिक्त पदों पर भर्ती	694/2006
62.	पंचास्थानि चुनावालयों में नियुक्त छंटनीशुदा कर्मचारियों की पूर्वसेवाओं को पेंशनदेयता हेतु सम्मिलित किया जाना	701/2006
63.	व्यक्तिगत पत्रावली श्री यशवंत लाल कपूर	702/2006
64.	पंचास्थानि चुनावालयों के कार्यालय भवन (स्थाई) स्टोर की व्यवस्था हेतु भूमि/भवन निर्माण संबंधी प्रस्ताव/अभिलेख	698/2006
65.	रिट पीटीशन संख्या-1610(एस.एस) 2005 श्री अतुल भट्ट एवं अन्य बनाम राज्य निर्वाचन आयोग	710/2006
66.	रिट पीटीशन संख्या-1611(एस.एस) 2005 श्री सत्यानंद बडोनी एवं अन्य बनाम राज्य निर्वाचन आयोग	711/2006
67.	लोक प्रशासन में विशिष्ट एवं अनुकरणीय कार्य करने वाले लोक सेवकों को प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया जाना।	713/2006
68.	जलकर भुगतान संबंधी	714/2006
69.	सिटीजन चार्टर का प्रभावी क्रियान्वयन	722/2006
70.	दिनांक 25.11.2006 को राजपुर में आहूत मा. राज्य निर्वाचन आयुक्तों की बैठक हेतु सूचना।	720/2006
71.	शासनादेश/राजाज्ञाप प्राप्त एवं कार्यवाही	731/2007
72.	आयोग कार्यालय-सुरक्षा व्यवस्था	732/2007
73.	अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण विषयक पत्रावली	735/2007

74.	सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग को वार्षिक प्रतिवेदन भेजने विषयक।	736/2007
75.	मा. राज्य निर्वाचन आयुक्तों का सम्मेलन/कार्यवृत्त	739/2007
76.	मा. राज्य निर्वाचन आयुक्तगणों के सातवें सम्मेलन विषयक पत्राचार	741/2007
77.	राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया	753/2007
78.	मॉडल पंचायत निर्वाचन बिल एव मॉडल राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवाशर्त)	754/2007
79.	अभिलेखों के वीडिंग एवं कनसाईनमेंट संबंधित निर्देश एवं कार्यवाही	763/2007
80.	विविध पत्राचार	764/2007
81.	पदनाम परिवर्तन/संशोधन संबंधी	765/2007
82.	विधानसभा/लोकसभा प्रश्नोत्तर	759/2007
83.	मा. राज्य निर्वाचन आयुक्त का दिनांक 19.11.2007 को उड़ीसा में होने वाला 8वें सम्मेलन के संबंध में।	773/2007
84.	न्यायालयों से संबंधित संदर्भों पर कार्यवाही	774/2007
85.	राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य कलाप विषयक	775/2007
86.	सूचना का अधि. अधि. 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रेषण	776/2007
87.	निर्वाचन हेतु कर्मियों की तैनाती	777/2007
88.	सीधी भर्ती/पदोन्नति पर आरक्षण का रोस्टर	778/2007
89.	व्यक्तिग पत्रावली श्री एम.एस. राणा, उप सचिव	783/2007
90.	व्यक्ति पत्रावली श्री आर.सी. जोशी, प्र.स. प्रतिनियुक्ति, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तरकाशी	784/2007
91.	रिट पिटीशन संख्या-1382/2008 श्री हरजिंदर सिंह बनाम जागीर सिंह, उधमसिंहनगर	906/2008
92.	रिट पिटीशन संख्या-1323/2008 श्रीमती गुडी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड	907/2008
93.	रिट पिटीशन संख्या-1316/2008 श्री मेघनाथ सिंह बनाम राज्य निर्वाचन आयोग	908/2008
94.	रिट पिटीशन संख्या-816/2008 श्री रमेश चन्द्र कांडपाल एवं अन्य बनाम राज्य निर्वाचन आयोग	909/2008
95.	श्री शकील अहमद ग्राम प्रधान ग्राम बडेडी राजपुताना, रुड़की हरिद्वार	910/2008
96.	रिट पीटीशन संख्या-...2007 सुन्दर लाल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड	792/2007
97.	रिट पिटीशन संख्या-1319/2007 उत्तराखण्ड ग्राम प्रधान संस्थान बनाम उत्तराखण्ड राज्य अन्य	795/2008
98.	व्यक्तिगत पत्रावली श्री आर.गुसाईं, वरिष्ठ लिपिक, चमोली	796/2008
99.	रिट पिटीशन संख्या-223/2008 एम.एस. दीप शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य	797/2008
100.	रिट पिटीशन संख्या-220/2008 हामिद अली बनाम राज्य सरकार एवं अन्य	798/2008
101.	रिट पिटीशन संख्या-230/2008 राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड बनाम राज्य सरकार एवं अन्य	799/2008
102.	रिट पिटीशन संख्या-229/2008 राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड बनाम राज्य सरकार एवं अन्य	800/2008
103.	रिट पिटीशन संख्या-127/2008 उत्तराखण्ड क्रांति दल व अन्य विपरीत परिसीमन आयोग एवं अन्य	801/2008
104.	रिट पिटीशन संख्या-444/2008 जीवन सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	802/2008
105.	नागर स्थानीय के सामान्य निर्वाचन-2008 की शिकायतों का निस्तारण	810/2008
106.	रिट पिटीशन संख्या-559/2008 रामेश्वर दयाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य	811/2008
107.	रिट पिटीशन संख्या-280/2008 उत्तराखण्ड ग्राम प्रधान संगठन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	814/2008

108.	पदों पर प्रतिनियुक्ति	833/2008
109.	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2008 प्रेक्षकों की नियुक्ति	834/2008
110.	सुनीता देवी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य	835/2008
111.	53/2008 सुभाष इस्सर बनाम सुरेन्द्र सिंह कुकरेजा, देहरादून	836/2008
112.	54/2008 संजय कुमार बनाम सचिव गुप्ता	837/2008
113.	52/2008 रमेशचन्द्र नैथानीय बनाम सी.एम. नेगी	838/2008
114.	रिट संख्या-47/2008 शबनम बनाम श्रीमति प्रेमलता आदि	842/2008
115.	रिट संख्या-58/2008 दीप वोहरा बनाम मोहन जोशी	843/2008
116.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत नागर स्थानीय निर्वाचन-2008 से संबंधित सूचनाओं का प्रेषण	847/2008
117.	पंचास्थानि चुनावालयों में कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति	848/2008
118.	रिट पिटीशन संख्या-312/2008 उत्तराखंड ग्राम प्रधान संगठन बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य	855/2008
119.	रिट पिटीशन संख्या-60/2008 श्री रूप सिंह बनाम श्रीमती जसवीबर कौर एवं अन्य	856/2008
120.	रिट पिटीशन संख्या-59/2008 श्री विपुल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड	857/2008
121.	रिट पिटीशन संख्या-48/2008 श्री पंकज गौड़ बनाम जयप्रकाश गौड़	859/2008
122.	रिट पिटीशन संख्या-64/2008 श्री राकेश मंजखोला बनाम सोहन लाल मंजखोला	860/2008
123.	रिट पिटीशन संख्या-66/2008 श्रीमती किशन देई चौहान बनाम श्रीमती कमली भट्ट	862/2008
124.	रिट पिटीशन संख्या-69/2008 श्री रामसुख बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य	863/2008
125.	दिनांक 01 अप्रैल, 2008 को अनुभागवार सृजित पदों का विवरण उपलब्ध कराना।	864/2008
126.	न्यायालय प्रकरण से संबंधित पत्र का व्यवहार/कार्यवाही	865/2008
127.	व्यक्तिगत पत्रावली श्री उम्मेद सिंह बिष्ट, चरिष्ठ सहायक, पंचास्थानि चुनावालय, टिहरी गढ़वाल	867/2008
128.	रिट पिटीशन संख्या-63/2008 श्री नन्दनी शर्मा बनाम मोहन जोशी एवं अन्य	869/2008
129.	रिट पिटीशन संख्या-68/2008 श्री राजपाल बनाम जगदीश धीमान एवं अन्य	870/2008
130.	रिट पिटीशन संख्या-71/2008 श्री मुकेश सोनकर बनाम अजय सोनकर एवं अन्य	871/2008
131.	रिट पिटीशन संख्या-72/2008 श्री मकबूल हसन अंसारी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य	872/2008
132.	रिट पिटीशन संख्या-67/2008 श्री राकेश लखेड़ा आदि श्री गणेश डंगवाल	873/2008
133.	रिट पिटीशन संख्या-73/2008 श्री दिलराम रतूड़ी बनाम दीपशर्मा आदि	874/2008
134.	रिट पिटीशन संख्या-74/2008 श्री स्वामी दयाल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड आदि	875/2008
135.	श्री बिपिन चन्द्र चन्दोला, मा. राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखंड की व्यक्तिगत पत्रावली	876/2008
136.	कार्यालय का पता/अधिकारियों की योगदान सूचनाएं व दूरभाष संख्या	878/2008
137.	रिट पिटीशन संख्या-473/2008 श्री सतेन्द्र कुमार बनाम यूनियन आफ इण्डियन एवं अन्य	879/2008
138.	व्यक्तिगत पत्रावली श्री विजेन्द्र सिंह बर्वाल, वाहन चालक (प्रतिनियुक्ति)	880/2008
139.	श्री योगेश कुमार पंत, अनुभाग अधिकारी की श्वेच्छा सेवानिवृत्ति प्रकरण	881/2008
140.	रिट पिटीशन संख्या-7/2008 श्री हाजी अब्दुल सत्तार बनाम उत्तराखंड राज्य आदि	886/2008

141.	रिट पिटीशन संख्या-8/2008 श्री मीनादेवी बनाम जै लाल उर्फ जैवन्ती लाल आदि	887/2008
142.	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2008 हेतु तत्कालिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं	888/2008
143.	80 सीपीसी नोटिस द्वारा श्री ए. महरोत्रा, वकील मसूरी	889/2008
144.	रिट पिटीशन संख्या-489/2008 श्री इन्दसिंह बरगाती बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य नैनीताल	890/2008
145.	रिट पिटीशन संख्या-536/2008 श्री राजपाल सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य	894/2008
146.	निर्वाचन/अधिष्ठात विविध	896/2008
147.	रिट पिटीशन संख्या-1429/2008 श्री गंगा राम बनाम राज्य निर्वाचन आयोग	912/2008
148.	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा पंचायत निर्वाचन संबंधी शिकायत	913/2008
149.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, श्री संतोष नेगी, गौतम विहार पदमपुर सुखरौ, कोटद्वार	914/2008
150.	रिट पिटीशन संख्या-1462/2008 श्री रमेश कुमार बनाम राज्य निर्वाचन आयोग	915/2008
151.	छठा केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के दृष्टिगत मितव्ययिता लिया जाना	924/2008
152.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री दयाल सिंह रावत प्रत्याशी प्रधान, बजाशवाला, सयपुर, देहरादून।	929/2008
153.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री मुकेश ढोडियाल, पौड़ी गढ़वाल	930/2008
154.	निर्वाचन अवधि में अनुमति/स्वीकृति	931/2008
155.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री यशवंत चौहान सिविल कोर्ट कम्पाउंड, उधमसिंहनगर	932/2008
156.	श्रीमती सीता देवी चमोला, यमकेशवर, पौड़ी	933/2008
157.	क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख आदि एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष आदि पदों का निर्वाचन/प्रेक्षकों की तैनाती।	934/2008
158.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री शावेजखान, तेग बहादुर रोड, देहरादून	935/2008
159.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री बलजीत सिंह, ग्राम पोस्ट साहिया, देहरादून	936/2008
160.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्रीमती हसीदेवी, ग्राम तोलकाण्डे, अल्मोड़ा	937/2008
161.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्रीमति सरोज पत्नी श्री सुरेश नेगी, देहरादून	938/2008
162.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री रविन्द्र सिंह रावत, पौड़ी	939/2008
163.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 विभा देवी, ऋषिकेश	940/2008
164.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री नरेन्द्र प्रसाद नौटियाल, ग्राम प्रधान, ऋषिकेश	941/2008
165.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 बी देवी, ऋषिकेश	945/2008
166.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री पनीराम पुत्र श्री गजराम, अल्मोड़ा	947/2008
167.	रिट पिटीशन संख्या-8/2008 श्री अजय कुमार बनाम श्री किरण सिंह साना व अन्य	948/2008
168.	रिट पिटीशन संख्या-134/2008 श्री मंगतराम बनाम श्री शिवराजपाल व अन्य	949/2008
169.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, जिलाध्यक्ष, मैदान क्रांति दल, देहरादून	950/2008
170.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्रीमती दर्शनी देवी, रुद्रप्रयाग	951/2008
171.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री जितेन्द्र सागर पुत्र श्री वंशीधर सागर, लक्सर, हरिद्वार	952/2008
172.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री अरुण भदौरिया, एडवोकेट, हरिद्वार	954/2008
173.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री देव सिंह नेगी, चमोली	961/2008

174.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री सुरेन्द्र सिंह कठैत, देहरादून	962/2008
175.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री देवेन्द्र काण्डवाल सकलानी, ऋषिकेश	963/2008
176.	श्री राज्यपाल के अभिभाषक उत्तराखण्ड विधानसभा के प्रथम सत्र हेतु वार्षिक	964/2008
177.	रिट पिटीशन संख्या-1258/2008 श्री विनोद लाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	965/2008
178.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री विनोद डोभाल, डिफेंस कालोनी, देहरादून	967/2008
179.	व्यक्तिगत पत्रावली श्री रमेश चन्द्र कांडपाल, कनिष्ठ लिपिक	970/2009
180.	व्यक्तिगत पत्रावली श्री मोहन चंद्र जोशी, कनिष्ठ लिपिक	971/2009
181.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री आदेश कुमार सैनी, एडवोकेट, भगवानपुर, हरिद्वार	972/2009
182.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 कल्याण खाल सामाजिक विकास समिति, दिल्ली	974/2009
183.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 आयोग मुख्यालय में विभिन्न अनुभागों में प्राप्त अनुरोध पत्रों की प्राप्ति/निस्तारण की सूचना	975/2009
184.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 कातिराम नौटियाल, ग्राम मेहूवाला, खालसा, देहरादून	976/2009
185.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री प्रीतम सिंह वार्ड संख्या-08 उधमसिंहनगर	977/2009
186.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री जी.एल. शर्मा, 17-संजय कालोनी, इंदर रोड, देहरादून	978/2009
187.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 सुश्री नीलम बेबी/श्री मगन सिंह बिष्ट, पौड़ी गढ़वाल	979/2009
188.	श्री जयप्रकाश कोठारी, ऋषिकेश	980/2009
189.	श्री सुरजी देवी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, पौड़ी गढ़वाल	981/2009
190.	श्री सतीश कश्यप, नई सब्जी मंडी, देहरादून	982/2009
191.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्रीमती गीता देवी, पत्नी स्व. श्री हरीश राम, अल्मोड़ा	983/2009
192.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री विहार ध्रुव, पुना	984/2009
193.	श्री नारायण सिंह रावत, ग्राम जौक, ऋषिकेश	985/2009
194.	रिट पिटीशन संख्या-201/2009 नंदन सिंह नयाल एवं अन्य	986/2009
195.	श्री विपिन कुमार एडवोकेट, सिविल कोर्ट काशीपुर, उधमसिंहनगर	987/2009
196.	श्री दीपक रतूडी, 93 सालावाला, हाथीबडकला, देहरादून	990/2009
197.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री शब्बन खान (गुल), विशेष संवाददाता, हरिद्वार रोड, देहरादून	991/2009
198.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 आर.टी.आई. मास्टर ट्रेनर्स विकसित करने के संबंध में	992/2009
199.	राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्यालय के अधिकारियों/कार्मिकों की बैठक	993/2009
200.	व्य. पत्रा. श्रीमती कंवरजीत कौर, संविदा, देहरादून	676/2006
201.	विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी	678/2006
202.	राज्य निर्वाचन आयोग में कार्यरत अधिकारियों/कार्मिकों का विनियमितीकरण	689/2006
203.	44, 45, 46/2008 अमरीन खान बनाम, रिट आयोग, सुनीता देवी बनाम आयोग, मुकेश चन्द बनाम आर.ओ.	830/2008
204.	उत्तर प्रदेश से आये कर्मचारियों विषयक	973/2009

205.	निर्वाचन ड्यूटी में लगे मतदान कर्मचारियों के विश्राम अवकाश पत्रावली	616/2005
206.	राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मियों की बैठक	993/2009
207.	राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्मन्न कराये जाने वाले निर्वाचन तथा तत्सम्बन्धी अधिनियम/नियम नियमावतियां/आदेश	1006/2009
208.	राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड मुख्यालय हेतु अधिकारियों की तैनाती	1009/2009
209.	व्यक्तिगत पत्रावली श्रीमती उषा असवाल, कनिष्ठ लिपिक	1018/2009
210.	रिट याचिका सं० 494/2009 श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल एवं श्री मोहन चन्द्र क०लि० राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड	1024/2009
211.	श्री एम०एस० कुटियाल, संयुक्त सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग व्यक्तिगत पत्रावली	1026/2009
212.	मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित जनहित याचिकाएं पीआईएल-127/2008 उत्तराखण्ड कान्ति दल बनाम परिसीमन आयोग एवं अन्य	1027/2009
213.	रिट संख्या-642 (एस/एस)/2009 शिवजी त्रिपाठी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	1033/2009
214.	व्यक्तिगत पत्रावली कु० नमिता शर्मा तृतीय श्रेणी संविदा	1034/2009
215.	व्यक्तिगत पत्रावली श्री लोकेश रावत, च०श्रेणी संविदा	1035/2009
216.	व्यक्तिगत पत्रावली श्री सत्यानन्द बडोनी लोकेश रावत, च०श्रेणी संविदा	1036/2009
217.	आरटीआई-2005 श्री लक्ष्मी दत्त सती पुत्र श्री भवानी दत्त ग्राम वेतनधार पो०ओ०देघाट त०भिक्यासैन जिला अल्मोड़ा	1008/2009
218.	आरटीआई-2005 श्री सुन्दर सिंह कुवाखा ग्राम कुन्थारी, पो० खलका त०द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा	1009/2009
219.	आरटीआई-2005 श्री रमाकान्त श्रीवास्तव प्रदेश उपाध्यक्ष, उ०शिक्षक कर्मचारी डी. ए.वी इण्टर कालेज, देहरादून लक्ष्मी दत्त सती पुत्र श्री भवानी दत्त ग्राम वेतनधार पो०ओ०देघाट त०द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा	1013/2009
220.	आरटीआई-2005 के सफल क्रियान्वयन हेतु वाह्य समीक्षा समिति द्वारा किये जाने वाली समीक्षा विषयक	1019/2009
221.	आरटीआई-2005 श्री रमेश चन्द्र कांडपाल, क०लि०, रा०नि०आ०, उत्तराखण्ड	1022/2009
222.	आरटीआई-2005 श्री तरुण कुमार बाबा मार्फत अनीता पैथोलाजी 7 -न्यू रोड देहरादून।	1023/2009
223.	आरटीआई-2005 श्री सुरेश धीरपुर खुर्द, पो०पशुलोक, जिला देहरादून।	1025/2009
224.	आरटीआई-2005 श्री सुधीर गोयल, सी-21 नेहरू कलोनी, देहरादून।	1032/2009
225.	आरटीआई-2005 श्री एस०एस० तोमर संयुक्त निदेशक, ग्राम्य विकास एफआरडीसी, शाखा सचिवालय, देहरादून।	10337/2009
226.	आरटीआई-2005 श्री संजय भट्ट 95 इन्दिरा मार्केट एमडीडीए काम्प्लेक्स, देहरादून। देहरादून।	1032/2009
227.	आरटीआई-2005 श्री अनील लेखाल एसोसियेशन फार डेमोक्रेटिव कॉसपी 1/6 हॉज खास न्यू दिल्ली।	1032/2009
228.	राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड-अधिष्ठान से सम्बन्धित सूचनाएं।	1045/2009
229.	बीस सूत्री कार्यक्रमों-2008 के अन्तर्गत किये जाने वाली अनुश्रवण संबंधी सूत्रों के संबंध में	1050/2009
210.	रा०निर्वा०आयोग, उत्तराखण्ड मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण।	1051/2009
211.	अन्य राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोगों से पत्राचार पत्रावली।	1060/2009
212.	श्री विरेन्द्र सिंह चौहान क०लि०, पंचास्थानि चुनावालय की व्यक्तिगत पत्रावली।	1062/2009
213.	राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की वेबसाईड हेतु सूचना।	1070/2010
214.	श्री वी०सी० श्रीवास्तव, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय।	1071/2010
215.	अनुभाग-1 में शासन/आयोग स्तर पर लम्बित प्रकरणों के सम्बन्ध में।	1072/2010

216.	राज्य निर्वाचन आयोग में नियुक्ति और सेवा शर्तें नियमावली के सम्बन्ध में।	1078/2010
217.	श्री एस0बी0थपलियाल, सयुक्ता सचिव, रा0निर्वा0आा0, उत्तराखण्ड की व्यक्तिगत पत्रावली।	1083/2010
218.	समीक्षा अधिकारी से लेखाकार के पद पर पद परिवर्तन विषयक।	1085/2010
219.	पंचास्थानि चुनावालयों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिकों का वेतन निर्धारण विषयक।	1098/2010
220.	श्री सुरेश चन्द्र पाण्डे, तृतीय श्रेणी संविदा कर्मी की व्यक्तिगत पत्रावली।	
221.	श्री ऋषिराम थपलियाल, प्रवर सहायक, पंचास्थानि चुनावालय की व्यक्तिगत पत्रावली।	1107/2010
222.	श्री हरिश्चन्द्र जोशी, मा0 राज्य निर्वाचन आयुक्त की व्यक्तिगत पत्रावली।	1109/2010
223.	श्री कैलाश चन्द्र नौटियाल, वित्त एवं लेखाधिकारी, व्यक्तिगत पत्रावली।	1130/2010
224.	राज्य निर्वाचन आयोग तथा पंचा0 चुनावालय में रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति की विज्ञप्ति।	1141/2010
225.	प्रदेश में राजकीय कर्मचारियों के लिए हेल्प स्मार्ट कार्ड योजना लागू करने विषयक।	1147/2010
226.	पंचास्थानि चुनावालयों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा की गई लापरवाही/अनियमितता आदि की जांच विषयक।	1150/2010
227.	रा0निर्वा0आा0 में समूह ख, ग एवं घ पर संविलियन एवं पदोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में।	1162/2011
228.	जनपद हरिद्वार की त्रि0पंचा0सा0निर्वा0-2011 हेतु कन्ट्रोल रूम में सूचना प्राप्त करने विषयक।	1163/2011
229.	पृथक राज्य गठन के बाद स्थानीय निकाय निर्वाचन में उकान्द की भूमिका का विवरण दिसम्बर, 2010 की स्थिति।	1170/2011
230.	राज्य निर्वाचन आयोग में कार्यरत कार्मिकों की ए0सी0पी0 के प्रत्यावेदनों का निस्तारण।	1172/2011
231.	पंचास्थानि चुनावालयों में कार्यरत कार्मिकों की ए0सी0पी0 के प्रत्यावेदनों का निस्तारण।	1173/2011
232.	अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्तगणों के सम्मेलन के प्रयोजनार्थ common वेबसाईट खोलने के सम्बन्ध में।	1202/2011
233.	जनपदों की निर्वाचनक नामावली का सॉफ्टवेयर डाटा के सम्बन्ध में।	1203/2011
234.	रिट याचिका संख्या-1836/2011 श्रीमती सुमन बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1238/2011
235.	रिट याचिका संख्या-1876/2011	1239/2011
236.	संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण विषयक।	1251/2011
237.	श्री कुलदीप सिंह, तृतीय श्रेणी संविदाकर्मी की व्यक्तिगत पत्रावली।	1265/2012
238.	आयोग मुख्यालय में एवं पंचास्थानि चुनावालयों में तैनात कार्मिकों का वेतन निर्धारण।	1278/2012
239.	श्री नन्दन सिंह नयाल, कनिष्ठ सहायक की व्यक्तिगत पत्रावली	1304/2012
240.	श्री जगदीश नाथ मंहत अर्दली की व्यक्तिगत पत्रावली	1305/2012
241.	श्री संजय सिंह, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, उधमसिंहनगर	1306/2012
242.	श्री संजीव प्रकाश सिंह रायत, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, चम्पावत	1307/2012
243.	सुश्री ममता जोशी, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, उधमसिंहनगर	1308/2012
244.	श्री प्रकाश चन्द्र जोशी, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, पिथौरागढ़	1309/2012
245.	श्री दिनेश चन्द्र उप्रेती, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, अल्मोड़ा	1310/2012
246.	श्री कैलाश चन्द्र सिंह, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, नैनीताल	1311/2012
247.	श्री संतोष सिंह बोरा, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, पिथौरागढ़	1312/2012

248.	श्री सुशील नोटियाल, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, उत्तरकाशी	1313/2012
249.	श्री सचिन कुमार वर्मा, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, चम्पावत	1314/2012
250.	श्री विजयपाल सिंह बिष्ट, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, टिहरीगढ़वाल	1315/2012
251.	श्री विजेन्द्र सिंह कैंतुरा, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, टिहरीगढ़वाल	1316/2012
252.	श्री शेखर चन्द्र पाण्डे, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, बागेश्वर	1317/2012
253.	श्री राजेन्द्र सिंह पाठक, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, नैनीताल	1318/2012
254.	श्री अतुल भट्ट, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, पौड़ीगढ़वाल	1319/2012
255.	श्री हेम चन्द्र पाण्डे, अनुसेवक पंचास्थानि चुनावालय, बागेश्वर	1320/2012
256.	श्री जयशाम, अनुसेवक पंचास्थानि चुनावालय, चम्पावत	1321/2012
257.	श्री राजेन्द्र बिष्ट, अनुसेवक पंचास्थानि चुनावालय, अल्मोड़ा	1322/2012
258.	श्री संतोष सिंह बिष्ट, अनुसेवक पंचास्थानि चुनावालय, अल्मोड़ा	1323/2012
259.	श्री मोहन सिंह, अनुसेवक पंचास्थानि चुनावालय, नैनीताल	1324/2012
260.	श्री लक्ष्मण सिंह बिष्ट, अनुसेवक पंचास्थानि चुनावालय, बागेश्वर	1325 / 2012
261.	श्री समूह (घ) कर्मचारियों हेतु वर्दी पत्रावली	1326 / 2012
262.	श्री अरूण कुमार तिवारी, प्रवर सहायक पंचास्थानि चुनावालय पिथौरागढ़	1346 / 2012
263.	श्री मनोज तिवारी, 1/7895 गली न0-3 ईस्ट गोरखापार्क शाहदरा दिल्ली	1347 / 2012
264.	श्री अनिल कुमार गुप्ता, 89/1 चन्द्रशेखर मार्ग मायाकुण्ड ऋषिकेश	1349 / 2012
265.	श्री सोवन सिंह रावत, सी0-41 ई0सी0 रोड देहरादून	1350 / 2012
266.	समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति विषयक	1352 / 2012
267.	किमिनल रिट पिटीशन सं-636 वर्ष 2012 रीमती प्रिया बनाम राज्य व अन्य।	1354 / 2012
268.	समाचार पत्रों की कटिंग विज्ञप्ति/सूचना	1377 / 2013
269.	रिट पिटीशन श्रीमती बीना देवी बनाम श्रीमती मीना बिष्ट आदि देहरादून।	1467 / 2013
270.	श्री बालादत्त पाण्डेय, उप सचिव, व्यक्तिगत पत्रावली	1478 / 2013
271.	जनपद के पंचा0चुना0 में कार्यरत सहा0जि0नि0अधि0, की वार्षिक चरित्र प्रविष्टियां	1492 / 2013
272.	व्यक्तिगत पत्रावली श्री सुबहिन, मा0 राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड	1506 / 2013
273.	पंचास्थानि चुनावालयों में तैनात कर्मिकों का वेतन निर्धारण विषयक	1519 / 2013
274.	रा0 निर्वाचन आयोग में सृजित सहाय0आयुक्त एवं उपायुक्त के पद पर पदोन्नति विषयक	1522 / 2013
275.	श्री जगत सिंह चौहान, वित्त नियंत्रक, रा0नि0आ0, व्यक्तिगत पत्रावली	1537 / 2013
276.	श्री एम0एस0 कृण्डरा, की आयोग में समन्वयक के पद पर तैनाती	1548 / 2013
277.	आयोग में संयुक्त सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्ति	1550 / 2013
278.	आयोग में वैयक्तिक सहायक/अपर निजी सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति	1554 / 2013
279.	आयोग में समीक्षा अधिकारी (लेखा) के पद पर प्रतिनियुक्ति	1555 / 2013
280.	आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति	1556 / 2013
281.	डा0 आर0एस0 पोखरिया, संयुक्त सचिव की व्यक्तिगत पत्रावली	1558 / 2013
282.	श्री आशाराम कुमेड़ी, समीक्षा अधिकारी (लेखा) की व्यक्तिगत पत्रावली	1570 / 2013
283.	शासनादेश संख्या-298 दिनांक 30.12.2013 के द्वारा संविदा कर्मिकों के विनियमितीकरण	1574 / 2014
284.	पत्र प्रेषण एवं प्राप्ति विषयक	1578 / 2014
285.	विविध (शिकायतें)	1686 / 2014
287.	श्री भूपाल सिंह पंचोली, अनुसेवक, पिथौरागढ़।	1637 / 2014
288.	श्री दिनेश सिंह, कनिष्ठ सहायक, रा0नि0आ0, उत्तराखण्ड।	1640 / 2014
289.	पुनर्नियुक्ति संबंधी पत्रावली	1661 / 2014
290.	स्थानान्तरण हेतु प्राप्त विकल्प पत्रावली	1662 / 2014
291.	शोक संदेश पत्रावली	1711 / 2014

292.	श्री कुलवन्त सिंह, कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिगत पत्रावली	1814 / 2014
293.	राज्य निर्वाचन आयोग में कार्यरत कर्मचारी-अधिष्ठाकल्याण परिषद गठन सम्बन्धी पत्रावली	1818 / 2014
294.	श्री हरिदत्त जोशी, विशेष कार्याधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग व्यक्तिगत पत्रावली	1857 / 2014
295.	संयुक्त सचिव प्रतिनियुक्ति पत्रावली	1858 / 2014
296.	श्री हुकम सिंह भण्डारी, कनिष्ठ सहायक, चमोली व्यक्तिगत पत्रावली	1871 / 2014
297.	चतुर्थ श्रेणी कर्मी के कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति पत्रावली	1882 / 2015
298.	रिक्त पदों/सीनों की सूचना माह अप्रैल/मई, 2015	1909 / 2015
299.	श्री विनोद लाल, डाटा इन्ट्री आपरेटर उपनल से अनुबंधित	1910 / 2015
300.	पंचास्थानि चुनावालयों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों का अधिष्ठान संबंधी विवरण	1919 / 2015
301.	रिट याचिका संख्या-774(एस/एस)2015 भूपाल चन्द्र पंचोली बनाम रा0नि0आ0 एवं अन्य	1922 / 2015
302.	स्थापना से संबंधित विविध प्रकरण विषयक	1932 / 2015
303.	रिट याचिका संख्या 1347 / 2015(एस/एस)2015 भूपाल चन्द्र पंचोली बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य	1943 / 2015
304.	तदर्थ नियुक्ति नियमित किये जाना पत्रावली	1944 / 2015
305.	श्री राकेश कुमार एडवोकेट रजि0 नं0 यू0पी07738/02, यू0के0 4795/04 अधिवक्ता चैम्बर नं0 51, सिविल कोर्ट, जनपद हरिद्वार	1950 / 2015
306.	सुश्री निधि सवत, सहायक आयुक्त, प्रतिनियुक्ति की पत्रावली	1985 / 2015
307.	आयोग मुख्यालय में कार्यरत नियमित/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मिकों की गोपनीय प्रविष्टियां-14 पत्रावली	2019 / 2016
308.	शासकीय कार्यों में राजभाषा हिन्दी के पूर्णतः प्रयोग हेतु विभाग में नोडल अधिकारी नामित किये जाने विषयक	2031 / 2016
309.	कनिष्ठ सहायकों की सीधी भर्ती संबंधी पत्रावली-2016	2080 / 2016
310.	लोक सेवा आयोग को सीधी भर्ती का अधियाचन	2082 / 2016
311.	रिट सं-1145 एम0एस0 2016 विक्रम सिंह कार्की बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	2085 / 2016
312.	रिट सं0-1469 विक्रम सिंह कार्की बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	2094 / 2016
313.	श्रीमती सरिता बागड़ी, प्रतिनियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड।	2106 / 2016
314.	श्री रोशन लाल, अपर आयुक्त प्रतिनियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड।	2113 / 2016
315.	उपनल से सविदा पर तैनात कर्मिकों से सम्बन्धित	2131 / 2017
316.	श्री जय प्रकाश नौटियाल, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, हरिद्वार	2177 / 2017
317.	रिट याचिका संख्या-1258/2008 श्री विनोद लाल पुत्र स्व0 श्री रिखा लाल, ग्राम/पो0-बावई जिला-रुद्रप्रयाग बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	2200 / 2017
	रिट याचिका संख्या-2480/2017(एस0/एस0) मदन लाल बनाम मा0राज्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य	2210 / 2017
318.	श्री मनीष तिवारी, तृतीय श्रेणी, पंचास्थानि चुनावालय, देहरादून।	2211 / 2017
319.	श्री विजय लाल, चतुर्थ श्रेणी, पंचास्थानि चुनावालय, पौड़ी गढ़वाल	2221 / 2017
320.	रिट याचिका संख्या-2756 एम0एस0/2017 श्री मदन लाल बनाम आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य।	2224 / 2017
	जनपद स्तर पर सफाई कर्मियों के मानदेय/पारिश्रमिक विषयक	2256 / 2018
321.	श्री मदन लाल शाह (सविदा पर तैनात किये जाने के संबंध में)	2288 / 2018
322.	उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017	2408 / 2018

अनुभाग-1 सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 से सम्बन्धित पत्रावलियां

1.	श्री सुन्दर सिंह कुवारवी ग्राम कुन्स्यारी पो० खलवा तहसील द्वाराहाट अल्मोड़ा	1008 / 2009
2.	श्री रामाकान्त श्री वास्तव प्रदेश उपाध्यक्ष (ABVP) एवं 30 शिक्षक कर्मचारी डी०ए०वी० इण्टर कालेज, देहरादून ।	1013 / 2009
3.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सफल क्रियान्वयन हेतु वाहय समीक्षा समिति द्वारा किये जाने वाली समीक्षा विषयक	1019 / 2009
4.	श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल क०लि० राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड	1022 / 2009
5.	श्री तरुण कुमार बाबा द्वारा अनीता पैथोलाजी 1 न्यू रोड, देहरादून	1023 / 2009
6.	श्री सुरेश वीरपुर खुर्द पो०ओ० पशुलाक जिला देहरादून	1025 / 2009
7.	श्री सुधीर गोयल सी-212 नेहरू कालोनी, देहरादून	1032 / 2009
8.	श्री एस०एस० तोमर सुयुक्त निदेशक, ग्राम्य विकास (FRDC) शाख सचिवालय, देहरादून	1037 / 2009
9.	श्री संजय भट्ट 95 इन्दिरा मार्केट (MDDA) कोम्प्लेक्स निकट पेलियन ग्राउन्ड, दे०दून	1038 / 2009
10.	श्री अनील बरवाल एसोसियन फार डेमोक्रेटिक् रिफॉर्मस 131/6 हॉजखास न्यू दिल्ली	1039 / 2009
11.	श्री कमल किशोर कण्डवाल द्वारा सकलानी न्यूज ऐजेन्सी पोस्ट ओ० मुनीकीरेती कैलाश गेट ऋषिकेश, देहरादून।	1040 / 2009
12.	श्री कुलभूषण गुसाई ऐडवोकेट, सी०जी०एम० कोर्ट कम्पांड, देहरादून	1041 / 2009
13.	श्री उस्मान सैफी पुत्र श्री अखलाख हुसैन जानवरों वाले अस्पताल के सामने कालादूंगी रोड हल्द्वानी, नैनीताल पिन-263139	1042 / 2009
14.	श्री मुजाहिद हुसैन ब्लाक अध्यक्ष रा०प्र० उन्नमूलन अर्गनाइजेशन मो० नेतानगर सुल्तानपुर पट्टी जिला उधमसिंहनगर	1044 / 2009
15.	श्री भूनेन्द्र कुकरेती (एडवोकेट)कोर्ट कम्पाउण्ड ऋषिकेश, देहरादून	1046 / 2009
16.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व०श्रीलक्ष्मणदास गुप्ता निवासी 4 ए चकराता रोड, देहरादून	1052 / 2009
17.	श्री ऐ०के० बादरानी डी०-4 प्रेमनगर बाजार किराडी-सुल्तानपुरी दिल्ली-86 दूरभाष संख्या-9210727459,	1053 / 2009
18.	श्री बदीनाथ में अध्यक्ष के पद पर निर्वाचन के सम्बन्ध में	1054 / 2009
19.	श्री राजेन्द्र निवासी ग्राम बन्नाखेडा ब्लाक एवं तहसील बाजपुर उधमसिंहनगर	1056 / 2009
20.	श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह ग्राम नजीमाबाद पो० सूर्यनगर तहसील किच्छा जिला उधमसिंहनगर	1057 / 2009
21.	श्री भवानी दत्त जोशी भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, धमपुर हरिद्वार रोड पो०बाक्स-07 देहरादून 248001	1058 / 2009
22.	श्री राजेश कुमार पुत्रश्रीराम निवासी ग्राम स्यासू पो० स्यासूपट्टी गोसाई तहसील नई टिहरी टिहरीगढ़वाल	1059 / 2009
23.	अन्य राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग से पत्राचार पत्रावली	1060 / 20099
24.	श्री अनिल कुमार 89/1 चन्द्रशेखर मार्ग मायाकुंड ऋषिकेश	1061 / 2009
25.	श्री विरेन्द्र सिंह चौहान व०लि० पंचास्थानि चुनावालय की व्यय पत्रावली	1062 / 2009
26.	श्री संतोष सिंह नेगी गौतम बिहार पदमपुर सुखरो कोटद्वार गढ़वाल	1063 / 2009
27.	श्री सुनील कुमार, बुडलेण्ड स्टेट लंडीरा बाजार, मसूरी, देहरादून	1064 / 2009
28.	श्री किरण डालाकोटी ग्राम खेड़ा तहसील गोलापार (हल्द्वानी) जिला नैनीताल	1068 / 2010
29.	डा० सत्यनारायण शर्मा निवासी 57 गौसाई गली भीमगोड़ा हरिद्वार	1069 / 2010
30.	श्री मोनू पाण्डे द्वारा श्री नवीनचन्द्र गुप्ता म०न०-47 आकाशपुरम पीलीभीत बाईपास रोड बरेली, उत्तर प्रदेश	1073 / 2010

31.	श्री पंकज गुप्ता 33 हीरालाल मार्ग ऋषिकेश	1074 / 2010
32.	श्री जीवन सिंह भन्डारी ग्राम छत्यानी पो.ओ. रतिसैरा बाया डंगोली जनपद बागेश्वर	1075 / 2010
33.	श्री धर्मानन्द जोषी मनोनीत (समाप्त) नगर पंचायत भीमताल, उत्तराखण्ड देहरादून	1076 / 2010
34.	श्री ईश कुमार शर्मा शारदा भवन हिलवाई पास रोड खडखडी हरिद्वार	1077 / 2010
35.	श्री जोधसिंह बोरा पुत्र स्व श्री लाल सिंह बोरा ग्राम व पो० फमस्यारी तहसील डीडीहाट जिला पिथौरागढ़	1079 / 2010
36.	श्री रमेश चन्द्र सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून	1080 / 2010
37.	कु० कुसुम निवासी म० न०-13 आर के पुरम तरला अधोईवाला पो० ओ० डालनवाला, देहरादून	1081 / 2010
38.	कैप्टन दीवान सिंह बिष्ट उड़डीवाला कौलांगढ़ पो०ओ० क० डी०एम०आई० पी०ई० देहरादून -248165	1082 / 2010
39.	श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव पुत्रश्रीयु०के० श्रीवास्तव लीगल हेड मैग्नाफिन कार्य० लि० 176 पटेलनगर, देहरादून	1084 / 2010
40.	श्रीमती अनीता रानी निवासी बनियावाला पो० भानियावाला देहरादून	1086 / 2010
41.	श्रीरामसिंह रावत, एडवोकेट चेम्बर -न०22 सी०जे०एम०कोर्ट कम्पाउंड, देहरादून	1087 / 2010
42.	श्री कैलाश चन्द्र तेवाडी, कार्यवेक्षक/वेतन अनुभाग फील्डगन फैक्टरी कालपी रोड कानपुर	1088 / 2010
43.	अपुल श्रीकृंज, सम्पादक मिशन एक्सप्रेस झारान ज्वालापुर हरिद्वार	1089 / 2010
44.	श्री भगवान सिंह रावत अमृत निवास गनहिल रोड मसूरी, उत्तराखण्ड	1090 / 2010
45.	श्री इन्द्रजीत सिंह, 2 ईस्ट रेस्टकैम्प त्यागी रोड देहरादून	1091 / 2010
46.	श्री सोनू पुत्रश्री सुमेर चन्द्र 5 परसोलीवाला हाथीबडकला कैंट रोड दे०दून०	1092 / 2010
47.	श्री किशन बहादूर थापा ग्राम ० व पो० बंजरवाला, देहरादून	1093 / 2010
48.	श्रीमती पुरुषादेवी पत्नीश्री रामदेसिंह बिष्ट निवासी स्व० माधोसिंह बालविद्या भवन इन्द्रनगर विन्दुखलाता लालकुआ, नैनीताल	1099 / 2010
49.	श्री अमर सिंह नेगी सेवा निवृत्त ज्येष्ठ प्रशानिक अधिकारी चमोली हाल निवास आई०टी०आई गोपेश्वर पो०ओ० देवर खडोर जनपद चमोली	1100 / 2010
50.	श्री राकेश खण्डूडी पुत्र श्री चन्द्र दत्त खण्डूडी समाचार सम्पादक नूतन सवेरा 10/1 चकराता रोड परामेडिकल के पीछे महन्त क्वाटर्स जनपद देहरादून	1102 / 2010
51.	श्री जयपाल सिंह संपादक हिन्दुस्तान बोल रहा है पत्रिका पुत्र श्री वेदपाल चौधरी निवासी 31 कर्जन रोड, देहरादून	1103 / 2010
52.	श्री शैलेन्द्र थपलियाल संपादक गढवार्ता ग्राम, आबई, पो० चमकोटखल, बाया भुगुखाल यमकेश्वर पौड़ीगढ़वाल	1104 / 2010
53.	श्री सुलेख चन्द्र पुत्र श्री फलचन्द्र ग्राम मानक माजरा पो० हाल्तू माजरा त० रुडकी जिला हरिद्वार	1106 / 2010
54.	डा० रवि रस्तोगी संपादक एवं प्रकाषक हिमालय और हिन्दुस्तान राष्ट्रीय पाक्षिक बीरभद्र (ऋषिकेश) देहरादून	1108 / 2010
55.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत विविध पत्रावली	1110 / 2010
56.	श्री आपुतोश कुमार यादव श्री गाँधी आश्रम, 102 चन्द्रनगर, देहरादून	1111 / 2010
57.	श्रीमती हीरा पंचाल पत्नी श्री खेलराम पंचाल गाँव मोखालारा पो० सेवडा त०रानीवाडा जिला जालोर पिन-343040	1114 / 2010
58.	श्री एस०सी पाल पुलिस अपाधिक (से०नि०) आर्यनगर ज्वालापुर हरिद्वार	1120 / 2010

59.	श्री जयप्रकाश कोठारी भारतीय जनता पार्टी टिहरीगढ़वाल	1121 / 2010
60.	श्री आर०पी० अग्रवाल एस-4 शिवालिक लगजरी एपार्टमेंट कर्जन रोड देहरादून	1129 / 2010
61.	श्री संजय कुमार एडवोकेट जजीकोर्ट कम्पान्ड हल्द्वानी जिला नैनीताल	1145 / 2010
62.	श्री राय खालिद अली एडवोकेट जिला एवं सत्र न्यायाल रोशनाबाद हरिद्वार	1146 / 2010
63.	श्री कमल कुमार निवासी औखला सुन्दरवाला रायपुर, देहरादून	1148 / 2010
64.	श्रीमती रचना गर्ग (पत्रकार) 104, ईश्वर बिहार फेज-2 रायपुर रोड देहरादून	1149 / 2010
65.	श्री कुला नन्द गोस्वामी, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत गौरीकुंड जनपद रुद्रप्रयाग	1154 / 2011
66.	श्री उसमान सैफी पुत्र श्री अखलाख हुसैन सैफी जी०पी०रोड हार्डवेयर निकट आयुष चिकित्सालय कालादूगी रोड हल्द्वानी नैनीताल	1155 / 2011
67.	श्री पंकज शर्मा पुत्रश्री सुरेन्द्र शर्मा द्वारा- छाया फोटो स्टूडियो मौ० शेखपुरा कुम्हार गढा कनखल हरिद्वार	1156 / 2011
68.	श्री मांगेराम कश्यप पुत्र श्री जयप्रकाश निवासी 459/1, मौहल्ला सरवत (बसंत बिहार) पो० मुज्जफरनगर जिला मुज्जफरनगर	1159 / 2011
69.	श्री अजय सिंह कालरा पुत्रश्री भगवान दास निवासी ग्राम सैदपुरा पो० मंगलौर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार	1161 / 2011
70.	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्रीबुद्धसिंह निवासी ग्राम मियावाला पो० हर्वाला जिला देहरादून	1164 / 2011
71.	श्री हरीश सिंह अधिकारी पूर्व ग्राम प्रधान वेलवाखल ज्योलिकोट नैनीताल	1165 / 2011
72.	श्री भंवर सिंह पुत्री मानसिंह रविदास बस्ती कनखल हरिद्वार	1166 / 2011
73.	श्री धमेन्द्र कुमार 4-ई इन्द्र रोड, डालनवाला देहरादून	1168 / 2011
74.	श्रीमती फरमाना पत्नी श्री फरीद निवासी ग्राम महाराजपुर खुर्द त० लक्सर डा० महाराजपुर कला हरिद्वार	1169 / 2011
75.	श्री विजय सक्सेना, अधिवक्ता, चेम्बर न०121, जिला एवं सत्र न्यायालय, रोशनाबाद हरिद्वार	1170 / 2011
76.	श्री कमल पनेरू पुत्रश्री मोतीराम मारफत विनोद दानी, दानी जनरल स्टोर अमरावती कालौनी द्वितीय तल्ली बमौरी हल्द्वानी नैनीताल	1181 / 2011
77.	श्री एम०जकरिया दूकान न०सी-15 नई सब्जीमण्डी निरंजनपुर देहरादून	1182 / 2011
78.	श्री विकास अग्रवाल प्रदेश महासचिव शिव सेना, उत्तराखण्ड अलकनन्दा बिहार कुमायूँ कालौनी निकट रेलवे फाटक रामनगर रोड काशीपुर, उधमसिंहनगर	1183 / 2011
79.	श्री जगजीवन चौहान एडवोकेट द्वारा के०एस० रावत मकान न०10 लेन नम्बर-6 सजवाण खेडा तपोवन इनक्लेव आमवाला पो०ओ० रायपुर देहरादून	1184 / 2011
80.	श्री सत्यपाल पुत्रश्री मुकन्दराम निवासी ग्राम बहादरपुर सैनी वि० ख० रुडकी, हरिद्वार	1185 / 2011
81.	श्रीराकेश कुमार ग्राम डुगरपुर पो०ओ० हल्दूचौड़ा जिला नैनीताल	
82.	श्री सईद उर रहमान खौ द्वारा सैयद जफरअली एडवोकेट चेम्बर न-82 जिला कचहरी रामपुर उ०प्र० पि कोड न०-244901	1189 / 2011
83.	श्री बिजेन्द्र दत्त सकलानी ग्राम व पो रुद्रपुर बाया सहसपुर विकास नगर देहरादून	1190 / 2011
84.	श्री प्रदीप भन्डारी नानपारा हाउस लण्डौर मसूरी	1191 / 2011
85.	श्री बी०एस० बिष्ट III / 58 नार्थ वेस्ट मोतीबाग नई दिल्ली-110021	1192 / 2011

86.	श्री जगमोहन गुरुग पुत्र स्व०श्री आर०गुरुग निवासी ग्राम हरिपुर पो०ओ० नवादा जिला देहरादून	1194 / 2011
87.	श्री जीतपाल चन्द्र रमोला ग्राम बटवाल गाँव व पो०छाम जिला टिहरी गढ़वाल	1195 / 2011
88.	श्री जुबेर पुत्र श्री मुनसब ग्राम मिर्जापुर मुस्ताफाबाद पो० मरगूबपुर विकास खण्ड रुडकी जिला हरिद्वार	1196 / 2011
89.	श्रीमती सुदेशना पत्नी श्री अरुण कुमार निवासी भगवतीपुरम पो० कनखल जिला हरिद्वार	1197 / 2011
90.	श्री मोहिन्द्र सिंह बिष्ट अधिवक्ता मा० उच्च न्यायालय नैनीताल	1198 / 2011
91.	श्री कमलेश तिवारी अधिवक्ता चेम्बर न०-62 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल	1199 / 2011
92.	सुश्री अरुणा रावत संपादिका हिसाब टाईम्स 30/2 राहुल मार्केट झण्डा बाजार, देहरादून	1200 / 2011
93.	श्री सईद अली पुत्र श्री रफीक अली, ग्राम डाडा जलालपुर पो० हल्लू मजरा जिला हरिद्वार	1201 / 2011
94.	श्री आदेश कुमार पुत्र श्री तेजपाल सिंह निवासी ग्राम व पो०झाझरा देहरादून	1205 / 2011
95.	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट देवभूमि निवास ग्राम व पो० नेहरूग्राम देहरादून	1206 / 2011
96.	श्री भुल्लन सिंह पुत्रश्री रुपराम ग्राम शेरपुर डा० ढंडेडी खवाजगीपुर जिला हरिद्वार	1207 / 2011
97.	श्री बिरिन्द्र पाल गुप्ता (राष्ट्रीय महासचिव यूथ) राष्ट्रीयवादी जनता पार्टी दिल्ली	1209 / 2011
98.	डा० गोपीचन्द्र बर्मन, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय फाउन्डेशन मुख्यालय: आशा भवन बशीवाला डा० झाझरा देहरादून	12010 / 2011
99.	श्रीमती बबीता बिष्ट देवभूमि निवास ग्राम व पो० देहरूग्राम देहरादून	1215 / 2011
100.	श्री साहब सिंह पुण्डरीर द्वारा नेचूरल हर्बल निकट टेलीफोन एक्सचेन्ज राजपुर रोड लाड़पुर देहरादून	1216 / 2011
101.	श्री रामसंवारे पुत्र स्व० श्री गंगाराम ग्राम कुण्डेध्वर हेमपुर स्माईल तहसील काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर पिन-244713	1218 / 2011
102.	श्री ब्रह्मपाल सिंह पुत्र श्री मामराज गौरधनपुर रोड वार्ड न०७ लक्सर हरिद्वार	1219 / 2011
103.	श्री योगेश विद्यार्थी पुत्र श्री जगवीर सिंह उत्तराखण्ड परिवहन निगम कोटद्वार डिपो पौड़ीगढ़वाल	1224 / 2011
104.	श्री जोधसिंह बिष्ट ग्राम पूर्वी घोड़ानाला (बिन्दुखत्ता)पो० लालकुआं जिला नैनीताल उत्तराखण्ड	1225 / 2011
105.	देशैदल पनेरू पुत्र स्व० श्रीमती रेपती देवी पनेरू एवं स्व०श्री हीराबल्ल पनेरू ग्राम समा डालकाण्डिया (डालकन्या) विकास क्षेत्र ओखलकांडा जिला नैनीताल अस्थायी पता अशोक बिहार तौनघानी (हल्द्वानी) जिला नैनीताल	1226 / 2011
106.	श्री मनुज प्रकाश ओ०एन०जी०सी० तेल भवन (CM Lid) 6 th फ्लोर (इम्पोकॉम डिपो) देहरादून-248001	1227 / 2011
107.	श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी ग्राम औदली ग्राम पंचायत भरीनी पो०ओ० लामाखेडा तहसील व विकास खण्ड सितारंगज उधमसिंहनगर	1228 / 2011
108.	श्री हरपाल सिंह पुत्रस्व०श्री करम सिंह ग्राम दूधलादयालवाला पो० श्यामपुर हरिद्वार	1229 / 2011
109.	श्री रामू यादव पुत्र श्री गुमान्ती सिंह सैक्टर प्रभारी बी०एस०पी० वार्ड नम्बर-4 भदई पुरा रुद्रपुर उधमसिंहनगर	1230 / 2011
110.	श्री राधाकृष्ण गैरोला, ग्राम बट्टी बिहार चौक (झिवरहेडी) पो कारबारी ग्राम शिमला	1231 / 2011
111.	श्री चरण पाल सिंह पुत्रस्व०श्री परसराम नि० ग्राम व पो झाझरा देहरादून	1232 / 2011

112.	श्री गजरामसिंह चौहान मकान न०-793 कुसुम कुंज धर्मपुर वाईपास रोड मीनाक्षी बेंडिंग प्वाइन्ट के सामने देहरादून	1233 / 2011
113.	श्री दान सिंह बिष्ट पुत्रस्व० श्री जीवन सिंह बिष्ट ग्राम बहरो पो०३० मंगडोली (शेर) वि० ख० ताडीखेत जिला अल्मोड़ा	1234 / 2011
114.	श्री मैरामसिंह सूबेदान मेज्जन (अ०प्रा०) 25 ट्यूबवेल रोड श्यामपुर पो अम्बीवाला प्रेमनगर देहरादून।	1235 / 2011
115.	श्री बी०देवीनामदेव, कबीर आश्रम, ऋषिकेश जिला देहरादून	1236 / 2011
116.	रिट्याचिका संख्या-1836(एम०/एस०)2011श्रीमती सुमन बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1238 / 2011
117.	रिट्याचिका संख्या-1876(एम०/एस०)	1239 / 2011
118.	श्री संजय चौधरी, मण्डल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन ग्राम नगला सलारू (मंगलौर) हरिद्वार	1241 / 2011
119.	श्री आशीष डोभाल कोषाध्यक्ष, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, देहरादून शाखा, 36 ए इ०सी० रोड देहरादून	1243 / 2011
120.	श्री एस०सी० पाल डिप्टी एस०पी०(सेवा निवृत्त) 1085 पौरवाली गली आर्यनगर, पो० ज्वालापुर हरिद्वार	1244 / 2011
121.	श्रीमती मीना नेगी, दैनिक प्रभात 10 इ०सी० रोड, मीडिया सेन्टर के पीछे देहरादून	1245 / 2011
122.	श्रीएस०एस० रावत, अध्यक्ष भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी उत्तराखण्ड दे०दून केन्द्रीय कार्यालय एकता बिहार लेन न०-1 पो० कण्डोली सहस्त्रधारा रोड देहरादून	1246 / 2011
123.	श्रीसतीश कुमार शुक्ल, लो०सू०आ० सहायक पुलिस महानिरीक्षण (पी०एम०)उत्तराखण्ड मुख्यालय देहरादून	1247 / 2011
124.	श्री अवनेश गुप्ता,माल्यान मौ० देहरादून	1248 / 2011
125.	श्री दीपक जोशी, महामंत्री उद्योग व्यापार मण्डल पार्टी पो०पाटी, चम्पावत	1249 / 2011
126.	श्रीनारायण सिंह रावत वास्ते स्व०श्री मंगल सिंह, ग्राम भीताकोटमल्ला पो० गढकोट, तह०सल्ट जिला अल्मोड़ा	1250 / 2011
27.	श्रीमती श्वेता झा, मार्डन स्कूल के सामने मौ० लकडहारन, सराफ बाजार ज्वालापुर हरिद्वार	1253 / 2011
128.	श्री प्रियांक अग्रवाल, प्रियांग अग्रवाल, नवीन मण्डी स्थल मुरादाबाद रोड काशी पुर उधमसिंहनगर	1254 / 2011
129.	श्री मौ० इसरार पुत्र स्वश्री मौ० इकबाल, ग्राम व पो०ढकरानी, देहरादून	1255 / 2011
130.	श्री मुनीश कुमार (सम्पादक) नागरिक (पाक्षिक समाचार पत्र) पैठ पडाव रामनगर नैनीताल	1257 / 2011
131.	श्री कैलाश चन्द्र पाण्डे 151 खडी बाजार, रानीखेत, अल्मोड़ा	1262 / 2011
132.	श्रीमती संतोष सक्सेना भाजपा जिला महामंत्री जिला काशीपुर	1263 / 2011
133.	डा० दिनेश प्रताप सिंह 74/3 सालावाला देहरादून	1284 / 2011
134.	श्री एम०अतीक सूट स-27 आफिसर्स हास्टल सिविल लाईन मेरठ उ०प्र०	1266 / 2011
135.	श्री कुमुद सिंह विकास नगर मेनबाजार विकास नगर स्कूल वाली गली दे०दून	1268 / 2011
136.	श्री अजय प्रसाद उनियाल, सतालन धर्म मन्दिर लण्डौर बाजार मसूरी दे०दून	1269 / 2011
137.	श्री मनीष तिवारी कनिष्ठ सहायक सं कार्या० पंचास्थानी चुनावालय कचहरी	1270 / 2012
138.	श्री प्रदीप वर्मा आर्दश कालोनी, मेन बाजार लक्सर जनपद हरिद्वार	1271 / 2012
139.	श्रीमती बिन्दिया अधिकारी पत्नी श्री मनीष अधिकारी, ग्राम व पो० रायपुर दे०दून	1272 / 2012
140.	श्री राजीव गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनसहायक दल 112ए न्यू कनाट प्लेस देहरादून	1275 / 2012
141.	श्री इरफान हुसैन सैफी पुत्रश्री अखलाख हुसैन सैफी उजाला नगर निकट नमरा मस्जिद बरेली रोड हल्द्वानी नैनीताल	1276 / 2012

142.	श्री सुबोध गोयल, समाजिक कार्यकर्ता शिवपुरी कालोनी डाकपत्थर देहरादून	1279 / 2012
143.	श्री विपिन कुमार पाण्डेय, श्री गाँधी आश्रम जसपुर उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड	1281 / 2012
144.	श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, श्री गाँधी आश्रम जसपुर उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड	1286 / 2012
145.	श्री मनोज ओली, एडवोकेट भाटकोटी रोड पिथौरागढ़	1288 / 2012
146.	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल/सुश्री रचना गर्ग (प्रदेश प्रवक्ता) मिशन उत्तराखण्ड	1290 / 2012
147.	श्री धर्मवीर सैनी कनखल हरिद्वार	1291 / 2012
148.	श्री भीमसिंह पुत्रश्री नाथीराम सिंह नि०-79 लोअर नत्थन पुर जागीवाल पो० नेहरूग्राम निकट भवानी प्रोपर्टीज मसूरी रिंग रोड देहरादून	1292 / 2012
149.	श्री विकास त्यागी पुत्रश्री चन्द्र प्रकाश त्यागी निवासी एस-10 रघुकूल आर्कड निकट नन्दन सिनेमा गढ़रोड, धाना नौचन्दी मेरठ उ०प्र०	1293 / 2012
150.	श्री दिनेश चन्द्र जोशी, जून स्टेट भीमताल, नैनीताल, उत्तराखण्ड	1300 / 2012
151.	श्री राजेश शर्मा, 21 सेवक आश्रम रोड, देहरादून-248001	1302 / 2012
152.	श्री गोविन्द सिंह, सेना वायु रक्षा महानिदेशालय, सेवा वायु रक्षा (विधिक) एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय भारत सरकार कमरा न०-602 डी०-1 बिग छठा तल सेना भवन नई दिल्ली-110011	1303 / 2012
153.	श्री अनिल कुमार, ग्राम केहड़ा, पो०ओ० लक्सर जनपद हरिद्वार	1328 / 2012
154.	श्री कृष्ण कुमार शुक्ला, मनासा भवन, अपर सुन्दरवाला, रायपुर रोड, देहरादून	1329 / 2012
155.	श्री सी०पी० सिंह, 8-चिराग विला, शिवपुरी कालोनी, जगजीतपुर, कनखल हरिद्वार	1330 / 2012
156.	श्री ओम प्रकाश, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, 166, इन्दिरानगर कालोनी, देहरादून	1331 / 2012
157.	श्री नारायण सिंह, विंग न०-4/2/12 प्रेमनगर, देहरादून	1332 / 2012
158.	शहाना परवीन पुत्री श्री याकूब अहमद 4/5, मुस्लिम कालोनी, रीठा मण्डी, देहरादून	1233 / 2012
159.	लोक सूचना अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (कु०क्ष०) लो०नि०वि०, अल्मोड़ा	1334 / 2012
159.	श्री अजय नेगी, (सम्पादक) रणजीत स्वर (साप्ताहिक) 20/3 मण्डारी वाग, देहरादून	1336 / 2012
160.	श्री गौरव मल्होत्रा पुत्र स्व०श्री सुभाश चन्द्र मल्होत्रा सुगर मिल रोड, डोईवाला-248140 मो०99997961023	1337 / 2012
161.	श्री सुशील खरे, समाचार प्लस 20 औल्ड सर्वे रोड देहरादून	1338 / 2012
162.	श्री रघुवीर प्रसाद जैन, 314 डी मास्ट्रा गली चाहबाई बरेली (उ०प्र०)	1341 / 2012
163.	श्री चमन लाल पुत्रश्री कुन्दन लाल ग्राम नन्हेडा आनन्दपुर हरिद्वार	1342 / 2012
164.	श्री विकास अग्रवाल पुत्र श्री बनवारी लाल अग्रवाल ग्राम चौमू तहसील चैमू जयपुर	1343 / 2012
165.	श्री कुंवरदीप नरायण, अस्टिटे प्रोफेसर एम०सी०ए० जी०वी०पंत इन्जिनियरिंग कालेज घुडदौडी पौड़ीगढ़वाल	1344 / 2012
166.	श्री संजय थपलियाल पंत मौहल्ला डाडा लखौंड पो गुजराड़ा निकट निदेशालय पंचायतीराज आई०टी० पार्क सहस्रधारा रोड देहरादून	1345 / 2012
167.	श्री मनोज तिवारी, 1/7695 गली न०-3 ईस्ट गोरखापार्क शाहदरा दिल्ली	1347 / 2012
168.	श्री अनिल कुमार गुप्ता, 89/1 चन्द्रशेखर मार्ग मायाकुण्ड ऋषिकेश	1349 / 2012
169.	श्री सोहन सिंह रावत, सी०-41 ई०सी० रोड देहरादून	1350 / 2012
170.	डा० जगदीश चन्द्र जय प्रकाश सेंट्रल, फोरस्ट्री सेंट्रल सोसाइल एण्ड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 218 कालागढ़ रोड देहरादून	1351 / 2012
171.	श्री राजेन्द्र प्रसाद सक्सेना, रिटायर्ड सर्व कानूनगो कस्बा मिल्क मोहल्ला असदुल्लापुर मुक्त कालोनी पो० मिल्क जिला रामपुर, उ०प्र०	1353 / 2012
172.	श्री हरीश चन्द्र खर्कयाल, जनसंपर्क अधिकारी, मा० नेता प्रतिपक्ष विधानसभा उत्तराखण्ड, देहरादून।	1356 / 2012

173.	श्री कुलवन्त सिंह सलूजा, बरपाली चौक चम्पा, छत्तीसगढ़	1357 / 2012
174.	श्री शकील सिद्दकी, प्रवक्ता वाणिज्य इण्टर कालेज, कमलेश्वर, पिथौरागढ़	1358 / 2012
175.	श्री सुजायत नवी द्वारा रिफाकत नवी खां, निवासी क्वाटर नं०-58 टाईप द्वितीय रिजर्व पुलिस लाईन, रुद्रपुर जनपद उ०नगर	1361 / 2012
176.	श्री बृजमोहन सिंह चौहान पुत्र स्व० श्री पप्पू सिंह चौहान, 115 चाणी विहार, अधोईवाला रायपुर रोड, देहरादून	1362 / 2012
177.	श्री राकेश अग्रवाल, सदस्य आर०टी०आई० क्लब, उत्तराखण्ड, कौशिक कार्टेज बी० कैमल्स बैंक रोड मसूरी, देहरादून	1363 / 2012
178.	श्री चंचल पुत्र श्री होशियार सिंह, ग्राम दूनाकोट, पो० नाछर, तहसील डीडीहाट, पिथौरागढ़	1364 / 2012
179.	कु० हेमा आर्य पुत्री श्री लक्ष्मी राम द्वारा खीम राम व्हाईट हाउस क्लब, मल्लीताल, नैनीताल, उत्तराखण्ड	1365 / 2012
180.	श्री प्रभात कुमार, 179 करनपुर, देहरादून	1367 / 2012
181.	श्री संजय सुब्बा शांति विहार कालोनी, पो० मांजरा, देहरादून	1370 / 2012
182.	श्री सुरत सिंह रौतेला, एडवोकेट, चैम्बर नं०-4, कोट कम्पाउण्ड ऋषिकेश	1371 / 2012
183.	श्री देवेन्द्र प्रसार, म०नं०-159, मिल्क कालोनी, धनास चण्डीगढ़	1372 / 2012
184.	श्री हयात सिंह अधिकारी, ग्राम व पोस्ट सिमलखेत, तह० पाटी, चम्पावत	1373 / 2012
185.	श्रीकान्त राठौर पुत्र श्री बालक राम राठौर, नई बस्ती सुनहरी, वार्ड नं०-6 किच्छा, उ०नगर	1374 / 2012
186.	श्री जीतपाल चन्द्र रमोला, ग्राम धारवाल, गांव व तहसील कण्डीसौड, टिहरी गढ़वाल	1375 / 2013
187.	श्री प्रदीप भण्डारी, सामाजिक कार्यकर्ता नानपारा हाउस लण्डौर मसूरी	1380 / 2013
188.	श्री सुशील कुमार सट्टनागर, सुशील मेडिकल स्टोर चीमा चौराह, काशीपुर वार्ड नं०-18, उ०नगर	1381 / 2013
189.	श्री अरुणेश कुमार, संवाददाता हिन्दुस्तान सामाचार, पटेल मार्ग निकट पूर्ति कार्यालय, कोटद्वार गढ़वाल	1383 / 2013
190.	श्री सुनील कुमार बाल्मिकि पुत्री स्व० श्री मनफूल 218 काश्मीर हाउस, क्लेमनटाउन, देहरादून	1384 / 2013
191.	श्री दीनदयाल राजभर पुत्र श्री रविन्द्र सिंह, 124 चन्द्रेश्वर नगर, चन्द्रभागा ऋषिकेश, देहरादून	1386 / 2013
192.	श्री लक्ष्मण सिंह रावत पुत्र श्री नाथसिंह रावत, 5059 जज फार्म, हल्द्वानी नैनीताल	1387 / 2013
193.	श्री सुनील दत्त सरमैन्स, पण्डितवाडी पोस्ट प्रेमनगर, देहरादून	1389 / 2013
194.	श्री कृष्ण अवतार पुत्र स्व० श्री रामकिशन म० पक्काकोट निकट नागनाथ मन्दिर काशीपुर, उ०नगर	1392 / 2013
195.	श्री कृपाल सिंह मेहरा ग्राम दलीपपुर लोक मण्डीपुर कोटद्वार, गढ़वाल	1393 / 2013
196.	श्री नीरज तिवारी पुत्र श्री रुद्रप्रसाद तिवारी, वार्ड नं०-11 किच्छा उ०नगर	1394 / 2013
197.	श्री नवीन चन्द्र पनेरू, चैतन्य लोक अमरावती कालोनी, तल्लीबमौरी, हल्द्वानी, नैनीताल।	1396 / 2013
198.	श्री विष्मिन लखेडा द्वारा उमाकान्त लखेडा, 511 ई० सेक्टर 17-ई कोकर इन्क्लेव, वसुन्धरा गाजियाबाद, उ०प्र०	1397 / 2013
199.	श्री शकील अहमद सलमानी पुत्र श्री लईक अहमद इन्द्रानगर वार्ड नं०-21 हल्द्वानी, नैनीताल।	1398 / 2013
200.	श्री राजेश अग्रवाल पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत, देवप्रयाग टिहरीगढ़वाल बाह बाजार देवप्रयाग गढ़वाल।	1399 / 2013
201.	श्री विजय सिंह रावत, पुत्रश्री गोपाल सिंह रावत, बद्रपुर हल्द्वानी नैनीताल	1400 / 2013

203.	प्रो० सुबोध कुमार श्रीवास्तव प्राध्यापक (भौतिकी) आवास पटोटिया बाजार तहसील धुकोट पौड़ीगढवाल	1401 / 2013
204.	श्री अशोक सजाना ऋषि टावर , गली न-2 आशुतोशनगर ऋषिकेश जनपद , देहरादून	1405 / 2013
205.	फतीमा रहमान 138/8 चर्च रोड विष्णुपुरी अलीगंज लखनउ-22602	1407 / 2013
206.	श्री विजय सिंह पुत्रस्व०श्री शिवचरण सिंह, डिग्री कालेज रोड जौनपुर पो आ० कोटद्वार पौड़ीगढवाल	1409 / 2013
207.	श्री धनबीर सिंह कुंमई जफर हाल कुलड़ी बाजार मंसूरी	1412 / 2013
208.	श्री विनोद कुमार पुत्रस्व०श्री देवराम ग्राम सैजतल्ला पोआ० डाडामण्डी जिला पौड़ीगढवाल	1413 / 2013
209.	श्री हाजीमुकीम खान पुत्र श्री मुन्ने खान वार्ड-5 टनकपुर चम्पावत	1422 / 2013
210.	श्री राजेश रुडोला, पुत्रश्री के०वी० रुडोला, रुडोला भवन वार्ड-सात श्रीनगर गढवाल	1423 / 2013
211.	श्रीभाष्कर चन्द्र, उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आन्दोलनकारी 6/130 तल्ली बमौरी नवानी रोड नैनीताल	1441 / 2013
212.	श्री श्याम सुन्दर भूमा निकेतन, सप्त सरोवर भूपतवाला हरिद्वार	1445 / 2013
213.	श्री रईस अहमद पुत्रश्री खलील अहमद सिद्दकी बर्फ कारखाने के सामने मौ० उललीखौ काशीपुर उधमसिंहनगर	1446 / 2013
214.	श्री सुरेश जोशी, एडवोकेट, सी०जे०एम कोर्ट कम्पाउण्ड, देहरादून	1449 / 2013
215.	श्री अरुण उनियाल पुत्र श्री सुन्दर लाल उनियाल, अजबपुर खुर्द, देहरादून	1450 / 2013
216.	श्री नन्दन सिंह चौहान पुत्र श्री बचल सिंह चौहान, निवासी वेणी रामेश्वर ट्रस्ट पाण्डे गार्डन मंगलपडाव हल्हानी, नैनीताल	1454 / 2013
217.	श्री विजय बहादुर सहानी ग्राम तिलियापुर पोस्ट शक्तिफार्म जिला उ०नगर	1455 / 2013
218.	श्री राजेश चौहान पुत्र श्री एस०एस० चौहान ग्राम सिनौला, देहरादून	1456 / 2013
219.	श्री गौरव शर्मा, एडवोकेट कार्यालय चैम्बर नं०-3 ब्लॉक नं०-6, रामेश्वर ब्लॉक नं०-6, रामेश्वर ब्लॉक सी०जे०एम०कोर्ट कम्पाउण्ड देहरादून	1459 / 2013
220.	श्री महेश कुमार उमान, एडवोकेट, अजबपुर खुर्द, देहरादून	1460 / 2013
221.	श्री बजरंग अग्रवाल, उपप्रधान, भारुवालाग्रॉट पोस्ट क्लेमनटाउन दे०दून	1461 / 2013
222.	श्री बजरंग अग्रवाल, पुरीस्टाम पोस्ट क्लेमनटाउन दे०दून	1462 / 2013
223.	श्री राजेश कुमार 239 ई० पॉकेट-1 मयूर विहार फेस-1 दिल्ली	1463 / 2013
224.	श्री देव हर्षवाल म०नं०-159 मिल्क कालोनी धनास, चण्डीगढ	1464 / 2013
225.	श्री भगवान सिंह रमोला पुत्र श्री तोता सिंह रमोला, श्री गणेशपुर पोस्ट कारवारी (निकट मानकसिद्ध) शिमला बाई पास रोड देहरादून	1465 / 2013
226.	श्री लक्ष्मण सिंह, जी०-56 नरोजी नगर, नई दिल्ली	1466 / 2013
227.	श्री विजय महर , उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी, शिवपुरी कालोनी, डाकपत्थर देहरादून।	1468 / 2013
228.	श्री विनोद चन्द्र, प्रान्तीय संगठन, सचिव (कु०) उ०दि०ई० संघ, लोक निर्माण विभाग, शक्तिसदन, लोअर माल रोड, अल्मोडा	1469 / 2013
229.	श्री खेम सिंह बिष्ट, ग्राम स्वाला, पो० स्वाला, विकासखण्ड/जिला चम्पावत	1472 / 2013
230.	श्री आर०एस०नेगी, महासचिव, राजपूताना सेवा समिति, उत्तराखण्ड प्रदेश, केन्द्रीय कार्यालय, झण्डीचौड पूर्वी कोटद्वार, पौड़ी गढवाल	1473 / 2013
231.	श्री चन्दन कुमार सोनी, मार्फत आर०पी०वर्मा, एकसाईज इंस्पेक्टर म०नं०-10/35 बब्बननिलियम, रामगुलामटोला सिटि एण्ड पोस्ट आफिस देवरिया, जिला देवरिया, उ०प्र०	1474 / 2013
232.	श्री रघुनाथ सिंह भूतपूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखण्ड, हास्पिटल रोड विकासनगर रोड देहरादून	1475 / 2013

233.	श्री रविन्द्र पंवार पुत्र श्री कुँवर सिंह, ग्राम व पोस्ट कडियालगांव, प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल	1479 / 2013
234.	श्री सुयश कुकरेती, एडवोकेट, चैम्बर नं०-48 द्वितीय फ्लोर, न्यू बिल्डिंग बार भवन के पीछे कोर्ट कम्पाउण्ड, देहरादून	1483 / 2013
235.	श्रीमती पुष्पा देवी द्वारा लक्ष्मी बुक डिपो, पो०ओ० के सामने लालकुआँ, पोस्ट लालकुआँ, नैनीताल	1484 / 2013
236.	श्री संजय कुमार, एडवोकेट सिविल कोर्ट परिसर, काशीपुर, उ०नगर	1486 / 2013
237.	श्री असरार अहमद, एडवोकेट, पार्क रोड, प्रथमतल होटल-पार्क व्यू के सामने, काशीपुर, उ०नगर	1487 / 2013
238.	श्री रमेश सिंह, ग्राम कण्डई गाँव पोस्ट आफिफस पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल	1488 / 2013
239.	श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल, स०समीक्षा अधिकारी, रा०नि०आ०, उत्तराखण्ड	1489 / 2013
240.	श्री कमला आर्य, महारा स्टेट महारागाँव, ग्राम व पो० महारागाँव, जिला-नैनीताल	1490 / 2013
241.	श्री प्रकाश त्रिपाठी, देवकी भवन, रानी गली, गली न०-05 भूपतवाला हरिद्वार	1494 / 2013
242.	श्री सुयश कुकरेती अधिवक्ता, चैम्बर न०-19 द्वितीय तल, नई बिल्डिंग कोर्ट कम्पाउण्ड, देहरादून	1495 / 2013
243.	श्री दीपचन्द्र माता मन्दिर मार्ग, बटोली की गली न०-2, अजबपुर कला, देहरादून	1497 / 2013
244.	श्री जोध सिंह बोरा पुत्र श्री लाल सिंह, ग्राम व पो० पमस्यारी, त० डीडीहाट, पिथौरागढ़	1498 / 2013
245.	श्री सुनील कुमार गोयल पुत्र श्री दर्शन लाल, निवासी-321, पुरानी तह० रूड़की हरिद्वार	1499 / 2013
246.	श्री प्रभु दयाल शर्मा, 448/5, गली न०-7, हनुमन्तपुरम- गंगानगर, ऋषिकेश, देहरादून	1500 / 2013
247.	श्री मोहन चन्द्र जोशी, लेन न०-3 गढ़वाली, कालोनी, देहरादून	1502 / 2013
248.	श्री दिगपाल सिंह पटवाल, रा०जू०हा० स्वीत/रा०इ०का स्वीत, पो०स्वीत, पौड़ीगढ़वाल	1503 / 2013
249.	श्री मोहन सिंह, 100ई, सेक्टर-4, बी.के.एल. मार्ग, नई दिल्ली	1504 / 2013
250.	श्री महेश चन्द्र आर्य पुत्र श्री किशन राम आर्य, ग्राम-ईडा, पो० इडा, बाशखाम, वि०ख० द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा	1505 / 2013
251.	श्री राजेश चौबे पुत्र श्री बलदेवराज चौबे, ग्राम सूई, पो०गलचौड़ा, वि०ख० लोहाघाट	1508 / 2013
252.	श्री सियासत पुत्र श्री यासीन निवासी ग्राम बोंडाहेडी, पो० नगरबपुर, हरिद्वार	1509 / 2013
253.	श्री अयाज अहमद, 18-बी शिमला इनकलेव, माजरा, देहरादून	1510 / 2013
254.	श्री टिकेश कुमार पुत्र श्री हरिराम 193, टिबड़ी रानीपुरमोड़ हरिद्वार	1511 / 2013
255.	श्री जितेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री लखपत सिंह, जिला कारागार, नई टिहरी	1513 / 2013
256.	श्री सूरत सिंह रोतेला, एडवोकेट, चैम्बर न-4 कोर्ट कम्पाउण्ड ऋषिकेश, देहरादून	1514 / 2013
257.	श्री गुरविन्दर सिंह चढढा, गोविन्दपुरा, हल्द्वानी	1515 / 2013
258.	श्री अमरजीत सिंह खोखर, केन्द्रीय अध्यक्ष, 220, के०वी०, रामनगर, रूड़की	1516 / 2013
259.	श्री उस्मान सैफी पुत्र श्री अखलाख हुसैन सैफी उजाला नगर, निकट नमरा, मस्जिद बरेली रोड, हल्द्वानी, नैनीताल।	1517 / 2013
260.	श्री राजेश मुंजाल पुत्र श्री तीरथ मुंजाल, आस्था कालोनी, लालपुर, पो० लालपुर, त० किच्छा, उधमसिंहनगर	1520 / 2013
261.	श्री कका पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, ग्राम माजरी, जिला-देहरादून	1524 / 2013
262.	श्री संजीव राणा, ग्राम-लोली, पो०नीलकण्ड, पौड़ी गढ़वाल	1525 / 2013
263.	श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव, जिला प्रमुख, शिवसेना, केशवनगर, वार्ड न-8, नहरपारा सितारगंज, उधमसिंहनगर	1526 / 2013

264.	श्री भारतभूषण जगूड़ी, जगूड़ी कम्प्यूटर एजुकेशन सेन्टर मेन बाजार चिन्चालीसौड़, जिला उत्तरकाशी	1527 / 2013
265.	श्री आशीष चन्द्र ढोंडियाल, आंवलकोट, पोस्ट, कोटाबाग, जनपद-नैनीताल	1528 / 2013
266.	श्री पूरननाथ पुत्र श्री रामनाथ, ग्राम-देवलातल्ला, पो० कुंवरपुर, नैनीताल	1529 / 2013
267.	श्री दर्शनसिंह, ग्राम-बैना, पो० ताडीखेत, जिला- अल्मोड़ा	1530 / 2013
268.	श्री रामबाबू पूर्व सभासद पुत्र श्री रामपाल, नि० नईबस्ती, भूतबंगला, वार्ड न०-6, रुद्रपुर, जिला-उधमसिंहनगर	1531 / 2013
269.	श्री महावीर सिंह खरोला, निकट स्वामी विवेकानन्द, जू०हाई स्कूल, 14 बीघा, ग्राम ढालवाला, पो०ओ० मुनिकीरेती, टिहरीगढ़वाल।	1532 / 2013
270.	श्री ई० अरुण कुमार जैन, आपिफस सकेटी, 11 अशोक रोड, नई दिल्ली	1533 / 2013
271.	श्री ललित मोहन सिंह नेगी पुत्र श्री पाल सिंह नेगी, आर०के० टेन्ट हाउस मानस विहार कुसुमखेड़ा, हलद्वानी	1534 / 2013
272.	श्री आँकार दीप सिंह पुत्र श्री इकबाल सिंह, वीडियोकोन के सामने मुरादाबाद रोड, काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर	1535 / 2013
273.	श्री भुवन चन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री गोवर्धन पाण्डेय ग्राम-खेतीगैर, पो० चरचालीखान पुनवानौला अल्मोड़ा	1538 / 2013
274.	श्री विनोद कुमार कनौजिया, अधिवक्ता, आर०टी०आई० कार्यकर्ता, निवासी-194, गुरुद्वारा कालोनी, क्लेमनटाउन, देहरादून	1539 / 2013
275.	श्री देवेन्द्र सिंह फर्त्याल, चम्पानौला, निकट, जलनिगम कालोनी लोअर माल रोड, अल्मोड़ा	1540 / 2013
276.	श्री विवेक अग्रवाल, बंगला न०-36 चकरांता, जिला देहरादून	1543 / 2013
277.	श्री उमेश शर्मा पुत्र श्री शिवानन्द शर्मा, निवासी-ब्रह्म निवास, अजबपुर, देहरादून	1544 / 2013
278.	श्री रविराणा पुत्र श्री योगेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम- डन्देरा तह० रुड़की, हरिद्वार	1545 / 2013
279.	श्री उमेश सिंह विष्ट नियर माधोसिंह बिन्दुखाता लालकुआँ, नैनीताल	1546 / 2013
280.	श्रीमती राजेश्वरी देवी पत्नी नरेन्द्र सिंह ग्राम-जवाड़ी, पो०ओ० माई की मण्डी जिला-रुद्रप्रयाग	1547 / 2013
281.	श्री हन्नी अग्रवाल, रानीगली, भूपतवाला, हरिद्वार उत्तराखण्ड	1551 / 2013
282.	श्री विजय कुमार शर्मा मार्फत श्री एम०पी० नौटियाल 73, ऋषिलोक कालोनी आशुतोषनगर ऋषिकेश	1552 / 2013
283.	श्री हरीश आर्य पुत्र श्री प्रेमलाल निवासी मार्फत सानिया गुप्ता 1/1 बंगाली लाइब्रेरी रोड करनेपुर, देहरादून	1553 / 2013
284.	श्री मनीष कुमार धीमान कार्यालय कश्मीरी कालोनी, खोईवाला, देहरादून	1557 / 2013
285.	श्री बचन सिंह रावत पुत्र श्री जुपल सिंह ग्राम व पोस्ट ओडाड, वि०ख० नरेन्द्रनगर टिहरीगढ़वाल	1559 / 2013
286.	श्री राकेश सिंह चौहान पुत्र श्री गोविन्द सिंह चौहान, ग्राम उदयपुरी चोपड़ा, पो०पीअमदारा, तह० रामनगर, नैनीताल	1560 / 2013
287.	श्री बजरंग अग्रवाल, उप प्रधान निवासी-कुन्ठल निवास सोसाइटी एरिया, क्लेमेंट टाउन, देहरादून	1561 / 2013
288.	श्री हीराराम आर्य पुत्र श्री फकीरराम आर्य सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम-जमीनीवार, पो० ईडा बाराखाम वि०ख० द्वाराहाट, अल्मोड़ा	1562 / 2013
289.	श्री कृपाल सिंह मेहरा, ग्राम दलीपपुर, पो० लोकमणीपुर कोटद्वार गढ़वाल	1564 / 2013
290.	श्री तुलसीराम, कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी, अभियन्त्रण औरैया मण्डी समिति के सामने औरैया	1565 / 2013
291.	श्री मौ० आवेश पुत्र श्री असगर अली, अध्यक्ष क्षेत्रीय युवक समिति, रुड़की एवं युवक मंगलदल पाडली	1566 / 2013

293.	श्री करण सिंह कैंतुरा पुत्र श्री जमनसिंह निवासी ग्राम हुंग, पट्टी गयारहगांव, पो० बजियालगांव तह० घनसाली, जिला टिहरीगढ़वाल	1567 / 2013
294.	सुश्री कुशुम लता, अनुसचिव जाति वस्ती, ग्रामवासी, छतौड़, ग्राम पंचायत चौथला, तह० व जिला रुद्रप्रयाग	1568 / 2013
295.	श्री आर०एल० उत्तरांचली, उत्तरांचल भवन स्वारी, पो० धिमतोली, जिला रुद्रप्रयाग	1569 / 2013
296.	श्री बलबीर सिंह नेगी, ग्राम पोखरी पो० मसाणगाँव, पट्टी सितोवस्यू, जिला पौड़ी गढ़वाल	1571 / 2013
297.	श्री इदुल जौहर, अध्यक्ष विकलांग संघ, जाखणीधार, ग्राम मोली पो० अन्जनीसैण, टिहरी गढ़वाल	1572 / 2014
298.	श्री हयातसिंह अधिकारी, ग्राम-पाटनपुल, पो०ओ०-लोहाघाट, जिला-चम्पावत	1573 / 2014
299.	श्री विनोद पाण्डे, ग्राम देवराड़ा, पो० तुगेश्वर, जिला-चमोली	1576 / 2014
300.	श्री रामगोपाल गुप्ता हाल नि० गुघालरोड, पाण्डेवाल, ज्वालापुर, हरिद्वार	1577 / 2014
301.	श्री राजपाल थापा पुत्र स्व० श्री चतरसिंह थापा, नि० उांडी, रानीपोखरी तह० ऋषिकेश, देहरादून	1580 / 2014
302.	श्री राजेन्द्र कुमार व्यास, नि० वार्ड न०-4, गदरपुर, पो० व तह०गदरपुर, जि० उधमसिंहनगर	1581 / 2014
304.	श्री राजेन्द्र सिंह रावत पुत्र स्व० श्री गोपालसिंह ग्राम-मोहनी रावत, पो०ओ० मवासी, जिला-पौड़ीगढ़वाल	1582 / 2014
305.	श्री मुजीब नैथानी, चौहान काम्पलैक्स, ढालवाल, ऋषिकेश	1583 / 2014
306.	श्री कपिल कुमार अग्रवाल, एडवोकेट जानकी नगर कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल	1584 / 2014
307.	श्री नितिन रावत ग्राम व पो० बड़ासी वाया रोयपुर, देहरादून	1585 / 2014
308.	श्री देवीदत्त पनेरू, अशोक विहार तीनपानी डाकघर अर्जुनपुर, हल्द्वानी, नैनीताल	1588 / 2014
309.	श्री कुबेर सिंह तडियाल पुत्र श्री गोविन्द सिंह, ग्राम-सौनजाला, पो० कोटाबाग, जिला-नैनीताल	1589 / 2014
310.	श्री हेम पाण्डे पुत्र प्रेमप्रकाश, ग्राम-हुंगसिल, पो०भीमताल, तहसील व जिला-नैनीताल	1590 / 2014
311.	श्री रमेश चन्द्र पुत्र खीमानन्द, ग्राम-सिलौरी पंत, पो० भीमताल तह० व जि० नैनीताल	1591 / 2014
312.	डा० दिनेश ग्वाड़ी मार्फत रमेशचन्द्र नौटियाल, लेन न०-14, अपर नत्थनपुर रिंग रोड, देहरादून	1592 / 2014
313.	सुश्री मनिषा परवीन, ग्राम-मोलीमय, अन्जनीसैण, टिहरी गढ़वाल	1593 / 2014
314.	श्री नानक चन्द लोहिया उप प्रधान आर्य दायित्वशी जनमंच आर्य समाज मार्ग, हल्द्वानी	1594 / 2014
315.	श्री दिगपालसिंह, ग्राम छिददरवाला, पो०-छिददरवाला जिला-देहरादून	1596 / 2014
316.	श्री भूपेन्द्र कुमार, जिलाध्यक्ष, रा०सा०न्या०कृतिमंच, एच-255, नेहरूरूकालोनी, देहरादून	1597 / 2014
317.	सुश्री पूजा शुक्ला, 231 समर विहार, कालोनी, आलमबाग, लखनऊ	1598 / 2014
318.	श्री गणेश सिंह पुत्र श्री दीवानसिंह, ग्राम बनकटिया, पो० श्रीपुरबिचवा तह० खटीमा, उ०सि०नगर	1599 / 2014
319.	श्री वेदप्रकाश पुत्र शरण गिरि निकट त्रिमूर्ति मन्दिर, पी०ए०सी० रोड सुभाष नगर ज्वालापुर, हरिद्वार	1600 / 2014
320.	श्री शीशपाल सिंह, ग्राम गांधीनगर, पो०ओ० मालधनचौड़, नैनीताल	1604 / 2014
321.	श्री कुलवन्त सिंह सलूजा जर्नलिस्ट, बरमाली चौक चम्पा- छत्तीसगढ़	1605 / 2014
322.	श्री वंशीलाल नौटियाल, जौक, पो०ओ० स्वर्गाश्रम, वि०ख० यमकेश्वर, पौड़ीगढ़वाल	1608 / 2014
324.	श्री त्रिभुवन सिंह ग्राम-चुपडाखेत, पो० आदिचौरा, तह०डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़	1609 / 2014

325.	श्री नीनु सहगल, नेताप्रतिष्ठा नगर निगम, देहरादून	1610 / 2014
326.	श्री नीरज गुप्ता, एडवोकेट, प्रथमतल, रामस्वीट्स मेन बाजार, काशीपुर उधमसिंहनगर	1612 / 2014
327.	श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह द्वारा रविराज सिंह, सी-573 न्यू आवास कालोनी काशीपुर, यू0एस0नगर	1622 / 2014
328.	श्री विमल भट्ट, राय स्टेट, रानीखेत, अल्मोड़ा	1623 / 2014
329.	श्री हेमचन्द्र कपिल, मुखानी तल्लीबनौरी, हलद्वानी, जिला-नैनीताल	1624 / 2014
330.	श्री जावेदखान, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, कम्पाउन्ड, देहरादून	1625 / 2014
331.	श्री प्रेमप्रकाश पुत्र श्री रमेश कुशवाह निवासी राघवनगर, पो गोकुलनगर किच्छा, उ0सिं0नगर	1626 / 2014
332.	श्री महेश चन्द्र पन्त दरिया नगर वार्ड-18 रुद्रपुर, उ0सिं0नगर	1627 / 2014
334.	श्री पुरन चन्द्र जोशी, तल्ली हलद्वानी, बरेली रोड हलद्वानी, जिला-नैनीताल	1628 / 2014
335.	श्री दीपक ध्यानी निर्दलीय प्रत्याशी अध्यक्ष पद, कमलानेहरू मार्ग, दुगड्डा, पौड़ीगढ़वाल	1629 / 2014
336.	श्री संजय कुमार, सम्पादक श्रमिक बुलेटिन हिन्दी समाचार पत्र शाखा कार्यालय पो0 भानियवाला, हरिद्वार रोड, जिला देहरादून।	1630 / 2014
337.	श्री केशव सोहिला, एडवोकेट, कोर्ट कम्पाउन्ड, देहरादून	1633 / 2014
338.	श्री सुनील सिंह, केन्द्रीय मण्डार, लाल बहादुर शा0प्र0अ0, मसुरी	1634 / 2014
339.	श्री तरुण कुमार धीमान, उचीपुरा, राजीवजुयाल, मार्ग, पो0ओ0, माजरा, जिला-देहरादून	1635 / 2014
340.	श्री संजीव कवि, कवि निवास, निकट किक्केग, मसुरी	1636 / 2014
341.	श्री डोरीलाल सागर, केन्द्रीय महामंत्री, अ0भा0 अनु0जाति एवं शोषित वर्ग उत्थान समिति, बाजपुर, उधमसिंहनगर	1638 / 2014
342.	श्री औतार सिंह पुत्र श्री नन्दराम ग्राम जुड़का न-2 पो0ओ0 कुण्डेश्वरी, काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर	1639 / 2014
343.	श्री सुधीर गोयल, सी-21, नेहरूकालोनी, देहरादून	1642 / 2014
344.	श्री सुनीली चौहान पुत्र श्री बलवीर सिंह चौहान, ग्राम-पाटा पो0ओ0-पाटा, उत्तरकाशी	1643 / 2014
345.	श्री बालवन्तसिंह नेगी ए. 105 द्वितीयतल मेन रोड चन्द्र विहार, मण्डावली, दिल्ली	1658 / 2014
346.	श्री आर0बी0सिंह, म0न0-3 टाइप-2 कलेक्ट्रेट कालोनी, केदारपुरम, देहरादून	1660 / 2014
347.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, देहरादून	1663 / 2014
348.	श्री प्रकाश हर्बोला, हर्बोला हेरिटेज रामपुर रोड, हलद्वानी जिला-नैनीताल	1668 / 2014
349.	श्री जीवन सिंह मार्फत बी0एस0 मेहरा आर.जेड.एच. 260 गली नं0-8 राजनगर पालम कालोनी, दिल्ली	1672 / 2014
350.	श्री रविराज पुत्र स्व0 श्री हरपालसिंह, काशीपुरी कालोनी, रुड़की हरिद्वार	1673 / 2014
351.	श्री एस0के0 अवस्थी किशनपुर, किच्छा, यू0एस0नगर	1674 / 2014
352.	श्रीमती राजकौर पत्नी सरदार अमर सिंह, ग्राम गोबरा, पो0जोगीपुरा, तह0 बाजपुर, उधमसिंहनगर	1675 / 2014
353.	श्री सुधीर जोशी, निवासी ग्राम-बागी, पो0 भोगपुर, देहरादून	1676 / 2014
354.	श्रीमती पिकी देवी, ग्राम-झाझरा, पो0 सुदोवाला, देहरादून	1677 / 2014
355.	श्री संजय कुमार पुत्र श्री बाबू लाल, ग्राम व पो0 उम्मेदपुर प्रेमनगर देहरादून	1679 / 2014
356.	श्री लखवीर सिंह पुत्र श्री इन्दरसिंह ग्राम ध्यानपुर पोस्ट/थाना नानकमता, उधमसिंहनगर	1680 / 2014
357.	श्री सौरभ ममगाई, निकट शिवमन्दिर, रायपुर, देहरादून	1681 / 2014
358.	श्री सी0एस0सवत एडवोकेट मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल मार्फत भगत जनरल स्टोर कुमपुर बाजार लालकुर्ती रानीखेत, अल्मोड़ा	1683 / 2014

359.	श्री खुशल सिंह अधिकारी पूर्व ब्लाक प्रमुख नजदीक जी०जी०आई०सी० छतरगियां, लोहाघाट, चम्पावत	1684 / 2014
360.	श्री कपिलधर पुत्र श्री केदारनाथधर म०नि०-17, रामपुर, देहरादून	1685 / 2014
361.	श्री सुभाष शह पुत्र स्व० श्री एन०जी०शाह मकान न०-110, ओली मार्ग, माता मन्दिर के पास, रायपुर, देहरादून	1686 / 2014
362.	श्री अनुज डिमरी, ग्राम मियांवाला, पोस्ट-हरावाला, देहरादून	1688 / 2014
363.	श्री संजयकुमार एडवोकेट, मार्फत उत्तम सिंह चैम्बर न० 35 नयी बिल्डिंग 01 फूलोर बार एसोसियेशन कोर्ट कम्पाउन्ड देहरादून	1689 / 2014
364.	श्री अनिल कुमार जैन, ग्राम व पो० पुरोला तह० पुरोला, जनपद-उत्तरकाशी	1690 / 2014
365.	श्री नेलशन कुमार अरोड़ा, संघ भवन, 105 चन्दर नगर, समीप मु०वि०अ०कार्या०, देहरादून	1708 / 2014
366.	श्री कीर्तिपाल सिंह पुत्र स्व० श्री भगतसिंह, नि० गली न०-1 सुमन विहार बापूग्राम तह० ऋषिकेश, जनपद-देहरादून	1709 / 2014
367.	श्री बिजेन्द्र सिंह चौहान निवासी बासखेड़ाकला काशीपुर उधमसिंहनगर	1712 / 2014
368.	श्री हिरेन्द्र सिंह बाली पुत्र श्री हरदयाल सिंह 123/4 डी०एल०रोड वार्ड सं-9 देहरादून	1713 / 2014
369.	श्री पंकजगुप्ता, कार्यालय 33/1 हीरालाल, ऋषिकेश देहरादून	1714 / 2014
370.	श्री बसन्त बल्लम पुत्र श्री सतीश चन्द्र खर्कवाल, खलकड़िया, चम्पावत	1720 / 2014
371.	श्री विपिन चन्द्र भट्ट, एडवोकेट, मल्लभवन, निसिंहबाडी, अल्मोड़ा	1721 / 2014
372.	श्रीमती शशि सेमवाल, ग्राम-सेमार, पो०ओ०-दैंडा, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग	1722 / 2014
373.	श्री नदीम उद्दीन एडवोकेट, कोहिनूर प्रेस बिल्डिंग, अल्लीखां, काशीपुर	1728 / 2014
374.	श्री बिष्णु देव पुत्र श्री खुडबुड़, ग्राम अंजनिया पो० जमौर, खटीमा, उधमसिंहनगर	1729 / 2014
375.	श्री भरत सिंह गुवाई, ग्राम सभा, मंगरीसिरो, सल्ट, जिला- अल्मोड़ा	1730 / 2014
376.	श्री सुबोध कुमार श्रीवास्तव असिस्टेंट प्रोफेसर, महाविद्यालय, नैनीडांडा, पौड़ीमढ़वाल	1731 / 2014
377.	श्री भुपेन्द्र कुमार पुत्र श्री लेखराज सिंह मो० नत्थासिंह, जसपुर, उधमसिंहनगर	1732 / 2014
378.	श्री राजेन्द्र सिंह, नईबस्ती, क्लेमेन्ट टाउन, देहरादून	1734 / 2014
379.	श्री नरेन्द्र सिंह रावत 65 एपी पुलिस लाईन, जिला-रुद्रप्रयाग	1735 / 2014
380.	श्री भारत भूषण कौशल, ब्लाक महामंत्री कांग्रेस कमेटी राजीव नगर वार्ड न-15 डोईवाला, देहरादून	1737 / 2014
381.	श्री धनवीर सिंह, ट्रेवल रेसटोरोन्ट कुलडी बाजार मसुरी	1738 / 2014
382.	श्री भवानी दास पुत्र श्री हुकमदास, ग्राम पुजारागांव, पोस्ट लम्बागांव, टिहरीगढ़वाल	1739 / 2014
383.	श्री विनोद कुमार कन्नोजिया अधिवक्ता, 194 गुरुद्वारा कालोनी, क्लेमेन्टाउन, देहरादून	1740 / 2014
384.	श्री भारत ज्योति अध्यक्ष, रा०स०सु०पो०, पो० बाक्स संख्या-82 मुख्य डाकघर, पटना	1741 / 2014
385.	श्री विनोद कुमार, ग्राम फूलसंगा, पो० ट्राजिट कैम्प, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर	1742 / 2014
386.	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ग्राम व पोस्ट-बक्सीर जनपद-रुद्रप्रयाग	1743 / 2014
387.	श्री शैलेन्द्र थपलियाल, सागर स्टूडियो नटराज चौक ऋषिकेश	1744 / 2014
388.	श्रीमती शशि सेमवाल पत्नी श्री देवेन्द्र प्रसाद सेमवाल मन्दिर मार्ग, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग	1746 / 2014
389.	श्रीमती कान्ता शर्मा पत्नी श्री एम०एल०शर्मा, शिव मन्दिर के सामने हरिद्वार रोड, मोहकमपुर, देहरादून	1747 / 2014
390.	श्री विजय प्रसाद गैरोला, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम व पो० गैरोली जिला-चमोली	1749 / 2014

391.	श्री ओम प्रकाश यादव पुत्र श्री शूरसेन यादव शिवालिक गंगाविहार, रोशनाबाद, हरिद्वार	1750 / 2014
392.	श्री गुरमीत सिंह पुत्र हरनामसिंह, ग्राम महोली जंगल, पो०-भजुवानगला उधमसिंहनगर	1751 / 2014
394.	श्री डोरी ला सागर, के०महा०, अ०भा०अनु०एवं शे०वर्ग उ०समिति, बाजपुर, उधमसिंहनगर	1752 / 2014
395.	श्री हेम पाण्डे पुत्र श्री प्रेम प्रकाश, ग्राम दुंगसिल, पो० भीमताल, जिला-नैनीताल	1753 / 2014
396.	श्रीमती बिष्णु देवी उर्फ शिनी देवी पत्नी गौरीदत्त, ग्राम बच्ची नवाड, पो०-हल्दुचौड, लालकुआं, जिला-नैनीताल	1754 / 2014
397.	श्री संजय कुमार पुत्र श्री बाबूलाल, ग्राम व पोस्ट-उम्मेदपुर, प्रेमनगर, देहरादून	1756 / 2014
398.	श्री एस०पी० नौटियाल, सीनियर सिटिजन काम्पलेक्स, 8-पुरानीरोड, राजपुर, देहरादून	1757 / 2014
399.	श्री महेश चन्द्र सिंह, ग्राम प्रधान, पुनियाबगंड, पो० खीड़ा, जिला-अल्मोड़ा	1758 / 2014
400.	श्री कश्मीर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह, ग्राम-भव्वा, नगला पो० ओ०-केलाखेड़ा, जिला-उधमसिंहनगर	1759 / 2014
401.	श्री रघुवीर सिंह चौहान पुत्र श्री परमसिंह चौहान निवासी बी०टी-8, शक्तिपुरम कालोनी, चिन्वालीसौड़, पो०ओ०, चिन्वालीसौड़, जिला-उत्तरकाशी	1760 / 2014
402.	श्री अजय कौशिक अध्यक्ष, पुरुष अधिकार संरक्षण 11/10 एजेण्डा बिजनेस सेन्टर निकट डा० रुक्मणी नसिंग होम राजपुर रोड, देहरादून	1761 / 2014
403.	श्री मेहर चन्द पुत्र श्री अगनूराम, निवासी-रांझाकला, तुनवाला रोड, देहरादून	1763 / 2014
405.	श्री बीरसेन पुत्र श्री उमराव सिंह कस्बा बड़ौत, मो० विजयनगर, गली न०-6, म०न०-11/1112 गुरानारोड, बड़ौत, जिला- बागपत, उत्तरप्रदेश	1766 / 2014
406.	श्री रविकुमार त्यागी, गोसाईं गली नई बस्ती, भीमगौड़ा, जनपद-हरिद्वार	1767 / 2014
407.	श्री प्रान्थु गुप्ता पुत्र श्री बृजमोहन गुप्ता डी-1 आशीर्वाद एनकलेव, शकुन्तलापुरी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश	1768 / 2014
408.	श्री गुरुप्रीत सिंह पुत्र श्री सूरजीतसिंह, नियर एल०आई०सी आफिस, डाकपत्थररोड, विकासनगर, देहरादून	1769 / 2014
409.	क० कमला आर्या, महारा स्टेट महारागांव, ग्राम व पोस्ट महारागांव, जिला-नैनीताल	1770 / 2014
410.	श्री एस०पी० नौटियाल, सीनियर सिटिजन, काम्पलेक्स, 8-पुरानी मसूरी रोड, राजपुर देहरादून	1773 / 2014
411.	श्री जोईल मरीह डा० अ०स्मा०ट्र०सो०, कपूर पेट्रोल पम्प बिल्डिंग, सुशील होटल के सामने मुरादाबाद रोड, काशीपुर	1774 / 2014
412.	श्रीमती वीरवती पत्नी श्री बनवारीलाल, साकिन, ग्राम पन्तपुरा, दोपहरिया, पो०ओ० व तह० किच्छा, जिला-उधमसिंहनगर	1776 / 2014
413.	श्री सुनील सिंह, हीराडुंगरी, अल्मोड़ा	1778 / 2014
414.	श्री विजय सिंह रावत, आशीर्वाद स्वीटशाप, माजरी माफी चोक, पो० आई०आई०पी० देहरादून	1779 / 2014
415.	श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री देवीसिंह, नजीमाबाद, पो० सूर्यनगर वाया किच्छा, जिला-उधमसिंहनगर	1780 / 2014
416.	डा० देवराज मिश्रा, असिस्टेंट, प्रोफेसर, राधेहरि, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर, जिला-उधमसिंहनगर	1781 / 2014
417.	श्री सी०एस० रावत मा.उच्च न्यालय नैनीताल मार्फत भगत जनरल स्टोर, कुमकुम बाजार, लालकुर्ती रानीखेत, जिला-अल्मोड़ा	1782 / 2014
418.	श्री कश्मीर सिंह पुत्र स्व० श्री बलवन्त सिंह, ग्राम-भव्वा नगला पो०ओ०, केलाखेड़ा, तह०बाजपुर, उधमसिंहनगर	1783 / 2014

419.	सुश्री हसीदा पुत्री अनवर शाह, ग्राम बरी, पो-बरा, तह0 किच्छा, ऊधमसिंहनगर	1793 / 2014
420.	श्री रंजीतसिंह पुत्र कर्मसिंह नि0 ग्राम-पिपलिया विस्तौर, थाना-नानकमत्ता, तह0 सितारगंज, ऊधमसिंहनगर	1794 / 2014
421.	श्री महेश शर्मा, केकेदार सरकारी कैंटीन, तह0 कम्पाउन्ड लक्सर, जिला हरिद्वार	1795 / 2014
422.	श्री संदीप सुखीजा, किशनपुर, ऊधमसिंहनगर	1796 / 2014
423.	श्री अनिल मिश्रा पुत्र श्री बृज बिहारी मिश्रा, निवासी, रानीगली भूपतवाला हरिद्वार	1799 / 2014
424.	श्रीमती संगीता देवी पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह नेगी ग्राम व पो-गडगु, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग	1800 / 2014
425.	श्रीमती विष्णुदेवी उर्फ विश्विदेवी पत्नी गौरी दत्त, ग्राम-बच्चनबाड़, पो0 हल्दुचौड़, लालकुआं, जिला-नैनीताल	1801 / 2014
426.	श्री राजेन्द्र सिंह, फेन्डसकालोनी, तल्ली हल्द्वानी, बरेली रोड, हल्द्वानी, नैनीताल	1802 / 2014
427.	श्री हयातसिंह अधिकारी, ग्राम पाटनपुल पो0ओ0 लोहाघाट, जिला-चम्पावत	1809 / 2014
428.	श्री प्रभात कुमार, गली न0 डी-7, सुभाष नगर पो0 ज्वालापुर, हरिद्वार	1810 / 2014
429.	श्री सुशील कुमार थपलियाल मार्फत श्री ओमप्रकाश जुयाल, गोविन्द नगर, कोटद्वार	1813 / 2014
430.	श्री पूरननाथ पुत्र श्री रामनाथ, ग्राम-देवलातला, पो0ओ0-कुंवरपुर, जिला-नैनीताल	1815 / 2014
431.	श्री पल्लुराम प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कालेज, चाम्यूसैण, पो0 सौंडखेत, जिला-पौड़ीगढ़वाल	1817 / 2014
432.	श्री तौकीर पुत्र श्री वहीद हसन, निवासी ग्राम-मेहूवालामाफी, विकास खण्ड-रामपुर, देहरादून	1819 / 2014
433.	श्री कश्मीर सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह, ग्राम-भवानगला, पो0ओ0-केलाखेड़ा, जिला-ऊधमसिंहनगर	1820 / 2014
434.	श्री वली अहमद पुत्र स्व0 किदाहुसैन, वार्ड न0-8, आजादनगर गदरपुर, तह0 गदरपुर, ऊधमसिंहनगर	1825 / 2014
435.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, ग्राम-तौली, पो0-लांघा, बाया-विकासनगर, जनपद-देहरादून	1827 / 2014
436.	श्री देवीप्रसाद सेमवाल, गली न0-17, प्रेमनगर, दिल्ली नियर	1830 / 2014
437.	श्रीमती गणेशी देवी, एफ-202, नानकपुरा, नई दिल्ली	1831 / 2014
438.	श्री दयानन्द प्रसाद चन्द्रा पुत्र श्री रामप्रसाद, ग्राम शिवलालपुरपाण्डे, तेलीपुरा रोड, पो0 रामनगर, जिला-नैनीताल	1832 / 2014
439.	श्री राकेश देशवाल, एडवोकेट, कोर्ट कम्पाउन्ड, ऋषिकेश, जिला-देहरादून	1833 / 2014
440.	श्री सुरेश सिंह महर पुत्र श्री बी0एस0 महर, ग्राम पंचायत- उचौलीगोड, पो0 टनकपुर, जिला-चम्पावत	1834 / 2014
441.	श्री नवीन राणा, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वर्गाश्रम जॉक, पौड़ी गढ़वाल	1835 / 2014
442.	श्री प्रकाश सिंह, ग्राम-धूमखेड़ा, पो0 नानकमत्ता, जिला-ऊधमसिंहनगर	1836 / 2014
443.	श्री संदीप सुखीजा, किशनपुर किच्छा, ऊधमसिंहनगर	1838 / 2014
445.	श्री जगीर चन्द्र, ग्राम-बन्दरजूड़ा, पो0-बेलपोखरा, जिला-नैनीताल	1840 / 2014
446.	श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री सुशील कुमार, गोविन्दपुर, पो0 गूलरभोज, जिला-ऊधमसिंहनगर	1844 / 2014
447.	श्री चन्दन सिंह पुत्र धुरसिंह, ग्राम-डांग, पो0ओ0-घट्टी, तहसील-सल्ट, जिला-अल्मोड़ा	1845 / 2014
448.	श्री प्रकाश सिंह, ग्राम-धूमखेड़ा, पो0ओ0-नानकमत्ता, जिला-ऊधमसिंहनगर	1846 / 2014
449.	श्री विनोद कुमार शर्मा, 2126, लोधीरोड कामपलेक्स, नई दिल्ली	1847 / 2014
450.	श्री गुरुप्रीतसिंह, नियम एल0आई0सी0 आफिस, डाकपत्थर रोड, विकासनगर, देहरादून	1849 / 2014

451.	कृ० रंजना, रमा बिहार कालोनी, निकट धनीराम चक्की, ग्राम-जमालपुरकला, पो०ओ०-ज्वालापुर	1850 / 2014
452.	श्री नरेन्द्र पुत्र श्री हरिसिंह, ग्राम-ढन्डेरा, तह०-रूडी, जिला-हरिद्वार	1851 / 2014
453.	श्री हरिसिंह पुत्र श्री खुशाल सिंह, ग्राम व पो०-जालली, तह० द्वारहाट, जिला-अल्मोड़ा	1856 / 2014
454.	श्री पवन कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अ०भा०अ०वि०परिषद, सुकखूपुरा, सहारनपुर, उ०प्र०	1859 / 2014
455.	श्री सुरेन्द्र सिंह विष्ट, अध्यक्ष 'मृदुल' ग्राम/मोहल्ला पूछड़ी नयी बस्ती, पो०ओ०रामनगर, जिला-नैनीताल	1860 / 2014
456.	श्री नारायण दत्त जोशी पुत्र श्री तारादत्त जोशी, ग्राम चकसैदुला, तल्ली पोखरी, तह०धारी जिला-नैनीताल	1861 / 2014
457.	श्री योगेश कुमार फेस-दो राजेश्वरी कोलीनी, पो०ओ०-पटेलनगर, देहरादून	1862 / 2014
458.	श्री सुरेश प्रजापति, ग्राम-शंकरपुर, पो० कैंचीवाला, सहसपुर, देहरादून	1864 / 2014
459.	श्री युगल किशोर पुत्र श्री खीमानन्द, ग्राम व पो० पही-बबियाड़ धारी, तहसील-धारी, जिला-नैनीताल	1866 / 2014
460.	श्री भूपेन्द्र कुमार, जिलाध्यक्ष, देहरादून, नै०ए०फो०फारसो०ज०रा०उपा०हयू०सो०फोर० देहरादून	1867 / 2014
461.	श्री नरेश कुमार वर्मा पुत्र स्व० श्री रोहताश वर्मा, आदर्श कालोनी, लक्सर, हरिद्वार	1868 / 2014
462.	श्री वेदप्रकाश पुत्र श्री शरण गिरि, चैम्बर न०-349 अधिवक्ता कक्ष परिसर जिला एवं सत्र न्यायालय रोनाबाद, जिला-हरिद्वार	1869 / 2014
463.	श्री बाबू पुत्र श्री इमामबख्श, ग्राम-वैतवाला, पो० सूडा, तह० जसपुर, जनपद-ऊधमसिंहनगर	1870 / 2014
464.	श्री अमजद अली, आर०टी०आई० कार्यकर्ता, लोधामण्डी, ज्वालापुर, हरिद्वार	1872 / 2015
465.	श्री सुरेश सिंह पुत्र श्री बिशनसिंह महर अस्पताल रोड, टनकपुर, जिला-चम्पावत	1873 / 2015
466.	श्री गोरब सिंह चौहान, ग्राम-बुडोगी, श्रीकोट, पो०ओ०-पांगरखाल, जनपद-टिहरी गढ़वाल	1874 / 2015
467.	श्रीमती राधिका देवी पत्नी श्री कृष्णानन्द जोशी, ग्राम-चकसैदला, पो०-तल्ली पोखरी, वि०ख०-ओखलकांडा जिला-नैनीताल	1875 / 2015
468.	श्री प्रमोद कुमार डोभाल, प्रवक्ता, आर०टी०आई० क्लब, उत्तराखण्ड 'श्यामकुंज' देवढुषि एन्कले, देहराखास, देहरादून।	1876 / 2015
469.	श्री योगेशकुमार, राजराजेश्वरी कालोनी, विद्या विहार फेज-दो, पो०ओ०-पटेलनगर, देहरादून	1877 / 2015
470.	श्री डी०एस० बोरा, पंपोल जनरल स्टोर, गोर पड़ाव, पो०ओ० अर्जनपुर, हल्द्वानी, नैनीताल	1878 / 2015
471.	श्री दलवीर सिंह कनवासी, आर०टी०आई० कार्यकर्ता, ग्राम बन्दरखण्ड, पो०ओ० गौचर, जनपद-चमोली	1879 / 2015
472.	श्री एस०पी०नौटियाल, सीनियर सिटिजन, काम्पलेक्स, 8-पुसानी मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून	1880 / 2015
473.	श्री रघुवीर सिंह नेगी, ग्राम-चरी, पो०ओ०-काण्डई, नन्दप्रयाग, जनपद-चमोली	1883 / 2015
475.	सुश्री कमला देवी, प्रधान, ग्राम सभा-नौगाँव, पो०-नोवाडा, तह० चौखुटिया, जिला-अल्मोड़ा	1887 / 2015
476.	श्री संदीप सुखीजा, किशनपुर, किच्छा, ऊधमसिंहनगर	1888 / 2015
477.	श्री आशीष शर्मा पुत्र श्री एस०पी० शर्मा, मोहल्ला-महलवाला अमरकली बंगला, पोस्ट- हल्दौर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश	1908 / 2015
478.	श्री मनमोहन सिंह धनई, पार्षद, वार्ड न०-36, अजबपुर, नगर निगम, देहरादून	1911 / 2015

479.	अपील स्थानान्तरण संबंधी पत्रावली	1912 / 2015
480.	श्री विनोद कुमार मंगल, दौलताबाद हाउस, लन्दौर कैंट, मंसूरी	1915 / 2015
481.	श्री आर०पी० पैन्थूली, अध्यक्ष, से०नि० राजकीय पैन्सनर्स संगठन, भिलंगना, पैन्थूली सदन श्रीकोट, पोस्ट-सिल्यारा (धनसाली)	1916 / 2015
482.	श्री शशिपाल सिंह, ग्राम व पोस्ट-रुद्रपुर, विकास नगर, देहरादून	1917 / 2015
483.	श्री जी०सी० पडलिया, ग्राम-पाडली, पोस्ट-रातीघाट, जिला नैनीताल	1920 / 2015
484.	श्री गिरीश चन्द्र पोखरिया पुत्र श्री जगदीश चन्द्र पोखरिया, ग्राम मल्ली पोखरी, पोस्ट- तल्ली पोखरी, तहसील धारी, वि०ख० ओखलकांडा, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड	1921 / 2015
485.	श्री डी०पी०एस० गुसाई, आर०टी०आई० / सामाजिक कार्यकर्ता, 84 कालिन्दी एन्कलेव, बल्लीवाला चौक, देहरादून	1923 / 2015
486.	श्री दुर्गा प्रसाद नौटियाल द्वारा ज्योती प्रसाद, नीलम सदन, 81 निरंजनपुर, पोस्ट-कांवली, देहरादून	1924 / 2015
487.	श्रीमती जसबीर कौर, सभासद, न०पा०, मसूरी, राधा भवन इस्टेट स्प्रिंग रोड, मसूरी, जिला देहरादून	1926 / 2015
488.	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत द्वारा श्री के०एन० पन्त, म०न० 2बी, संजय कालोनी, देहरादून	1927 / 2015
489.	श्री धीरज वशिष्ठ, बी-26 राज विहार, फेज-1 जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार	1929 / 2015
490.	श्री प्रशान्त चौधरी, 308बी राज विहार, फेज-1 जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार	1930 / 2015
491.	श्री सुलेख चन्द पुत्र श्री फूल चन्द, ग्राम मानक माजरा, पोस्ट हाल्लू माजरा, तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार	1935 / 2015
492.	श्रीमती सरिता देवी पत्नी श्री बीरेन्द्र पाल सिंह भण्डारी, निवासी ऐथा, पटवारी क्षेत्र त्रिशूल, तहसील पोखरी, जिला चमोली	1936 / 2015
493.	श्री सत्यपाल चड्डा, महामंत्री ब्लाक काग्रेस(इ) चकराता, 158 सदर बाजार, चकराता, देहरादून	1937 / 2015
494.	श्री विजेन्द्र दत्त सकलानी ग्राम व पोस्ट रुद्रपुर वाया सहसपुर, तह० विकासनगर, देहरादून	1938 / 2015
495.	श्री अश्वीन कुमार तॉवर पुत्र श्री कुंवर पाल सिंह, ग्राम मथाना, पो० दाबकी कला, जिला हरिद्वार	1947 / 2015
496.	श्री बलबीर सिंह, ए/5/60 सेक्टर 18, रोहिणी दिल्ली	1948 / 2015
497.	श्री विक्रम नेगी, 49 साउथ, गणेश नगर, स्ट्रीट नं०-7, पडपडगंज रोड, दिल्ली	1949 / 2015
498.	श्री नन्दन सिंह नयाल, टकक/डा०ई०आ०, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड	1951 / 2015
499.	श्री संजय कुमार बूडाकोटी, राज्य आन्दोलनकारी, 218 इन्दिरा नगर, ऋषिकेश	1952 / 2015
500.	श्री धीरज कुमार, ग्राम कांवली मस्जिद के पास, देहरादून	1953 / 2015
501.	श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री खुशीराम निवासी सेलाकुई (बायाँ खाला), देहरादून	1958 / 2015
502.	श्री मोहन सिंह धनई, पार्श्वद यार्ड सं०-38, अजबपुर कला, देहरादून	1959 / 2015
503.	श्री नितिन कुमार चौहान पुत्र श्री अशोक कुमार चौहान, ग्राम अलीपुर, पोस्ट-बहादुराबाद, जिला-हरिद्वार, उत्तराखण्ड	1960 / 2015
504.	श्री देवेन्द्र रावत, सी-7 श्री राधा प्लाट-3, सेक्टर-9, द्वारिका, नई दिल्ली	1964 / 2015
505.	श्री नरेन्द्र सिंह नेगी, ग्राम व पोस्ट-चपलोड़ी, वि०ख०-पाबौ, जनपद-पौड़ी गढ़वाल	1968 / 2015
506.	श्री इन्द्रमणी बौड़ाई, टाईप-1, म०न०-2, पी०आर०डी० कालोनी, तपोवन, देहरादून	1967 / 2015
507.	श्री मदन मोहन कंसवाल, एडवोकेट, खैरीखुर्द, श्यामपुर, पो० सत्यनारायण, ऋषिकेश	1968 / 2015
508.	श्री रविन्द्र शर्मा, प्रोफेसर एवं प्रोजेक्ट डारेक्टर, प्रशासनिक विभाग, राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर	1969 / 2015

509.	श्री बृजमोहन सिंह चौहान, 115 वाणी विहार, अधोईवाला, रायपुर रोड, देहरादून	1970 / 2015
510.	श्री सन्दीप पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सागर, ग्राम व पो0-नौगवाठम्गू, निकट ममता कालोनी, मुण्डेली बौराहा, तहसील-खटीमा, जिला-उधमसिंहनगर	1972 / 2015
511.	श्री एस0के0 पाण्डे, म0नं0-108/8, गली नं0-20, मो0 गंगानगर (सोमेश्वर मंदिर प्लाट के पीछे) ऋषिकेश, देहरादून	1973 / 2015
512.	ठे0 अतर सिंह चौहान पुत्र श्री जगत सिंह चौहान, पहाड़ी गली, निकट शान्ति धाम, नहर पार जौनसारी कालोनी, विकास नगर, देहरादून	1974 / 2015
513.	श्री प्रभाकर पोखरियाल, आर-2-26 पी/42, गली नं0-40, इन्द्रा पार्क, पालम कालोनी नई दिल्ली-45	1979 / 2015
514.	श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री अशोक पाल सिंह, ग्राम-ढन्ढेरा, पोस्ट-मिलापनगर, रुड़की, जनपद हरिद्वार	1983 / 2015
515.	श्री राकेश कुमार सेमवाल, समीक्षा अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड	2006 / 2015
516.	श्रीमती जशोदा भट्ट, मार्फत रमेश चन्द्र शर्मा, स्टेशन रोड, नजदीक हनुमान मंदिर, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड	2007 / 2015
517.	श्री फईम मिया पुत्र श्री जाहिद मिया, नि0वार्ड नं0-6, इस्लाम नगर, गदरपुर, तहसील-गदरपुर, जिला उधमसिंहनगर	2009 / 2015
518.	श्रीमती सुनीता देवी पत्नी राम प्रसाद, नि0 ग्राम-बैतवाला, पोस्ट-कुण्डा, तहसील-गदरपुर, जिला उधमसिंहनगर	2010 / 2015
519.	श्री सुलेख चन्द्र पुत्र श्री फूल चन्द्र, ग्राम मानक माजरा, पो0-हाल्लू माजरा, विकास खण्ड-भगवानपुर, तहसील भगवानपुर, हरिद्वार	2012 / 2016
520.	श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री सुनेहरा सिंह, गा0 अजीतपुर, डा0-मिस्सरपुर, हरिद्वार	2016 / 2016
521.	श्री आनन्द कुमार पुत्र श्री बीर सिंह, ग्राम व पोस्ट-शाहपुर, शीतलाखड़ा, हरिद्वार	2017 / 2016
522.	श्री रघुबीर सिंह रावत पुत्र स्व0 श्री शेर सिंह रावत, ग्राम-हंसूडी, पोस्ट-नैथाना, जनपद-पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड	2018 / 2016
523.	श्री राजेन्द्र सिंह, नई बस्ती, आशारोड़ी, पो0-क्लेमेन्ट टाऊन, देहरादून	2020 / 2016
524.	श्री विकास भाटिया पुत्र श्री रमेश चन्द्र, नि0मोहल्ला नेचलगढ़, कस्बा-देवबन्द, सहारनपुर	2022 / 2016
525.	श्री मो0 मोईन हमीद सिद्दकी पुत्र श्री हमीउददीन सिद्दकी, निवासी-178/1, नारायण विहार, टी0एच0डी0सी0 कालोनी, फेस-2, कारगी रोड, देहरादून	2024 / 2016
526.	श्री जतन सिंह पंवार, एडवोकेट, चै0नं0 188 सिविल कोर्ट, न्यू रामनगर, रुड़की	2025 / 2016
527.	श्री मनीष पाटिल पुत्र स्व0श्री दीपक पाटिल, डी0-146, गली नं0-5, सौरभ विहार, जैतपुर नई दिल्ली	2027 / 2016
528.	श्री दीपक ध्यानी, कमला नेहरू मार्ग, दुगडडा गढ़वाल, जिला-पौड़ी गढ़वाल	2028 / 2016
529.	सुश्री गीता तडियाल, पत्नी श्री कुबेर सिंह, ग्राम-सौनजाला, पोस्ट-कोटाबाग, नैनीताल	2030 / 2016
530.	श्री यशवन्त सिंह, चै0नं0-8ए व 9ए प्रथम तल, सिविल कोर्ट, रामनगर, रुड़की, हरिद्वार	2034 / 2016
531.	श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री बाबू राम, क्वार्टर नं0-137, आईप-2, सेक्टर-4, बी.एच. ई.एल.	2036 / 2016
532.	श्री दीपक प्रताप जाटव, वरिष्ठ सम्पादक, हिन्दुस्तान न्यूज, प्लाट नं0-3, न्यू फ्रैंड्स कालोनी, अपोजिट कनिष्क हास्पिटल, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून	2037 / 2016
533.	श्री मोहम्मद असफाक हुसैन, शानू इन्टर प्राइजेज, बनबसा, पाटनी तिराहा, चम्पावत	2039 / 2016
534.	श्री मोहम्मद नवी अंसारी पुत्र श्री मोहम्मद अहमद अंसारी, निवासी बनबसा, चम्पावत	2040 / 2016

535.	श्री सुभाष गुरम, बी-22, सी.बी.आर.आई, कालोनी, रुड़की, हरिद्वार	2041 / 2016
536.	श्री यत्नेन्द्र नवानी पुत्र श्री मोहन लाल नवानी, ग्राम व पत्रा0-गवाणी, पोखड़ा, पौड़ी	2043 / 2016
537.	श्रीमती हेमलता देवी पत्नी श्री मदन सिंह, ग्राम व पोस्ट- दुजाना (जाटव मौहल्ला) जनपद गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।	2048 / 2016
538.	श्री अमित ब्रह्मेश (एड0) सिविल कोर्ट परिसर काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर	2049 / 2016
539.	श्री आशीष किमोडी, पत्रकार लोअर कालाबड, नियर हैप्पी होम स्कूल कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल	2050 / 2016
540.	चन्द्रमणी पैन्थूली, ग्राम खैरीखुर्द (पाण्डे प्लाट) पो0 सत्यनारायण मन्दिर जिला-देहरादून	2072 / 2016
541.	श्री शिखरओम कौशिक, 20 चमन विहार, निरंजनपुर, देहरादून	2075 / 2016
542.	श्री सुधीर कुमार सुनेहरा कार्यालय अनु0 जाति वि0, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उत्तराखण्ड सजीव भवन, देहरादून	2077 / 2016
543.	श्याम लाल पुत्र नकली, निवास ग्राम-गदरजुड्डा, थाना कोतवाली मंगलौर, तहसील रुड़की जनपद हरिद्वार	2079 / 2016
544.	श्री तारा दत्त गौड़ बी-1/333 न्यू कोण्डली, दिल्ली-96	2081 / 2016
545.	श्री शीशपाल उर्फ छोटा पुत्र स्व0 श्री आशराम, ग्राम-गदरजुड्डा, पो0 मंगलौर जिला हरिद्वार	2083 / 2016
546.	भाष्कर नगरकोटी द्वारा श्री सुरेश जोशी, पूर्व माहमंत्री भाजपा एवं वर्तमान आवेदक विधायक भाजपा पिथौरागढ़	2088 / 2016
547.	श्री रवि प्रकाश सैनी, सिविल कोर्ट परिसर, काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर	2090 / 2016
548.	मुमताज पुत्र श्री अजमल, बी0पी0एल0 कार्ड धारक ग्राम मिर्जापुर मुस्ताफाबाद पो0 मरगूरबपुर बाया रुड़की जिला हरिद्वार	2093 / 2016
549.	जितेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री लखपत सिंह, हाल पत्ता जिला कारागार देहरादून	2095 / 2016
550.	सन्दीप कपूर यू 23/4 ग्राउन्ड फ्लोर पिक टाउन हाउस गुडगाँव हरियाणा	2096 / 2016
551.	गौधीयादी गोविन्द गोपाल कौशिक मुख्य कार्यालय न्यू आदेश नगर रुड़की हरिद्वार	2097 / 2017
552.	राजेन्द्र कुमार द्वारा अधिवक्ता रविप्रकाश एडवोकेट सिविल कोर्ट परिसर काशीपुर जिला ऊधमसिंहनगर	2098 / 2016
553.	श्री शिवलाल रस्तोगी नामित सभासद पूर्व जिलाध्यक्ष उत्तराखण्ड क्रान्तिदल खटीमा पुरानी सेलटेक्स गली, पंचमुखी मन्दिर वार्ड नं-1 खटीमा ऊधमसिंह नगर	2100 / 2016
554.	श्री जुबैर आलम पुत्र मनसब अली, ग्राम मिर्जापुर, मुस्ताफाबाद पो0 मरगूरबपुर, तहसील रुड़की जिला हरिद्वार	2101 / 2016
555.	संजय मोहन, कमला नेहरू मार्ग दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल	2102 / 2016
556.	अनिल कुमार सिंह पुत्र श्री पहलाद निवासी इन्द्रा कालोनी काठगोदाम जनपद नैनीताल	2103 / 2016
557.	संजय कण्डवाल, कमला नेहरू मार्ग दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल	2104 / 2016
558.	रविन्द्र सिंह रावत जी0/29 गणेश विहार अजबपुर खुर्द जिला देहरादून	2105 / 2016
559.	महेन्द्र सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह निवासी ग्राम बखपुर, पो0 सूर्यनगर तहसील किच्छा ऊधमसिंहनगर	2107 / 2016
560.	अकरम खान ग्राम मूड महोलिया निकट जमुना अस्पताल पिलीभीत रोड खटीमा ऊधमसिंहनगर	2108 / 2016
561.	राम सुमग सिंह, शान्तिराम हस्पिटल लो0एम0एम0 इण्टर कालेज गेट के सामने रुड़की हरिद्वार	2110 / 2016
562.	अपना परिवार सामाजिक संगठन पता डी0ए0वी0 कालेज रोड देहरादून	2112 / 2016

563.	मो० सलाम पुत्र मो० शाफीक ला०न०-12 आजाद नगर हल्हानी नैनीताल	2114 / 2016
564.	लक्ष्मण सिंह रावत से०नि० वन रेंजर ई० 59 जज फार्म हल्हानी नैनीताल	2116 / 2016
565.	श्रीमती शशि रावत, सभासद, नगर पालिका परिषद मसूरी	2118 / 2016
566.	सरजू प्रसाद त्यागी पिटीशन राईटर चैम्बर न० 9 तहसील परिसर तहसील एवं जिला हरिद्वार	2120 / 2016
567.	श्रीमती अनीता बहल पत्नी श्री श्रवण कुमार बहल निवासी आदित्यानन्द मार्ग ऋषिकेश	2122 / 2016
568.	विजय नाथ / श्री जगदीश नि०म०स० 163 सपेश कस्ती नाला पानी रायपुर देहरादून।	2123 / 2016
569.	अशोक कुमार मोती बाजार दुगड्डा पौडी गढवाल	2127 / 2016
570.	श्री सुरेन्द्र दत्त जोशी, आर०टी०आई० व समाजिक कार्यकर्ता ग्राम व पोस्ट कालसी बाजार देहरादून।	2128 / 2016
571.	प्रतीक भाटिया एडवोकेट पुत्र श्री चन्द्र मोहन भाटिया चैम्बर न० 4 ब्लाक 14 श्री आर० के० सिन्हा सिविल कोर्ट कम्पाउन्ड देहरादून।	2129 / 2016
572.	संजीव कुमार, दिव्य कुमार ले०न०-02 म०न० 36 लोअर राजीव नगर डाकघर नहरूग्राम देहरादून	2130 / 2016
573.	श्रीमती सवित्री देवी पत्नी स्व० हिरा सिंह ग्राम व पोस्ट-रुडोली पट्टी बल्ल, चकोट अल्मोडा	2132 / 2017
574.	श्री रणजय कुमार सिंह, नेशनल नगर पथरा झारखण्ड।	2134 / 2016
575.	श्री विजय सिंह, एडवोकेट जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर रुद्रपुर उधम सिंह नगर	2135 / 2017
576.	श्री राहुल कुमार म०स०'1 / 5913 निकट आई०टी०सी० गेट सहारनपुर उत्तर प्रदेश	2137 / 2017
577.	श्री उमा शंकर पाण्डे पुत्र धर्मराज पाण्डे, सिद्धदोष बन्दी जिला कारागार देहरादून।	2138 / 2017
578.	श्री वरूण दत्त पुत्र श्री सुशील कुमार निवास सोसायटी रोड लक्सर हरिद्वार	2139 / 2017
579.	श्री विनोद कुमार मौर्य पुत्र श्री सुन्दर लाल ग्राम-गगन पो०-बन्डौली थाना औरास जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश	2140 / 2017
580.	श्री यशभूषण शर्मा, सचिव आर०टी०आई० क्लब उत्तराखण्ड 827 / सिरमौर मार्ग कौलागढ देहरादून	2141 / 2017
581.	श्री सैन सिंह नेगी, कोहिनूर बुल्डिंग लन्दौर बाजार मसूरी देहरादून।	2142 / 2017
582.	श्री कपिल कुमार अग्रवाल, एडवोकेट जानकी नगर कोटद्वार पौडी गढवाल	2143 / 2017
583.	श्री मोहन नेगी, बी-112 ऋषि विहार, पो० मेहवाला माफी देहरादून।	2144 / 2017
584.	अनीषा नेगी, बी०-112 ऋषि विहार, पो० मेहवाला माफी देहरादून।	2146 / 2017
585.	श्री सन्नी सिंह पुत्र श्री रूप सिंह, निवास मिल्सरवाला, डोईवाला, देहरादून।	2148 / 2017
586.	कु० पूजा पुत्री श्री अनुसया प्रसाद उनियाल, पता- राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय तलवाडी थराली, चमोली	2149 / 2017
587.	श्री गुलाब सिंह पुत्री श्री नकलीराम ग्राम छक्कडकला पो० अम्बूवाला-जनपद-हरिद्वार	2150 / 2017
588.	मो० कासिम पुत्र श्री तालीन अहमद मो० जमनपुर, सेलाकुई वि०ख० सहसपुर त० विकासनगर देहरादून।	2151 / 2017
589.	श्री ए०सी० जैन, एडवोकेट, 103 पुष्पाजति विकास मार्ग एक्सटेशन दिल्ली-110092	2152 / 2017
590.	श्री बलविन्दर सिंह शोर्खा, एड० पुत्र स्व० वख्शीश सिंह, तीन पानी, किच्छा, बाईपास रोड शुक्ला फार्म रुद्रपुर उधमसिंहनगर।	2154 / 2017
591.	श्री सुमित नैथानी, पता- सुन्दरवाला, रायपुर, देहरादून।	2155 / 2017

592.	श्री अशोक पाल सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह ग्राम- ढन्टेरा, पो0-मिलापनगर, तहसील-रूडकी, जनपद-हरिद्वार	2157 / 2017
593.	श्री मोबीन हसन पुत्र श्री नूरहसन ग्राम- तेलपुरा, पो0- बिहारीगढ़, त0-भगवानपुर, हरिद्वार	2180 / 2017
594.	श्री अख्तर अली, द्वारा ताहिर हसन, पूर्व प्रधान ग्राम-टाकी, प्राथमिक स्कूल के सामने पो0-सहसपुर, देहरादून।	2182 / 2017
595.	श्री मनोज कुमार मौर्य पुत्र श्री कुंवरपाल मौर्य, निवासी-मौर्य निवास, संजयनगर, हाथीखाना, पो0- लालकुआ, जिला-नैनीताल	2183 / 2017
596.	श्रीमती सुरेखा पत्नी बाबूराम, निवासी-गदर जूड़डा, पो0-मंगलौर, जनपद-हरिद्वार	2184 / 2017
597.	श्री हेम चन्द्र कपिल, मुखानी हल्द्वानी, जिला-नैनीताल	2185 / 2017
598.	श्री पवन कुमार, अध्यक्ष, बो0जा0 समिति, निवासी केवारावाला, विकासनगर, देहरादून।	2186 / 2017
599.	श्री मदन लाल पुत्र श्री कन्हैया लाल, निवासी ग्रा0/पो0-बहादुराबाद, जिला-हरिद्वार।	2187 / 2017
600.	श्री वाहिद हुसैन पुत्र श्री जाहिद हुसैन, निवासी- मोहल्ला, महेशपुरा, काशीपुरा, जिला-उधमसिंहनगर।	2191 / 2017
601.	श्री गम्भीर सिंह चौहान, ग्राम-नीटी, त0-पुरोला, जिला-उत्तरकाशी।	2192 / 2017
602.	श्री अरुण कुमार वर्मा, ले0न0-06 तपोवन रोड, रायपुर, देहरादून।	2193 / 2017
603.	भगवती साणी पुत्री श्री लाल सिंह साणी, ग्राम-खडकतया, पो0-जयराम बाखल, अल्मोड़ा	2194 / 2017
604.	श्री बाबूराम पुत्र श्री आशाराम, ग्राम-गदरजूड़डा, पो0-मंगलौर, जिला-हरिद्वार।	2195 / 2017
605.	श्री अनिल, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, पो0-अम्बीवाला, प्रेमनगर चायबाग, देहरादून।	2196 / 2017
607.	श्रीमती सौम्या वर्मा, डी-205 यूएनईएससीओ अप्राटमेंट 55 आईपी एक्सेटेशन, नई दिल्ली।	2198 / 2017
608.	श्री सूरज सिंह रावत, कारगी ग्रान्ट, शिवालिक एन्क्लेव लाइन-2 नियर रिलान्स टावर, देहरादून।	2201 / 2017
609.	श्री मदन लाल, समीक्षा अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।	2202 / 2017
610.	श्री अनुज कुमार गर्ग द्वारा राधाकृष्णा स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेट, 28 सिविल लाइन, रूडकी हरिद्वार।	2203 / 2017
611.	श्री दीपक कुमार त्यागी, एडवोकेट, 58 लाॅ चैम्बर बिल्डिंग सिविल कोर्ट मेरठ।	2204 / 2017
612.	श्री प्रकाश पाण्डे पुत्र श्री लक्ष्मी पाण्डे, केन्द्रीय कारागार, सितारगंज, उधमसिंहनगर।	2205 / 2017
613.	श्री रविन्द्र कुमार वर्मा पुत्र स्व0 श्री हरपाल सिंह वर्मा, नि0 50 एम0आई0जी, न्यू आवास विकास, सहारनपुर उत्तर प्रदेश।	2207 / 2017
614.	रामचन्द्र सिंह पंवार पूर्व नगर मण्डल अध्यक्ष, भाजपा द्वारा पंवार स्वीट्स शॉप वार्ड नं0-05 नगर पंचायत पुरोला उत्तरकाशी।	2208 / 2017
615.	श्री विजयपाल सिंह रावत पूर्व सैनिक जिला संयोजक रुद्रप्रयाग, ग्रा0 ढालवाला, वार्ड नं0 04 पो0-ढालवाला, जिला-टिहरी गढ़वाल।	2209 / 2017
616.	श्रीमती सपना सिंह मं0न0 494, आर्य समाज मन्दिर के पास रामनगर, रूडकी हरिद्वार।	2213 / 2017
617.	श्री अजय सिंह, मं0न0 494, आर्य समाज मन्दिर के पास रामनगर, रूडकी हरिद्वार।	2214 / 2017
618.	श्री पवन नौटियाल, अध्यक्ष भाजपा नगर मण्डल वार्ड नं0-01 न0पो0 पुरोला, जिला-उत्तरकाशी	2216 / 2018
619.	श्री विकास रावत, ग्राम- जगतपुरी पट्टी, पोस्ट- जसपुर, जिला-ऊधमसिंहनगर	2217 / 2017

620	श्री कासिम खान, अलसालरी बैलफेयर सोसायटी, राष्ट्रीय कार्यालय-अलसाबरी निवास पिरान कलियार शरीफ, रुडकी हरिद्वार।	2225 / 2017
621	श्री श्याम सिंह राजपूत, ग्राम-भानियावाला आरकेडियाग्रान्ट, पो0-बडोवाला, देहरादून।	2226 / 2017
622	श्री रामेश्वर प्रसाद लेखाडा, ग्राम व पोस्ट-जाखन पट्टी, बारजूला, त0-कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल।	2228 / 2017
623	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री झगडूराम निवासी वाल्मिकी नगर रेलवे रोड, ऋषिकेश, देहरादून।	2231 / 2017
624	श्री अनिल बहुखण्डी, ढालवाला, टिहरी गढ़वाल।	2232 / 2017
625	श्री राजपाल गगवार, एडवोकेट चैम्बर नं0-47 ब्लाक-2 चौधरी नैन सिंह बिल्डिंग नियर बार एसोसियन भवन, कोर्ट कम्पाउंड, देहरादून।	2233 / 2017
626	श्री मारकण्डेय राम, 234/2 चन्देश्वर मार्ग, मायाकुण्ड, ऋषिकेश, देहरादून।	2235 / 2017
627	श्री कृपाल सिंह मेहरा, ग्रा0-दलीपपुर पो0- लोकमणीपुर, कोटद्वार, गढ़वाल।	2236 / 2017
628	श्री विनय कुमार सैनी पुत्र श्री चमनलाल, ग्रा0- ज्वाहरखान उर्फ झीबरहैडी, पो0-सुल्तानपुर कुन्हारी, जनपद-हरिद्वार।	2237 / 2017
629	श्री नवीन जुगडी, छात्र संघ अध्यक्ष, ग्राम-पोलगाँव, पो0-बडकोट, त0- बडकोट, ब्लॉक-नौगाँव, उत्तरकाशी।	2239 / 2017
630	श्री मौहम्मद इरफान पुत्र श्री रोहदा, निवासी ग्राम-चौली परगना, तहसील-भगवानपुर, जिला- हरिद्वार।	2245 / 2017
631	श्री अनिल कुमार गुप्ता, 89/1, चन्देश्वर मार्ग, मायाकुण्ड, ऋषिकेश, जनपद-देहरादून, उत्तराखण्ड।	2246 / 2017
632	श्रीमती माहेश्वरी देवी पत्नी स्व0 श्री धन सिंह चौहान, निवास-नवोदय नगर, शिव गंगा विहार, फेज-3 गली नम्बर-9, रोशनाबाद, जिला- हरिद्वार (उत्तराखण्ड)।	2247 / 2017
633	श्री योगेश शर्मा, ज्योति भवन, 14 मातावीय मार्ग, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड	2248 / 2017
634	श्री विजयपाल सिंह मेहरा, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, लोकमणीपुर सिगडडी, तहसील-कोटद्वार, जिला-पौड़ी गढ़वाल।	2249 / 2018
635	सुश्री भारती थापा, (शोध छात्रा) राजनीति विज्ञान, गंगा हायर स्टडी होस्टल, चौरास कैम्पस, कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल।	2253 / 2018
636	श्री अशफाक अली खॉं, 5/2, मुस्लिम कालोनी, रीठा मंडी, देहरादून।	2257 / 2018
637	श्री यशपाल राजहंस पुत्र श्री चन्द्रपाल, नि0-केशवनगर, वार्ड-6, बाजपुर, उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।	2258 / 2018
638	श्री पुरुषोत्तम कोली पुत्र स्व0 श्री प्रेमशंकर कोली, वार्ड नं0-08, रम्पुरा निकट कटोरी, मन्दिर, रुद्रपुर, जिला- उधमसिंहनगर।	2260 / 2018
639	श्री अशोक विष्ट, एडवोकेट, नियर बाटर, विकास मार्ग, पौड़ी जिला-पौड़ी गढ़वाल।	2261 / 2018
640	श्री गौरव अग्रवाल पुत्र श्री सज्जन कुमार अग्रवाल, 76-देहरादून रोड, ऋषिकेश, जनपद-देहरादून।	2262 / 2018
641	श्रीमती नन्दी राणा पत्नी श्री मुख्त्यार सिंह राणा, तल्ला नैग्वाड, निकट लीसा बैड, गोपेश्वर, जिला-चमोली।	2263 / 2018
642	श्री अनिल अनियाल पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद, ग्राम हरभजवाला, पोस्ट-मेहूवाला, मंशादेवी गली नं0-2, नियर-मस्जिद चौक, जनपद देहरादून।	2264 / 2018

643	श्री त्रिभुवन सिंह चुफाल पुत्र श्री लाल सिंह चुफाल, ग्राम-चुपडाखेत, पो-आदिचौरा, तहसील / वि०ख०-डीडीहाट, जिला-पिथौरागढ़।	2267 / 2018
644	श्री हेतराम पुत्र श्री श्योनाथ सिंह, ग्राम-रामनगर, काशीपुर, डाकघर-कुण्डेश्वरी, विकास खण्ड-काशीपुर, जिला-उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।	2268 / 2018
645	डॉ० बर्मन पिता श्री सिताराम, निवासी-संत कृपाल नगर, रावली महदूद, पोस्ट-बहादुराबाद, जिला-हरिद्वार।	2269 / 2018
646	श्री अजय वर्मा, मेन बाजार, लक्सर, जिला-हरिद्वार, (उत्तराखण्ड)	2270 / 2018
647	श्री नागेश किशन राव निमकर, पता-लोक ईसरा, 1280, गाला नं०-2 एस०आर०आई० काम्पलेक्स, नारपोली, आगरा रोड, भिवन्डी महाराष्ट्र।	2271 / 2018
648	श्री नागेश किशन राव निमकर, पता-लोक ईसरा, 1280, गाला नं०-2 एस०आर०आई० काम्पलेक्स, नारपोली, आगरा रोड, भिवन्डी महाराष्ट्र।	2272 / 2018
649	श्री नागेश किशन राव निमकर, पता-लोक ईसरा, 1280, गाला नं०-2 एस०आर०आई० काम्पलेक्स, नारपोली, आगरा रोड, भिवन्डी महाराष्ट्र।	2273 / 2018
650	श्री नागेश किशन राव निमकर, पता-लोक ईसरा, 1280, गाला नं०-2 एस०आर०आई० काम्पलेक्स, नारपोली, आगरा रोड, भिवन्डी महाराष्ट्र।	2274 / 2018
651	श्री नागेश किशन राव निमकर, पता-लोक ईसरा, 1280, गाला नं०-2 एस०आर०आई० काम्पलेक्स, नारपोली, आगरा रोड, भिवन्डी महाराष्ट्र।	2275 / 2018
652	श्री भगवत सिंह पंवार पुत्र श्री कुन्दन सिंह पंवार, गा०पो०-चनियाला, टिहरी गढ़वाल।	2276 / 2018
653	मो० इरफान, प्रधान पुत्र मो० इसफाक, ग्राम-वडेपुर, पोस्ट-पिरान कलियार, त०-रुडकी, जिला-हरिद्वार।	2277 / 2018
654	श्री खुशवंत सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, विचारधीन बन्दी, जिला-कारागार, देहरादून।	2278 / 2018
655	श्री सरदार हर किशन, पता- तिरंगा एन्वलेव सिंह निवास, मं०नं०-19, कैलाशपर, पो०-मेहवाला माफी, देहरादून।	2279 / 2018
656	श्री भूषण सिंह रावत, सचिव, सर्व हिताय संगठन, मंगलौर, जिला-हरिद्वार।	2281 / 2018
657	श्री संजय मोहन कडवाल, पता-कमला नेहरू मार्ग, दुगड्डा, पौडी गढ़वाल।	2282 / 2018
658	श्री मनिन्द्र मण्डल पुत्र श्री शिवेन्द्र मण्डल, पिपलिया नं०-1 पो०-प्रेमनगर, तहसील-गदरपुर, जिला-उधमसिंहनगर।	2284 / 2018
659	श्री कृष्णपाल पुत्र श्री प्रेम सिंह निवास ग्राम-रोशनपुरी रावली महमदूद, तहसील व जिला-हरिद्वार।	2285 / 2018
660	श्री विनोद डोमाल, सी-17 सेक्टर-04 डिफेंस कोलोनी, देहरादून।	2287 / 2018
661	श्रीमती रूचि देवी, पता-कमला नेहरू मार्ग, दुगड्डा, पौडी गढ़वाल।	2289 / 2018
662	श्री प्रकाश राम टम्टा, ग्राम- खर्ककाकी पोस्ट व जनपद- चम्पावत।	2290 / 2018
663	श्री पवन कुमार पुत्र स्व० श्री मुख्यतार सिंह, निवासी-चौदपुर पोस्ट-आर०टी०सी० हेमपुर, तहसील- काशीपुर, जिला-उधमसिंहनगर।	2291 / 2018
664	श्री अमित कुकरेती, रामनगर डांडा, पो०-थानो, जिला-देहरादून।	2292 / 2018
665	श्री स्वर्णिम राज सिंह कण्डारी पुत्र श्री जयराज सिंह कण्डारी, पता-शिवलोक लाडपुर, देहरादून।	2293 / 2018
666	श्री आर०के०गर्ग, अधिवक्ता, चैम्बर नं०-102 जेल रोड कोर्ट कम्पाउन्ड, देहरादून।	2294 / 2018
667	श्री विष्णु प्रसाद रतूडी, नियर ओ०बी०सी० बैंक के पास रायपुर, देहरादून।	2297 / 2018

668	श्री भागवत सिंह, एनएचपीसी, आवसीय परिसर, तपोवन धारचूला, पिथौरागढ़।	2298/2018
669	श्री जे0एस0 रावत, एडवोकेट, चैम्बर 576-ए/एफ0एफ0 बेस्टन विंग तीस हजारी कोर्ट दिल्ली-54	2299/2018
670	श्री आशीष चौहान, एडवोकेट, नई विल्डिंग चैम्बर-05 द्वितीय तल बार भवन के सामने कोर्ट कम्पाउन्ड, देहरादून।	2300/2018
671	श्री बादल प्रकाश, सभासद, छावनी परिषद् लण्डौर, मसूरी, देहरादून।	2301/2018
672	सुश्री नीरा तिवारी म0न0-141 पंडित वाडी फेस-2 देहरादून।	2302/2018
673	श्रीमती पूजा अरोरा पत्नी श्री आशीष अरोरा, निवासी मो0-शक्तिनगर, काशीपुर, उधमसिंहनगर।	2303/2018
674	श्री सत्यपाल गिरि पुत्र श्री चमन गिरि, 1164 शिवनगर रानी गली, मोपतवाला, हरिद्वार।	2304/2018

नजारत/स्टोर से संबंधित पत्रावलियों की सूची

क्र.सं.	पत्रावली/पंजिका का नाम	फाइल संख्या
1	2	3
1.	विभिन्न सामग्रियों के क्रय संबंधी पत्रावली	246/2003
2.	जीप गाड़ी सम्बद्ध करने संबंधी पत्रावली	27/2001
3.	कम्प्यूटर क्रय करने संबंधी पत्रावली	166/2002
4.	लेखन सामग्री क्रय पत्रावली	114/2001
5.	जनरेटर क्रय पत्रावली	211/2002
6.	मा0 राज्य निर्वाचन आयुक्त हेतु किराया मुक्त आवास पत्रावली।	148/2002
7.	कन्जूमैविल सामग्री क्रय	415/2005
8.	आयोग कार्यालय हेतु किराया भवन पत्रावली	125/2001
9.	डीजल क्रय पत्रावली	287/2002
10.	पुस्तकालय पत्रावली	155/2001
11.	जमानत अभिलेख	124/2001
12.	राष्ट्रीय पर्व	117/2001
13.	कार्यालय फर्नीचर क्रय	77/2001
14.	कार्यालय साज सज्जा पत्रावली	02/2001
15.	विज्ञापन संबंधी पत्रावली	457/2004
16.	अग्निशमन यंत्र क्रय पत्रावली	327/2003
17.	सामान्य पत्र व्यवहार	156/2001
18.	पेपरशील/ऐराक्रास मोहर क्रय पत्रावली	31/2001
19.	अमिट स्याही क्रय पत्रावली	80/2001
20.	टाइपराइटर क्रय पत्रावली	40/2001
21.	आयोग द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री पत्रावली	153/2001
22.	मतपेटी आपूर्ति पत्रावली	159/2001
23.	मतपत्रों के मुद्रण पत्रावली	152/2001
24.	मतपत्रों की मांग/मुद्रण पत्रावली	33/2001
25.	प्रेक्षक किट	456/2003
26.	पुस्तकालय पंजिका	2001
27.	जनरेटर पंजिका	2002
28.	जनरल स्टॉक पंजिका	2001

29.	कन्जुमेविल स्टॉक निर्वाचन सामग्री	2001
30.	कन्जुमेविल स्टॉक पंजिका	2001
31.	डेड स्टॉक पंजिका	2001
32.	लेखन सामग्री वितरण पंजिका	2001
33.	कार्यालय आदेश पंजिका	2005
34.	उपस्थित पंजिका	2005
35.	अधिष्ठान संबंधी पंजिका	
36.	जनपदों में पंचास्थानि चुनावालयों के कार्यालय भवन एवं स्टोर हेतु भूमि	618/2005
37.	जनपदों के स्थाई भण्डार के संबंध में पत्राचार	655/2006
38.	आयोग मुख्यालय नये भवन पर स्थापित होने पर पता परिवर्तन संबंधी पत्रावली	660/2006
39.	निर्वाचन संबंधी पुस्तिकाओं के वितरण संबंधी पत्राचार	669/2006
40.	42-अन्य व्यय भुगतान पत्रावली 2006-2007	677/2006
41.	आयोग कार्यालय/भवन हेतु भूमि विषयक	683/2006
42.	अपर राजीव नगर स्थित आयोग भवन संबंधी पत्राचार	716/2006
43.	अन्य राज्य निर्वाचन आयोग से पत्राचार	717/2006
44.	जनपदों के पंचास्थानि चुनावालय हेतु किराया भवन स्वीकृति	718/2006
45.	प्रोटोकाल के संबंध में। स्टोर	723/2006
46.	वाहन संख्या-यूप.07 एम. 0306 से संबंधित पत्रावली	725/2006
47.	वाहन संख्या-यूप.07 एम. 2084 से संबंधित पत्रावली	726/2006
48.	राज्य निर्वाचन आयुक्तों का सम्मेलन व्यवस्था संबंधी।	727/2006
49.	कम्प्यूटर कार्टेज क्रय	740/2007
50.	भारत निर्वाचन आयोग से मतपेटिकार्ये स्थानांतरण किये जाने संबंधी	762/2007
51.	नागर स्थानीय निर्वाचन-2008 हेतु निर्देश पुस्तिकाओं का मुद्रण	755/2007
52.	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन हेतु निर्देश पुस्तिकाओं का मुद्रण	756/2007
53.	निर्वाचन संबंधी सामग्री	772/2007
54.	भारत निर्वाचन आयोग से ई.वी.एम. मांगने विषयक	779/2007
55.	निर्वाचन स्टेशनरी जनपदों में भेजे जाने विषयक	781/2007
56.	मुद्रण संबंधी बैठक	782/2007
57.	सूचना विभाग से संबंधी पत्राचार	788/2007
58.	प्रेक्षकों हेतु वाहन लगाया जाना।	805/2008
59.	पंचास्थानि चुनावालय स्टोर में आगजनी घटना	911/2008
60.	अन्य राज्यों के रा0नि0आ0 से पत्र व्यवहार पत्रावली	1020/2009
61.	पंचास्थानि चुनावालयों से पत्राचार	1021/2009
62.	निष्प्रयोज्य वस्तुओं का निस्तारण	1167/2011
63.	समूह (घ) कर्मचारियों हेतु वर्दी पत्रावली	1326/2012
64.	डाक मतपत्र पत्रावली	1442/2013
65.	मतपेटियों को कय किये जाने विषयक	1579/2014
66.	वाहन कय किये जाने के संबंध में	1587/2014
67.	पंचास्थानि चुनावालयों हेतु कार्यालय फोटोकॉपियर, जनरेटर, फैंक्स, कम्प्यूटर आदि कय किये जाने विषयक	1595/2014
68.	कय समिति का गठन	1606/2014
69.	ए0सी0 कय/भरम्मत तथा कूलर कय/भरम्मत	1669/2014
70.	आयोग मुख्यालय में अधिकारियों/आगन्तुकों/बैठक हेतु जलपान व्यवस्था	1670/2014
70.	आयोग मुख्यालय परिसर में फूल-पौधे कय एवं रखरखव हेतु माली विषयक एवं अन्य	1671/2014

71.	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2014 सकुशल सम्पन्न कराये जाने पर प्रशस्ति-पत्र दिये जाने विषयक	1736/2014
72.	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2014 निर्वाचित पदाधिकारियों का विवरण संबंधी पुस्तिका	1815/2014
73.	राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय हेतु साउण्ड सिस्टम कय किये जाने विषयक	1829/2014
74.	नजारत/स्टोर से सम्बन्धित आवश्यक दिशा-निर्देश	1842/2014
75.	जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2016 हेतु निर्वाचन सामग्री की मांग के संबंध में।	1889/2015
76.	त्रि0प0सा0 निर्वा0 2015-16 हेतु पत्राकार बैठक वार्ता में व्यय धनराशि भुगतान	2013 / 2016
77.	पंचस्थानि चुनावालय हेतु कार्यालय/स्टोर भवन किराया	2033 / 2016
78.	राज्य निर्वाचन आयोग के अतिथि के संबंध में	2044 / 2016
79.	साइकिल कय एवं मरम्मत	2073 / 2016
80.	सोलर एल0डी0डी0 स्टीट लाईट	2074 / 2016
81.	कम्प्यूटर अनुरक्षण	2084 / 2016
82.	टेलीफोन कनेक्शन/ब्राउबेन्ड संबंधी पत्रावली	2092 / 2016
83.	राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय हेतु 15 के0वी सोलर प्लान्ट संबंधी पत्रावली	2115 / 2016
84.	ई0वी0एम0 से सम्बन्धी बैठक	2121 / 2016
85.	पंचस्थानि चुनावालय देहरादून हेतु शौचालय निर्माण विषयक	2145 / 2017
86.	कार्यालय अनुरक्षण	2153 / 2017
	सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हेतु वाहन अनुबन्ध	2190 / 2017
87.	नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन-2018 हेतु निर्वाचक नामावलियों की निर्देश पुस्तिकाओं के मुद्रण सम्बन्धी पत्रावली।	2197 / 2017
88.	नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2018 हेतु निर्वाचन सामग्री।	2220 / 2017
89.	ई-टेण्डर विषयक पत्रावली।	2234 / 2017
90.	ना0नि0 मतपत्रों हेतु ई-टेण्डरिंग विषयक पत्रावली	2255 / 2018
91.	आदर्श आचरण संहिता-2018 पुस्तिका मुद्रण	2259 / 2018
	सचिव कैम्प संबंधी पत्रावली	
1.	सचिव भ्रमण कार्यक्रम (सचिव कैम्प)	2218 / 2017
	उप सचिव कैम्प संबंधी पत्रावली	
1.	विविध उप सचिव कैम्प कार्यालय	1991 / 2015
	सहायक आयुक्त संबंधी पत्रावली	
1.	चतुर्थ श्रेणी कार्मियों की पदोन्नति हेतु लिखित परीक्षा-2016	2091 / 2016
	कम्प्यूटर प्रोग्रामर संबंधी पत्रावली	
1.	एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड	1956 / 2015
2.	पंचायत/नागर निकायों की निर्वाचक नामावलियों के एकीकरण के संबंध में	2078 / 2016

निर्वाचन अनुभाग-2 (पंचायत/नागर स्थानीय निकाय) पत्रावलियों की सूची

क्र.सं.	पत्रावली/पंजिका का नाम	फाईल संख्या
1	2	3
1.	निर्वाचन संबंधी सामान्य निर्देश	09/2001
2.	ग्राम पंचायतों के गजट प्रकाशन सूची	16/2001
3.	स्थानीय निकाय निर्वाचन हरिद्वार	17/2001
4.	उप निर्वाचन पंचायत के कार्यक्रमों की घोषणा	18/2001

5.	निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण	20/2001
6.	प्रमुख, ज्येष्ठ/कनिष्ठ उप प्रमुख निर्वाचन-2001, हरिद्वार	21/2001
7.	मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र की सूचना	30/2001
8.	जिलाधिकारी को जि०नि०आ०/प्र०अ० नियुक्ति विषयक	48/2001
9.	नागर निकाय की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण-2001	66/2001
10.	आयोग में विभिन्न राजनीतिक दलों का पंजीकरण	68/2001
11.	त्रि.पं.नि.-2001 हेतु ग्रा.पं./क्षे.पं./जि.पं. सदस्यों के चुनाव प्रतीकों का प्रेषण	77/2001
12.	त्रि.पं.सा.नि. मतदान स्थल पर सुरक्षा अधिकारी/कर्मचारियों की तैनाती	79/2001
13.	त्रि.पं.नि. के अन्तर्गत विभिन्न पुस्तिकाओं का मुद्रण	81/2001
14.	पंचायत निर्वाचन में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से जाति प्रमाण पत्र लिया जाना	84/2001
15.	त्रि.पं.नि.-2001-2002 दिनांक नियत करने हेतु राज्य सरकार को परामर्श/आदर्श आचरण संहिता	85/2001
16.	त्रि.पं.सा.नि. में वि.ख. स्तर पर प्रबन्धकीय/संचालन व्यवस्था हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण	91/2001
17.	त्रि.पं.नि.-2001 में नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले घोषणा पत्र/शपथ पत्र हेतु निर्देश	94/2001
18.	साह फरवरी, 2002 में नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन	98/2001
19.	राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के व्यय विवरण का भेजा जाना	99/2001
20.	पंचायत निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन की सूचना	107/2001
21.	त्रि.पं.सा.नि.-2001 में मतदान स्थलों की स्वीकृति	121/2001
22.	भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित पत्र-व्यवहार	126/2001
23.	निर्वा.नामा. में संशोधन/फर्जी मतदाता सूची में संशोधन	127/2001
24.	निर्वाचन से संबंधित विभिन्न निर्देश पुस्तिकाओं की मांग सूची	128/2001
25.	त्रि.पं.सा.नि.-2001 में उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य निर्धारण	137/2001
26.	त्रि.पं./न.नि.सा.नि.-2001 सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारियों को यात्रा भत्ता का निर्धारण	138/2001
27.	पं.नि.-2001 में उम्मीदवारों हेतु अधिकतम व्यय सीमा निर्धारण	139/2001
28.	त्रि.पं.सा.नि.-2001 में मतदान स्थलों का निर्माण	141/2001
29.	त्रि.पं.सा.नि.-2001 में चिकित्सा व्यवस्था	144/2001
30.	त्रि.पं.सा.नि.-2001 हेतु जोनल म०/सेक्टर म० की व्यवस्था	146/2001
31.	त्रि.पं.सा.नि.-2001 में प्रेक्षकों की व्यवस्था	147/2001
32.	त्रि.पं.सा.नि.-2001 में अ०/कर्मचारियों के लिए हल्का नाश्ता का निर्धारण	145/2001
33.	नागर निकायों के निर्वाचन के दौरान राजनीतिक दलों का पंजीकरण	169/2001
34.	ना.स्था. के सामान्य निर्वाचन-2002 के लिये दिनांक नियत करने हेतु परामर्श	181/2001
35.	नागर निकायों की निर्वाचन सामग्री	183/2002
36.	आगामी ना.स्था.नि.सा.निर्वा.-2002 हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों से जमानत धनराशि जमा कराया जाना	184/2002
37.	ना. निकायों के निर्वा. हेतु नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य निर्धारण	185/2002
38.	नागर निकायों के निर्वाचन में विभिन्न पदों हेतु चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा बाबत	186/2002
39.	नागर निकायों के निर्वाचन हेतु मुक्त प्रतीक चिह्नों विषयक	188/2002
40.	त्रि.पं. की निर्वा.नामा. के पुनरीक्षण के संबंध में	197/2002
41.	नागर निकाय की निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण-2002	198/2002
42.	ना.स्था.निकाय सामान्य निर्वाचन-2002 हेतु विभिन्न पुस्तिकाओं का मुद्रण	202/2002

43.	ना.नि.सा.नि. में मतदान कर्मी/निर्वाचन अधिकर्ता के नियुक्ति विषयक	207/2002
44.	जनसमस्यायें/शिकायतों का निस्तारण (कुमायू मण्डल)	245/2002
45.	जनसमस्यायें/शिकायतों का निस्तारण (गढ़वाल मण्डल)	247/2002
46.	जनसमस्यायें/शिकायतों के निस्तारण की कार्यवाही विवरण	249/2002
47.	शासन को भेजे जाने वाले जनपदों से प्राप्त शिकायतें	253/2002
48.	नागर निकाय निर्वाचन-2002/निर्वाचक नामावली/शिकायती पत्रों का निस्तारण	305/2002
49.	त्रि.पं.नि. के मतदान केन्द्र/स्थलों की स्वीकृति	314/2002
50.	ग्रा.पं.क्षे.पं. तथा जि.पं. के पदों/स्थानों का आरक्षण	324/2002
51.	नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाच के मतपत्रों विषयक	331/2002
52.	नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के दौरान विशेष परिस्थितियों में स्वीकृति विषयक	347/2003
53.	नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन-2003 से संबंधित शिकायती पत्रों पर कार्यवाही	348/2003
54.	त्रि.पं.सा.नि.-2003 में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण	365/2003
55.	त्रि.पं.सा.नि.-2003 में विभिन्न मामलों में अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही	371/2003
56.	सदस्य जिलापंचायत के पद/स्थानों के निर्वाचित होने की स्वीकृति दिया जाना	383/2003
57.	क्षे.पं. के प्रमुख/उप प्रमुखों तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्षों के पदों पर निर्वाचन-2003	398/2003
58.	क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों/उप प्रमुखों एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्षों का निर्वाचन-2003	401/2003
59.	उप प्रधान पद का निर्वाचन, परामर्श, निर्देश कार्यवाही	420/2003
60.	उप नगर प्रमुख, नगर निगम का निर्वाचन	422/2003
61.	विधान सभा, लोक सभा प्रश्न	428/2003
62.	भारत निर्वाचन आयोग में राजनीतिक दलों का पंजीकरण	437/2003
63.	संक्षिप्त पुनरीक्षण-2004 जनपद हरिद्वार	484/2004
64.	नागर स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2004	488/2004
65.	पंचायत निर्वाचक नामावली का संक्षिप्त पुनरीक्षण की 15.5.2004 की सूचनाओं की पत्रावली	510/2004
66.	पंचायत उप निर्वाचन-2004	513/2004
67.	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2005 में जनपद हरिद्वार में मतदान केन्द्र/मतदान स्थल के निर्माण एवं तत्संबंधी निर्देश	531/2004
68.	प्रधान उप निर्वाचन-2005	541/2005
69.	नागर निकाय निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित, अपमार्जित एवं संशोधित करने विषयक	547/2005
70.	राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता से विधि राय प्राप्त करने विषयक	551/2005
71.	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन जनपद हरिद्वार-2005	557/2005
72.	जनपद हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत आरक्षण संबंधी	561/2005
73.	नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाना	564/2005
74.	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन जनपद हरिद्वार परामर्श/अधिसूचना	567/2005
75.	संक्षिप्त पुनरीक्षण त्रिस्तरीय पंचायत-2005	575/2005
76.	संक्षिप्त पुनरीक्षण नागर स्थानीय निकाय-2006	576/2005
77.	जनपद हरिद्वार के पंचायत निर्वाचन में उद्घाटन आदि की स्वीकृति	590/2005
78.	जनपद हरिद्वार के पंचायत निर्वाचन-2005 में शिकायती पत्रों के संबंध में	591/2005

79.	जनपद हरिद्वार के जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उका निर्वाचन-2005	598/2005
80.	क्षेत्र पंचायत प्रमुख निर्वाचन हरिद्वार-2005	603/2005
81.	जिला पंचायत अध्यक्ष हेतु निर्देश हरिद्वार	604/2005
82.	मतदान/मतगणना हरिद्वार पत्र-व्यवहार	605/2005
महत्पूर्ण त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन मतपत्र नमूना एवं टी.पी.		
83.	सूचना का अधिकार पत्रावली	608/2005
84.	रिट.....दिनांक 19.10.2005 उच्च न्यायालय नैनीताल	609/2005
85.	उप प्रधान, उप निर्वाचन-2005	610/2005
86.	जिला योजना के सदस्यों का निर्वाचन	612/2005
87.	उप प्रधान सामान्य निर्वाचन हरिद्वार	613/2005
88.	रिट संख्या-1242 हरिद्वार निर्वाचन-2005	617/2005
89.	त्रिस्तरीय पंचायतों के उपनिर्वाचन	635/2005
90.	रिट पीटीशन संख्या-1379 श्रीमती कविता बनाम राज्य बेहादराबाद, हरिद्वार	642/2005
91.	रिट पीटीशन संख्या-1402 एम./एम. 2005 यामिन बनाम राज्य	646/2005
92.	रिट संख्या-1009/एमबी/05 राव इरशाद खां बनाम राज्य व अन्य	647/2005
93.	रिट संख्या-मिल/2005एमबी श्रीमती सुनीता देवी बनाम राज्य व अन्य	648/2005
94.	मा. राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय की बैठक दिनांक 21 व 22 जनवरी, 2005	649/2005
95.	मा. राज्य निर्वाचन आयुक्तों की बैठक पत्रावली	657/2006
96.	पंचायत एवं नागर निकाय निर्वाचन नामावली	661/2006
97.	त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन-2006	685/2006
98.	वार्षिक सूचना रिपोर्ट वर्ष 2005-2006	687/2006
99.	पंचायत चुनाव हेतु एन.जी.ओ. द्वारा चलाये जा रहे जागरूकता अभियान	688/2006
100.	ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण	695/2006
101.	स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण-2006	696/2006
102.	विविध रिटों से पत्राचार	697/2006
103.	ग्राम पंचायत, प्रधान क्षेत्र पंचायत का उप निर्वाचन	712/2006
104.	साफ्टवेयर/नेट पर राज्य निर्वाचन आयोग की सूचना उपलब्ध कराया जाना।	715/2006
105.	रिट पीटीशन संख्या-1154 2006 एम/बी	719/2006
106.	उप प्रधान ग्राम पंचायत के रिक्त पद/स्थानों का उपनिर्वाचन	721/2006
107.	निर्वाचक नामावलियों में किन्नरों के पंजीकरण/ नामांकन के संबंध में।	724/2006
108.	उत्तराखण्ड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत एवं नागर निकाय में महिला पदाधिकारियों से संबंधित सूचना।	729/2006
109.	शासन को भेजे जाने वाली विगत पांच वर्षों की उपलब्धियां	730/2007
110.	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण-2006	733/2007
111.	नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण-2006	734/2007
112.	त्रिस्तरीय पंचायतों का उप निर्वाचन-2007	738/2007
113.	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2008 में मतदान केन्द्र/स्थान की स्थापना/निर्देश	768/2007
114.	नागर निकाय निर्वाचन 2008 में मतदान केन्द्र/स्थान की स्थापना/निर्देश	769/2007
115.	त्रिस्तरीय पंचायतों के राज्य के 12 जनपदों के ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं परिसीमन के विवरण संबंधी।	770/2007
116.	जनपद हरिद्वार निर्वाचन संबंधित निर्देश के संकलन का मुद्रण	771/2007
117.	त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2008	780/2007
118.	नागर स्थानीय निकाय के सामान्य निर्वाचन-2008 हेतु निर्देश	785/2007

119.	त्रिस्तरी पंचायत के सामान्य निर्वाचन-2008 हेतु निर्देश	786/2007
120.	ई.वी.एम. से संबंधित निर्देश विषयक	787/2007
121.	विधिक प्रकरण नागर निकाय से संबंधित	789/2007
122.	पंचायतों के पदों एवं स्थानों के आरक्षण संबंधी	790/2007
123.	नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन-2008 हेतु बैठक विषयक	793/2008
124.	नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन 2008	794/2008
125.	नागर स्थानीय के सामान्य निर्वाचन-2008 के दौरान विशेष स्वीकृति दिये जाने विषयक।	803/2008
126.	नागर स्थानीय के सामान्य निर्वाचन-2008 के शिकायती पत्रों का निस्तारण।	804/2008
127.	मतगणना-2008	806/2008
128.	नागर स्थानीय के सामान्य निर्वाचन-2008 के मतदाता सूची में संशोधन	807/2008
129.	नाम-निर्देशन पत्र की सूचना विषयक	812/2008
130.	मतपत्रों संबंधी निर्देश	813/2008
131.	नागर निकायों का गठन एवं विज्ञप्ति	832/2008
132.	उप नगर प्रमुख का निर्वाचन	844/2008
133.	त्रिस्तरीय पंचायत का परिणाम इंटरनेट पर प्रसारित किया जाना	858/2008
134.	शासन स्तर पर लम्बित प्रकरण विषयक संदर्भ	885/2008
135.	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2008 से संबंधित शिकायती पत्रों का निस्तारण	891/2008
136.	आचार संहिता के दौरान अनुमति विषयक	892/2008
137.	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2008 हेतु मतगणना/स्थल का निर्माण	893/2008
138.	मतपत्रों से संबंधित भेजे जाने वाले निर्देश	895/2008
139.	आचार संहिता में अनुमति/स्वीकृति प्रदान किया जाना	897/2008
140.	प्रमुख एवं उप प्रमुखों तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्षों का निर्वाचन	916/2008
141.	रिट पिटीशन संख्या-669/2008 श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह बनाम राज्य निर्वाचन आयोग	917/2008
142.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, श्री आर.पी. जोशी अभिनंदन फर्नीचर, हल्द्वानी नैनीताल	918/2008
143.	डा. एस.एल. दीक्षित, कैराना रोड़, कांठला मुजफ्फरनगर	919/2008
144.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत विभिन्न जिज्ञासाएं/दिशा निर्देश	920/2008
145.	रिट पिटीशन संख्या-1478/2008 श्री मंजीत कौर बनाम राज्य निर्वाचन आयोग	921/2008
146.	रिट पिटीशन संख्या-02/2008 श्रीमती रिहाना पत्नी श्री वहीद अहमद, लण्डौर रुड़की, हरिद्वार बनाम राज्य निर्वाचन आयोग	922/2008
147.	ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक कराये जाने के संबंध में	925/2008
148.	अध्यक्षों/उपाध्यक्षों, जिला पंचायत का निर्वाचन-2008	926/2008
149.	प्रमुखों एवं उप प्रमुखों क्षेत्र पंचायत का निर्वाचन-2008	927/2008
150.	जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों का आरक्षण-2008	928/2008
151.	रिट पिटीशन संख्या-132/2008 श्री सुबोध गोयल बनाम विरेन्द्र आदि	942/2008
152.	रिट पिटीशन संख्या-129/2008 श्रीमती बीना शर्मा बनाम तारो देवी आदि	943/2008
153.	रिट पिटीशन संख्या-1730/2008 श्री अलेल सिंह बनाम जिलाधिकारी टिहरी आदि	944/2008
154.	उप प्रधान का सामान्य निर्वाचन-2008	946/2008
155.	रिट पिटीशन संख्या-138/2008 श्रीमति उषा बनाम श्रीमती देवती देवी व अन्य	953/2008
156.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव, उधमसिंहनगर	958/2008
157.	उपनल कार्मिकों की उपस्थिति सूचना/भुगतान की कार्यवाही	959/2008

158.	रिट पिटीशन संख्या-135/2008 श्रीमति प्रतिभा बनाम श्रीमती सुमन व अन्य	960/2008
159.	रिट पिटीशन संख्या-04/2008 श्रीमति सता शर्मा बनाम चुनाव आयुक्त व अन्य उधमसिंहनगर	966/2008
160.	रिट पिटीशन संख्या-1908/2008 चन्द्रराम बनाम राज्य राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य	968/2008
161.	रिट पिटीशन संख्या-1013/2008 मुकंदगोन बनाम राज्य राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य	969/2008
162.	रिट पिटीशन संख्या-201/एम.एस./2009 नियाज अहमद बनाम अब्दुल सत्तार	988/2009
163.	त्रिस्तरीय पंचायतों के उपनिर्वाचन-2009	989/2009
164.	जि0प0नि0-2014 के उपरान्त पुर्नमतगणना सम्बन्धी पत्रावली	1925/2015
165.	रिट याचिका संख्या-1009/2015 रूकमा देवी बनाम पुष्पा देवी व अन्य	1931/2015
166.	श्री मदन सिंह अधिकारी, जल निगम शाखा बैलपंडाव, जनपद हल्द्वानी का लापता विषयक	1934/2015
167.	रिट याचिका संख्या-1548/2015 राजेश पोखरियाल बनाम सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, धारी, नैनीताल व अन्य	1939/2015
168.	जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2015 हेतु प्रपत्रों/प्रारूपों/ फोटियो बैज मुद्रण सम्बन्धी	1940/2015
169.	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2014 के पश्चात् मई-2015 तक हुये उपनिर्वाचना में प्रतिभाग करने वाले उम्मीदवारों की अनर्हता संबंधी	1941/2015
170.	जनपद हरिद्वार सामान्य निर्वाचन-2011 के पश्चात् हुये उप निर्वाचनों में प्रतिभाग करने वाले उम्मीदवारों की अनर्हता संबंधी	1942/2015
171.	जनपद हरिद्वार के सामान्य निर्वाचन-2015 हेतु मतदान केन्द्र/मतदान स्थलों के सम्बन्ध में निर्धारण/स्वीकृति	1945/2015
172.	जनपद हरिद्वार के सामान्य निर्वाचन-2015 हेतु आर0ओ0/ए0आर0ओ0/सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारियों/कार्मिकों के सम्बन्ध में	1946/2015
173.	अपील संख्या-380/2015 सुषमा फर्त्याल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1954/2015
174.	रिट याचिका संख्या-2354/2014 श्री सोहन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1955/2015
175.	अपील संख्या-387/2015 लखपत बनाम देवेन्द्र व अन्य	1957/2015
176.	रिट याचिका संख्या-2358(एम0एस)/2015 जोध सिंह, जनपद हरिद्वार बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	1962/2015
177.	अपील संख्या-2535/2015 भुवन चन्द्र मण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	1971/2015
178.	रिट याचिका संख्या-183(पी0आई0एल0)/2015 आविद अली, जनपद हरिद्वार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1975/2015
179.	रिट याचिका संख्या-2768/(एम0एस0)2015 नागेन्द्र सिंह बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य	1976/2015
180.	अनुभाग-2 के कार्मिकों के मध्य कार्य आवंटन विषयक	1977/2015
181.	जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2015 निर्वाचक नामावली में परिवर्द्धन/अपरमाजन/संशोधन विषयक	1978/2015
182.	जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2015 हेतु निर्देश विषयक	1980/2015
183.	जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2015 हेतु प्रेक्षक की नियुक्ति	1981/2015
184.	जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2015 हेतु निर्वाचन व्यय विवरण	1982/2015

185.	रिट याचिका संख्या-3030(एम0एस0)/2015 अजय सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1986 / 2015
186.	रिट याचिका संख्या-198(पी.आई.एल.)/2015मो0 दानिश बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1987 / 2015
187.	रिट याचिका सं0-2929(एम0एस0)/2015श्री रवीन्द्र कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1992 / 2015
188.	रिट याचिका संख्या-2908(एम0एस0)/2015 श्री दिनेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1993 / 2015
189.	रिट याचिका संख्या-2930(एम0एस0)/2015 श्री शौकीन बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1994 / 2015
190.	रिट याचिका संख्या-2943(एम0एस0)/2015 श्री संजय कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1995 / 2015
191.	रिट याचिका संख्या-2951(एम0एस0)/2015 श्री जावेद अली बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1996 / 2015
192.	रिट याचिका संख्या-2963(एम0एस0)/2015 श्री ताज मोहम्मद जनपद हरिद्वार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1997 / 2015
193.	रिट याचिका संख्या-2964(एम0एस0)/2015 श्री सोनू बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1998 / 2015
194.	रिट याचिका संख्या-2912(एम0एस0)/2015 श्री मो0 मुस्तफा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1999 / 2015
195.	रिट याचिका संख्या-2950(एम0एस0)/2015 श्री दिनेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2000 / 2015
196.	रिट याचिका संख्या-2913(एम0एस0)/2015 श्री जोगेन्द्र सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2001 / 2015
197.	रिट याचिका संख्या-2959(एम0एस0)/2015 श्री अनिल कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2002 / 2015
198.	रिट याचिका संख्या-2917(एम0एस0)/2015 श्रीमती विमलेश देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2003 / 2015
199.	रिट याचिका संख्या-2915(एम0एस0)/2015 श्री रियासत बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2004 / 2015
200.	रिट याचिका संख्या-2937(एम0एस0)/2015 श्री योगेश कुमार चौहान बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2005 / 2015
201.	रिट याचिका संख्या-3013(एम0एस0)/2015 श्री आविद हसन बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2008 / 2015
202.	जनपद हरिद्वार में जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का सा0निर्वाचन-2016	2014 / 2016
203.	जनपद हरिद्वार में प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख का सा0निर्वाचन-2016	2015 / 2016
204.	रिट याचिका संख्या-166 (एम0एस0)/2016 श्री अनिल कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2023 / 2016
205.	रिट याचिका संख्या-3266(एम0एस0)/2016 श्री तेजपाल चौहान बनाम जिला निर्वाचन अधिकारी व अन्य	2026 / 2016
205.	रिट याचिका संख्या-187(एम0एस0)/2016 श्री मो0 अनीस बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2029 / 2016
206.	12 जनपदों में ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण-2016	2035 / 2016

207.	रिट याचिका संख्या-3183(एम0एस0)/2015 श्रीमती पूनम चौहान जनपद हरिद्वार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2038/2016
208.	रिट याचिका संख्या-458(एम0एस0)/2016 श्रीमती राशिदा जनपद देहरादून बनाम श्रीमती मनीषा पाल एवं अन्य	2045/2016
209.	रिट याचिका संख्या-509 एवं 510/2016(एम0एस0)/2015 श्रीमती सुनीता देवी बनाम गिरीश चन्द्र पोखरिया व श्रीमती सुनीता देवी बनाम टीकम चन्द्र व अन्य	2046/2016

निर्वाचन अनुभाग-2 (पंचायत निर्वाचन) में संरक्षित पत्रावलियों की सूची

1.	रिट याचिका संख्या-510 श्रीमती शबनम बनमा प्रेमलता व अन्य	1010/2009
2.	रिट याचिका संख्या-1552 श्रीमती सुनीता बनमा उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य प्रेमलता व अन्य	1011/2009
3.	रिट याचिका संख्या-588 श्री विद्यासागर नौटियाल बनाम जिला निर्वाचन	1012/2009
4.	जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2010.	1014/2009
5.	जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षणके सम्बन्ध में	1015/2009
6.	रिट याचिका संख्या-2259/08 श्री आनन्द प्रसाद गड़िया बनाम राज्य सरकार	1016/2009
7.	जनपद हरिद्वार के सामान्य निर्वाचन-2010 हेतु सामान्य निर्देश	1017/2009
8.	मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल रिट याचिका संख्या-551/2009 मलकीत सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	1028/2009
9.	रिट याचिका संख्या-888/2009 नित्यानन्द गड़कोटी, अल्मोड़ा बनाम राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड व अन्य	1029/2009
10.	रिट याचिका संख्या-602/09 नन्दन सिंह, बागेश्वर बनाम जिला जज बागेश्वर	1030/2009
11.	जनपद हरिद्वार के त्रि0पं0निर्वा0-2010 हेतु विस्तृत पुनरीक्षण	1031/2009
12.	रिट याचिका संख्या-59/2009 श्री हरीस साहनी बनाम राजकुमार एवं अन्य	1043/2009
13.	रिट याचिका संख्या-1210/2009 श्रीमती सावित्री देवी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	1047/2009
14.	रिट याचिका संख्या-1286/2009 श्रीमती लक्ष्मी नेगी (लक्ष्मी जग्गी) जनपद-रूद्रप्रयाग बनाम सविता देवी भण्डारी, रूद्रप्रयाग व अन्य	1048/2009
15.	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में दो बच्चों से सम्बन्धित प्राविधान के संबंध में	1067/2009
16.	रिट याचिका संख्या-753 श्री चरनपाल, देहरादून बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1094/2010
17.	रिट याचिका संख्या-1419 श्री मन्जीत पाल चन्दी, ऊधमसिंहनगर, बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1095/2010
18.	रिट याचिका संख्या-1520 श्री मन्जीत पाल चन्दी, ऊधमसिंहनगर, बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1096/2010
19.	रिट याचिका संख्या-1691 श्रीमती बीना शर्मा, देहरादून बनाम मुख्य निर्वाचनअधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1097/2010
20.	जनपद हरिद्वार के त्रि0पं0सा0नि0-2010 हेतु मतदान केन्द्र/स्थल	1105/2010
21.	जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या-1826, 1828 एवं 1821 मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर।	1122/2010
22.	जनपद हरिद्वार के जिला पंचायत निर्वाचन 2010	1126/2010
23.	वाद संख्या-07/2008 बीना देहरादून बनाम वरीसा एवं अन्य	1133/2010
24.	वाद संख्या-09/2008 प्रेमलता बनाम श्रीमती शीतल एवं अन्य	1134/2010

25.	वाद संख्या-01/2008 सुनीता देहरादून बनाम मीरा देवी एवं अन्य	1135/2010
26.	जनपद हरिद्वार के त्रि०प०सा०नि०हेतु आर०ओ०, ए०आर०ओ० सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्ति के सम्बन्ध में	1143/2010
27.	आदर्श आचरण संहिता के सम्बन्ध में	1144/2010
28.	जनपद हरिद्वार के विभिन्न विभागों को अनुमति दिये जाने विषयक	1152/2011
29.	जनपद हरिद्वार के निर्वाचन-2011 हेतु मतगणना केन्द्र/स्ट्रांगरूम के संबंध	1153/2011
30.	जनपद हरिद्वार के उप प्रधान का सामान्य निर्वाचन-2011	1157/2011
31.	जनपद हरिद्वार के प्रमुखों का सामान्य निर्वाचन-2011	1158/2011
32.	जनपद हरिद्वार के जि०प० सामान्य निर्वाचन-2011 के मतगणना परिमाण के सम्बन्ध में	1160/2011
33.	जनपद हरिद्वार के वर्ष 2011 में सम्पन्न हुए त्रि०प०सा०नि० के पश्चात प्रथम बैठक	1174/2011
34.	रिट संख्या-49/2011 चमन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1175/2011
35.	रिट संख्या-389/2011 लाजवन्ती बनाम राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड	1176/2011
36.	रिट संख्या-144/2011 जगजीवन राम बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1177/2011
37.	रिट संख्या-16/2011 सीमा देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1178/2011
38.	रिट संख्या-226/2011 रवीन्द्र कुमार त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1179/2011
39.	रिट संख्या-248/2011 भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1180/2011
40.	आयुष विभाग के निर्वाचन के सम्बन्ध में	1204/2011
41.	रिट याचिका संख्या-692/2011 विजयपाल हरिद्वार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1211/2011
42.	रिट याचिका संख्या-41/2011 निदोष पंवार हरिद्वार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1212/2011
43.	रिट याचिका संख्या-86/2011 धर्मपाल सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1213/2011
44.	रिट याचिका संख्या-2079/2011 लता शर्मा बनाम परगना अधिकारी, उधमसिंह नगर व अन्य	1214/2011
45.	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाभिहित किया जाना	1221/2011
46.	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2013 हेतु परिसीमन/आरक्षण सम्बन्धी	1278/2012
47.	रिट संख्या-207/2011 बलविन्दर सिंह बनाम रा०नि०आयोग व अन्य	1294/2012
48.	रिट संख्या-853/2011 सुषमा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1295/2012
49.	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2013 के सम्बन्ध में शिकायती प्रकरण	1335/2012
50.	रिट संख्या-81/2012 विशन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के संबंध में	1155/2012
51.	उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के त्रि०प० सामान्य निर्वाच-2013 हेतु सूचना /प्रपत्र/परिणाम से सम्बन्धित	1395/2013
52.	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2015 हेतु मतदान केन्द्र/मतदान स्थलों के निर्धारण के सम्बन्ध में	1496/2013
53.	जनहित याचिका संख्या-140/2013 श्री लतीत मोहन पंत बनाम उत्तराखण्ड सरकार व अन्य	1523/2013
54.	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2014 हेतु निशक्त एवं विकलांग जनों के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश	1563/2013
55.	निर्वाचन के शपथ पत्र और न्यायाधिक शपथ पत्र आयुक्तों द्वारा अवैधानिक तरीके से तस्दीक के सम्बन्ध में	1613/2014
56.	रिट संख्या-184/2014 श्री किशन सिंह भन्डारी बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड तथा अन्य	1614/2014

57.	रिट संख्या-157/2014 श्री राजेश व्यास बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड तथा अन्य	1615/2014
58.	रिट संख्या-154/2014 श्री सतीश रावत बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड तथा अन्य	1616/2014
59.	रिट संख्या-185/2014 श्रीमुकेश चतुर्वेदी बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड तथा अन्य	1617/2014
60.	रिट संख्या-164/2014 श्री अशोक कुमार बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड तथा अन्य	1618/2014
61.	रिट संख्या-2927/2013 श्री महेश पुत्र श्री खुशी राम बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड तथा अन्य	1619/2014
62.	रिट संख्या-165/2014 श्री पंकज कुमार पुत्र श्री देवी प्रकाश बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड तथा अन्य	1620/2014
63.	रिट संख्या श्री सरोज कुमार अवस्थी बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड तथा अन्य	1621/2014
64.	रिट संख्या-49/2014 श्री आशीष वेलवाल बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड व अन्य	1622/2014
65.	रिट संख्या-333/2014 श्रीमती गीता राणा बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य के सम्बन्ध में	1631/2014
66.	पंचायत चुनाव सुधारों के सम्बन्ध में सुझाव	1632/2014
67.	रिट संख्या-284 आगनबाड़ी कार्यकर्ता/सेविका कर्मचारी यूनियन बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड व अन्य	1641/2014
68.	रिट संख्या-757/2014 तजलीस अहमद बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य	1664/2014
69.	रिट संख्या-688/2014 अतुल कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1665/2014
70.	स्पेशल अपील संख्या-104/2014 मान सिंह सैनी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1666/2014
71.	रिट संख्या-737/2014 प्रमोद कुमार भाटी एवं अन्य बनाम जिला निर्वाचन अधिकारी व अन्य	1667/2014
72.	रिट संख्या-/2014 श्री हयात सिंह अधिकारी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	1682/2014
73.	रिट संख्या-1232 /2014 श्री गामी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	1691 /2014
74.	रिट संख्या-78/2014 गणेश उपाध्याय बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	1692 /2014
75.	रिट संख्या-1104/2014 कैलाश चन्द्र बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	1693 /2014
76.	रिट संख्या-1044/2014 कर्नल समीत नवानी एवं अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य।	1695 /2014
77.	रिट संख्या-351/2014 सरस्वती जोषी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व	1696 /2014
78.	रिट संख्या-1211/2014 सलीम अहमद बनाम आयोग व अन्य।	1697 /2014
79.	रिट संख्या-1152/2014 दिलशाह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	1698 /2014
80.	रिट संख्या-...../2014 अरुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	1699 /2014
81.	रिट संख्या-1700/2014 कृपाल सिंह मेहरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	1700 /2014
82.	रिट संख्या-1171/2014 डब्लु सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	1701 /2014
83.	रिट संख्या-1710/2014 बीरेन्द्र सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	1702 /2014
84.	रिट संख्या-199/2014 दिलशाह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	1704 /2014
85.	रिट संख्या-197/2014 आगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका संघ एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	1705 /2014

86	रिट संख्या-1706/2014 सुरजीत सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	1706/2014
87	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2008 में प्रतिभाग करने वाले प्रत्याषी जिनके द्वारा व्यय विवरण जमा नहीं किया आयोग द्वारा 2014 के निर्वाचन उन्हें अनर्ह	1710/2014
88	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2014 हेतु प्रमुखों/उपप्रमुखों के निर्वाचन हेतु शासन को भेजे जाने वाला परामर्ष।	1715/2014
89	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2014 हेतु अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिला पंचायत के निर्वाचन हेतु शासन को भेजे जाने वाला परामर्ष।	1718/2014
90	रिट संख्या-1320/2014 बहादुर बनाम राज्यादि व अन्य।	1717/2014
91	रिट संख्या-1386/2014 किषोरी लाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	1718/2014
92	रिट संख्या-1394/2014 भूपेन्द्र सिंह, नैनीताल बनाम राज्य व अन्य।	1719/2014
93	रिट याचिका संख्या-1378/(एम0एस0)/2014 विश्णु दत्त पाण्डे बनाम आयोग	1723/2014
94	रिट याचिका संख्या-1383/(एम0एस0)/2014 महेश चन्द्र पाण्डे बनाम आयोग	1724/2014
95	रिट याचिका संख्या-1369(एम0एस0)/2014 हेमलता हलधर बनाम आयोग व	1725/2014
96	रिट याचिका संख्या-1371(एम0एस0)/2014 मोहन चन्द्र बनाम आयोग व अन्य	1726/2014
97	रिट याचिका संख्या-1375एम0एस0)/2014 हंसा देवी बनाम आयोग व अन्य	1727/2014
98	त्रि0पं0साम0नि0-2014 के निर्वाचन में प्रतिभाग करने वाले उम्मीदवारों द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा विवरण जमा किये जाने विशयक।	1733/2014
98	पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधान/सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत के प्रतिनिधियों की सूचना के समबन्ध में।	1745/2014
99	12 जनपदों के त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2014 ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक सम्बन्धी।	1748/2014
100	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2014 न्यायालय प्रकरण, देहरादून।	1755/2014
101	रिट याचिका संख्या-1449(एम0एस0)/2014 रविन्द्र जुगलान पौडी गढवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	1762/2014
102	निर्वाचन याचिका संख्या-01/2014 दीपा देवी, जनपद चम्पावत बनाम एवं निर्वाचन अधिकारी व अन्य।	1764/2014
103	निर्वाचन याचिका संख्या-02/2014 भावना देवी, जनपद चम्पावत बनाम निर्वाचन अधिकारी व अन्य	1765/2014
104	उत्तराखण्ड राज्य के 12 जनपदों में उपप्रधानों का सामान्य निर्वाचन-2014	1775/2014
105	क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की प्रथम बैठक पत्रावली	1776/2014
106	रिट याचिका संख्या-1817/2014 गोपाल सिंह बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त	1784/2014
107	रिट याचिका संख्या-1818/2014 योगेन्द्र सिंह मेहरा बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त	1785/2014
108	रिट याचिका संख्या-1819/2014 श्रीमती गीता बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त एवं	1786/2014
109	रिट याचिका संख्या-1820/2014 लता गोस्वामी बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त	1787/2014
110	रिट याचिका संख्या-1821/2014 गंगा दत्त बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त	1788/2014
111	रिट याचिका संख्या-1822/2014 बनवत सिंह विशट बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त	1789/2014
112	रिट याचिका संख्या-1823/2014 आनन्दी देवी बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त	1790/2014
113	रिट याचिका संख्या-1824/2014 भुवन चन्द्र पोखरिया बनाम मुख्य चुनाव	1792/2014
114	चुनाव वाद संख्या-02/2014 श्री गोपाल सिंह एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड	1804/2014

115	रिट याचिका संख्या-1723/2014 श्रीमती मंजूलता बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1805/2014
116	रिट याचिका संख्या-11692/2014 श्रीमती सुनीता देवर बनाम उत्तराखण्ड	1806/2014
117	रिट याचिका संख्या-1675/2014 राजेश बलूनी बनाम डिम्पल एवं अन्य	1807/2014
118	रिट याचिका संख्या-1320/2014 आई बहादुर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1808/2014
119	रिट याचिका संख्या-1812/2014 विमला नौटियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1821/2014
120	रिट याचिका संख्या-1337/2014 लवकुश बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1822/2014
121	चुनाव याचिका संख्या-02/2014 श्री गोबिन्द सिंह दानू बनाम हरीष ऐतानी व अन्य	1841/2014
122	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2014 के पश्चात रिक्त रह गये प्रधान,सदस्य, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के पदों/स्थानों का उपनिर्वाचन	1843/2014
123	विधान सभा में उठाये गये प्रश्नों के समबन्ध में।	1863/2014
124	जनपद हरिद्वार के सामान्य निर्वाचन-2016 परिसीमन/आरक्षण सम्बन्धी	1881/2015
125	रिट याचिका संख्या-03 वर्ष 2015 श्रीमती शान्ति देवी बनाम राज्य निर्वाचन	1885/2015
126	जनपद हरिद्वार के सामान्य निर्वाचन-2016 विस्तृत पुनरीक्षण पत्रावली	1892/2015
127	रिक्त पदों/स्थानों की सूचना माह अप्रैल/मई-2015	1909/2015
128.	जनपद हरिद्वार में उप प्रधान, ग्राम पंचायत का सामान्य निर्वाचन-2016	2047/2016
129.	रिट याचिका सं0 652 एम0एस0 2016 श्री अरुण कुमार बनाम राज्य निर्वाचन	2051/2016
130.	12 जनपदों के त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पद/स्थानों का उप निर्वाचन माह	2053/2016
131.	रिट याचिका सं0-2669 श्रीमती जषोदा राणा बनाम विमला नौटियाल व अन्य	2109/2016
132.	समस्त 13 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन विशयक	2111/2016
133.	निर्वाचन याचिका संख्या-01/2014 पीतान्दी बनाम सुलेमान व अन्य	2117/2016
134.	समस्त जनपदों में उप प्रधान, ग्राम पंचायत का उप निर्वाचन 2016	2119/2016
135.	रिट संख्या-205/2016 श्री रविन्द्र जुगरान बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त	2133/2016
136.	दिनांक 25 जनवरी मतदाता जागरूकता दिवस विशयक	2136/2016
137.	समस्त जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पद/स्थानों पर उप निर्वाचन माह	2156/2017
138.	जनपद अल्मोड़ा में ग्राम पंचायतों का पनगठन एवं उप निर्वाचन	2158/2017
139.	उप प्रधान का उप निर्वाचन माह जुलाई, 2017	2188/2017
140.	रिट याचिका संख्या-703(एम0/एस0)2017 अरविन्द कुमार बनाम मुख्य निर्वाचन	2178/2017
141.	रिट याचिका संख्या-1836(एम0/एस0)2011 श्रीमती सुमन बनाम उत्तराखण्ड	2212/2017
142.	रिट याचिका संख्या-91(पी0आई0एल0)2017 धर्मेन्द्र आर्य बनाम उत्तराखण्ड	2215/2017.
143.	रिट याचिका संख्या-01/2017 कडकडडूमा कोर्ट दिल्ली	2219/2017
144.	रिट याचिका संख्या-351(एम0/एस0)2014 श्रीमती सरस्वती जोषी एवं अन्य	2222/2017
145.	रिट याचिका संख्या-2800(एम0/एस0)2014 चन्दन सिंह बिष्ट एवं अन्य बनाम	2223/2017
146.	13 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन माह नवम्बर-दिसम्बर, 2017	2229/2017
147.	समस्त जनपदों में उप प्रधान ग्राम पंचायत का उप निर्वाचन माह दिसम्बर, 2017	2241/2017
148.	रिट याचिका पत्र पत्रावली 2017 निर्देश पंवार	2243/2017
149.	प्रमुख एवं उप प्रमुख का उप निर्वाचन	2286/2017

**निर्वाचन अनुभाग-3 (नागर निकाय/जिला योजना समिति निर्वाचन)
में संरक्षित पत्रावलियों की सूची**

1.	नागर निकाय उप निर्वाचन	1049/2009
2.	नागर स्थानीय निकाय से सम्बन्धित विविध पत्राचार	1113/2010
3.	वेबसाइट/इण्टरनेट हेतु नागर निकाय एवं जिला योजना समिति से संबंधित सन्दर्भ/सूचनाएं	1115/2010
4.	नागर निकाय/ जिला योजना समिति से संबंधित आर0टी0आई0 विषयक सूचनाएं	1116/2010
5.	राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड के शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों की सूचना	1118/2010
6.	मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालयों द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण निर्ण/आदेश	1131/2010
7.	वाद संख्या-161/2008 नानक चन्द्र आदि बनाम राज्य एवं अन्य	1136/2010
8.	वाद संख्या-185/2008 वहीदुल्ला खान बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	1137/2010
9.	वाद संख्या-196/2008 जोध सिंह वारा बनाम यूनियन आफ अण्डिया	1138/2010
10.	वाद संख्या-45/2008 सुनीता देवी बनाम रा0नि0आ0 व अन्य	1139/2010
11.	वाद संख्या-46/2008 मुकेश चन्द्र आर्य बनाम आर0ओ0 व अन्य	1140/2010
12.	नागर स्थानीय निकाय निर्वाचक नामावली/मतदाता सूची का पुनरीक्षण-2011	1142/2010
13.	सोशलिस्ट जनता पार्टी उत्तराखण्ड का पंजीकरण/पत्राचार	1151/2010
14.	राजनीतिक दलों के पंजीकरण के संबंध में जिज्ञासाएं एवं पत्राचार	1186/2011
15.	नागर स्थानीय निका/जिला योजना समितियों आदि से संबन्धित शिकायतों का निस्तारण	1187/2011
16.	जिला योजना समिति उप निर्वाचन-2011 जनपद-हरिद्वार	1193/2011
17.	विभिन्न शिकायती पत्रावली	1208/2011
18.	नागर स्थानीय निकाय/जिला योजना निर्वाचन समिति कक्ष-प्रगति प्रतिवेदन एवं मुद्रण	1217/2011
19.	नागर निकाय/जिला योजना समिति अनुभाग के कार्यक्रमों के निस्तारण का कलेण्डर	1220/2011
20.	नागर स्थानीय निकायों के नक्शे	1222/2011
21.	नागर स्थानीय निकायों का परिसीमन/कार्यवाही	1223/2011
22.	समाजवादी पार्टी का 'अमान्यता प्राप्त दल' के रूप में पंजीकरण	1237/2011
23.	विविध बैठक ना0स्थ0नि0निर्वा0	1256/2011
24.	नागर निकाय निर्वाचन-2013 के निर्वाचन हेतु नाम-निर्देशन पत्रों का मूल्य, अधिकतम व्यय सीमा तथा जमानत की धनराशि का निर्धारण	1258/2011
25.	नागर स्थानीय निकायों का परिसीमन/आरक्षण निकाय निर्वाचन-2013 हेतु	1259/2011
26.	नागर स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण	1260/2011
27.	नागर स्थानीय निकायों का निरीक्षण आख्या/परिसीमन	1261/2011
28.	नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2013 हेतु निकायों के नजरी नक्शा तैयार किया जाना	1280/2012
29.	नागर निकाय उप निर्वाचन-2012	1289/2011
30.	नागर पंचायत मुनिकीरेती के अध्यक्ष पद का उप निर्वाचन-2012	1348/2012
31.	नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन मतदान केन्द्र/मतदान स्थलों का विवरण	1376/2013
32.	भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत दलों की सूचना	1382/2013
33.	नागर निकाय निर्वाचन से सम्बन्धित प्रारूपों का मुद्रण/प्रेषण	1388/2013
34.	उत्तराखण्ड जन क्रान्त दल का पंजीकरण	1390/2013

35.	नागर निकाय निर्वाचन से सम्बन्धित प्रपत्रों का मुद्रण	1391/2013
36.	नागर निकाय निर्वाचन-2013 निर्वाचक नामावली विस्तृत पुनरीक्षण	1402/2013
37.	रिट याचिका सं०-261 मनमोहन सिंह धनाई बनाम उत्तराखण्ड सरकार व अन्य	1403/2013
38.	रिट पिटिशन 323/13 संलग्न 261/13 अनुराग सारावत शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	1406/2013
39.	रिट पिटिशन 323/13 श्री महावीर चौहान तथा अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया एण्ड अदर्स	1408/2013
40.	नागर निकाय निर्वाचन-2013 से सम्बन्धित निर्देश एवं कार्यवाही	1410/2013
41.	नागर निकाय निर्वाचन-2013 में ई.वी.एम. से संबंधित निर्देश एवं कार्यवाही	1411/2013
42.	ई०वी०एम० से निर्वाचन सम्बन्धी निर्देश-कार्यवाही	1414/2013
43.	नि०अ०/स०नि०अ० तथा जोनल मजिस्ट्रेट का निर्वाचन कार्य हेतु दायित्वों का निर्धारण	1415/2013
44.	उत्तराखण्ड क्रान्तिदल का पंजीकरण	1416/2013
45.	निर्वाचक नामावली के नाम परिवर्द्धन, विलोपन तथा संशोधन	1417/2013
46.	नागर निकाय निर्वाचन-2013 की एन०आई०सी से सम्बन्धित सूचना	1418/2013
47.	नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन-2013 से सम्बन्धित शिकायतों के सम्बन्ध में	1419/2013
48.	निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित जिज्ञासा/निस्तारण	1420/2013
49.	आचार संहिता प्रभावी के फलस्वरूप स्वीकृतियां	1421/2013
50.	रिट याचिका संख्या-789, 802, 807, 808, 810, 812 व 815/2013	1424/2013
51.	नागर निकाय निर्वाचन 2013 हेतु मतगणना केन्द्रों का चिन्हीकरण	1440/2013
52.	नगर पंचायत गंगोत्री, केदारनाथ, बदनाथ की निर्वाचक नामावतियों का विस्तृत पुनरीक्षण वर्ष 2013	1443/2013
53.	रिट पिटीशन 783/2013 श्रीमती अनीता आदि बनाम उत्तराखण्ड सरकार व अन्य	1444/2013
54.	नागर निकाय सामान्य निर्वाचन-2013 के निर्वाचन परिणाम/नागर निकाय गठन की अधिसूचना	1447/2013
55.	उप नगर प्रमुख, नगर निगम का निर्वाचन	1450/2013
56.	जिला योजना समिति का निर्वाचन	1452/2013
57.	अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुत ना०नि०निर्वा०-2013	1453/2013
58.	चुनाव याचिका संख्या-83/2013 श्रीमती मुमताज बनाम श्रीमती मीना विष्ट देहरादून	1470/2013
59.	चुनाव याचिका संख्या-84/2013 बृज मोहन बनाम कमली भट्ट देहरादून	1471/2013
60.	याचिका संख्या-81/2013 अजय तिवारी बनाम राजेश चौधरी देहरादून	1476/2013
61.	परामर्श/निर्वाचन-2013 (गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ)	1477/2013
62.	निर्वाचन याचिकाएं-नागर निकाय निर्वाचन-2013 पंचस्थानि चुनावालय, देहरादून(सं०-75, 71, 83/2013)	1481/2013
63.	मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में दायर चाचिकाएं रिट पिटीशन सं० 1468/2011 तथा रिट पिटीशन सं०-1461/2011 आयुष चिकित्सा विभाग	1468/2013
64.	निर्वाचक नामावली में मतदाताओं के नाम परिवर्द्धन, विलोपन एवं संशोधन करना	1501/2013
65.	रिट याचिका संख्या-94/2013 गुरमीतसिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य	1512/2013
66.	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2014 से सम्बन्धित शिकायतें	1601/2014
67.	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2014 विविध अनुमति	1602/2014
68.	नागर निकाय/जिला योजना समिति निर्वाचन (नागर निकाय परिसीमन एवं आरक्षण की कार्यवाही)	1603/2014
69.	रिट पिटीशन सं०-263/2014 मोहम्मद परवेज एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	1610/2014

70.	नागर निकाय उप निर्वाचन-2014	1824/2014
71.	रिट पिटीशन सं०-1860/2014 राम बाबू बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	1826/2014
72.	श्री हन्नी कुमार कुमार अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	1828/2014
73.	नागर निकाय उप निर्वाचन-2015 (सदस्य पद वार्ड सं-2)न०पा०परि० मसूरी	1884/2015
74.	रिट याचिका संख्या-247/2015 कालुराम बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य	1888/2015
75.	नागर स्थानीय निकाय से संबंधित संशोधित आदेश	1889/2015
76.	रिट याचिका संख्या-1041(एम/एस)/2015 त्रेपन सिंह एवं अन्य	1918/2015
77.	नागर निकाय उप निर्वाचन-2015	1928/2015
78.	अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति उप निर्वाचन-2014-2015	1933/2015
79.	याचिका संख्या-549/2001 सुबोधिनी थपलियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	1961/2015
80.	श्री हरपाल मौर्य अध्यक्ष/सचिव, भारतीय जनसेवा पार्टी, जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार	1963/2015
81.	नगर निगमों के उप नगर प्रमुख के पद/स्थान का सामान्य निर्वाचन-2015	1965/2015
82.	आदर्श आचार संहिता उल्लंघन संबंधी पत्रावली	1984/2015
83.	रिट याचिका संख्या-133(एम/एस)श्रीमती अनुराध राणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2021/2015
84.	रिट पिटीशन (पी.आई.एल.)न०-2 ऑफ 2016 नरेन्द्र सिंह राणा बनाम उ०राज्य व अन्य	2032/2015
85.	रिट पिटीशन (पी.आई.एल.)न०-12 ऑफ 2016 श्री आनन्द सिंह पुत्र श्री गोकुल सिंह अशवाल बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य	2042/2015
86.	रिट याचिका सं-652 श्री जैनव बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	2052/2016
87.	मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दि० 10.07.16 के अनुपालन में पत्रावली	2076/2016
88.	रिट सं०-1431 वर्ष 2018 अनीता बहल बनाम रजनीश सेठी	2085/2016
89.	जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत राजस्व ग्राम बल्ली का परीसीमन एवं निर्वाचन कराये जाने विषयक	2099/2016
90.	अनुभाग-3 में तैनात कार्मिकों में कार्य विभाजन संबंधी पत्रावली	2181/2017
91.	रिट संख्या-1486/2017 निखिल कुमार बमान उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	2189/2017
92.	नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन-2018 हेतु विभिन्न निर्देश पुस्तिकाओं का मुद्रण	2199/2017
93.	आम आदमी पार्टी, उत्तराखण्ड	2230/2017
94.	नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन-2018 में बैठक संबंधी पत्रावली।	2238/2017
95.	श्री भगवत प्रसाद नैनीताल, बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	2240/2017
96.	जमानत/नाम निर्देशन सम्बन्धी पत्रावली निकाय सामान्य निर्वाचन-2018	2242/2017
97.	विस्तृत पुनरीक्षण नगर पालिका बागेश्वर, जनपद-बागेश्वर।	2254/2018
98.	नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन-2018 में मतदान केन्द्र/मतदान स्थलों की स्वीकृति पत्रावली	2265/2018
99.	नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन-2018 हेतु नामांकन पत्र एवं अन्य प्रपत्रों संबंधी पत्रावली	2286/2018
100.	नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन-2018 से संबंधित परिसीमन की अन्तिम अधिसूचना।	2280/2018
101.	मा० उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित नागर निर्वाचन/परिसीमन पत्रावली।	2283/2018
102.	नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन-2018 में प्रेक्षकों की नियुक्ति हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची संबंधी पत्रावली।	2295/2018

**राज्य निर्वाचन आयोग के लेखा कक्ष में संरक्षित
पत्रावलियों की सूची**

क्र.सं.	पत्रावली/पत्रिका का नाम	फाइल संख्या	वित्तीय वर्ष
1	2	3	4
1.	मतपत्रों की छपाई का एग्रीमेंट	354	2001
2.	कर्मचारियों के वेतन निर्धारण	262	"
3.	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2001 में नियमित कर्मियों का दुर्घटना बीमा कराया जाना	82	"
4.	कालातीत बिलों की स्वीकृति/कार्यवाही	293	"
5.	कुली एवं खचरों की दैनिक मजदूरी दरों का निर्धारण	133	"
6.	निर्वाचन नामावलियों की बिक्री आदि से संबंधित पत्र-व्यवहार	51	"
7.	नागर निकाय के निर्वाचन हेतु निर्धारित मानकों तथा मदवार स्वीकृत धनराशि विवरण की सूचना।	55	"
8.	सामान्य पत्राचार अग्रिम जमानत आदेश संबंधी पत्रावली	79	"
9.	राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) के निर्वाचन के लिये कार्यालय व्यय की लघु मदों के लिये स्थायी अग्रिम अग्रदाय लेखा रूपये 5000/- की स्वीकृति।	135	"
10.	त्रि.प. एवं न.नि.निर्वाचनों में प्राप्त धनराशि को जमा करने हेतु लेखा श्रमिक का निर्धारण	50	"
11.	नागर निकाय हेतु मतपत्र	228	2002
12.	सामान्य भविष्य निर्वाह निधि अग्रिम स्वीकृति	230	"
13.	विधि कार्यवाही (लेखा)	276	"
14.	आयोग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन निर्धारण	231	"
15.	नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2002 में नियुक्त कर्मियों/सुरक्षा कर्मियों तथा अन्य कर्मियों का दुर्घटना बीमा प्रीमियम से संबंधी	198	"
16.	कालातीत बिलों की लेखा परीक्षण जांच एवं वित्त अधिकारी द्वारा स्वीकृति	322	"
17.	नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन/पंचायत सामान्य निर्वाचन-2003 के लिए मानकों का निर्धारण।	386	"
18.	निर्वाचन में हल्का नाश्ता/पुलिस कर्मी रिजर्व कर्मी	193	"
19.	मतपेटिकाओं की आयलिंग, ग्रीसिंग, मरम्मत	344	"
20.	पंचायत नागर निकायों की निर्वाचन नामावली की कम्प्यूटरकृत की कार्यवाही	312	"
21.	नामनिर्देशन पत्रों, जमानत एवं अन्य मदों में प्राप्त धनराशि	343	"
22.	पंचायत/नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन-2003 में प्रमुख घटनाओं की वीडियो ग्राफी	352	"
23.	संवदि कर्मियों की नियुक्ति आदेश	104	"
24.	पंचास्थानि चुनावालयों में कार्यरत अधिकारियों को मानदेय की स्वीकृति	282	"
25.	अनुभागों से प्राप्त पत्रों की प्रतियां वित्त अधिकारी अवलोकनार्थ	236	"
26.	जमानत पत्रावली	291	"
27.	भवन/मोटर साइकिल अग्रिम	328	"
28.	व्यय विवरण बी.एम.-13 वर्ष 2002-03 अनु.सं.-19 लेखाशीर्षक-2515 (07)	288	"
29.	व्यय विवरण बी.एम.-13 वर्ष 2002-03 अनु.सं.-19 लेखाशीर्षक-2515 (06)	260	"

30.	अनुपूरक बजट की मांग वर्ष 2003-04	474	2003-04
31.	आय-व्यय वर्ष 2004-2005	475	"
32.	विभिन्न मानक मदों में जनपदों को भुगतान संबंधी स्वीकृति/निर्देश	448	"
33.	राज्य निर्वाचन आयोग में विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय अध्यक्ष से संबंधी	302	"
34.	आयोग में कार्यरत नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों का वर्ष 2002-2003 का आयकर भुगतान	392	"
35.	बजट आवंटन वर्ष 2003-2004 अनुदान संख्या-19 लेखाशीर्षक-2515 (06)	387	"
36.	बजट आवंटन वर्ष 2003-2004 अनुदान संख्या-19 लेखाशीर्षक-2515 (07)	388	"
37.	बजट आवंटन वर्ष 2003-2004 अनुदान संख्या-13 लेखाशीर्षक-2217 (03)	386	"
38.	निर्वाचन सामग्री वाहन तथा अन्य मदों में अग्रिम की अदायगी	388	"
39.	निर्वाचन में वाहन व्यवस्था	370	"
40.	आकस्मिकता निधि से धनराशि चाहने बावत	341	"
41.	आकस्मिक चिकित्सा उपचार किट पत्रावली 2002-2003	355	"
42.	जनपद स्तर पर सामग्री क्रय स्वीकृति	378	"
43.	राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल वाहन क्रय	485	"
44.	नागर निकाय निर्वाचन से संबंधित मदों की फीस के बावत	472	"
45.	जनपदों को मकान किराया स्वीकृति	377	"
46.	रा0नि0आ0 में पी0आर0डी0 जवानों की तैनाती विषयक	342	"
47.	व्यय विवरण बी.एम.-13 वर्ष 2003-04 अनु.सं.-13 लेखाशीर्षक-2217 (03)	423	"
48.	व्यय विवरण बी.एम.-13 वर्ष 2003-04 अनु.सं.-19 लेखाशीर्षक-2515(07)	424	"
49.	व्यय विवरण बी.एम.-13 वर्ष 2003-04 अनु.सं.-19 लेखाशीर्षक-2515(06)	397	"
50.	प्रत्याशियों की जमानत संबंधी कार्यवाही	535	2004-05
51.	अन्तिम आधिक्य एवं बचत समर्पण वर्ष 2004-05 अनुदान संख्या-13 लेखाशीर्षक-2217 (03), अनुदान संख्या-19 लेखाशीर्षक-2515 (06) (07)	543	"
52.	मानदेय वर्ष 2003-2004 / 2004-2005	486	"
53.	मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	517	"
54.	बजट आवंटन वर्ष 2004-2005 अनुदान संख्या-19 लेखाशीर्षक-2515 (06) (07)	489	"
55.	बजट आवंटन वर्ष 2004-2005 अनुदान संख्या-13 लेखाशीर्षक-2217 (03)	490	"
56.	श्री जगदीश लाल बनाम जि.नि.अ. व अन्य (बीमा कलेम), चमोली	533	"
57.	विधि पत्र-व्यवहार (कोर्ट नोटिस) 80 सी.पी.सी.	500	"
58.	मुन्तजीरअली होमगार्ड/स्वयं सेवक 4920 कम्पनी नम्बर-10, हरिद्वार निर्वाचन ड्यूटी, बागेश्वर (बीमा कलेम)	520	"
59.	आयकर रिटर्न वर्ष 2004-2005	552	"
60.	बजट आवंटन वर्ष 2005-2006 अनुदान संख्या-19 लेखाशीर्षक-2515(06)	489	2005-2006
61.	बजट आवंटन वर्ष 2005-2006 अनुदान संख्या-19 लेखाशीर्षक-2515(07)	489	"

62.	बजट आवंटन (निर्वाचन हरिद्वार) वर्ष 2005 अनुदान संख्या-19 लेखाशीर्षक-2515 (07)	489	.
63.	बजट आवंटन अनुदान संख्या-13 लेखाशीर्षक-2217 (03)	490	.
64.	बजट प्रस्ताव 2005-06 पुनरीक्षित तथा वर्ष 2006-07 का आय-व्ययक अनुमान एवं नई मांग 2005-06	508	.
65.	बजट प्रस्ताव 2004-05 एवं 2005-06	508	.
66.	विभिन्न भुगतानों से संबंधित स्वीकृतियां/आदेश	593	.
67.	निर्वाचन में नियोजित कर्मियों, निजी व्यक्तियों व सुरक्षा कर्मियों का दुर्घटना बीमा	595	.
68.	विविध पत्राचार	572	.
69.	पंचास्थानि चुनावालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति	602	.
70.	महालेखाकार, उत्तरांचल द्वारा सम्प्रेक्षण (जिला स्तरीय)	584	.
71.	आयकर रिटर्न 2005-2006	552	.
72.	निर्वाचन-2005 हेतु भारत निर्वाचन आयोग की मतपेटियों का किराया भुगतान	565	.
73.	त्रिस्तरीय पंचायत-2005 हेतु लेखा संबंधी निर्देश	585	.
74.	प्रीऑडिट बिलों/देयकों के सापेक्ष स्वीकृति संबंधी कार्यवाही	582	.
75.	महालेखाकार से विभागीय व्यय एवं प्राप्तियों का सत्यापन	577	.
76.	अनु०-13 लेखाशीर्षक-2217-80-001-03 बी.एम.-13	506	.
77.	अनु०-19 लेखाशीर्षक-2515-800 (06) बी.एम.-13	506	.
78.	अनु०-19 लेखाशीर्षक-2515-800 (07) बी.एम.-13	424	.
79.	अनुदान संख्या-19 लेखाशीर्षक-2515-800 (07) आकस्मिकता निधि-201 समेकित निधि को विनियोजन बी.एम.-13	588	.
80.	राज्य सूचना आयोग से संबंधित पत्र व्यवहार	614/2005	
81.	कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	615/2005	
82.	मानदेय संबंधी पत्रावली-2005	619/2005	
83.	आयोग वाहन हेतु डीजल क्रय	629/2005	
84.	वाहन के इंश्योरेंस संबंधी	631/2005	
85.	वित्तीय वर्ष 2006-07 का आय व्ययक लेखा शीर्षक 2515 (06) व (07)	632/2005	
86.	वित्तीय वर्ष 2006-07 का आय व्ययक लेखा शीर्षक 2217 (03)	633/2005	
87.	बैठक संबंधी लेखा अनुभाग	634/2005	
88.	गाड़ियों का अनुरक्षण	636/2005	
89.	वेतन मांग पत्र 2006-2007	662/2006	
90.	बजट प्राप्त 2006-07 2515 (06)	666/2006	
91.	बजट प्राप्त 2006-07 2515 (07)	667/2006	
92.	बजट प्राप्त 2006-07 2217 (03)	668/2006	
93.	जनपद स्तर के कार्मिकों की चिकित्सा व्यय की स्वीकृति	670/2006	
94.	बी.एम.-13 अनुदान संख्या-13	671/2006	
95.	बी.एम.-13 अनुदान संख्या-19-07	672/2006	
96.	बी.एम.-13 अनुदान संख्या-19-08	673/2006	
97.	आतिथ्य व्यय पत्रावली	674/2006	
98.	पी.ओ.एल. भुगतान 2006-2007	675/2006	
99.	सूचना का अधिकार के अन्तर्गत 385 रसीद से प्राप्त धनराशि पत्रावली	679/2006	
100.	16-व्यवसायिक सेवाओं के लिए	680/2006	

101.	27-चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान	681/2006
102.	22-आतिथ्य व्यय 2006-2007	682/2006
103.	कार्यालय व्यय भुगतान 2006-2007	684/2006
104.	कार्यालय फर्नीचर भुगतान	686/2006
105.	कम्प्यूटर अनुरक्षण पत्रावली	690/2006
106.	विद्युत भुगतान 2006-2007	692/2006
107.	कम्प्यूटर अनुरक्षण भुगतान पत्रावली	699/2006
108.	फोटोकॉपियर टोनर एवं मरम्मत पत्रावली	700/2006
109.	साईकिल मरम्मत पत्रावली वर्ष 2006-2007	703/2006
110.	सफाई आदि संबंधी सामग्री क्रय	704/2006
111.	बागवानी संबंधी पत्रावली	705/2006
112.	भवन कार्यालय हेतु बजट आदि	706/2006
113.	निर्वाचक नामावलियों का डाटाबेस संबंधी	707/2006
114.	46-कम्प्यूटर क्रय भुगतान पत्रावली	708/2006
115.	महालेखाकर, उत्तराखंड 2006-2007	709/2006
116.	आय-व्ययक 2007-08	728/2006
117.	वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता की सूचना	737/2007
118.	चैक/ड्राफ्ट द्वारा भुगतान/आहरण वितरण संबंधी कार्यवाही	742/2007
119.	08-कार्यालय व्यय वाउचर 2007-08	743/2007
120.	09-विद्युत व्यय वाउचर 2007-08	744/2007
121.	13-टेलीफोन व्यय वाउचर 2007-08	745/2007
122.	15-गाडियों का अनुरक्षण पेट्रोल आदि व्यय वाउचर 2007-08	746/2007
123.	16-व्यवसायिक व्यय वाउचर 2007-08	747/2007
124.	17-किराया उपशुल्क कर स्वामित्व व्यय वाउचर 2007-08	748/2007
125.	27-चिकित्सा व्यय वाउचर 2007-08	749/2007
126.	रिकान्साईल शीट का 11-8 मिलान पत्रावली 2007-08	750/2007
127.	42- अन्य व्यय वाउचर 2007-08	751/2007
128.	04-यात्रा भत्ता व्यय वाउचर 2007-08	752/2007
129.	11-लेखन सामग्री प्रपत्र छपाई आदि व्यय वाउचर 2007-08	757/2007
130.	22-आतिथ्य व्यय वाउचर 2007-08	758/2007
131.	जनरेटर हेतु डीजल क्रय	760/2007
132.	10-जलकर/जल प्रभार व्यय वाउचर 2007-08	761/2007
133.	12-कार्यालय फर्नीचर व्यय वाउचर 2007-08	766/2007
134.	महालेखाकार से आयोग अभिलेखों के त्रिमासिक मिलान पत्रावली	767/2007
135.	बजट पत्रावली 2008-2009	791/2007
136.	टेलीफोन व्यय भुगतान पत्रावली 2008-09	815/2008
137.	कार्यालय व्यय भुगतान पत्रावली 2008-09	816/2008
138.	विद्युत व्यय भुगतान पत्रावली 2008-09	817/2008
139.	जलकर व्यय भुगतान पत्रावली 2008-09	818/2008
140.	लेखन सामग्री व्यय भुगतान पत्रावली 2008-09	819/2008
141.	कार्यालय फर्नीचर व्यय भुगतान पत्रावली 2008-09	820/2008
142.	पोलिंग व्यय भुगतान पत्रावली 2008-09	821/2008
143.	व्यवसायिक व्यय भुगतान पत्रावली 2008-09	822/2008
144.	आतिथ्य व्यय भुगतान पत्रावली 2008-09	823/2008
145.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय भुगतान पत्रावली 2008-09	824/2008

146.	अन्य व्यय भुगतान पत्रावली 2008-09	825/2008
147.	कम्प्यूटर क्रय व्यय भुगतान पत्रावली 2008-09	826/2008
148.	कम्प्यूटर अनुरक्षण व्यय भुगतान पत्रावली 2008-09	827/2008
149.	किराया व्यय भुगतान पत्रावली 2008-09	828/2008
150.	चालान पत्रावली वित्तीय वर्ष 2008-09	829/2008
151.	स्थायी अग्रिम 2008-09	831/2008
152.	08-कार्यालय व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008-09	839/2008
153.	17-किराया उप शुल्क एवं कर स्वामित्व 2008-09	840/2008
154.	42-अन्य व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008-09	841/2008
155.	राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि की मांग 2515 (07)	845/2008
156.	राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि की मांग 2217 (03)	846/2008
157.	13-टेलीफोन व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008-09	849/2008
158.	15-गाड़ियों का अनुरक्षण पेट्रोल खरीद आदि व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008-09	850/2008
159.	रि कांसिलेशन सीट का 11सी से मिलान	851/2008
160.	मासिक व्यय विवरण 2217 (03) वर्ष 2008-09 बी.एम.-8 एवं बी.एम.-13	852/2008
161.	बी.एम.-8 एवं बी.एम.-13 2515 (07)	853/2008
162.	बी.एम.-8 एवं बी.एम.-13 2515 (06)	854/2008
163.	मानदेय-2008	861/2008
164.	चैक/ड्राफ्ट द्वारा भुगतान/आहरण वितरण संबंधी कार्यवाही पत्रावली 08-09	866/2008
165.	16-व्यवसायिक व्यय एवं विशेष सेवाओं के लिए 08-09 वाउचर्स पत्रावली	868/2008
166.	04-यात्रा भत्ता व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008-09	877/2008
167.	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008-09	882/2008
168.	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008-09	883/2008
169.	रिट पिटीशन संख्या-57/2008 श्री रामप्रसाद पाण्डेय देहरादून बनाम राकेश मौर्य	884/2008
170.	09-विद्युत व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008-09	898/2008
171.	27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008-09	899/2008
172.	रिट पिटीशन संख्या-88/2008 श्री आसाम पंवार बनाम धर्मेन्द्र ठाकुर, देहरादून	900/2008
173.	11-लेखन सामग्री एवं प्रपत्र छपाई व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008-09	901/2008
174.	22-आतिथ्य व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008-09	902/2008
175.	15-पोल 2008-09 लेखा	903/2008
176.	जमानत अवमुक्त किया जाना	923/2008
177.	आय व्यय 2515 (06) 2009-2010	955/2008
178.	आय व्यय 2515 (07) 2009-2010	956/2008
179.	आय व्यय 2217 (03) 2009-2010	957/2008
180.	कार्यालय व्यय पत्रावली	994/2009
181.	विद्युत व्यय पत्रावली	995/2009
182.	लेखन सामग्री व्यय पत्रावली	996/2009
183.	कार्यालय फर्नीचर व्यय पत्रावली	997/2009
184.	टेलीफोन व्यय पत्रावली	998/2009
185.	पीओएल व्यय पत्रावली	999/2009
186.	16-व्यवसायिक सेवा व्यय पत्रावली	1000/2009
187.	22-आकस्मिक व्यय पत्रावली	1001/2009
188.	20-चिकित्सा व्यय पत्रावली	1002/2009

189.	42-अन्य व्यय पत्रावली	1003/2009
190.	46-कम्प्यूटर क्य पत्रावली	1004/2009
191.	47- कम्प्यूटर क्य पत्रावली	1005/2009
192.	आय-व्ययक 2010-11 पत्रावली	1065/2009
193.	आय-व्ययक प्रस्ताव 2011-12 पत्रावली	1119/2010
194.	आय-व्ययक 2012-13 पत्रावली	1242/2011
195.	अनुरक्षण व्यय की स्वीकृति	1252/2011
196.	विद्युत व्यय पत्रावली	1282/2012
197.	टेलीफोन व्यय पत्रावली	1283/2012
198.	पीओएल स्वीकृति पत्रावली	1284/2012
199.	16-व्यवसायिक सेवाये व्यय पत्रावली	1285/2012
200.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय स्वीकृति पत्रावली	1298/2012
201.	कार्यालय व्यय स्वीकृति पत्रावली	1299/2012
202.	प्रमाण पत्र सम्बन्धी पत्रावली	1327/2012
203.	22-आकस्मिक व्यय स्वीकृति पत्रावली	1339/2012
204.	आय-व्ययक 2013-14 पत्रावली	1351/2012
205.	आय-व्ययक 2013-14 2515 (07)पत्रावली	1368/2012
206.	आय-व्ययक 2013-14 2227 (03)पत्रावली	1369/2012
207.	त्रि० प० निर्वा० में उम्मीदवारों हेतु नाम निर्देश पत्रों/जामनते/अधिकतम व्यय सीमा सम्बन्धी पत्रावली।	1378/2013
208.	कार्यालय व्यय स्वीकृति पत्रावली	1425/2013
209.	विद्युत व्यय स्वीकृति पत्रावली	1426/2013
210.	लेखन सामग्री व्यय पत्रावली	1427/2013
211.	कार्यालय फर्नीचर व्यय पत्रावली	1428/2013
212.	टेलीफोन व्यय पत्रावली	1429/2013
213.	पीओएल व्यय पत्रावली	1430/2013
214.	व्यवसायिक सेवा व्यय पत्रावली	1431/2013
215.	आतिथ्य व्यय पत्रावली	1432/2013
216.	मशीनें साज-सज्जा	1433/2013
217.	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति पत्रावली	1434/2013
218.	अनुरक्षण व्यय की स्वीकृति	1435/2013
219.	अन्य व्यय पत्रावली	1436/2013
220.	कम्प्यूटर क्य पत्रावली	1437/2013
221.	कम्प्यूटर क्य अनुरक्षण	1438/2013
222.	रिटपिटीशन सं०-1222-2013 शारदा टेन्ट हाउस हरिद्वार के वैरिकेटिंग देयक भुगतान बाबत।	1480/2013
223.	आय-व्ययक 2013-15 पत्रावली	1536/2013
224.	आय-व्ययक 2013-14 2515 (07)पत्रावली	1541/2013
225.	आय-व्ययक 2013-14 2227 (03)पत्रावली	1542/2013
226.	कार्यालय व्यय स्वीकृति पत्रावली	1644/2014
227.	विद्युत व्यय स्वीकृति पत्रावली	1645/2014
228.	लेखन सामग्री व्यय पत्रावली	1646/2014
229.	कार्यालय फर्नीचर व्यय पत्रावली	1647/2014
230.	टेलीफोन व्यय पत्रावली	1648/2014
231.	पीओएल व्यय पत्रावली	1649/2014

232.	व्यवसायिक सेवा व्यय पत्रावली	1650/2014
233.	आतिथ्य व्यय पत्रावली	1651/2014
234.	मशीनें साज-सज्जा	1652/2014
235.	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति पत्रावली	1653 / 2014
236.	अनुरक्षण व्यय की स्वीकृति	1654 / 2014
237.	अन्य व्यय पत्रावली	1655 / 2014
238.	कम्प्यूटर क्रय पत्रावली	1656 / 2014
239.	कम्प्यूटर अनुरक्षण	1657 / 2014
240.	राज्य आकस्मिकता निधि पत्रावली	1678 / 2014
241.	मजदूरी व्यय स्वीकृति पत्रावली 2014-15	1837 / 2014
242.	आय-व्ययक 2013-15 2515 (06)पत्रावली	1853 / 2014
243.	आय-व्ययक 2013-14 2515 (07)पत्रावली	1854 / 2014
244.	आय-व्ययक 2013-14 2227 (03)पत्रावली	1855 / 2014
245.	02-मजदूरी व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2015-16	1893 / 2015
246.	08-कार्यालय व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2015-16	1894 / 2015
247.	09-विद्युत व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16	1895 / 2015
248.	11-लेखन सामग्री वित्तीय वर्ष 2015-16	1896 / 2015
249.	12-कार्यालय व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16	1897 / 2015
250.	13-टेलीफोन व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16	1898 / 2015
251.	15-पीओएल वित्तीय वर्ष 2015-16	1899 / 2015
252.	16-व्यवसायिक सेवायें वित्तीय वर्ष 2015-16	1900 / 2015
253.	22-आतिथ्य व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16	1901 / 2015
254.	26-मशीन क्रय वित्तीय वर्ष 2015-16	1902 / 2015
255.	27-चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16	1903 / 2015
256.	29-अनुरक्षण वित्तीय वर्ष 2015-16	1904 / 2015
257.	42-अन्य व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16	1905 / 2015
258.	46-कम्प्यूटर क्रय वित्तीय वर्ष 2015-16	1906 / 2015
259.	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण वित्तीय वर्ष 2015-16	1907 / 2015
260.	बी०एम०-०८ व ०४ (2217)	1913 / 2015
261.	बी०एम०-०८ व ०४ (2515)	1914 / 2015
262.	आय-व्ययक 2515(06) वित्तीय वर्ष-2016-17	1988 / 2015
263.	आय-व्ययक 2515(07) वित्तीय वर्ष-2016-17	1989 / 2015
264.	आय-व्ययक 2217(03) वित्तीय वर्ष-2016-17	1990 / 2015
265.	04-टी.ए. विल स्वीकृति पत्रावली	2011 / 2015
267.	मजदूरी व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2054 / 2016
268.	यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2055 / 2016
269.	स्थानान्तरण यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2056 / 2016
270.	कार्यालय व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2057 / 2016
271.	विद्युत व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2058 / 2016
272.	लेखन सामग्री व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2059 / 2016
273.	कार्यालय फर्नीचर व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2060 / 2016
274.	टेलीफोन व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2061 / 2016
275.	फूल व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2062 / 2017
276.	व्यवसायिक सेवायें व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2063 / 2017
277.	विज्ञापन व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2064 / 2016

278.	अतिरिक्त व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2065 / 2016
279.	मशीन क्रय व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2066 / 2016
280.	चिकित्सा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2067 / 2016
281.	अनुरक्षण व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2068 / 2016
282.	अन्य व्यय व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2069 / 2016
283.	कम्प्यूटर व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2070 / 2016
284.	कम्प्यूटर अनुरक्षण व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2071 / 2016
285.	स्व0 श्री जगदीश चन्द्र, नैनीताल हेतु अनुग्रह राशि स्वीकृत	2086 / 2016
287.	आय व्ययक वित्तीय वर्ष-2017-18	2124 / 2016
288.	आय व्ययक 2515 (07) वित्तीय वर्ष-2017-18	2125 / 2016
289.	आय व्ययक 2517 (03) वित्तीय वर्ष-2017-18	2126 / 2016
290.	मा0 वित्त मंत्री जी का वजेट भाषण पत्रावली	2147 / 2017
291.	02 मजदूरी व्यय स्वीकृति पत्रावली वर्ष-2017-18	2159 / 2017
292.	04 यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष-2017-18	2160 / 2017
293.	06 स्थानान्तरण यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष-2017-18	2161 / 2017
294.	08-कार्यालय व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष-2017-18	2162 / 2017
295.	09-विद्युत व्यय वित्तीय वर्ष-2017-18	2163 / 2017
296.	11-लेखन सामग्री वित्तीय वर्ष-2017-18	2164 / 2017
297.	12-कार्यालय फर्नीचर वित्तीय वर्ष-2017-18	2165 / 2017
298.	13-टेलीफोन व्यय वित्तीय वर्ष-2017-18	2166 / 2017
299.	15-पीओएल0 वित्तीय व वर्ष-2017-18	2167 / 2017
300.	16-व्यवसायिक सेवायें वित्तीय वर्ष-2017-18	2168 / 2017
301.	19-विज्ञापन व्यय वित्तीय वर्ष-2017-18	2169 / 2017
302.	26-मशीन क्रय वित्तीय वर्ष-2017-18	2170 / 2017
303.	27-चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय वित्तीय वर्ष-2017-18	2171 / 2017
304.	29-अनुरक्षण वित्तीय वर्ष-2017-18	2172 / 2017
305.	42-अन्य व्यय वित्तीय वर्ष-2017-18	2173 / 2017
306.	45-अवकाश यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2017-18	2174 / 2017
307.	46-कम्प्यूटर क्रय वित्तीय वर्ष 2017-18	2175 / 2017
308.	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण वित्तीय वर्ष 2017-18	2176 / 2017
309.	शासन में बैठक संबंधी पत्रावली	2179 / 2017
310.	नगर स्थानीय निकाय निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कार्मिकों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने विषयक	2227 / 2017
311.	आय-व्ययक 2217 वित्तीय वर्ष-2018-19	2250 / 2018
312.	आय-व्ययक 2515(02) वित्तीय वर्ष-2018-19	2251 / 2018
313.	आय-व्ययक 2515(03) वित्तीय वर्ष-2018-19	2252 / 2018
314.	8000- आकस्मिकता निधि पत्रावली	2296 / 2018

मैनुअल-7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है:-

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिनियमों/नियमावलियों में उल्लिखित धाराओं/नियमों के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाता है। निर्वाचन कार्य में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

=====

मैनुअल-8

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी- राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड से संबंधित नहीं है।

.....

मैनअल-9

अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका

राज्य निर्वाचन आयोग में आयोग मुख्यालय एवं उसके नियंत्रणाधीन जनपदों में स्थित पंचास्थानि चुनावालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका निम्नवत् है:-

क्र. सं.	अधिकारी/कर्मचारियों का नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष संख्या	मोबाइल नम्बर	फैक्स नम्बर
1	2	3	6	7	8
1.	श्री सुबर्द्धन	माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त, आई.ए.एस. (से0नि0)	2671671	9410392399	2671417
2.	श्री रोशन लाल	सचिव	2669619	7055020715	2670920
3.	श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव	उप सचिव (लेखा)	2670998	7534820701	2670945
4.	श्री प्रभात कुमार सिंह	उपायुक्त	2670998	7534820739	2670945
5.	श्री बी0पी0 कोठारी	अनु सचिव	2670998	7534820707	2670945
6.	सुश्री निधि रावत	सहायक आयुक्त	2670998	7534820725	2670945
7.	श्री के.सी. चौधरी	निजी सचिव	2671671	7534820777	2671417
8.	श्री यू.एस. रावत	अनुभाग अधिकारी	---	7534820778	---
9.	श्री मदन लाल	समीक्षा अधिकारी	---	7534820710	---
10.	श्री आर.के. सेमवाल		---	7534820711	---
11.	श्री मोहन चन्द्र		---	7534820713	---
12.	श्री आर.सी. काण्डपाल		---	7534820714	---
13.	श्री एस.सी. पाण्डे	सहायक समीक्षा अधिकारी	---	7534820715	---
14.	श्री एन.एस. नयाल		---	7534820718	---
15.	श्रीमती ऊषा असवाल	वरिष्ठ सहायक	---	7534820765	---
16.	श्री दिनेश कुण्डरा	टंकक/डाटा इन्ट्री आपरेटर	---	7534820717	---
17.	श्री हुकुम सिंह भण्डारी		---	7534820760	---
18.	श्री सत्यानन्द बड़ोनी	अर्दली/चपरासी/ चौकीदार/स्वच्छक	---	---	---
19.	श्री जे.एन. महन्त		---	---	---
20.	श्री राजीव		---	---	---

**पी0आर0डी0 तथा सपनल द्वारा संविदा पर कार्यरत
तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की निर्देशिका।**

क्र.सं.	कर्मचारियों का नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष संख्या	मोबाईल नम्बर	फैक्स नम्बर
1	2	3	5	6	7
1.	श्री शशांक चिट्ठियाल	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	---	7534820716	---
2.	श्री गजेन्द्र सिंह	तृतीय श्रेणी/ लिपिकीय	---	7534820719	---
3.	श्री विनोद लाल		---	7534820720	---
4.	श्री विकास राज		---	---	---
5.	श्री अमित कुमार		---	---	---
6.	श्री बलराम थापा		वाहन चालक	---	7534820721
7.	श्री शैलेश क्षेत्री		---	7534820723	---
8.	श्री सुनील धसमाना	चतुर्थ श्रेणी	---	---	---
9.	श्री शैलेन्द्र सिंह		---	---	---
10.	श्री राकेश सिंह		---	7534820724	---
11.	श्री हीरा सिंह		---	---	---
12.	श्री सुरेश सिंह	सिक्योरिटी गार्ड/ चपरासी	---	---	---
13.	श्री यशवंत सिंह		---	---	---
14.	श्री महेंद्र सिंह सजवाण		---	---	---
15.	श्री कुंवर पाल सिंह	स्वच्छक	---	---	---

जिला स्तरीय कार्यालय

क्र. सं.	अधिकारी / कर्मचारियों का नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष संख्या	मोबाईल नम्बर	फैक्स नम्बर
1	2	3	6	7	8
अल्मोड़ा					
1.	श्री त्रिलोक सिंह	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	232633	7534820743	232828
2.	श्री सन्तोष सिंह बोरा	वरिष्ठ सहायक	---	7534820757	---
3.	श्री विमल रौतेला	कनिष्ठ सहायक	---	7534820746	---
4.	श्री सतीश कुमार तिवारी	कनिष्ठ सहायक	---	7534820747	---
5.	श्री राजेन्द्र सिंह	चपरासी / चौकीदार	---	---	---
6.	श्री सन्तोष सिंह		---	---	---
सधमसिंहनगर					
1.	रिक्त	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	245783	-----	245783
2.	श्री संजय अग्रवाल	वरिष्ठ सहायक	---	7534820748	---
3.	सुश्री ममता जोशी	वरिष्ठ सहायक	---	7534820749	---
चम्पावत					
1.	रिक्त	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	230386	---	230386
2.	श्री संजीव प्रकाश सिंह	वरिष्ठ सहायक	---	7534820750	---
3.	श्री सचिन कुमार वर्मा	वरिष्ठ सहायक	---	7534820751	---
4.	श्री जयराम	कनिष्ठ सहायक	---	---	---
नैनीताल					
1.	श्री विक्रम सिंह कार्की	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	248436	7534820738	248436
2.	श्री कैलाश चन्द्र सिंह बोरा	वरिष्ठ सहायक	---	7534820754	---
3.	श्री मोहन सिंह	चपरासी / चौकीदार	---	---	---
पिथौरागढ़					
1.	श्री महेश चन्द्र कापड़ी	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	225392	7534820742	225236
2.	श्री दिनेश चन्द्र उग्रैती	वरिष्ठ सहायक	---	7534820745	---
3.	श्री भूपाल सिंह पंचोली	चपरासी / चौकीदार	---	---	---
बागेश्वर					
1.	रिक्त	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	221375	---	220757
2.	श्री शेखर चन्द्र पाण्डे	वरिष्ठ सहायक	---	7534820752	---
3.	श्री हेम चन्द्र पाठक	वरिष्ठ सहायक	---	7534820753	---
4.	श्री हेम चन्द्र पाण्डे	कनिष्ठ सहायक	---	---	---
5.	श्री लक्ष्मण सिंह बिष्ट	चपरासी / चौकीदार	---	---	---
उत्तरकाशी					
1.	श्री यशवंत लाल कपूर	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	222613	7534820733	222613
2.	श्री कुलवन्त सिंह गुसाई	कनिष्ठ सहायक	---	7534820759	---

चमोली					
1.	श्री शिवजी त्रिपाठी	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	253469	7534820735	253469
2.	श्री गोपाल दत्त	चपरासी/चौकीदार	---	---	---
3.	श्री सुरेन्द्र दत्त		---	---	---
टिहरी गढ़वाल					
1.	श्री राज कुमार वर्मा	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	232884	7534820731	232884
2.	श्री विजयपाल सिंह बिष्ट	वरिष्ठ सहायक	---	7534820762	---
3.	श्री विजेन्द्र सिंह कैन्तूरा	वरिष्ठ सहायक	---	7534820763	---
4.	श्री ओपेन्द्र लाल	चपरासी/चौकीदार	---	---	---
5.	श्री ईलम सिंह		---	---	---
देहरादून					
1.	श्री विरेन्द्र सिंह चौहान	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	2720444	7534820734	2726732
2.	श्री सुनील नौटियाल	वरिष्ठ सहायक	---	7534820758	---
3.	श्रीमती कबरजीत कौर	वरिष्ठ सहायक	---	7534820765	---
4.	श्री सुदर्शन सिंह	चपरासी/चौकीदार	---	---	---
पौड़ी गढ़वाल					
1.	रिक्त	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	222061	---	222061
2.	श्री अतुल मट्ट	वरिष्ठ सहायक	---	7534820768	---
3.	श्री ललित मोहन गोदियाल	कनिष्ठ सहायक	---	7534820761	---
4.	श्री मनीष तिवारी	कनिष्ठ सहायक	---	7534820767	---
4.	श्री विजय लाल	चपरासी/चौकीदार	---	---	---
रुद्रप्रयाग					
1.	रिक्त	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	233812	---	233812
2.	श्री कुलदीप सिंह नेगी	कनिष्ठ सहायक	---	7534820769	---
हरिद्वार					
1.	श्री ऋषिराम थपलियाल	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	239454	7534820732	239454
2.	श्री जयप्रकाश नौटियाल	कनिष्ठ सहायक	---	7534820764	---
3.	श्री अनिल कुमार पाल	कनिष्ठ सहायक	---	7534820770	---

नोट- वाह्य स्रोत के कर्मियों का विवरण उक्त में सम्मिलित नहीं है।

.....

मैन्युअल-10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथारूपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।

राज्य निर्वाचन आयोग में आयोग, मुख्यालय एवं उसके नियंत्रणाधीन जनपदों में स्थित पंचास्थानि चुनावालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतनमान उत्तराखण्ड शासन की शासनादेश संख्या-685/XII/2012/92(06)/2005 दिनांक 15 जून, 2012, शासनादेश संख्या-2337/XII/2013/92(06)/2005, टीसी-1/2013 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 तथा शासनादेश संख्या-230एम.एस./33-3-1995 दिनांक 14 फरवरी, 1995, शासनादेश संख्या-605/IV(1)/2013-26(NV)/2012 दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 के अनुसार निम्नवत् है-

मुख्यालय

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त	225000-00 (Fixed)	01
2.	सचिव	131100-216600	01
3.	संयुक्त सचिव	118600-214100	01
4.	उप सचिव	78800-209200	01
5.	उप सचिव (लेखा)	78800-209200	01
6.	उपायुक्त	78800-209200	01
7.	अनु सचिव	67700-208700	01
8.	सहायक आयुक्त	56100-177500	02
9.	अनुभाग अधिकारी	47600-151100	03
10.	निजी सचिव	47600-151100	02
11.	समीक्षा अधिकारी	44900-142400	06
12.	समीक्षा अधिकारी (लेखा)	44900-142400	01
13.	वैयक्तिक सहायक/अपर निजी सचिव	44900-142400	03
14.	सहायक समीक्षा अधिकारी	35400-112400	03
15.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	35400-112400	01
16.	टंकक/डाटा इन्ट्री आपरेटर	21700-69100	04
17.	वाहन चालक	19900-63200	02
18.	अर्दली/चपरासी/चौकीदार/स्वच्छक	18000-56900	10
19.	स्वच्छक	18000-56900	01

जिला स्तरीय कार्यालय

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	35400-112400	13
2.	वरिष्ठ सहायक	29200-92300	28
3.	कनिष्ठ सहायक	21700-69100	35
4.	चपरासी / चौकीदार	18000-56900	35

.....

मैनुअल-11

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संचिताणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट—

उत्तराखण्ड शासन में पंचायती राज विभाग राज्य निर्वाचन आयोग का प्रशासनिक विभाग है। राज्य निर्वाचन आयोग को मुख्यालय एवं जिला स्तरीय अधिष्ठान हेतु वार्षिक बजट पंचायती राज विभाग तथा नगर विकास विभाग के माध्यम से प्राप्त होता है।

वित्त नियंत्रक द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के बजट के नियंत्रण व नियमानुसार व्यय हेतु जांच तथा संस्तुति की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-2018 में शासन के शासनादेश संख्या-542/XII(1)/17-82(05)/2017 दिनांक 27 अप्रैल, 2017, शासनादेश संख्या-1203/XII(1)/17-82(05)/2017 दिनांक 16 जुलाई, 2017, शासनादेश संख्या-75/XII(1)/18-82(05)/2017 दिनांक 12 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या-336/XII(1)/18-82(05)/2017 दिनांक 01 मार्च, 2018, शासनादेश संख्या-424/IV-1/2017-05(बजट)/2017 दिनांक 11 अप्रैल, 2017, शासनादेश संख्या-1043/IV(1)/2017-05(बजट)/2017 दिनांक 22 अगस्त, 2017 व शासनादेश संख्या-2632/XII(1)/16-82(09)/2016 दिनांक 26 अगस्त, 2016 तथा पुनर्विनियोग के माध्यम से शासनादेश संख्या-465/XII(1)/18-82(04)/2018 दिनांक 27 मार्च, 2018 के द्वारा बजट प्राप्त हुआ है।

उक्त प्राप्त बजट के सापेक्ष जिला स्तरीय अधिष्ठान हेतु आयोग के पत्र संख्या-79/रा0नि0आ0-ले0/2126/2016 दिनांक 05.05.2017, पत्र संख्या-394/रा0नि0आ0-ले0/2125/2016 दिनांक 28.08.2017, पत्र संख्या-968/रा0नि0आ0-ले0/2125/2016 दिनांक 08.02.2018, पत्र संख्या-1106/रा0नि0आ0-ले0/2125/2016 दिनांक 08.03.2018, पत्र संख्या-77/रा0नि0आ0-ले0/2126/2016 दिनांक 05.05.2017, पत्र संख्या-402/रा0नि0आ0-ले0/2125/2016 दिनांक 30.08.2017, पत्र संख्या-958/रा0नि0आ0-ले0/2128/2016 दिनांक 06.02.2018 व पत्र संख्या-1175/रा0नि0आ0-ले0/2126/2016 दिनांक 16.03.2018 द्वारा जनपदों को आवंटित किया गया।

शासन से उपरोक्त प्राप्त बजट के सापेक्ष राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-1304/रा0नि0आ0-ले0/2125/2016 दिनांक 31.03.2018, पत्र संख्या-1305/रा0नि0आ0-ले0/2124/2016 दिनांक 31.03.2018 तथा पत्र संख्या-1306/रा0नि0आ0-ले0/2126/2016 दिनांक 31.03.2018 द्वारा बजट समर्पण किया गया है।

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 27 अप्रैल, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखानुदान में माह अप्रैल, 2017 से जुलाई, 2017 के लिए वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 312/3(150)XXVII(1)/2017, दिनांक 31 मार्च 2017 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 के एक हिस्से हेतु स्वीकृत लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या: 19 के अन्तर्गत संलग्न सूची में अंकित विवरण एवं संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 के अनुसार वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों की कुल धनराशि रू0 16737 हजार (रू0 एक करोड़ सरसठ लाख सैंतीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


1. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च 2017 में वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
3. उक्त धनराशि इस प्रतिबंध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि उक्त मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त-पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। अवचनबद्ध मदों के संबंध में प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

21/4/17
02-5-17

4. वर्ष के प्रारंभ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तदनुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।
5. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या: 05 के मुख्य लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा। यह आवंटन राज्य निर्वाचन आयोग एवं उसके अधीन समस्त कार्यालयों के लिए किया जा रहा है।
6. यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय-व्ययक 2017-18 में बजट प्रावधान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय-व्ययक प्रावधान की सीमा तक ही व्यय की जायेगी।
7. प्रायः यह देखा गया है कि धनराशि विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्ष द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरण-वितरण अधिकारी को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो। धनराशि का उपयोग करते हुए प्रत्येक माह का बी.एम.-8 शासन में उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक :- सूची/अलोटमेंट आईडी।

भवदीय,



(मनीषा पंडार)
प्रमुख सचिव।

संख्या: — (1)/XII(1)/17-82(05)/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्य, उत्तराखण्ड, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 3- वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- बजट एवं राजकोषीय संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 6- वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(जि०एल०शर्मा)
उप सचिव।



प्रेषक,

राज्य निर्वाचन आयोग

डॉ० तृप्ति श्रीवास्तव
वित्त नियंत्रक।

सेवा में,

सचिव,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्राप्त बजट के सापेक्ष अंतिम व्यय एवं समर्पण की सूचना का प्रेषण।
महोदय,


कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान संख्या-13, लेखा शीर्षक-2217-शहरी विकास-80- सामान्य-001 निदेशन एवं प्रशासन-03-नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत ₹0-2,70,12,000.00 (₹0 दो करोड़, सत्तर लाख, बारह हजार मात्र) की धनराशि शासन से प्राप्त हुई थी जिसके सापेक्ष ₹0-2,42,65,354.00 (₹0 दो करोड़, बयालिस लाख, पैंसठ हजार, तीन सौ चवन मात्र) का व्यय किया गया तथा ₹0-27,46,646.00 (₹0 सत्ताईस लाख, छियालिस हजार, छः सौ छियालिस मात्र) की बचत होने के फलस्वरूप समर्पण संलग्नक अलाटमेंट आई0डी संख्या-SH180300609 दिनांक 31.03.2018 के द्वारा प्रेषित किया जा रहा है।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मुझे संलग्नक अलाटमेंट आई0डी संख्या-SH180300609 दिनांक 31.03.2018 के द्वारा ₹0-27,46,646.00 (₹0 सत्ताईस लाख, छियालिस हजार, छः सौ छियालिस मात्र) को समर्पण किये जाने का निदेश हुआ है।

अतः कृपया उक्त धनराशि का समर्पण स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यद्योक्त


भवदीय


(डॉ० तृप्ति श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक।

संख्या-1306/रा0नि0आ0-लेखा/2126/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।


(डॉ० तृप्ति श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक।

बजट समर्पण वित्तीय वर्ष - 20172018

HOD Name - Commissioner State Election Commission (2961)

आवंटन परी संख्या - .

अलोटमेंट आई डी - SH180300609

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 31-Mar-2018

Secretary, Urban Development

लेखा शीर्षक 2217 - शहरी वकिस 80 - सामान्य
001 - नदिशन एवं प्रशासन 03 - नगर पंचायती का चुनाव
00 - नगर पंचायती का चुनाव

मानक मद का नाम	पूँ में जारी	वर्तमान में समर्पण	Voted योग
01 - वेतन	18102000	-1046063	17055937
02 - मजदूरी	110000	-81150	28850
03 - पहंगारि भत्ता	1086000	-193674	892326
04 - यात्रा व्यय	250000	-123128	126872
05 - सभतानुकरण यात्रा व्यय	95000	-68380	26620
06 - अन्य भत्ते	1267000	-551695	715305
07 - भानवेष	30000	-30000	0
08 - कारपालय व्यय	100000	-13064	86936
09 - वदियत वेप	201000	-50436	150564
10 - जलकर / जल प्रभार	21000	-13000	8000
11 - लेखन समग्री और फार्मी रु	500000	-67458	432542
12 - कारपालय करनीकर एवं व्यय	120000	-36640	83360
13 - टेलीफोन पर व्यय	150000	-47911	102089
15 - गाइडि का अनुकरण और प	100000	-49028	50972
16 - व्यावसायिक तथा भसिय वेप	3700000	-119927	3580073
17 - कारिया, उपसुकर और कर-भ	350000	-22379	327621
27 - शकिसिहा व्यय परतप्रिदति	100000	-64159	35841
42 - अन्य व्यय	350000	-123666	226334
46 - कम्प्युटर हारडवेयर/साफ्टवेय	200000	-40	199960
47 - कम्प्युटर अनुकरण, वेदसध	180000	-44848	135152
	27012000	-2746646	24265354

Total Return Amount by Head Of The Department In Above Schemes -

-2746646

(तुपि श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

मैनुअल-12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है-

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड से संबंधित नहीं है।

मैनुअल-14

इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उनको उपलब्ध हों या उनके द्वारा धारित हो:-

राज्य की समस्त नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन-2008 व 2013 एवं त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2008 व 2014 (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) तथा जिला योजना समिति सामान्य निर्वाचन-2014 के मतगणना परिणाम, जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2015 के मतगणना परिणाम, निर्वाचक नामावली (नागर स्थानीय निकाय), राज्य निर्वाचन आयोग में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों का विवरण व राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रणाधीन पंचास्थानि चुनावालयों के दूरभाष नम्बर तथा अधिसूचनायें आदि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की वेबसाईट sec.uk.gov.in पर जनसाधारण के सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध हैं।

.....

मैनूअल-18

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां:-

राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय में लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी निम्नवत् नामित हैं:-

राज्य स्तर पर (मुख्यालय)

विभागीय अपीलीय अधिकारी		लोक सूचना अधिकारी		सहायक लोक सूचना अधिकारी	
पदनाम	दूरभाष	पदनाम	दूरभाष	पदनाम	दूरभाष
1	2	3	4	5	6
उपायुक्त	0135-2670998 7534820739	अनु सचिव	0135-2670998 7534820707	अनुमाग अधिकारी	0135-2670998 7534820778

जिलास्तर

जिलास्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रणाधीन पंचास्थानि चुनावालय स्थापित है अतः दोनो अलग-अलग कार्यालय होने के फलस्वरूप समस्त जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रभारी अधिकारी पदाभिहीत किये गये हैं। जिला स्तर पर लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी निम्नवत् नामित हैं:-

क्र. सं.	विभागीय अपीलीय अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी
	पदनाम	पदनाम	पदनाम
1	2	3	4
1.	जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी	प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय	सहा. जि. निर्वा. अधि.

राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रणाधीन प्रत्येक जनपद में स्थित पंचास्थानि चुनावालयों में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त/तैनात हैं। जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०/जनपद	पदनाम	दूरभाष संख्या
1	2	3
1. अल्मोडा	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	05962-232828
2. उधमसिंहनगर	—तदेव—	05944-245783
3. चम्पावत	—तदेव—	05965-230386
4. नैनीताल	—तदेव—	05942-248436
5. पिथौरागढ़	—तदेव—	05964-225392, 225236
6. बागेश्वर	—तदेव—	05963-221375, 220757
7. उत्तरकाशी	—तदेव—	01374-222613
8. चमोली	—तदेव—	01372-253469
9. टिहरी गढ़वाल	—तदेव—	01376-232884, 232603
10. देहरादून	—तदेव—	0135-2726732
11. पौड़ी गढ़वाल	—तदेव—	01368-222061, 222454, 223911
12. रुद्रप्रयाग	—तदेव—	01364-233812
13. हरिद्वार	—तदेव—	01334-239454



सत्यमेव जयते

दिनांक 30/5/2018

राज्य निर्वाचन आयोग

संख्या- 244/रा0नि0आ0अनु0-2/2430/2018

देहरादून दिनांक: 30.05.2018

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों पर उप-निर्वाचन।

अधिसूचना

सचिव(प्रभारी), पंचायती राज अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-762/XII(1)-2018-86(87)/2017 दिनांक 28 मई, 2018 के क्रम में भारत का संविधान के अनुच्छेद-243 'ट' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुबर्द्धन, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्वारा उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के अधिसूचना जारी होने की तिथि तक विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए पद/स्थानों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार उप निर्वाचन कराये जाने के निर्देश देता हूँ:-

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
05.06.2018 एवं 06.06.2018 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	07.06.2018 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	08.06.2018 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक)	09.06.2018 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	19.06.2018 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	21.06.2018 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2. संबंधित जिलों मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले की ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायत के रिक्त स्थानों/पदों पर उप निर्वाचन हेतु रिक्त पदों/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 31.05.2018 को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करते हुए उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित गांव में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना-पट्टों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे।

क्रमशः—2

3. उत्तराखण्ड पंचायतराज अधिनियम, 2016 की धारा-194 (2) के अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथासंशोधित), उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप-प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथासंशोधित) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथासंशोधित) तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली-1994(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथासंशोधित) के अनुसार इन उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन-प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों/स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी।

4. सदस्य जिला पंचायत के पद हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य जिला पंचायत मुख्यालय पर होगा किन्तु मतों की गणना सम्बन्धित क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय पर ही होगी और निर्वाचन परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय पर घोषित किये जायेंगे।

(सुबहिन)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या- 244/रा0नि0आ0अनु0-2/2430/2018 तददिनांक।(फैक्स)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
17. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
18. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने व आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
19. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर/इस की 10 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
20. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

(सुबहिन)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

संख्या:- 1177/रा0नि0आ0अनु0-2/2288/2018

देहरादून : दिनांक 16 मार्च, 2018

अधिसूचना

प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या-143/XII(1)-2018-86(87)/2017 दिनांक 15 मार्च, 2018 के क्रम में जनपद पिथौरागढ़ की क्षेत्र पंचायत, धारचूला के प्रमुख का पद, जो कि निर्वाचित प्रतिनिधि के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के कारण रिक्त हो गया है, पर उप निर्वाचन कराया जाना आवश्यक है।

2. अतः भारत का संविधान के अनुच्छेद- 243-ट तथा उत्तराखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 1916 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुबर्द्धन, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि जनपद पिथौरागढ़ की क्षेत्र पंचायत, धारचूला के उक्त प्रकार से रिक्त प्रमुख के पद का उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराया जायेगा:-

नामांकन का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नामांकन पत्रों की वापसी हेतु दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5
19.03.2018 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	19.03.2018 (अपराह्न 03.30 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	20.03.2018 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	22.03.2018 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	22.03.2018 (मतदान समाप्ति के तत्काल बाद)


2. यह उप निर्वाचन उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 की धारा-194 (2) के अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त तथा यथा संशोधित) एवं तदधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अनुसार होंगे और इन निर्वाचनों में वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित- एवं निर्देशित है।

क्रमशः...2
16/3/18

3. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा क्षेत्र पंचायत, धारचूला के प्रमुख के रिक्त पद के उप निर्वाचन हेतु पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से नियमावली के नियम-6(2) के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना दिनांक 17.03.2018 को जारी करेंगे और तदक्रम में निर्वाचन अधिकारी नियमावली में निर्धारित प्रपत्र-1 में हिन्दी में नोटिस प्रसारित करेंगे। उक्त नोटिस जिला मजिस्ट्रेट, जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत कार्यालयों के सूचना पटों में प्रकाशित किया जायेगा और उसकी एक प्रति प्रत्येक सदस्य को उसके अन्तिम ज्ञात पते पर प्रमाणित डाक द्वारा/अन्डर पोस्टल सर्टिफिकेट द्वारा भेजी जायेगी।

4. यह उप निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा जिसमें गुप्त मतदान कराया जायेगा। क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के उप निर्वाचन में प्रयोग किये जाने वाले मतपत्र उपरोक्त नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र-7 के अनुसार होंगे तथा विधिमान्य उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि में हिन्दी में होंगे और उसमें निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम वर्णमाला क्रम में उनके पते के साथ, उसी क्रम में दिये जायेगे, जिस क्रम में वह नियम-13 के अधीन प्रकाशित निर्वाचन लड़ने वाले विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची में हो। उपरोक्तानुसार उप निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगी और मतदान के पश्चात् मतगणना कराकर निर्वाचन परिणाम निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer)द्वारा यथाशीघ्र घोषित किया जायेगा।

5. उपरोक्त उप निर्वाचन के संचालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट, निर्वाचन अधिकारी होंगे। निर्वाचन अधिकारी(Returning Officer) अपने कृत्यों के सम्पादन में अपनी सहायता के लिये उक्त नियमावली के नियम-5 के अनुसार एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।



(सुबर्द्धन)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या: 1177 /रा0नि0आ0अनु0-2/2286/2018 तददिनांक । (फैक्स/ई0मेल) 90
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड ।
3. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. आयुक्त, कुमायू मण्डल, उत्तराखण्ड।
10. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
11. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।

12. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
13. जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, पिथौरागढ़।
14. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़।
15. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, पिथौरागढ़।
16. प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावलय, पिथौरागढ़।
17. जिला पंचायत राज अधिकारी, पिथौरागढ़।
18. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावलय, पिथौरागढ़।
19. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित कराने का कष्ट करें।
20. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
21. समाचार सम्पादक, आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून।
22. निजी सचिव, पंचायती राज मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
23. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की दस (10) प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया ध्यान रहे कि यह अधिसूचना विधायी परिशिष्ट में नहीं छपेगी।
24. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
25. सूचना-पट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।



(सुबर्द्धन)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

QR



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

संख्या-744 रा.नि.आ.2 / 2241 / 2017 देहरादून: दिनांक: 21 दिसम्बर, 2017

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों की ग्राम पंचायतों के उप प्रधानों के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन।

अधिसूचना

सचिव, पंचायती राज अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-3079/XII(1)-2017-86(87)/2017 दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 के क्रम में भारत का संविधान के अनुच्छेद-243 'ट' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुबर्द्धन, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्वारा उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में उप प्रधान, ग्राम पंचायत के अधिसूचना जारी होने की तिथि तक विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए पदों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार उप निर्वाचन कराये जाने के निर्देश देता हूँ:-


नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन चिन्ह आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
28.12.2017 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे तक)	28.12.2017 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक)	28.12.2017 (दोपहर 12.00 बजे से अपराह्न 12.30 बजे तक)	28.12.2017 (अपराह्न 12.30 बजे से अपराह्न 13.00 बजे तक)	28.12.2017 (अपराह्न 13.30 बजे से अपराह्न 15.30 बजे तक)	28.12.2017 (अपराह्न 16.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले की ग्राम पंचायत के उप प्रधान के रिक्त पदों पर निर्वाचन हेतु पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 22.12.2017 को जारी करेंगे जिसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशनार्थ भेजेंगे और उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, को तत्काल प्रेषित करेंगे। उक्त निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित गांवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के सूचना-पटों पर यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे।

उप प्रधान के पद हेतु नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत किया जाना, नाम निर्देशन पत्रों की जांच, नाम वापसी, निर्वाचन चिन्ह (प्रतीक) आवंटन, मतदान तथा मतगणना का कार्य एवं परिणाम की घोषणा सम्बन्धित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर करायी जायेगी। उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016

क्रमशः.....2

की धारा-194 (2) के अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा संशोधित एवं यथाप्रवृत्त) के नियम 117(1) में दी गई व्यवस्था के अनुसार उप प्रधान के उप निर्वाचन के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस अधिसूचना में मतदान हेतु विनिर्दिष्ट दिनांक को ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जायेगी। निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचन सम्पन्न होने की सूचना तत्काल आयोग को प्रेषित की जायेगी।



(सुबर्द्धन)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या-744/रा0नि0आ0अनु0-2/2241/2017 तददिनांक (फैक्स/ई0मेल) 9/3

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
17. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
18. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में नि:शुल्क प्रकाशित कराने व आकाशवाणी/दूरदर्शन केंद्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
19. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 10 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
20. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
21. सूचना-पट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।


(सुबर्द्धन)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

9/3
2017



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

संख्या- 651 / रा0नि0आ0अनु0-2 / 2229 / 2017

देहरादून: दिनांक: 28 नवम्बर, 2017

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों पर उप-निर्वाचन।

अधिसूचना

प्रमुख सचिव, पंचायती राज अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1976/XII(1)-2017-86(87)/2017 दिनांक 27 नवम्बर, 2017 के क्रम में "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-243 'ट' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुबर्द्धन, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्वारा उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के अधिसूचना जारी होने की तिथि तक विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए पदों/स्थानों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समरा-सारणी के अनुसार उप निर्वाचन कराये जाने के निर्देश देता हूँ:-

नाम निर्देशन पत्रों को जगा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
04.12.2017 एवं 05.12.2017 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	06.12.2017 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	07.12.2017 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक)	08.12.2017 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	16.12.2017 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	18.12.2017 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2. संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले की ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों के रिक्त स्थानों/पदों पर उप निर्वाचन हेतु रिक्त पदों/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 29.11.2017 को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करते हुए उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित गांवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना-पट्टों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे।

(Handwritten Signature)

क्रमशः—2

1/2/1

3. उक्त उप निर्वाचन उत्तराखण्ड पंचायतराज अधिनियम, 2016 की धारा-194 (2) अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथासंशोधित), उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप-प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथासंशोधित) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली-1994(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथासंशोधित) के अनुसार इन उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन-प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों/स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी।

(सुबर्द्धन)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या- 851/रा0नि0आ0अनु0-2/2229/2017 तददिनांक।(फैक्स)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
17. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
18. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने व आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
19. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 10 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
20. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

(सुबर्द्धन)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।



सत्यमेव जयते

दिनांक 28/11/2017

राज्य निर्वाचन आयोग

संख्या- 652/रा0नि0आ0अनु0-2/2229/2017

देहरादून: दिनांक: 28 नवम्बर, 2017

जनपद अल्मोड़ा के जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र-31 गढ़स्यारी के सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पद/स्थान पर उप-निर्वाचन।

अधिसूचना

प्रमुख सचिव, पंचायती राज अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-2091/XII(1)-2017-86(87)/2017 दिनांक 27 नवम्बर, 2017 के क्रम में "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-243 'ट' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुबर्द्धन, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्वारा जनपद अल्मोड़ा के जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र-31 गढ़स्यारी के सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पद/स्थान, जो किसी मा0 न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो, पर उप-निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार कराये जाने के निर्देश देता हूँ:-

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
04.12.2017 एवं 05.12.2017 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	06.12.2017 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	07.12.2017 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक)	08.12.2017 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	16.12.2017 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	18.12.2017 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, अल्मोड़ा जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र-31 गढ़स्यारी के रिक्त जिला पंचायत सदस्य के स्थान/पद पर उप निर्वाचन हेतु रिक्त पद/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 29.11.2017 को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करते हुए उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना-पट्टों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा।

कमरा-2

1/2/1

3. उत्तराखण्ड पंचायतराज अधिनियम, 2016 की धारा-194 (2) अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथासंशोधित) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली-1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथासंशोधित) के अनुसार इस निर्वाचन में वही निर्वाचन-प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। इस पद/स्थान के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उसकी जांच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य एवं परिणाम की घोषणा जिला पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी किन्तु मतों की गणना क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी।

4. सदरय जिला पंचायत के प्रत्याशियों के नाम-निर्देशन पत्रों की बिक्री जिला पंचायत मुख्यालय पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना जारी करने की तिथि से (अर्थात् दिनांक 29.11.2017 से दिनांक 04.12.2017 तक) कार्यालय समय में तथा दिनांक 05.12.2017 को अपराह्न 3.00 बजे तक निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(सुबर्द्धन)


राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या- 652/रा0नि0आ0अनु0-2/2229/2017 तददिनांक 11/12/2017 (फैक्स)
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. अपर सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
12. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. आयुक्त, कुमायू मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
14. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, अल्मोड़ा।
15. मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अल्मोड़ा।
16. प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, अल्मोड़ा।
17. जिला पंचायत राज अधिकारी, अल्मोड़ा।
18. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, अल्मोड़ा।
19. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, अल्मोड़ा।
20. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित कराने का कष्ट करें।
21. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में नि:शुल्क प्रकाशित कराने व आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।

//3//

22. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 10 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
23. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।


(सुबर्द्धन)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।





सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

संख्या- 120/रा0नि0आ0अनु0-2/2156/2017

देहरादून: दिनांक: 23.05.2017

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों पर उप-निर्वाचन।

अधिसूचना

प्रमुख सचिव, पंचायती राज अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-720/XII(1)-2017(1)-86(17)/2013 दिनांक 22 मई, 2017 के क्रम में भारत का संविधान के अनुच्छेद-243 'ट' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुबर्द्धन, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्वारा उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के अधिसूचना जारी होने की तिथि तक विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए पद/स्थानों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार उप निर्वाचन कराये जाने के निर्देश देता हूँ:-

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन-प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
29.05.2017 एवं 30.05.2017 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	31.05.2017 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	01.06.2017 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक)	02.06.2017 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	13.06.2017 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	15.06.2017 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2. संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले की ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायत के रिक्त स्थानों/पदों पर उप निर्वाचन हेतु रिक्त पदों/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 24.05.2017 को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करते हुए उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस-निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित गांव में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना-पट्टों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे।

क्रमशः—2

3. उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथासंशोधित), उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप-प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथासंशोधित) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली-1994(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथासंशोधित) के अनुसार इन उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन-प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों/स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी।

4. सदस्य जिला पंचायत के पद हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य जिला पंचायत मुख्यालय पर होगा किन्तु मतों की गणना सम्बन्धित क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय पर ही होगी और निर्वाचन परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय पर घोषित किये जायेंगे।

(सुबहिन)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या- 120/रा0नि0आ0अनु0-2/2156/2017 तददिनांक (फैक्स)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
7. प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
16. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
17. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में नि:शुल्क प्रकाशित कराने व आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
18. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आंगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 10 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
19. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

(सुबहिन)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।



सत्यमेव जयते

दिनांक 18.7.2017

राज्य निर्वाचन आयोग

संख्या-277/रा0नि0आ0-2/2188/2017 देहरादून: दिनांक: 18 जुलाई, 2017

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों की ग्राम पंचायतों के उप प्रधानों के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन।

अधिसूचना

प्रमुख सचिव, पंचायती राज अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-1133/XII(1)-2017-86 (17)/2013 दिनांक 17 जुलाई, 2017 के क्रम में भारत का संविधान के अनुच्छेद-243 'ट' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुबर्द्धन, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्वारा उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में उप प्रधान, ग्राम पंचायत के अधिसूचना जारी होने की तिथि तक विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए पदों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार उप निर्वाचन कराये जाने के निर्देश देता हूँ:-


नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन चिन्ह आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
26.07.2017 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे तक)	26.07.2017 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक)	26.07.2017 (दोपहर 12.00 बजे से अपराह्न 12.30 बजे तक)	26.07.2017 (अपराह्न 12.30 बजे से अपराह्न 13.00 बजे तक)	26.07.2017 (अपराह्न 13.30 बजे से अपराह्न 15.30 बजे तक)	26.07.2017 (अपराह्न 16.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले की ग्राम पंचायत के उप प्रधान के पदों पर निर्वाचन हेतु पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 19.07.2017 को जारी करेंगे जिसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशनार्थ भेजेंगे और उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, को तत्काल प्रेषित करेंगे। उक्त निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित गांवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के सूचना-पटों पर यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे।

उप प्रधान के पद हेतु नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत किया जाना, नाम निर्देशन पत्रों की जांच, नाम वापसी, निर्वाचन चिन्ह (प्रतीक) आवंटन, मतदान तथा मतगणना का कार्य एवं परिणाम की घोषणा सम्बन्धित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर करायी जायेगी। उक्त उप निर्वाचन उत्तराखण्ड पंचायती

क्रमशः.....2

राज अधिनियम, 2016 की धारा-194 (2) के अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा संशोधित एवं यथाप्रवृत्त) के नियम 117(1) में दी गई व्यवस्था के अनुसार उप प्रधान के उप निर्वाचन के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस अधिसूचना में मतदान हेतु विनिर्दिष्ट दिनांक को ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जायेगी। निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचन सम्पन्न होने की सूचना तत्काल आयोग को प्रेषित की जायेगी।



(सुबोद्ध)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या- 277/रा0नि0आ0अनु0-2/2188/2017 तददिनांक (फैक्स/ई0मेल)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
7. प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
17. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
18. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने व आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
19. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आंगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 10 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
20. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
21. सूचना-पट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।


(सुबोद्ध)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

संख्या- 738/रा0नि0आ0अनु0-2/2111/2016

देहरादून: दिनांक: 29.11.2016

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों के प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायतों के रिक्त पदों/स्थानों पर उप-निर्वाचन।

अधिसूचना

प्रमुख सचिव, पंचायती राज अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-3284/XII(1)-2016-86 (17)/2013 दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के क्रम में भारत का संविधान के अनुच्छेद-243 'ट' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुब्रह्मण्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्वारा उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के अधिसूचना जारी होने की तिथि तक विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए पद/स्थानों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार उप निर्वाचन कराये जाने के निर्देश देता हूँ:-


नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
05.12.2016 एवं 06.12.2016 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	07.12.2016 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	08.12.2016 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक)	09.12.2016 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	18.12.2016 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	18.12.2016 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2. संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले की ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों के रिक्त स्थानों/पदों पर उप निर्वाचन हेतु रिक्त पदों/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 30.11.2016 को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करते हुए उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित गांव में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना-पट्टों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे।

क्रमशः—2

//2//

3. उक्त उप निर्वाचन उत्तराखण्ड पंचायतराज अधिनियम, 2016 की धारा-194 (2) अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथासंशोधित), उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप-प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथासंशोधित) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली-1994(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथासंशोधित) के अनुसार इन उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन-प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों/स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी।



(सुबर्द्धन)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या- 738/रा0नि0आ0अनु0-2/2111/2016 तददिनांक।(फैक्स)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
7. प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
16. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में नि:शुल्क प्रकाशित कराने व आकाशवाणी/दूरदर्शन केंद्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
18. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 10 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
19. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।



(सुबर्द्धन)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।





दिनांक 22.09.2017

संख्या 471 / रा0नि0आ0अनु0-3 / 1260 / 2017 देहरादून: दिनांक 2017

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-य क के अन्तर्गत एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) की धारा 35 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड राज्य के नगर निगम, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर एवं हल्द्वानी-काठगोदाम की निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण हेतु मैं, सुबर्जन, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि निम्नांकित समय-सारणी के अनुसार यह पुनरीक्षण किया जायेगा :-

कार्यक्रम	अवधि	दिनों की संख्या
(क)1- नगर निकायवार विस्तृत पुनरीक्षण हेतु संगणकों, पर्यवेक्षकों तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों आदि की नियुक्ति।	24.10.2017 से 27.10.2017 तक	04 दिन
2- कार्यक्षेत्र आर्बटन तथा तदसंबंधी जानकारी प्राप्त करना	28.10.2017 से 01.11.2017 तक	05 दिन
3- प्रशिक्षण अवधि	02.11.2017 से 07.11.2017 तक	06 दिन
(ख) संगणक द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण की अवधि	08.11.2017 से 11.12.2017 तक	34 दिन
(ग) प्रारूप नामावली की पाण्डुलिपि तैयार करना	12.12.2017 से 20.12.2017 तक	09 दिन
(घ) प्रारूप निर्वाचक नामावलियों का मुद्रण	21.12.2017 से 21.01.2018 तक	32 दिन
(ङ) निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन एवं निरीक्षण	22.01.2018 से 01.02.2018 तक	11 दिन


क्रमशः- 2
22/9/17

संख्या 471 / रा0नि0आ0-3 / 1260 / 2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निकाय), देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर एवं जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, (स्थानीय निकाय)/अपर जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर एवं नैनीताल उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त कार्यक्रमानुसार निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण करवाना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा निःशुल्क प्रसारित करवाने का कष्ट करें।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
12. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को भी निःशुल्क प्रसारण हेतु भेजने का कष्ट करें।
13. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय उत्तराखण्ड, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित कराकर इसकी 25 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
15. गार्ड फाईल।


(सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त,



सत्यमेव जयते

दिनांक 22-09-2017

राज्य निर्वाचन आयोग

संख्या 470/रा0नि0आ0अनु0-3/1260/2017 देहरादून: दिनांक 2017

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-यक के अन्तर्गत एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) की धारा 12-ख में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य की नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण हेतु मैं, सुषर्द्धन, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि निम्नांकित समय-सारणी के अनुसार यह पुनरीक्षण किया जायेगा:-

कार्यक्रम	अवधि	दिनों की संख्या
(क) 1- नागर निकायवार विस्तृत पुनरीक्षण हेतु संगणकों, पर्यवेक्षकों तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों आदि की नियुक्ति।	24.10.2017 से 27.10.2017 तक	04 दिन
2- कार्यक्षेत्र आवंटन तथा तदसंबंधी जानकारी प्राप्त करना।	28.10.2017 से 01.11.2017 तक	05 दिन
3- प्रशिक्षण अवधि	02.11.2017 से 07.11.2017 तक	06 दिन
(ख) संगणक द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण की अवधि	08.11.2017 से 11.12.2017 तक	34 दिन
(ग) प्रारूप नामावली की पाण्डुलिपि तैयार करना	12.12.2017 से 20.12.2017 तक	09 दिन
(घ) प्रारूप निर्वाचक नामावलियों का मुद्रण	21.12.2017 से 21.01.2018 तक	32 दिन
(ङ) निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन एवं निरीक्षण	22.01.2018 से 01.02.2018 तक	11 दिन
(च) दावे/आपत्ति दाखिल करने की अवधि	02.02.2018 से 12.02.2018 तक	11 दिन

22/09/17
आपत्ति-2

निर्वाचन भवन, ग्राम लाहपुर

नगरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष : 0135 - 2670457, 2670998

टेलीफैक्स : 0135 - 2670920, 2678945


ई-मेल : sec.ullarakhand@umail.com

//2//

(छ) दावे तथा आपत्तियों के निस्तारण की अवधि	13.02.2018 से 20.02.2018 तक	08 दिन
(ज) पूरक सूचियों की तैयारी व मुद्रण	21.02.2018 से 08.03.2018 तक	16 दिन
(झ) निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन	09.03.2018	—

2. तदनुसार जिलों के समस्त जिला मजिस्ट्रेटों/जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निकाय), जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (स्थानीय निकाय) द्वारा अपने जिले की स्थानीय निकायों की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे अथवा समस्त मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण एवं मतदाता सूची तैयार करने संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की निर्देश-पुस्तिका के अध्याय-3 में उल्लिखित संबंधित कार्यालयों के सूचनापट्टों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे। सर्वसाधारण की जानकारी में यह तथ्य भी ला दिये जायेंगे कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरुद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को इस प्रतिबन्ध के साथ ग्राह्य होगी कि अपील करने के इच्छुक व्यक्ति ने उस मामले पर, जो अपील की विषय वस्तु है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसके अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का लाभ उठाया है और यह अपील उत्तर प्रदेश नगर पालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) के नियम-20 (1) (2) के अधीन दायर की गई है।

3. उपर्युक्त पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की संदर्भ तिथि 01 जनवरी, 2018 निर्धारित करते हुए राज्य के समस्त जनपदों की नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण किया जायेगा। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किये जायेंगे जो 01 जनवरी, 2018 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे। पुनरीक्षण के पश्चात् तैयार निर्वाचक नामावलियां ही आगामी सामान्य/उप निर्वाचन में प्रयुक्त की जायेंगी।


(सुबर्द्धन) 22/3/18
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

क्रमशः- 3

संख्या 470 / रा0नि0आ0-3 / 1260 / 2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि- समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी,(स्थानीय निकाय) एवं समस्त जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, (स्थानीय निकाय) /अपर जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त कार्यक्रमानुसार निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण करवाना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा नि:शुल्क प्रसारित करवाने का कष्ट करें।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि घुनावालय, उत्तराखण्ड।
12. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया समाचार पत्रों में नि:शुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को भी नि:शुल्क प्रसारण हेतु भेजने का कष्ट करें।
13. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय उत्तराखण्ड, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित कराकर इसकी 25 प्रतियां आयोग के उपयुक्त/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
15. गार्ड फाईल।

(सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त,



सत्यमेव जयते

दिनांक 16/1/2018

राज्य निर्वाचन आयोग

संख्या 850/रा0नि0आ0अनु0-3/1260/2017 देहरादून: दिनांक 16 जनवरी, 2018

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के नागर स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण हेतु अधिसूचना संख्या-470/रा0नि0आ0अनु0-03/1260/2017 एवं नगर निगमों हेतु अधिसूचना संख्या-471/रा0नि0आ0अनु0-3/1260/2017 दिनांक 22.09.2017 जारी की गई, जिसमें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिये अन्तिम प्रकाशन दिनांक 09.03.2018 तक किया जाना था। यह अधिसूचना शासन के पत्र संख्या-295/IV-3/2017-11(03 निर्वा0/2017 दिनांक दिनांक 06 अप्रैल 2017 द्वारा नागर स्थानीय निकायों के परिसीमन का कार्यक्रम जारी करने एवं समय से पूर्ण कराये जाने के आलोक में जारी की गई थी। परन्तु उक्त के उपरान्त उत्तराखण्ड शासन द्वारा परिसीमन में निरन्तर परिवर्तन करते हुए नागर स्थानीय निकायों का विस्तारीकरण, उच्चीकरण एवं नवसृजन की कार्यवाही की जाती रही है, दिनांक 31.12.2017 तक समस्त नागर स्थानीय निकायों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की अन्तिम अधिसूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। परिसीमन की सूचना शासन द्वारा उपलब्ध न कराये जाने के फलस्वरूप निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण का कार्यक्रम बाधित हुआ। उक्त सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनवरी के प्रथम सप्ताह तक समस्त नागर निकायों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन पूर्ण कर आयोग को उपलब्ध कराये जाने का आश्वासन दिया गया था परन्तु दिनांक 15.01.2018 तक भी परिसीमन की पूर्ण सूचना आयोग को उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन समय से सम्पन्न कराये जाने की संवैधानिक अनिवार्यता के दृष्टिगत "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243-यक के अन्तर्गत एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) की धारा 12-ख एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) की धारा 35 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य की नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों की निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण हेतु मैं, सुबर्द्धन, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि जिन नागर निकायों के प्रादेशिक क्षेत्रों के परिसीमन की अन्तिम सूचना उत्तराखण्ड शासन से ससमय प्राप्त हो गई है और उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार सुचारु रूप से सम्पन्न किया जा रहा है उनमें तदनुसार कार्यवाही पूर्ण की जाय तथा जिन नागर

कमश: 2


स्थानीय निकायों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की अन्तिम सूचना शासन स्तर से समय से प्राप्त नहीं कराई गई अपितु विलम्ब से इस अधिसूचना के जारी किये जाने की दिनांक तक प्राप्त हुई है, और इस कारण पुनरीक्षण कार्य बाधित हुआ है। उन नागर स्थानीय निकायों एवं नगर निगमों के निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य निम्न संशोधित समय-सारिणी के अनुसार समयबद्धता से पूर्ण किया जाय। इस हेतु पूर्व में जारी किये गये अन्य निर्देश यथावत रहेंगे।

कार्यक्रम	अवधि	दिनों की संख्या
(क) 1- नागर निकायवार विस्तृत पुनरीक्षण हेतु संगणकों, पर्यवेक्षकों तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों आदि की नियुक्ति।	17.01.2018	01 दिन
2- कार्यक्षेत्र आवंटन तथा तद्संबंधी जानकारी प्राप्त करना।	18.01.2018	01 दिन
3- प्रशिक्षण अवधि।	19.01.2018	01 दिन
(ख) संगणक द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण की अवधि।	20.01.2018 से 04.02.2018 तक	16 दिन
(ग) प्रारूप नामावली की पाण्डुलिपि तैयार करना।	05.02.2018 से 09.02.2018 तक	05 दिन
(घ) प्रारूप निर्वाचक नामावलियों का मुद्रण।	10.02.2018 से 23.02.2018 तक	14 दिन
(ङ) निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन, निरीक्षण एवं दावे आपत्ति दाखिल करना।	24.02.2018 से 05.03.2018 तक	10 दिन
(च) दावे तथा आपत्तियों के निस्तारण की अवधि।	06.03.2018 से 12.03.2018 तक	07 दिन
(छ) पूरक सूचियों की तैयारी व मुद्रण।	13.03.2018 से 17.03.2018 तक	05 दिन
(ज) निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन।	19.03.2018	01 दिन

तदनुसार जिलों के समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निकाय), जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (स्थानीय निकाय) द्वारा अपने जिले की स्थानीय निकायों की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे तथा मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण एवं निर्वाचक नामावली तैयार

करने संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की निर्देश-पुस्तिका के अध्याय-3 में उल्लिखित संबंधित समस्त कार्यालयों के सूचना पटों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे। सर्वसाधारण की जानकारी में यह तथ्य भी ला दिये जायेंगे कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरुद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को इस प्रतिबन्ध के साथ ग्राह्य होगी कि अपील करने के इच्छुक व्यक्ति ने उस मामले पर, जो अपील की विषय वस्तु है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसके अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का लाभ उठाया है और यह अपील उत्तर प्रदेश नगर पालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) के नियम-20 (1) (2) के अधीन दायर की गई है।

उपर्युक्त पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की संदर्भ तिथि 01 जनवरी, 2018 निर्धारित करते हुए राज्य के समस्त जनपदों की नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण किया जायेगा। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किये जायेंगे जो 01 जनवरी, 2018 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। पुनरीक्षण के पश्चात् तैयार निर्वाचक नामावलियां ही आगामी सामान्य/उप निर्वाचन में प्रयुक्त की जायेंगी।


(सुबर्द्धन)

राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या:- 650/रा0नि0आ0-3/1260/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि- समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निकाय) एवं समस्त जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, (स्थानीय निकाय)/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त कार्यक्रमानुसार निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण करवाना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।

6. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा निःशुल्क प्रसारित करवाने का कष्ट करें।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
12. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को भी निःशुल्क प्रसारण हेतु भेजने का कष्ट करें।
13. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय उत्तराखण्ड, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित कराकर इसकी 25 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
15. गार्ड फाईल।

(सुबर्द्धन)

राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड



सत्यमेव जयते

पत्रांक : 1117 / रा.नि.आ.-3/1453/2013

दिनांक 09/3/2018

राज्य निर्वाचन आयोग

प्रेषक,

रोशन लाल,
सचिव

सेवा में,

जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी(स्था0नि0)
देहरादून।


विषय:-
महोदय

उम्मीदवारों के अनर्हता के संबंध में।

उपर्युक्त विषय अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी पंचायतानि चुनावालय देहरादून के पत्र संख्या 312/ना0नि0निर्वा0/2018 दिनांक 23.01.2018 के संबंध में अवगत करना है कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट संख्या-846/रा0नि0आ0/लेखा अनु0/65/2002 दिनांक 01 जनवरी 2003 के नियम 4-(1) में किसी त्रिस्तरीय पंचायत अथवा नागर निकाय के निर्वाचन में मतगणना की दिनांक से 30 दिन के भीतर अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति जमा करने का प्राविधान है। साथ ही उक्त गजट के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर (2) में यह आदेश दिया गया है कि "यह आदेश सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के ग्रामीण एवं नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन में लागू होगा"। जिसमें दोनों इकाईयों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र आच्छादित होते हैं।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नागर स्थानीय निकायों के परिसेमन में किन्हीं ग्राम पंचायतों को नागर निकायों में विलय किये जाने पर पश्चात हुए निर्वाचनों/उप निर्वाचनों में अपना निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने में असफल रहने पर निर्वाचन लड़ने हेतु अनर्ह हुए हों, ऐसे ग्राम पंचायतों के अनर्ह हुए उम्मीदवार विलय हुए निकाय में भी आगामी नागर स्थानीय निकाय के निर्वाचन हेतु अनर्ह माने जायेंगे।

भवदीय


(रोशन लाल)
सचिव।

संख्या /रा.नि.आ.-03/1453/2013 तददिनांकित

प्रतिनिधि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- समस्त, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 2- समस्त, प्रभारी अधिकारी, पंचायतानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
- 3- अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी पंचायतानि देहरादून को उक्त संदर्भित पत्र के कम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रोशन लाल)
सचिव।

निर्वाचन भवन, ग्राम लाइपुर

पसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष : 0135 - 2670457, 2670998
टेलीफैक्स : 0135 - 2670920, 2678945
ई-मेल : sec.uttarakhand@gmail.com



राज्य निर्वाचन आयोग
अधिसूचना

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका No. 161 of 2004 People's Union for Civil Liberties & Others versus Union of India & Others में ऐसे मतदाताओं, जो निर्वाचन में किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान नहीं करना चाहते हैं, के मतदान न करने के अधिकार की गोपनीयता बनाये रखने के उद्देश्य से मतपत्र एवं E.V.M. में "None of the Above" (NOTA) का प्राविधान करने का निर्देश दिया गया है।

अतः मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में एवं भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-यक, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) की धारा-46 एवं उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) की धारा 13-छ में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नागर निकाय निर्वाचनों में मतपत्रों एवं E.V.M. में "None of the Above" (NOTA)/"उपरोक्त में से कोई नहीं" का प्राविधान करने का निर्देश दिया जाया है। मतपत्र एवं E.V.M. हेतु प्रयुक्त होने वाले मतपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों के नामों के पश्चात् "None of the Above" (NOTA)/"उपरोक्त में से कोई नहीं" को सम्मिलित किया जायेगा। "NOTA" का प्रभाव किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान नहीं करने जैसा होगा। यदि "NOTA"/"उपरोक्त में से कोई नहीं" को अधिकतम मत प्राप्त हो भी जाते हैं, तो भी "NOTA" के बाद अधिकतम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

(सुबर्द्धन)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या 89/रा0नि0आ0अनु0-3/1420/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
4. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर 100 (एक सौ) प्रतियाँ आयोग को सपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

(सुबर्द्धन)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 2017/2018

Secretary, Panchayati Raj (S034)

आवंटन पत्र संख्या - 542-82(05)/2017

अनुदान संख्या - 005

अलोटमेंट आई डी - S1704050450

आवंटन पत्र दिनांक - 27-Apr-2017

HOD Name - Commissioner State Election Commission (2961)

1: लेखा शीर्षक 2015 - निर्वाचन 00 -
109 -
02 -
00 -

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	7271000	7271000
02 - भवखुरी	0	30000	30000
03 - सहपाई भत्ता	0	414000	414000
04 - यात्रा व्यय	0	17000	17000
05 - स्वातात्तरण यात्रा व्यय	0	17000	17000
06 - सन्ध भत्ते	0	339000	339000
08 - कार्यालय व्यय	0	233000	233000
09 - बिजुत बिल	0	83000	83000
11 - लेखन सामग्री और कार्रों की ख	0	100000	100000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	167000	167000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	83000	83000
15 - गाड़ियों का अंतरक्षण और मेट	0	133000	133000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	0	1000000	1000000
19 - विज्ञापन, चिकी और विख्यापन	0	3000	3000
20 - सहायक अनुदान/संशोधन/राज	0	33000	33000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण जी	0	17000	17000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0	100000	100000
29 - सन्तुलन	0	33000	33000
42 - अन्य व्यय	0	50000	50000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	0	33000	33000
47 - कम्प्यूटर अंतरक्षण/संसाधनवी	0	50000	50000
	0	10206000	10206000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

10206000

(निदेशक, राजकी)
उप सचिव,
पंचायतीराज विभाग
चत्तराखण्ड शासन।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Panchayat Raj (S034)

आवंटन पत्र संख्या - 542-82(05)/2017

अलोटमेंट आई नं - S1704050451

अनुदान संख्या - 005

आवंटन पत्र दिनांक - 27-Apr-2017

HOD Name - Commissioner State Election Commission (2961)

1: लेखा शीर्षक 2015 - निर्वाचन 00 -
109 -
03 -
00 -

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	1323000	1323000
02 - भण्डारी	0	108000	108000
03 - मशीन/ई मसा	0	80000	80000
04 - यात्रा व्यय	0	1100000	1100000
05 - स्वीमानुस्मय योजना व्यय	0	8000	8000
06 - अन्य भत्ते	0	62000	62000
07 - मापदेय	0	833000	833000
08 - कार्यालय व्यय	0	167000	167000
09 - विद्युत देय	0	27000	27000
10 - जलकर / जल प्रसार	0	7000	7000
11 - वेतन सामग्री और फर्मों की छ	0	1267000	1267000
12 - कार्यालय फर्निचर एवं उपकरण	0	50000	50000
13 - रेकीफोन पर व्यय	0	70000	70000
15 - यात्रियों का अन्नरक्षण और पेट	0	235000	235000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	0	567000	567000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0	20000	20000
42 - अन्य व्यय	0	500000	500000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	0	67000	67000
47 - कम्प्यूटर क्षति/भण्डार/सामग्री	0	40000	40000
	0	6631000	6631000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

6631000



(हस्ताक्षर)
उप सचिव,
पंचायतीराज विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक : 16 जुलाई, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में 08 माह (अगस्त 2017 से मार्च 2018 तक) के लिए वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 610/3(150)XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 के 08 माह (अगस्त 2017 से मार्च 2017 तक) हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या: 05 के अन्तर्गत संलग्न सूची में अंकित विवरण एवं संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 के अनुसार वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों की कुल धनराशि रु0 27573 हजार (रु0 दो करोड़ पिजहत्तर लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च 2017 में वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
3. उक्त धनराशि इस प्रतिबंध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि उक्त मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त-पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। अवचनबद्ध मदों के संबंध में प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।
4. वर्ष के प्रारंभ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तदनुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

5. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या: 05 के मुख्य लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा। यह आवंटन राज्य निर्वाचन आयोग एवं उसके अधीन समस्त कार्यालयों के लिए किया जा रहा है।
6. यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय-व्ययक 2017-18 में बजट प्रावधान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय-व्ययक प्रावधान की सीमा तक ही व्यय की जायेगी।
7. प्रायः यह देखा गया है कि धनराशि विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखने के उपरांत भी विभागाध्यक्ष द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरण-वितरण अधिकारी को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो। धनराशि का उपयोग करते हुए प्रत्येक माह का बी.एम.-8 शासन में उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक :- सूची/अलोटमेंट आईडी।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 1203

(1)/XII(1)/17-82(05)/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्य, उत्तराखण्ड, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 3- वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- बजट एवं राजकोषीय संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 7- वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
HUK
(सत्यप्रकाश सिंह)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Panchayati Raj (S034)

संख्या - 82(05)2017-2

अलॉटमेंट आर्डर नं - S1708050162

आंकड़ा - 005

आवंटन पत्र दिनांक - 18-Aug-2017

HOD Name - Commissioner State Election Commission (2961)

वर्षाधीन 2015 - निर्वाचन 00 -

109 - पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार

02 - राज्य निर्वाचन आयोग(स्थानीय निकायों आदि हेतु) (Grant 19 2515-00-800-06 से स्थानान्तरित)

00 - 0

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेहन	7271000	7270000	14541000
02 - मजदूरी	30000	60000	90000
03 - महंगाई भत्ता	414000	413000	827000
04 - यात्रा व्यय	17000	33000	50000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	17000	33000	50000
06 - अन्य भत्ते	339000	679000	1018000
08 - भावनात्मक व्यय	233000	467000	700000
09 - विद्युत देय	83000	167000	250000
11 - वेहन सारथी और फार्मों की छ	100000	2400000	2500000
12 - स्वस्थताम फर्निचर एवं उपकरण	167000	333000	500000
13 - टेलीफोन पर व्यय	83000	167000	250000
15 - मशीनों का अक्षरक्षण और मर	133000	267000	400000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	1000000	2000000	3000000
19 - बिजापन, विक्री और विक्रयगत	3000	7000	10000
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	33000	67000	100000
26 - मशीनों और सज्जा /उपकरण औ	17000	33000	50000
27 - शिक्षिता व्यय प्रतिष्ठिति	100000	200000	300000
29 - अक्षरक्षण	33000	67000	100000
42 - अन्य व्यय	50000	100000	150000
45 - अचकाशा खाना व्यय	0	100000	100000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	33000	67000	100000
47 - कम्प्यूटर अक्षरक्षण/संसाधन	50000	100000	150000
	10206000	15030000	25236000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

15030000

(Handwritten Signature)
 18-Aug-2017
 10:30 AM
 10/18/2017

प्रेषक,

मनीषा पवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक : 12 जनवरी, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत प्रथम अनुपूरक मांग में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 1362/ 3(150) XXVII(1)/2017, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम अनुपूरक मांग में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या: 05 के अन्तर्गत संलग्न सूची में अंकित विवरणीय तालिका-4 एवं संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 के अनुसार मानक मद संख्या-01, 03 एवं 06 की कुल धनराशि रू0 1700 हजार (रू0 सत्तरह लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम अनुपूरक अनुदान के उपयोग के सम्बन्ध में अन्य शर्तें वही होंगी जो वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किए जाने विषयक शासनादेश संख्या-610 दिनांक 30.06.2017 में उल्लिखित हैं। अतः शासनादेश दिनांक 30.06.2017 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या: 05 के मुख्य लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा। यह आवंटन राज्य निर्वाचन आयोग एवं उसके अधीन समस्त कार्यालयों के लिए कि या जा रहा है।
3. प्रायः यह देखा गया है कि धनराशि विभागाध्यक्ष के निर्वर्तन पर रखने के उपरांत भी विभागाध्यक्ष द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निर्वर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरण-वितरण अधिकारी को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो। धनराशि का उपयोग करते हुए प्रत्येक माह का बी.एम.-8 शासन में उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक :- सूची/अलॉटमेंट आईडी।

भवदीया,

(मनीषा पवार)
प्रमुख सचिव।

Roc(अखण्ड)

17/1/18

(बी.पी. कोठारी)
अनु सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

संख्या: (1)/ XII(1) /17-82(05)/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवर यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 3- वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- बजट एवं राजकोषीय संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 6- वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र(एन0आई0सी0), सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0एन0पन्त)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Panchayati Raj (S034)

क्रमांक - 82(05)2017 Anupurak

अलॉटमेंट आई डी - S1801050213

क्रमांक - 005

आवंटन पत्र दिनांक - 12-Jan-2018

HOD Name - Commissioner State Election Commission (2961)

शीर्षक 2015 - निर्वाचन 00 -
 109 - पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार
 02 - राज्य निर्वाचन आयोग(स्थानीय निकायों आदि हेतु) (Grant 19 2515-00-800-06 से स्थानान्तरित)
 00 - 0

Voted

मालाक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	14541000	1400000	15941000
02 - मजदूरी	90000	0	90000
03 - महंगाई भत्ता	827000	0	827000
04 - यात्रा व्यय	50000	0	50000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50000	0	50000
06 - अन्य भत्ते	1018000	0	1018000
08 - कार्यालय व्यय	700000	0	700000
09 - शिक्षा भत्ता	250000	0	250000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की ख	2500000	0	2500000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	600000	0	600000
13 - टेलीफोन पर व्यय	250000	0	250000
15 - गाड़ियों का रखरखाव और पेट	400000	0	400000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	3000000	0	3000000
19 - शिक्षा भत्ता, निजी और विध्यालय	10000	0	10000
20 - सहायक अनुदान/सेवादाता/दान	100000	0	100000
26 - मशीनें और सज्जा/उपकरण आ	50000	0	50000
27 - चिकित्सा व्यय प्रविवृति	300000	0	300000
29 - अनुदान	100000	0	100000
42 - अन्य व्यय	150000	0	150000
45 - यात्रा यात्रा व्यय	100000	0	100000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	100000	0	100000
47 - कम्प्यूटर अनुदान/सामग्री	150000	0	150000
	25236000	1400000	26636000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

1400000

(जी.एन.एम.)
 उप सचिव,
 राज्य निर्वाचन आयोग

ख्या: (1)/ XII(1) /18-82(05)/2017, तद्दिनांकित।

खतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आदर्श यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्ये, उत्तराखण्ड, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 3- वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- बजट एवं राजकोषीय संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 6- वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- वित्त नियंत्रक, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 9- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र(एन०आई०सी०), सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी०एन०पन्त)

उप सचिव।

↓

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Panchayati Raj (S034)

संख्या - 82(05)/2017

अनोटमेंट आई डी - S1803050021

पन्ना - 005

आवंटन पत्र दिनांक - 05-Mar-2018

HOD Name - Commissioner State Election Commission (2961)

खा शीर्षक 2015 - नरिवाचन 00 -
 109 - पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार
 02 - राज्य नरिवाचन आयोग(स्थानीय निकायों आवंटित) (Grant 19 2515-00-800-06 से स्थानान्तरित)
 00 - 0

Voted

आवक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	15941000	0	15941000
02 - मजदूरी	90000	0	90000
03 - महंगाई भत्ता	827000	0	827000
04 - यात्रा खर्च	50000	0	50000
05 - स्थानान्तरण यात्रा खर्च	50000	0	50000
06 - अन्य मदें	1018000	0	1018000
08 - कार्यालय खर्च	700000	300000	1000000
09 - बर्तमान देय	250000	0	250000
11 - लेखन सामग्री और फाइलों का	2500000	0	2500000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	500000	0	500000
13 - टेलीफोन पर खर्च	250000	0	250000
15 - गाड़ियों का मरम्मत और प	400000	0	400000
16 - न्यायन(पब्लिक तथा वरिष्ठ सेवा	3000000	500000	3500000
19 - घनित्वापन, बर्तमान और वरिष्ठ	10000	0	10000
20 - सहायक अन्वयन/अवकाश/राज्य	100000	0	100000
26 - भूतियाँ और सज्जा /उपकरण औ	50000	0	50000
27 - चक्रवर्ति खर्च परतफिरती	300000	0	300000
29 - अन्वयन	100000	0	100000
42 - अन्य खर्च	150000	0	150000
45 - अवकाश/यात्रा खर्च	100000	0	100000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	100000	0	100000
47 - कम्प्यूटर अन्वयन/तत्सम्बन्ध	150000	0	150000
	26636000	800000	27436000

2: लेखा शीर्षक 2015 - नरिवाचन 00 -
 109 - पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार
 03 - राज्य नरिवाचन आयोग जिला स्तरीय (Grant 19 2515-00-800-07 से स्थानान्तरित)
 00 - 0


Voted

आवक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	2875000	0	2875000
02 - मजदूरी	325000	0	325000
03 - महंगाई भत्ता	229000	0	229000

04 - बाह्य न्यय	3300000	0	3300000
05 - स्थानान्तरण पत्रा न्यय	25000	0	25000
06 - अन्य भतरे	185000	0	185000
07 - मानवेय	2500000	0	2500000
08 - कार्यालय न्यय	500000	0	500000
09 - वदिसत देय	80000	0	80000
10 - बलकर / जल प्रमार	20000	0	20000
11 - वेधन सामगरी और फारमो क	3800000	0	3800000
12 - कार्यालय फरनीचर एवं उपक	150000	0	150000
13 - टेलीफोन पर न्यय	210000	0	210000
15 - भावधो का अनुकरण और प	705000	0	705000
16 - न्यावसायिक तथा वक्षिष सेवा	2500000	3000000	5500000
27 - चकितिसा न्यय प्रतविद्वि	150000	0	150000
42 - अन्य न्यय	1500000	0	1500000
46 - कम्प्युटर हारडवेयर/साफ्टवेयर	200000	0	200000
47 - कम्प्युटर अनुकरण/तनुनन	120000	0	120000
	19374000	3000000	22374000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

3800000


 (जी०एन०पन्त)
 उप सचिव,
 श्रम एवं सेवायोजन/पंचायती राज

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड-देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 11 अप्रैल, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक में राज्य निर्वाचन आयोग के अधिष्ठान हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31.03.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य निर्वाचन आयोग के उपयोगार्थ वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यय में संलग्न विवरणानुसार रू० 1,21,65,000/- (एक करोड़ इक्कीस लाख पैंसठ हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यवर्तन अन्य मदों में नहीं किया जाये, तथा मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी.एम.-8 पर हर माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- (2) यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि, उपर्युक्त अनुदान से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाये।
- (3) यात्रा, टेलीफोन एवं पेट्रोल आदि के व्यय पर विशेष रूप से मितव्ययता बरती जाये।
- (4) व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाये।
- (5) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाये और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाये।
- (6) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31.03.2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

361/1/17
अप सचिव

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

लेखानुक्रमांक

उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड।

(7) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण, प्रपत्र-10 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।

2:- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31.03.2017 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुक्रम में निर्गत किया जा रहे है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
प्रभारी सचिव।

संख्या- /IV(1)/2017-05(बजट)/2017 तददिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
6. निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018
Secretary, Urban Development (5054)

आवंटन पत्र संख्या - 424 /05(budget)2017
अनुदान संख्या - 013

अनौटमेंट आई डी - S1704130123

आवंटन पत्र दिनांक -10-Apr-2017

HOD Name - Commissioner State Election Commission (2961)

1: सेवा शीर्षक 2217 - ग्रामी विकास 80 - सावधान्य
001 - निर्देशन एवं प्रशासन 03 - नगर पंचायतों का चुनाव
00 - नगर पंचायतों का चुनाव

Non Plan Voted			
नामक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	9051000	9051000
02 - भवद्वारी	0	37000	37000
03 - महंगाई भत्ता	0	543000	543000
04 - यात्रा व्यय	0	83000	83000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0	32000	32000
06 - अन्य मण्डे	0	422000	422000
07 - मानदेय	0	10000	10000
08 - कार्यालय व्यय	0	33000	33000
09 - विद्युत देय	0	67000	67000
10 - शौकर / नाल प्रभार	0	7000	7000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की ख	0	167000	167000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	40000	40000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	50000	50000
15 - राष्ट्रियों का अनुकरण और पेद	0	33000	33000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	0	1233000	1233000
17 - किराया, उपभोग और कर-व्य	0	117000	117000
27 - भिक्षिता व्यय प्रतिपत्ति	0	33000	33000
42 - अन्य व्यय	0	80000	80000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	0	67000	67000
47 - कम्प्यूटर अनुकरण/लेखात्मक	0	60000	60000
	0	12165000	12165000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

12165000

प्रेषक,

राधिका झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड-देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 22 अगस्त, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक में राज्य निर्वाचन आयोग के अधिष्ठान हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य निर्वाचन आयोग के उपयोगार्थ वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यय में संलग्न विवरणानुसार रू० 1,48,47,000/- (रू० एक करोड़, अड़तालिस लाख, सैंतालिस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यवर्तन अन्य मदों में नहीं किया जाये, तथा मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी.एम.-8 पर हर माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- (2) यह भी सुनिश्चित किया जाये कि, स्वीकृत अनुदान से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाये।
- (3) यात्रा, टेलीफोन एवं पेट्रोल आदि के व्यय पर विशेष रूप से मितव्ययता बरती जाये।
- (4) व्यय करते समय वित्तीय हस्तापुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाये।
- (5) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाये और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाये।
- (6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुये किया जाये।

52/10/2017

अनु. सचिव

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

Ro (लेखा)

30/8/17
(वी०पी० कोठारी)
अनु. सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

(Handwritten signature)

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Urban Development (S054)

पत्र संख्या - 1043/05(budget)/2017

अलोटमेंट आई डी - S1708130036

पत्र संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 02-Aug-2017

HOD Name - Commissioner State Election Commission (2961)

लेखा शीर्षक 2217 - शहरी विकास 80 - सामान्य
 001 - निदेशन एवं प्रशासन
 03 - नगर पंचायतों का चुनाव
 00 - नगर पंचायतों का चुनाव

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	9051000	9051000	18102000
02 - मजदूरी	37000	73000	110000
03 - महंगाई भत्ता	543000	543000	1086000
04 - यात्रा व्यय	83000	167000	250000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	32000	63000	95000
06 - अन्य भत्ते	422000	845000	1267000
07 - मानदेय	10000	20000	30000
08 - कार्यालय व्यय	33000	67000	100000
09 - विद्युत दैय	87000	134000	201000
10 - जलकर / जल प्रसार	7000	14000	21000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की ख	167000	333000	500000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	40000	80000	120000
13 - टेलीफोन पर व्यय	50000	100000	150000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट	33000	67000	100000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	1233000	2467000	3700000
17 - किराया, उपशल्क और कर-स्त	117000	233000	350000
27 - भिकित्ता स्वयं प्रविष्टि	33000	67000	100000
42 - अन्य व्यय	80000	270000	350000
46 - कंप्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	67000	133000	200000
47 - कंप्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	60000	120000	180000
	12165000	14847000	27012000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

14847000

प्रेषक,

मनीषा पवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक : 27 मार्च, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-1066/रा.नि.आ.-ले./2124/2018 दिनांक 27.02.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 में अनुदान संख्या-05 के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक में किए गए प्रस्तावानुसार उपलब्ध बचतों में संलग्न बी.एम.-9 के अनुसार रू0 942 हजार (रू0 नौ लाख बयालीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- पुनर्विनियोग से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है। वित्तीय उपबन्धों तथा प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी को स्वयं उत्तरदायी होंगे।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययता के विषय में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(रोशन लखन) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2018 तक कर लिया जाय तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर शासन को ससमय उपलब्ध कराई जाय।

इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-05 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2015 के सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा.संख्या 238 /XXVII/2018 दिनांक 19 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक :- अलोटमेंट आईडी।

भवनीया,
(मनीषा पवार)
प्रमुख सचिव।

1 (2)

संख्या: (1)/ XII(1) /18-82(04)/2018, तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्थ, उत्तराखण्ड, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 3- वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- बजट एवं राजकोषीय संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 6- वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- वित्त नियंत्रक, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरि चन्द्र सेमवाल)
अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Panchayati Raj (S034)

आवंटन संख्या -

अनुदान संख्या - 005

अनोटमेंट आई डी - S1803050568

आवंटन पत्र दिनांक - 27-Mar-2018

HOD Name - Commissioner State Election Commission (2961)

- 1: लेखा शीर्षक 2015 - निर्वाचन 00 -
 109 - पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार
 02 - राज्य निर्वाचन आयोग(स्थानीय निकायों आवंटित) (Grant 19 2515-00-800-08 से स्थानान्तरित)
 00 - 0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	15941000	0	15941000
02 - मजदूरी	90000	0	90000
03 - यात्रागर्ह भत्ता	827000	160000	987000
04 - वास्तु भूय	50000	0	50000
05 - स्थानान्तरण वास्तु भूय	50000	0	50000
06 - अन्य भूते	1018000	0	1018000
08 - कार्यालय भूय	1000000	0	1000000
09 - वदियत वेत	250000	18000	268000
11 - लेखन सामग्री और कार्पी क	2500000	714000	3214000
12 - कार्यालय कर्मीचर एवं उपक	500000	0	500000
13 - टेलीफोन पर भूय	250000	50000	300000
15 - यात्राओं का अन्वेषण और प	400000	0	400000
16 - व्यावसायिक तथा वशिष सेव	3500000	0	3500000
19 - वजिजापन, बकिरी और वदिय	10000	0	10000
20 - सहायक अनुदान/वैश्वानर/राज	100000	0	100000
26 - यमीने और सज्जा /उपकरण की	60000	0	60000
27 - बकिरिस्त भूय परतप्रितति	300000	0	300000
29 - अन्वेषण	100000	0	100000
42 - अन्य भूय	150000	0	150000
45 - अन्वेषण यात्रा भूय	100000	0	100000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर	100000	0	100000
47 - कम्प्यूटर अन्वेषण/संयोजन	150000	0	150000
	27436000	942000	28378000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

942000



राज्य निर्वाचन आयोग

प्रेषक,

गंगा प्रसाद,
संयुक्त सचिव (वित्त)

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी /
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय:-

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु धनराशि निर्वतन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-542 दिनांक 27.04.2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखानुदान में माह अप्रैल, 2017 से जुलाई, 2017 तक के लिए अनुदान संख्या-05, लेखाशीर्षक-2015-निर्वाचन-00-आयोजनेत्तर-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-03-राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अर्न्तगत विभिन्न मानक मदों में धनराशि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है। जिसमें से प्रत्येक जनपदों की मांग एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर 04 माहों हेतु निम्नलिखित अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार धनराशि पंचास्थानि चुनावालयों के निर्वतन हेतु रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	जनपद का नाम	अलाटमेंट आई0डी0 संख्या	दिनांक	धनराशि रु0 में
1	2	3	4	5
1.	अल्मोड़ा	H1705050407	05-05-2017	437000
2.	उधमसिंह नगर	H1705050409	05-05-2017	47000
3.	धरमावत	H1705050410	05-05-2017	255000
4.	नैनीताल	H1705050411	05-05-2017	443000
5.	बागेश्वर	H1705050412	05-05-2017	172000
6.	पिथौरागढ़	H1705050413	05-05-2017	86000
7.	उत्तरकाशी	H1705050414	05-05-2017	56000
8.	चमोली	H1705050415	05-05-2017	365000
9.	रूद्रप्रयाग	H1705050416	05-05-2017	329000
10.	पौड़ी गढ़वाल	H1705050417	05-05-2017	565000
11.	टिहरी	H1705050420	05-05-2017	457000
12.	हरिद्वार	H1705050421	05-05-2017	1033000
13.	देहरादून	H1705050422	05-05-2017	104000
		योग:-		4349000

भवदीय

(गंगा प्रसाद)

संयुक्त सचिव (वित्त)

संख्या- 79 / रा.नि.आ.ए. / लेखा / 2126 / 2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(गंगा प्रसाद)

संयुक्त सचिव (वित्त)



सत्यमेव जयते

प्रेषक,

गंगा प्रसाद,

संयुक्त सचिव (वित्त)

राज्य निर्वाचन आयोग

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/

जिला निर्वाचन अधिकारी,

उत्तराखण्ड।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु धनराशि निर्वतन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव, पंचायतीसज, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1203 दिनांक 16.08.2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु स्वीकृत लेखानुदान के माध्यम से पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि को घटाते हुए शेष 08 माहों के लिए अनुदान संख्या-006, लेखाशीर्षक-2015-निर्वाचन-00-आयोजनेत्तर-109-पंचायती/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-03-राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अर्न्तगत विभिन्न मानक मदों में धनराशि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है। जिसमें से प्रत्येक जनपदों की आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार धनराशि पंचास्थानि चुनावालयों के निर्वतन हेतु रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	जनपद का नाम	अलाटमेंट आई0डी0 संख्या	दिनांक	धनराशि रु० में
1	2	3	4	5
1.	अल्मोडा	H1708051940	28-08-2017	539000
2.	उधमसिंह नगर	H1708051941	28-08-2017	82000
3.	नैनीताल	H1708051943	28-08-2017	759000
4.	धामेश्वर	H1708051945	28-08-2017	145000
5.	पिथौरागढ़	H1708051948	28-08-2017	59000
6.	उत्तरकाशी	H1708051949	28-08-2017	28000
7.	चमोली	H1708051950	28-08-2017	707000
8.	रूद्रप्रयाग	H1708051951	28-08-2017	910000
9.	पौड़ी गढ़वाल	H1708051952	28-08-2017	960000
10.	टिहरी	H1708051953	28-08-2017	398000
11.	हरिद्वार	H1708051954	28-08-2017	652000
12.	देहरादून	H1708051989	28-08-2017	620000
		योग:-		5859000

भवदीय

(गंगा प्रसाद)
संयुक्त सचिव (वित्त)

संख्या-394 / रा0नि0आ0-लेखा/2125/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(गंगा प्रसाद)
संयुक्त सचिव (वित्त)



राज्य निर्वाचन आयोग

प्रेषक,

तृप्ति श्रीवास्तव,
वित्त नियंत्रक।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी /
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय:- लेखाशीर्षक 2015-00-109-03 के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनुदान संख्या-005, लेखाशीर्षक- 2015-निर्वाचन-00-आयोजनेत्तर-109-पंचायतों/ स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-03-राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत विभिन्न मानक मर्दों में पूर्व आवंटित धनराशि के अतिरिक्त जनपदों की आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार धनराशि पंचास्थानि चुनावालयों के निर्वहन हेतु रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	जनपद का नाम	अलाटमेंट आई0डी0 संख्या	दिनांक	धनराशि रु0 में
1	2	3	4	5
1.	अल्मोड़ा	H1802050864	08-02-2018	90000
2.	उधमसिंह नगर	H1802050865	08-02-2018	2000
3.	चम्पावत	H1802050866	08-02-2018	15000
4.	नैनीताल	H1802050867	08-02-2018	234000
5.	पिथौरागढ़	H1802050868	08-02-2018	138000
6.	चतराकारी	H1802050871	08-02-2018	2000
7.	चमोली	H1802050880	08-02-2018	164000
8.	रुद्रप्रयाग	H1802050873	08-02-2018	125000
9.	पौड़ी गढ़वाल	H1802050874	08-02-2018	190000
10.	टिहरी	H1802050877	08-02-2018	544000
11.	हरिद्वार	H1802050878	08-02-2018	2429000
12.	देहरादून	H1802050879	08-02-2018	5000
		योग:-		3938000

भवदीय

(तृप्ति श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक।

संख्या- 968 / रा.नि.आ.ले/2125/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(तृप्ति श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक।



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

प्रेषक,

तृप्ति श्रीवास्तव,
वित्त नियंत्रक।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी /
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय:- लेखाशीर्षक 2015-00-109-03 के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन।
सहोदय,

उपर्युक्त विषयक अनुदान संख्या-005, लेखाशीर्षक- 2015-निर्वाचन-00-आयोजनेत्तर-109-पंचायतों/
स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-03-राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवायें मद में जनपदों की आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित
अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार धनराशि पंचास्थानि चुनावालयों के निर्वहन हेतु रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती
है:-

क्र0सं0	जनपद का नाम	अलाटमेंट आई0डी0 संख्या	दिनांक	धनराशि रु0 में
1	2	3	4	5
1.	अल्मोड़ा	H1803050469	08-03-2018	175000
2.	उधमसिंह नगर	H1803050470	08-03-2018	215000
3.	चम्पावत	H1803050471	08-03-2018	120000
4.	नैनीताल	H1803050472	08-03-2018	280000
5.	पिथौरागढ़	H1803050473	08-03-2018	214000
6.	उत्तरकाशी	H1803050475	08-03-2018	300000
7.	चमोली	H1803050476	08-03-2018	131000
8.	रूद्रप्रयाग	H1803050477	08-03-2018	210000
9.	पौड़ी गढ़वाल	H1803050478	08-03-2018	236000
10.	टिहरी	H1803050479	08-03-2018	462000
11.	हरिद्वार	H1803050481	08-03-2018	268000
12.	देहरादून	H1803050482	08-03-2018	400000
योग:-				3011000

भवदीय

(डॉ० तृप्ति श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक।

संख्या- 1106 / रा0नि0आ0-लेखा / 2125 / 2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(डॉ० तृप्ति श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक।



सत्यमेव जयते

प्रेषक,

राज्य निर्वाचन आयोग

गंगा प्रसाद,
संयुक्त सचिव (वित्त)

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय:-
महोदय,

वित्तीय वर्ष २०१७-१८ हेतु धनराशि निर्वतन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-४२४ दिनांक ११.०४.२०१७ के द्वारा वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के लेखानुदान में माह अप्रैल, २०१७ से जुलाई, २०१७ तक के लिए अनुदान संख्या-१३, लेखा शीर्षक-२२१७-शहरी विकास-८०-सामान्य-००१ निदेशन एवं प्रशासन-०३- नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है। जिसमें से प्रत्येक जनपदों की मांग एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर ०४ माहों हेतु निम्नलिखित अलाटमेंट आई०डी० के अनुसार धनराशि पंचास्थानि चुनावालयों के निर्वतन हेतु रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	जनपद का नाम	अलाटमेंट आई०डी० संख्या	दिनांक	धनराशि रु० में
1.	अल्मोड़ा	H1705130365	05-05-2017	1222000
2.	उधमसिंह नगर	H1705130366	05-05-2017	795000
3.	चम्पावत	H1705130367	05-05-2017	997000
4.	नैनीताल	H1705130368	05-05-2017	1064000
5.	बागेश्वर	H1705130370	05-05-2017	996000
6.	पिथौरागढ़	H1705130372	05-05-2017	966000
7.	उत्तरकाशी	H1705130374	05-05-2017	836000
8.	चमोली	H1705130397	05-05-2017	888000
9.	रूद्रप्रयाग	H1705130380	05-05-2017	668000
10.	पौड़ी गढ़वाल	H1705130383	05-05-2017	813000
11.	टिहरी	H1705130387	05-05-2017	668000
12.	हरिद्वार	H1705130390	05-05-2017	936000
13.	देहरादून	H1705130392	05-05-2017	1239000
		योग:-		12088000

भवदीय

(गंगा प्रसाद)
संयुक्त सचिव (वित्त)

संख्या-77 /रा०नि०आ०-लेखा/२१२६/२०१६ तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
- समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(गंगा प्रसाद)
संयुक्त सचिव (वित्त)



सत्यमेव जयते

प्रेषक,

राज्य निर्वाचन आयोग

गंगा प्रसाद,
संयुक्त सचिव (वित्त)

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय:-
महोदय,

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु धनराशि निर्वतन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु स्वीकृत लेखानुदान के माध्यम से पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि को घटाते हुए शेष 08 माहों के लिए अनुदान संख्या-13, लेखा शीर्षक-2217-शहरी विकास-80- सामान्य-001-निर्देशन एवं प्रशासन-03-नगर पंचायतों का चुनाव के अर्न्तगत विभिन्न मानक मदों में धनराशि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है। जिसमें से प्रत्येक जनपदों की आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार धनराशि पंचास्थानि चुनावालयों के निर्वतन हेतु रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	जनपद का नाम	अलाटमेंट आई0डी0 संख्या	दिनांक	धनराशि रु0 में
1	2	3	4	5
1.	अल्मोड़ा	H1708132109	30-08-2017	740000
2.	उधमसिंह नगर	H1708132115	30-08-2017	707000
3.	धरमपुर	H1708132117	30-08-2017	733000
4.	नैनीताल	H1708132122	30-08-2017	868000
5.	बागेश्वर	H1708132131	30-08-2017	476000
6.	पिथौरागढ़	H1708132137	30-08-2017	1147000
7.	उत्तरकाशी	H1708132138	30-08-2017	768000
8.	चमोली	H1708132146	30-08-2017	967000
9.	रूद्रप्रयाग	H1708132150	30-08-2017	505000
10.	पौड़ी गढ़वाल	H1708132192	30-08-2017	623000
11.	टिहरी	H1708132194	30-08-2017	1902000
12.	हरिद्वार	H1708132195	30-08-2017	937000
13.	देहरादून	H1708132198	30-08-2017	1116000
		योग:-		11489000

भवदीय

(गंगा प्रसाद)
संयुक्त सचिव (वित्त)

संख्या-402 / रा0नि0आ0-लेखा / 2125 / 2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
- समस्त मुख्य/चरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(गंगा प्रसाद)
संयुक्त सचिव (वित्त)



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

प्रेषक,

तृप्ति श्रीवास्तव,
वित्त नियंत्रक।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय:- लेखाशीर्षक 2217-80-001-03 के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि अनुदान संख्या-13, लेखा शीर्षक-2217-शहरी विकास-80-सामान्य-001-निर्देशन एवं प्रशासन-03-नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु वचनबद्ध मदों में पूर्व आवंटित धनराशि के अतिरिक्त जनपदों की आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार धनराशि पंचास्थानि चुनावालयों के निर्वहन हेतु रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	जनपद का नाम	अलाटमेंट आई0डी0 संख्या	दिनांक	धनराशि रु0 में
1	2	3	4	5
1.	अल्मोड़ा	H1802130446	06-02-2018	208000
2.	उधमसिंह नगर	H1802130451	06-02-2018	150000
3.	चम्पावत	H18021304538	06-02-2018	107000
4.	नैनीताल	H1802130539	06-02-2018	88000
5.	बागेश्वर	H1802130540	06-02-2018	160000
6.	मिथौरागढ़	H1802130541	06-02-2018	290000
7.	उत्तरकाशी	H1802130542	06-02-2018	110000
8.	चमोली	H1802130543	06-02-2018	105000
9.	पौड़ी गढ़वाल	H1802130544	06-02-2018	160000
10.	टिहरी	H1802130545	06-02-2018	590000
11.	हरिद्वार	H1802130546	06-02-2018	111000
12.	देहरादून	H1802130547	06-02-2018	240000
योग:-				2319000

भयदीय

(तृप्ति श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक।

संख्या-958 / रा.नि.आ.लेखा/2126 /2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यबाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(तृप्ति श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक।



सत्यमेव जयते
राज्य निर्वाचन आयोग

प्रेषक,

डॉ० तृप्ति श्रीवास्तव,
वित्त नियंत्रक।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी को छोड़कर)

विषय:-
लेखाशीर्षक 2217-80-001-03 के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कथना है कि अनुदान संख्या-13, लेखा शीर्षक-2217-शहरी विकास-80-सामान्य-001-निर्देशन एवं प्रशासन-03-नगर पंचायतों का चुनाव के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु विभिन्न मानक मर्दों में पूर्व आवंटित धनराशि के अतिरिक्त जनपदों की आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार धनराशि पंचास्थानि चुनावालयों के निर्वहन हेतु रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं०	जनपद का नाम	अलाटमेंट आई0डी0 संख्या	दिनांक	धनराशि रु० में
1	2	3	4	5
1.	उधमसिंह नगर	H1803131635	16-03-2018	131000
2.	बम्पावत	H1803131634	16-03-2018	125000
3.	नैनीताल	H1803131636	16-03-2018	60000
4.	चमोली	H1803131637	16-03-2018	14000
5.	पींडी गढ़वाल	H1803131638	16-03-2018	12000
6.	टिहरी	H1803131639	16-03-2018	100000
7.	हरिद्वार	H1803131640	16-03-2018	9000
8.	देहरादून	H1803131641	16-03-2018	35000
		योग:-		486000

भवदीय

(डॉ० तृप्ति श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक।

संख्या- 1175 / रा.नि.आ-03-लेखा / 2128 / 2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी को छोड़कर।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी को छोड़कर।

(डॉ० तृप्ति श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक।



दिनांक 31/3/2018

प्रेषक,

राज्य निर्वाचन आयोग

डॉ० तृप्ति श्रीवास्तव
वित्त नियंत्रक।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्राप्त बजट के सापेक्ष अंतिम व्यय एवं समर्पण की सूचना का प्रेषण।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान संख्या-005, लेखाशीर्षक-2015-निर्वाचन-00-आयोजनेत्तर-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-03-राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत रू०-2,14,32,000.00 (रू० दो करोड़, चौदह लाख, बत्तीस हजार मात्र.) की धनराशि शासन से प्राप्त हुई थी जिसके सापेक्ष रू०-1,79,24,323.00 (रू० एक करोड़, उन्यासी लाख, चौबीस हजार, तीन सौ तेईस मात्र.) का व्यय किया गया तथा रू०-35,07,677.00 (रू० पैंतीस लाख, सात हजार, छः सौ सतहत्तर मात्र.) की बचत होने के फलस्वरूप समर्पण संलग्नक अलाटमेंट आई०डी संख्या-SH180300612 दिनांक 31.03.2018 के द्वारा प्रेषित किया जा रहा है।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मुझे संलग्नक अलाटमेंट आई०डी संख्या-SH180300612 दिनांक 31.03.2018 के द्वारा रू०-35,07,677.00 (रू० पैंतीस लाख, सात हजार, छः सौ सतहत्तर मात्र.) को समर्पण किये जाने का निर्देश हुआ है।

अतः कृपया उक्त धनराशि का समर्पण स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न:-यथोक्त

भवदीय

(डॉ० तृप्ति श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक।

संख्या-1304/रा०नि०आ०-लेखा/2125/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(डॉ० तृप्ति श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक।

बजट समर्पण वित्तीय वर्ष - 20172018
HOD Name - Commissioner State Election Commission (2961)

अनुदान संख्या - 005

असोटमेंट आई डी - SH180300612

आवंटन पर दिनांक - 31-Mar-2018


Secretary, Panchayat Raj

1: लेखा शीर्षक 2015 - निर्वाचन 00 -
 109 - पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन क 03 - राज्य निर्वाचन आयोग जमा स्तरीय (Grant19
 00 - 0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में समर्पण	Voted योग
01 - वेतन	2875000	-380454	2494546
02 - मजदूरी	325000	-267100	57900
03 - महंगाई भत्ता	229000	-41834	187166
04 - यात्रा खर्च	2358000	-778337	1579663
05 - सभानामसंरक्षण यात्रा खर्च	25000	-25000	0
06 - अन्य मदें	185000	-83520	121480
07 - भ्रामवेय	2500000	-137200	2362800
08 - कार्यालय खर्च	500000	-69156	430844
09 - बंधिपत्र देय	80000	-41951	38049
10 - जलकर/जल परभार	20000	-14000	6000
11 - लेखन, सापगुदी और फारमों क	3800000	-453351	3346649
12 - कार्यालय फार्मिचर एवं उपकं	150000	-66004	83996
13 - टेलीफोन पर खर्च	210000	-93491	116509
15 - यात्राओं का अनुसंधान और व	705000	-70140	634860
16 - संप्रदायिक हया वशिष सेव	5500000	-126812	5373388
27 - व्यक्तिगत खर्च परवृत्ति	150000	-150000	0
42 - अन्य खर्च	1500000	-671800	828400
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	200000	-32743	167257
47 - कम्प्यूटर अनुसंधान/प्रशिक्षण	120000	-26184	94816
	21432000	-3507677	17924323

Total Return Amount by Head Of The Department In Above Schemes -

-3507677


 (तृप्ति श्रीवास्तव)
 वित्त निबंधक
 राज्य निर्वाचन आयोग
 उत्तराखण्ड



दिनांक 31/3/2018

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

प्रेषक,

डॉ० तृप्ति श्रीवास्तव
वित्त नियंत्रक।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्राप्त बजट के सापेक्ष अंतिम व्यय एवं समर्पण की सूचना का प्रेषण।

महोदय:

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान संख्या-005, लेखाशीर्षक-2015-निर्वाचन-00-आयोजनेत्तर-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-02-राज्य निर्वाचन आयोग (स्थानीय निकाय आदि हेतु) के अन्तर्गत ₹0-2,83,78,000.00 (₹0 दो करोड़, तिरासी लाख, अठहत्तर हजार मात्र) की धनराशि शासन से प्राप्त हुई थी जिसके सापेक्ष ₹0-2,51,23,944.00 (₹0 दो करोड़, इकावन लाख, तेईस हजार, नौ सौ चालिस मात्र) का व्यय किया गया तथा ₹0-32,54,056.00 (₹0 बत्तीस लाख, चत्वन हजार, छप्पन मात्र) की बचत होने के फलस्वरूप समर्पण संलग्नक अलाटमेंट आई0डी संख्या-SH180300610 दिनांक 31.03.2018 के द्वारा प्रेषित किया जा रहा है।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मुझे संलग्नक अलाटमेंट आई0डी संख्या-SH180300610 दिनांक 31.03.2018 के द्वारा ₹0-32,54,056.00 (₹0 बत्तीस लाख, चत्वन हजार, छप्पन मात्र) को समर्पण किये जाने का निदेश हुआ है।

अतः कृपया उक्त धनराशि का समर्पण स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न:—यथोक्त

भवदीय

(डॉ० तृप्ति श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक।

संख्या-1305/रा.नि.आ.-लेखा/2124/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(डॉ० तृप्ति श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक।

बजट समर्पण वित्तीय वर्ष - 20172018
HOD Name - Commissioner State Election Commission (2961)

आवंटन संख्या - 005
 अनुदान संख्या - 005

अवॉटमेंट आई डी - SH180300610
 आवंटन पत्र दिनांक - 31-Mar-2018

Secretary, Panchayati Raj

1: लेखा शीर्षक 2015 - निर्वाचन 00 -
 109 - पंचायतो /स्थानीय निकायो को चुनाव के आयोजन क 02 - राज्य निर्वाचन आयोग(स्थानीय निकायो आदी ह
 00 - 0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में समर्पण	योग
01 - वेतन	15941000	-167815	15773185
02 - मजदूरी	90000	-100	89900
03 - मंत्राई भतता	987000	-3104	983896
04 - यात्रा व्यय	50000	-47850	2150
05 - सामानांतरण यात्रा व्यय	50000	-29951	20049
06 - अन्य भतते	1018000	-74076	943924
08 - कारवालय व्यय	1000000	-163	999837
09 - बनिगत देय	268000	-18000	250000
11 - लेखन सामग्री और फाइलो क	3214000	-2535624	678376
12 - कारवालय फाइली चंर एवं संयक	600000	-725	499275
13 - डेलीफोन पर व्यय	300000	-225	299775
15 - वाइफो का अनुरक्षण और प	400000	-156500	243500
16 - कपावस्थापक तथा नशिय लेव	3500000	-15778	3484222
19 - कपिलापन, वकिरी और बजिय	10000	-10000	0
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/दाज	100000	-100000	0
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	50000	-27609	22391
27 - चिकित्सा व्यय परतप्रिउरि	300000	-497	299503
29 - अत्ररूप्य	100000	-276	99724
42 - अन्य व्यय	150000	-93	149907
45 - अवकाश यात्रा व्यय	100000	-62393	37607
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेय	100000	-632	99368
47 - कम्प्यूटर अनुरूपण/अत्ररूप्य	150000	-2645	147355
	26378000	-3254056	25123944

Total Return Amount by Head Of The Department In Above Schemes - **-3254056**

(हस्ताक्षर)
(सुपति श्रीवास्तव)
 वित्त नियंत्रक
 राज्य निर्वाचन आयोग
 उत्तराखण्ड